Page No 1

(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4] षष्ठम् विधान सभा के चतुर्थ सत्र का 39 वां दिवस [संख्या 10

बुधवार

दिनांक 8 नवम्बर, 1978

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) व कई माननीय सदस्य : इन्दिरा गांधी, जिन्दाबाद। देश की नेता जिन्दाबाद।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : मुर्दाबाद।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : इन्दिरा जी की जीत, जनता की जीत।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : शर्म खाओ।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : कुर्सी छोड़ो

एक माननीय सदस्य : वरना कुर्सी छोड़ दो।

श्री अध्यक्ष : बहुत हो गया। प्रश्न।

श्री रघुनाथ विश्नोई : राज्य विधान सभा को इसी बेसिस पर भंग करवाया था।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रतनलाल वर्मा : अगर आटे में नमक पड़ गया तो क्या हो गया?

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री बत्तीलाल मीणा।

अनुसूचित जाति एवं जन जाति के छात्रों को छात्रावास की सुविधा

267. श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) राज्य में अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्रों के लिए कालेजों व विश्वविद्यालयों में छात्रावासों की क्या व्यवस्था है? क्या उनके लिए अलग से रहने की व्यवस्था है? यदि हां, तो क्या?

(2) क्या राज्य सरकार इस स्तर पर अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों की व्यवस्था करने का इरादा रखती है?

(3) राज्य में वर्तमान छात्रावासों में छात्रों को प्रवेश देने की क्या प्रणाली है और

(श्री बत्तीलाल मीणा)

इसमें अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्रों का कालेजों व विश्वविद्यालयों में अनुपात क्या है ?

राज्य मन्त्री, शिक्षा (श्रीमती विद्या पाठक) : (1) राज्य में अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्रों के लिए भी कालेजों व विश्वविद्यालयों के छात्रावासों में अन्य छात्रों की भांति प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है। इनके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। सभी छात्र सामूहिक रूप से रहते हैं।

(2) जी नहीं।

(3) राज्य में राजकीय महाविद्यालयों में छात्रों को छात्रावासों में प्रवेश देने की प्रणाली (परिशिष्ट 'क') राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के छात्रावासों में (परिशिष्ट 'ख') व जोधपुर एवं उदयपुर विश्वविद्यालयों में प्रवेश देने सम्बन्धी प्रणाली (परिशिष्ट 'ग') सदन की मेज पर रख दी गई है।

शिक्षा विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्रों के लिए कुल सीटों का 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के छात्रावासों में इन छात्रों के लिए कुल सीटों का 3 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित है।

जोधपुर एवं उदयपुर विश्वविद्यालयों के छात्रावासों में अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्रों के लिए प्रवेश संबंधी कोई आरक्षण का अनुपात निर्धारित नहीं है। सभी छात्रों को छात्रावासों में जगह उपलब्ध होने तक प्रवेश दे दिया जाता है।

(प्रवेश प्रणाली के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री बत्तीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब स्कूलों के अन्दर अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्रों के लिए अलग से व्यवस्था है तो कालेजों के लिए अलग से व्यवस्था क्यों नहीं है ?

जब छात्रावासों में अन्य छात्रों की तुलना में अनुसूचित जाति और जन जाति के छात्रों की संख्या इतनी अधिक है तो क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि 5 प्रतिशत और 3 प्रतिशत का जो कोटा है वह राज्य सरकार की दृष्टि में कम नहीं है ?

क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा इन छात्रावासों के निरीक्षण की प्रक्रिया क्या है ? क्या कभी निश्चित कार्यक्रम के अनुसार मंत्री महोदय द्वारा इन छात्रावासों का निरीक्षण किया गया है ?

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, जहां तक कालेजों में अलग छात्रावासों की व्यवस्था का प्रश्न है, यह सही है कि स्कूलों में अनुसूचित जाति के छात्रावासों की व्यवस्था अलग है मगर कालेज पहुंचने तक संख्या इतनी कम हो जाती है कि अलग से छात्रावास की आवश्यकता महसूस कभी नहीं की गई। दूसरा निरीक्षण की प्रक्रिया में अव्यवस्था के सम्बन्ध में यदि माननीय संदस्य कोई विशेष जानकारी देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री बत्तीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय में आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह

(श्री बत्तीलाल मीणा)

बतलाना चाहूंगा कि छात्रावासों के जिन कमरों के अन्दर छात्र रहते हैं क्या अन्य छात्रों की तुलना में उनकी संख्या अधिक नहीं है अगर उनकी संख्या अधिक नहीं है तो अनुसूचित जाति और जन जाति के छात्रों के साथ यह खुला पक्षपात नहीं है ?

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से यह जानना चाहता हूं . . .

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : आपने फर्माया कि कालेज में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के छात्रों की संख्या इतनी नगण्य होती है कि उनके लिये अलग से व्यवस्था नहीं है। क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि आपके पास कितने पर्सेंट आंकड़े हैं? किस किस कॉलेज में कितने कितने छात्र हैं ? मैं निश्चित रूप से निवेदन कर सकता हूं कि हर एक कॉलेज में इतने छात्र होते हैं कि उनके लिये अलग से छात्रावास चल सकता है।

क्या आप नहीं मानते कि जो छात्रावास चलते हैं उनमें रहन-सहन खान-पान अथवा दूसरी चीजों की व्यवस्था से निश्चित रूप से छात्रों में इनफीरियोरिटी काम्पलेक्स जन्म लेता है और यही आगे झगड़े की जड़ बनता है ?

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल अजीज।

श्री अब्दुल अजीज : क्या राज्य सरकार को इस बात . . .

श्री अमला राम (देसूरी) : मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो अनुसूचित जाति और जन जाति के छात्र हैं . . .

श्री अब्दुल अजीज : यह बड़े जुल्म की बात है। मुझे काल किया है यह बहुत महत्वपूर्ण है . . .

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल अजीज।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, इसमें गहरी बात छुपी हुई है। अनुसूचित जाति के बच्चों के लिये अलग से होस्टल खोला जाये। मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। आप क्षमा करेंगे आगे के वातावरण को देखना है . . .

एक माननीय सदस्य : यह सप्लीमेंट्री नहीं है। यह भाषण शुरू हो गया।

श्री अब्दुल अजीज : सभी कौमों के बच्चों के लिये . . .

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : अच्छा वातावरण देने के लिये जातिवाद के नाम पर कुछ नहीं होना चाहिये। हर कौम के बच्चों को शामिल रखिये। मिलजुल कर हमें आगे . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री अब्दुल अजीज : इसलिये मैं चाहता था कि उच्च स्तरीय शिक्षा में सामूहिक तरीके . . .

(व्यवधान)

श्री रावतराम (सुजानगढ़): मंत्री महोदय ने यह बताया कि कॉलेज से नीचे तो छात्रावास है वहां दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद कॉलेज के जो छात्रावास हैं उनमें आपने 5 प्रतिशत आरक्षण बताया, एक जगह 3 प्रतिशत बताया। मेरा आपसे निवेदन है कि क्या आप ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते, कि 28 प्रतिशत जो कोटा है शिड्यूल्ड कास्ट्स शिड्यूल्ड ट्राइब्स का उसके अनुपात में छात्रावासों में आरक्षण दें। सर्विसेज में आपने 28 प्रतिशत कर रखा है तो कालेज होस्टल्स में भी 28 प्रतिशत आरक्षण देना चाहिए। जो लोग कालेज होस्टल में आते हैं उनको 28 प्रतिशत एडमिशन मिलना चाहिए। यदि आप यह व्यवस्था नहीं कर सकें तो दूसरी व्यवस्था आप यह करिये कि जितने लड़के शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कालेज में पहुंचते हैं उनको प्रायोरिटी के आधार पर कालेज होस्टल में प्रवेश दिलावें।

श्री रघुनाथ विश्नोईः क्या यह सत्य है कि ··

श्री अब्दुल अजीजः आप उनको पूरा मौका दीजिए····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि क्या उदयपुर में नेहरू छात्रावास में सवर्ण और अवर्ण छात्रों को बराबर एक ही जगह रखा जाता है? यदि हां, तो क्या 22 और 24 अप्रेल, 78 को वहां के सवर्णों ने एक अम्बालाल नामक छात्र की निर्मम पिटाई की ...

श्री अध्यक्ष: यह अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई: अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार यह बतायें कि जो 5 पर्सेन्ट का रिज़र्वेशन रखा है क्या वह पर्याप्त है? क्या आपके अनुभव के अनुसार यह बात तो नहीं है कि सीटें कम पड़ती हों? वहां पर सीटें कम तो नहीं पड़ रही हैं? अगर कठिनाई हो रही हो तो उसको हल करने का प्रयास करिये।

श्री रतनलाल वर्मा: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि किसी भी गरीब कौम के छात्रों के लिए छात्रावास भविष्य में खोलने की सरकार चेष्टा करेगी? चाहे किसी भी कौम का है, इसमें किसी विशेष कौम का प्रश्न नहीं है, गरीब कौम के लिए छात्रावास खोलने का प्रयास सरकार करेगी?

श्री मूलचन्द डागा: सवाल यह नहीं है..

श्री अध्यक्ष: श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम (बागीदौरा): माननीय मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करें कि उदयपुर विश्वविद्यालय और जोधपुर विश्वविद्यालय में रिजर्वेशन क्यों नहीं है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए जब जयपुर वगैरा में रिज़र्वेशन है तो इन पिछड़े हुए इलाकों में क्यों नहीं है?

श्री लालशंकर (सागवाड़ा): माननीय मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करें कि छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के लिए जो

(श्री लाल शंकर)

सामान खरीदा जाता है, उसके लिए जो एड देते हैं उसका क्या उपयोग होता है ? इसके अलावा जो चयन होता है एडमिशन के लिए, इसके लिए एक होस्टल कमेटी बनी हुई है वह कमेटी भूतपूर्व सरकार ने बनाई थी, जो आज तक चैंज नहीं हुई है। क्या इसमें परिवर्तन करने की कृपा करेंगे ?

श्री नवरंग सिंह: (नवलगढ़): अन्त्योदय परिवार जो चुने गए हैं क्या उनके लिए भी कोई अलग से छात्रावास बनाने की योजना है ?

(व्यवधान)

श्री नाथूराम: जब सप्लीमेंट्रीज का जवाब नहीं आ रहा है तो प्रश्न पूछने से क्या फायदा है ? अगर जवाब नहीं है तो इसको स्थगित किया जावे।

श्री मती विद्या पाठक: अध्यक्ष महोदय, स्थगित करने का कोई प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्यों को उत्तर तो सुनना चाहिए•••

श्री अध्यक्ष: आपने जो जवाब दिया है वह पर्याप्त है।

श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़): अध्यक्ष महोदय, कालेज होस्टल की स्थिति तो आपने बताई, साथ ही छूआ-छूत कम करने की दृष्टि से जो सैकेण्डरी स्कूल तक के छात्रों के लिए जो होस्टल्स चलते हैं उनके अन्दर भी सवर्ण अवर्ण और सभी को शामिल रखने का प्रयास करें ताकि तीस साल के टाइम में जो छूआछूत दूर नहीं हो सका वह दूर हो। सभी होस्टल्स में साथ साथ रहें।

श्री अध्यक्ष: यह प्रयास जारी रहेगा।

श्री शंकरलाल: (जैतारण) : किसी जगह तीस पर्सेन्ट छात्र है तो किसी जगह 12 पर्सेन्ट ही है। इसका आधार क्या है ? अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आप क्या विचार कर रहे है ?

श्री अध्यक्ष: कोई विशेष बात बतानी हो तो कहें वरना आपका उत्तर पर्याप्त है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, आरक्षण के लिए जो मैंने उत्तर दिया है, ऐसा लगता है कि माननीय सदस्यों ने उसे ठीक से नहीं समझा। पांच प्रतिशत गवर्नमेंट कालेज के छात्रावासों में आरक्षण है। यूनिवर्सिटीज आटोनोमस बोडी होती है उनमें तीस प्रतिशत रिजर्वेशन राजस्थान यूनिवर्सिटी में है। दूसरी जगहों पर जैसे जैसे कमरे व जगह होती है उसी के अनुसार एडमिशन दे देते हैं। जहां तक छात्रावास में अनुसूचित जाति के छात्रों को अलग से एक कमरे में रखने की बात सदस्य महोदय ने कही है, सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है कि अनुसूचित जाति के छात्रों को एक ही कमरे में व अलग से रखा जाय। हो सकता है कि वहीं पर स्थानीय व्यवस्था कर रखी हो। जहां तक इनफीरियोरिटी काम्पलेक्स का प्रश्न है, मैं समझती हूं कि इस तरह से अलग से आरक्षण करने से तो इनफीरियोरिटी काम्पलेक्स ज्यादा होगा बजाय कम होने के।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनारायण।

श्री अचलाराम : एक प्रश्न में मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा। इस वक्त कितने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के फार्म

(श्री अचलाराम)

छात्रावास में एडमिशन के लिए दिए हुए हैं और कितनों को एडमिशन दिया है ?

(व्यवधान)

श्री रावतराम : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आपने यह कहा कि पांच प्रतिशत से अधिक सीटें बढ़ाने का विचार है। मेरा निवेदन यह है कि आज पांच प्रतिशत का आरक्षण कम है इसको 28 प्रतिशत किया जाय या जितने लड़के आवें उनको प्रायोरिटी से एडमिशन दिया जाय।

श्री शंकरलाल : आरक्षण का बेसिस क्या है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। नैक्स्ट क्वेश्चन।

बाढ राहत की धनराशि और विकास योजना

268. श्री शिवनारायण (थानागाजी): क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा दिया हुआ बाढ़ राहत धन राज्य की विकास योजना व्यय के अन्तर्गत अग्रिम धन समझा जावेगा ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसे आगामी विकास में बाधा मान कर कोई हल निकालने के लिए प्रयत्नशील है ?

आयोजना मन्त्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन) : जी हां। भारत सरकार को सुझाव दिया गया है कि बाढ़ एवं अकाल राहत कार्यक्रमों के लिए जो सहायता दी जाती है वह अनुदान के रूप में ही दी जावे।

श्री शिवनारायण : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या हमारी राज्य सरकार ने इस विषय में मुख्य मंत्री सम्मेलन में या वित्त मंत्री सम्मेलन में राजस्थान का यह पक्ष रखने की चेष्टा की है कि राजस्थान बहुत उपेक्षित और पिछड़ा हुआ क्षेत्र है इसलिए बाढ़ को राष्ट्रीय समस्या मान कर उसके आधार पर राशि का प्रावधान किया जावे?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : यह राज्य सरकार की मान्यता है कि जो प्राकृतिक प्रकोप के लिए सहायता दी जावे उसको अनुदान माना जावे। इसके लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक हुई थी तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस पर काफी जोर दिया था। इसके अलावा जब सातवां वित्त आयोग आया था तो उसके सामने भी अपना यह अभिमत प्रगट किया गया था।

श्री मूलचन्द डागा : आपने सातवें वित्त आयोग के समक्ष कौन सा मेमोरेण्डम दिया था ? उस मेमोरेण्डम की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या आप उस समय मोजूद थे या केवल आपके मुख्य मंत्री थे ? क्या था वह मेमोरेण्डम ? अगर आप साथ नहीं लाए तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या थी यही बता दें ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : कृपया यह अलग से प्रश्न पूछ लें।

श्री मूलचन्द डागा : यह बहुत जरूरी प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्रीमान्, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या राजस्थान सरकार ऐसा कोई मेमोरेण्डम बना कर पेश करने का विचार रखती है कि जो नेशनल केलेमिटीज हैं उनको राष्ट्रीय समस्या माने न कि राजस्थान की समस्या माने ? इसके बारे में सरकार ने क्या सोचा है ?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : हां, माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा जो प्रश्न है उसका उत्तर दिलाया जावे या मुख्य मंत्री को बुलाया जावे क्योंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, अगर उत्तर देने की स्थिति में हो तो कृपया विचार करें।

श्री मूलचन्द डागा : अगर उत्तर नहीं दे सकते तो कल के लिए डेफर करिये। इन्होंने वित्त आयोग के समक्ष कौनसा ज्ञापन पेश किया ? वह ज्ञापन सदन की मेज पर रख दीजिए या उसकी मुख्य बातें क्या थी वह बता दीजिए ?

श्री अध्यक्ष : आपने जवाब तो दे लिया। फिर भी आप क्या जवाब दे रहे हैं।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में अलग से प्रश्न पूछें तो विस्तार से सारी जानकारी दी जा सकेगी।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान, यह इसी से सम्बन्धित प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न की स्टडी करिये। स्कोप को देखिए प्रश्न के। आप तो अनुभवी विधायक हैं और माननीय सदस्य आप संसद सदस्य भी रह चुके हैं।

नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री नूरा।

ग्राम खुड़ियाला के अनुसूचित जाति के किसानों पर हमला

269. श्री नूरा (मसूदा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खुड़ियाला, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर में दिनांक 26-7-78 को अनुसूचित जाति के किसानों पर सामन्ती तत्वों ने योजनात्मक हमला कर बर्बरतापूर्ण मारपीट की ? यदि हां, तो पुलिस द्वारा किन किन मुलजिमों की कब कब गिरफ्तारी की गई ?

(2) गिरफ्तार मुलजिमों के विरुद्ध अब तक राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई तो इसके क्या कारण हैं?

(3) खुड़ियाला के भयभीत किसानों को संरक्षण देने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

यातायात मंत्री (श्री केदारनाथ) : (1) जी नहीं। दिनांक 26-7-78 को एक घटना के बारे में मुकदमा संख्या 15 दिनांक 27-7-78 जेर दफा 147, 148, 149, 324, 323 व 307 भारतीय दंड संहिता में दर्ज हुआ था जिसका चालान 6-8-78 को अदालत में पेश कर दिया गया है, जो विचाराधीन अदालत है।

(2) आइटम (1) में जवाब आ चुका है।

Page No 8

(8)

श्री मूलचन्द डागा: आप गृह मंत्री बन गये हैं ?

श्री शंकरलाल: क्या गृह मंत्रालय वापस आपको मिल गया है ?

श्री केदारनाथ: (3) ग्राम खुड़ियाला में सुरक्षा के लिए पुलिस की विशेष व्यवस्था की गई है।

श्री नूरा: अध्यक्ष महोदय, वहां के भूपतियों ने मेघवाल जाति के लोगों को ठोका, पीटा जिसमें 18 आदमी घायल हो गये। 15 आदमियों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी किन्तु उनको समय पर गिरफ्तार नहीं किया गया। उन लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। जो अलाटमेन्ट जमीन का हुआ वह जमीन इन भूपतियों ने छीन ली। उनको वापस भूमि दिलाने के बारे में व्यवस्था की जाए। उनकी सुरक्षा नाकाफी है उसका पूरा इन्तजाम किया जाए।

श्री मदन सिंह दांता (दांतारामगढ़): यह अच्छा मौका है। आज आपके हाथ में गृह विभाग है इसलिए जो करना है वह कर डालो।

श्री केदार नाथ: अध्यक्ष महोदय, इन 18 मेघवालों को सन् 1965 में जमीन का अलाटमेन्ट किया गया था पिछली सरकार द्वारा और उनको कब्जा 1976 में दिलाया गया था सन् 77 में उन्होंने काश्त की, और 77 में काश्त करने पर पुलिस का प्रोटेक्शन चाहा। इस पर झगड़ा हो गया। करीब 20 आदमियों ने हमला किया। 26-7-78 को रिपोर्ट दर्ज की गई और 31-7-78 को गिरफ्तारियां की गईं। इसके बाद उनका चालान पेश कर दिया गया है। अब उस गांव में प्रोटेक्शन के लिए पुलिस चौकी कायम की हुई है।

श्री नूरा (मसूदा): अध्यक्ष महोदय, इनकी जमीन छीन ली गई है। जमीन पर कब्जा भूपतियों का है। वह कब्जा उनको दिलाया जाए। जमीन वापस मिलनी चाहिए। इसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई: ये काफी कमजोर लोग हैं। इनको ठोका, पीटा गया है।

श्री नूरा: इनको वापस जमीन नहीं दी गई है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: पुलिस चौकी होने के बाद भी अचानक हमला कर के इस तरह से मारपीट की गई है। उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उनका चालान पेश कर दिया गया है। क्या इस केस के अन्दर तफतीश सही हुई है ताकि उन लोगों की दुबारा हरकत करने की हिम्मत न हो ?

श्री मूलचन्द डागा: उन दिन जो घटना हुई है उसके फोटोज आपके सामने पेश करता हूं। अनुसूचित जातियों के लोगों पर घातक हमला किया गया उसके फोटो मैं सदन की मेज पर रखता हूं। कृपया यह भी बताने का कष्ट करें कि उनका चालान किस-किस सैक्शन में किया गया ? क्या जमीन उनके कब्जे में है ? आज जमीन पर कब्जा किस का है ?

श्री केदारनाथ: अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण सवाल है। मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है कि आज जमीन पर इन 18

Page No 9

(9)

(श्री केदार नाथ)

मेघवालों का ही कब्जा है: उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी गांव में कायम कर दी गई है। अध्यक्ष महोदय, ज्यों ही रिपोर्ट दर्ज की गई उसके 24 घन्टे के अन्दर एस. पी. मौके पर पहुंच गये। जो गिरफ्तारी की जानी थी वह की गई और कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया। इससे ज्यादा क्या कार्यवाही की जा सकती है ?

श्री मूलचन्द डागा: कौनसी दफा में मुकदमा दर्ज किया गया है ?

श्री केदारनाथ: यह पहले ही बता दिया है दफा 147, 148, 149, 324 323 व 307 में दर्ज किया गया है।

श्री मूलचन्द डागा: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि आज भी इन लोगों का जमीन पर कब्जा नहीं है।

श्री अध्यक्ष: No more. माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

एक माननीय सदस्य: हथियार, जिनसे हमला किया गया बरामद किए गए हैं ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

राज्य के सूचना केन्द्र-

270. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा): क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जन सम्पर्क विभाग के कितने जिलों में सूचना केन्द्र हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सूचना केन्द्रों से किसी प्रकार की भी सूचना जनता को नहीं मिलती है ?

(3) क्या यह सही है कि उद्योग, रोजगार, शिक्षा सुविधाओं के बारे में इन केन्द्रों से कोई प्रकाशन वितरित नहीं किया जाता ?

(4) इन सूचना केन्द्रों पर विभाग का कितना प्रतिशत व्यय होता है ?

राज्य मंत्री, जन सम्पर्क (श्री महबूब अली) : (1) जन सम्पर्क विभाग के अन्तर्गत राजस्थान के आठ नगरों में सूचना केन्द्र है। उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह सही नहीं है।

(3) उद्योग, रोजगार, शिक्षा, सुविधाओं तथा अन्य विषयों की आवश्यक जानकारी देने की व्यवस्था सूचना केन्द्रों पर हैं। इन विषयों से संबन्धित प्रकाशन सभी सूचना केन्द्रों के सन्दर्भ पुस्तकालय में जन साधारण के लिए उपलब्ध रहते हैं।

(4) इन सूचना केन्द्रों पर 12.91 प्रतिशत व्यय होता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री ईश्वर चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि प्रश्न के उपखंड (2) में कहा है यह सही नहीं है। क्या सूचना जनता को मिलती है, यह उल्लेख नहीं किया गया है। जयपुर का जो सूचना केन्द्र है क्या उसमें इंडिया का गजट उपलब्ध है ? 8 बड़े नगर आपने बताए हैं जहां पर सूचना केन्द्र हैं। डूंगरपुर,

(श्री ईश्वर चन्द्र)

झालावाड़ और बांसवाड़ा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और अन्य तरह से भी पिछड़े हुए हैं। क्या सरकार वहां की जनता को सूचना देना उचित नहीं समझती है ? इसका मापदंड क्या हैं ?

श्री शंकरलाल : ये 8 जिले कौन से हैं? कृपा कर बता दीजिए।

श्री महबूब अली : इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्त्ता ?

श्री ईश्वर चन्द्र : आप अपने बजट का एक प्रतिशत भी सूचना केन्द्रों पर खर्च नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश 70 लाख रुपया एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करता है। सूचना मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करें कि किस तरह की आपकी सरकार की नीति है? आपका यह महत्वपूर्ण विभाग है। अन्त्योदय का प्रचार, प्रसार आप करना चाहते हैं। मंत्री महोदय, को जवाब देना चाहिए कि झालावाड़ में सूचना केन्द्र आप कब खोलेंगे?

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई में जो सूचना केन्द्र खोले गये हैं क्या उद्योग सम्बंधी सूचना वहां पर उपलब्ध है ?

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या यह सही है कि आपातकाल के समय जिन नगरों में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाये गये थे वे आज अमूमन बंद पड़े हैं। अब उनको चालू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री शंकर लाल : 8 स्थानों पर जो सूचना केन्द्र हैं उनका आधार क्या है ?

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : आप हमें जानकारी दें कि ये 8 जिले कौन से हैं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : ये 8 जिले कौन से हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, 8 जिलों के नाम आपके पास हों तो बता दें।

श्री महबूब अली : ये 8 जिले हैं-जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा अलवर और श्री गंगानगर। इनके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर हैं उनके नाम पेश नहीं किये।

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह सही है कि

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सूचना केन्द्र

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : इन सूचना केन्द्रों का मुख्य काम मंत्रियों की फोटो लेना है...

(व्यवधान)

श्री जिथिंग (कुशलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा में जो लघु बस्तियां है उन बस्तियों के लोगों को राज्य सरकार की उपलब्धियों या कार्य विधि के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती।

(श्री जिथिंग)

उनको सूचना प्राप्त हो इसके लिये कोई निर्णय ले सकते हैं या विचार कर सकते हैं ? राज्य सरकार द्वारा ऐसे जिलों के लिए सूचना केन्द्र कायम कर दिया जायगा। क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देने की स्थिति में है ?

श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरापाटन) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान के प्रत्येक····

श्री महबूब अली : माननीय सदस्यों ने बड़ी चिन्ता व्यक्त की है और अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों को कि पिछले 30 साल में इस विभाग का जिस प्रकार से विस्तार हुआ है, मैं इसकी बुराई नहीं करना चाहता···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय ने इतना ही कहा कि पिछले 30 साल शब्द भी पूरा नही निकला और आप खड़े हो गये।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : 8 नवम्बर के दिन के बाद इनको 30 साल याद रहेगा।

(व्यवधान)

8 नवम्बर का जो दिन निकला है उसके बाद ···

(व्यवधान)

8 नवम्बर के बाद 30 साल का नाम मत लो।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इनको जनता मारेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको कुछ तो सहानुभूति होनी चाहिये, सुनिये। अन्यथा जनतन्त्र की आप अवहेलना करते हैं।

श्री सूरजपालसिंह : इनको जवाब देना चाहिये। केवल 30 साल ···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जवाब सुनिये।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यह नहीं सुनना चाहते। आप सुनिये पूरा जवाब। आप पहले पूरा सवाल सुन लीजिये।

श्री शंकर लाल : 30 साल कहते कहते तो इनको डेढ़ साल हो गये। कब तक कहते रहेंगे 30 साल।

श्री दुलाराम (रायसिंह नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा। हम आप पर बड़ी श्रद्धा रखते हैं। इनको ताड़ना दीजिये। 30 साल की आड़ में दो साल का नाम नहीं छिपायें। 30 साल का नाम लेकर बचना चाहते हैं। जनता इनको बचने नहीं देगी।

(व्यवधान)

इनकी दो साल नहीं सुनेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आप इस पचड़े में न पड़ें।

श्री दुलाराम : चोर की दाढ़ी में तिनका।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : जिस वक्त इस सरकार ने कार्यभार संभाला उस वक्त कितने जिलों में सूचना केन्द्र थे ? इस सरकार के समय कितने सूचना केन्द्र स्थापित किये गये ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरा सप्लीमेन्ट्री है। 15 महीने पहले कितने सूचना केन्द्र थे और आज कितने है।

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, इस समय राज्य के अन्दर 8 सूचना केन्द्र हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : 15 महीने पहले कितने थे ?

श्री अध्यक्ष : वही के वही थे।

श्री महबूब अली : इसके पहले जयपुर जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर के अन्दर खुले हुए थे। अब कोटा, गंगानगर और भीलवाड़ा में खोलने का हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो पहले थे वही हैं, बस।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : कोटा में पहले सूचना केन्द्र था। इनके अधिकारियों ने इनको गलत सूचना दी है।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 30 साल में 5 और दो साल में 3।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, आप स्थगित प्रश्न ले लें वह बहुत महत्व का है।

श्री सुखलाल सेंगचा (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर में जरूरत नहीं वहां पर दे देते हैं ! राजस्थान सरकार अपनी मर्जी के अनुसार सूचना केन्द्र खोलती है।

श्री दाऊदयाल जोशी : 30 साल में 5 और दो साल में 3।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। यह क्या प्रश्नोत्तर काल है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह विद्युत मंत्रीजी बैठे बैठे हाथ से इशारा करते रहते हैं कि बैठे रहो तो क्या हम भेड़ बकरी हैं ?

श्री अध्यक्ष : इशारा करने से मैं किसी को रोक नहीं सकता।

स्थगित प्रश्न। श्री रघुनाथ विश्नोई :

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह क्या प्रथा है ? कल भी उपाध्यक्ष महोदय ने यह कृपा की कि मुझे बोलने नहीं दिया। आज भी जब मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़े हो रहे थे तो आपने दूसरा नाम पुकार दिया। आपको इतना दर्द है तो मैं सदन को छोड़ दूं।

Page No 13

(13)

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करिये ।

श्री मदनसिंह दांता : 30 वर्ष से स्थान ग्रहण कर रहा हूं । वह स्थान आप लोगों ने लिया है तो कुछ तो करें । I am sorry.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 271 ।

तहसील दांता रामगढ़ के ग्रामों का विद्युतीकरण

271. श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील दांता रामगढ़ (सीकर) में किन किन ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? राज्य सरकार इन गावों का कब तक विद्युतीकरण कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम मदूभूरड़ी का बास, आकरा, डांसरोली, साभी सेसम, ग्याना, मगरा भीमा आदि गावों में बिजली नहीं है ? अगर हां, तो क्यों ? और नहीं, तो कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन ग्रामों का विद्युतीकरण करने के बारे में विद्युत मण्डल को लिखा गया था ? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाहीं हुई ?

विद्युत मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) तहसील दाता रामगढ़ जिला सीकर के अन्तर्गत अभी 41 ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है जिनकी सूची संलग्न हैं । इन ग्रामों के विद्युतीकरण की अभी कोई स्वीकृत योजना भी नहीं है । अतः इनके विद्युतीकरण के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं है ।

(2) जी हां । ग्राम मेई, भूरडों का बास, काकरा, डासरोली, साभी, सेसम, ग्याना, मगरासी, भीमा ग्रामों में अभी बिजली नहीं है । इन ग्रामों का सर्वेक्षण करके बनाई गई सामान्य विद्युतीकरण योजना मण्डल के विचाराधीन है । स्वीकृति तथा विद्युतीकरण के सम्बन्ध में अभी कुछ कहना सम्भव नहीं है ।

(3) जी हां । इन ग्रामों के विद्युतीकरण के बारे में मण्डल को माह मई, 78 में एक अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ था जिसके आधार पर सर्वे कराकर सामान्य विद्युतीकरण योजना बना ली गई है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री मदनसिंह दांता : किन गावों का ? कौन से गावों का ?

आपने अभी फर्माया कि इन गावों में बिजली नहीं । इनका सर्वे हो चुका है । आपको इत्तिला नहीं है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इत्तला तो है । माननीय अध्यक्ष महोदय, दांता रामगढ़ पंचायत समिति में 143 ग्राम हैं उनमें से 108 में विद्युतीकरण तो पहले ही हो चुका है...

श्री मदनसिंह दांता : कांग्रेस के राज्य में, 30 वर्ष पहले ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इन ग्रामों का मैं पर्सेन्टेज बताना चाहता हूं ।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

वह हैं 71 पर्सेन्ट । पूरे राजस्थान में 30-40 पर्सेन्ट विद्युतीकरण है । फिर माननीय सदस्य ने जिन ग्रामों की सूचना दी है उनकी दूरी 7-5 किलोमीटर, 3-5 कि. मी., है। इतनी दूरी के वह गांव हैं। राजस्थान सरकार पहले इम्बेलेन्स को समाप्त करना चाहती है नई योजना बना कर, इसके बाद में इतने किलो मीटर की स्थिति के गांव लिये जायेंगे।

श्री मदनसिंह दांता : क्या यह बात सही है कि आप लोगों ने ऐसा कर रखा है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थगित प्रश्न ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया आप स्थान ग्रहण करे । मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आपके क्षेत्र में विद्युतीकरण प्रचुर मात्रा में हो चुका है । और भी जो कुछ प्रश्न किया था उसके बारे में ....

श्री मदनसिंह दांता : मैं जवाब निश्चित रूप से लूंगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री मदनसिंह दांता : किसी जगह..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य !

एक माननीय सदस्य : हमें सप्लीमेंट्री पूछने दें यह बिजली का मामला है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कुछ अनुशासन का ध्यान रखें । यह विधान सभा है ।

श्री मदनसिंह दांता : मुझे मालूम है ।

श्री अध्यक्ष : आपको मालूम है तो मेरा नम्रतापूर्वक निवेदन है कि कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह दांता : इसलिए मैं बैठ जाता हूं ।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद ।

श्री रामसिंह विश्नोई ·

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 4-10-78)

जोधपुर जिले की बिलाड़ा व पीपाड़ सिटी को नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत प्राथमिक पाठशालाएं

15. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले में बिलाड़ा व पीपाड़ सिटी की नगरपालिका क्षेत्र में कितनी प्राथमिक पाठशालाएं कार्यरत हैं ? उनमें कितने छात्र स्कूलवार हैं व उनमें कितने कितने अध्यापक कार्यरत हैं ? अलग-अलग सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि उन स्कूलों में कई स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों की दैनिक

(श्री रामसिंह विश्नोई)

उपस्थिति संख्या से अध्यापकों की संख्या अनुपात से अधिक है ? यदि हां, तो इन स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ावे एवं अधिक अध्यापकों की अन्यत्र जहां अध्यापकों की कमी है वहां व्यवस्था करने के बारे में क्या राज्य सरकार विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि नगरपालिका सीमा में बच्चों की संख्या से अधिक अध्यापक रखने का कारण अध्यापकों का अन्यत्र नहीं जाने का है, इसके कारण जिले के गांवों के स्कूल अध्यापकों के अभाव में बन्द पड़े रहते हैं ? अगर हां, तो इसके लिए राज्य सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

राज्य मन्त्री, समाज कल्याण (श्रीमती विद्या पाठक) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। कुछ अंश तक यह सही है। छात्र संख्या, वर्ग संख्या तथा उपलब्ध कमरों की साइज को देखते हुए अध्यापकों के उचित समायोजन के आदेश जिलाधिकारियों को दे दिये गये हैं। जोधपुर के जिला शिक्षाधिकारी को पुनः इस बारे में पत्र लिखा गया है।

(3) जी नहीं। निदेशक, शिक्षा विभाग ने छात्र अनुपात के अनुसार अध्यापकों का समायोजन करने के आदेश प्रसारित कर दिये हैं। इससे अधिशेष अध्यापक गांवों में भेजे जा सकेंगे। इन आदेशों के पूर्णतः पालन हेतु पुनः राज्य सरकार द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री रामसिंह विश्नोई : क्या यह सही है कि जो गांव सड़कों के किनारे पर नहीं और छात्रों की संख्या ज्यादा है वहां पर अध्यापक नहीं जाने के कारण बच्चों की संख्या कम हो जाती है और सड़कों के पास में जो गांव है वहां पर अध्यापक जाते हैं इसलिए स्कूलों में बच्चों की संख्या ज्यादा हो जाती है ? जिन गांवों में काम नहीं होते हुए भी अधिक अध्यापक लगे हुए है क्या उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ?

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि बिलाड़ा म्युनिसिपैलिटी बन गई है लेकिन प्राईमरी स्कूल पंचायत के चल रहे हैं। क्या वहां पर अध्यापक लगाना आप उचित समझते हैं ?

श्रीमती विद्या पाठक : यह सही है कि रोड साईड पर जो जगह हैं वहां पर अध्यापक अधिक हो जाते हैं। जो गांव सड़क से दूर रहते है वहां पर अध्यापकों की संख्या कम रहती है, परन्तु इसके पीछे और भी कई कारण हैं। यह भी कारण था कि पिछले कई वर्षों में स्कूल तो खोले गये। लेकिन टीचर्स के पद सृजित नहीं किये गये अब इस बारे में समुचित आदेश दे दिये गये हैं। कम्प्लायेन्स रिपोर्ट 28 तारीख को मांगी गई है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जो गांव सड़क के किनारे नहीं हैं, वहां पर जनसंख्या ज्यादा होने के बावजूद भी अध्यापक बढ़ाते नहीं हैं इसलिए लड़के भी कम आते हैं। कई स्थानों पर जहां पर ढाई सौ की आबादी है वहां पर पांच पांच और सात सात अध्यापक लगा रखे हैं। एक गांव में 10 बच्चे हैं और पांच अध्यापक लगा रखे हैं। एक स्थान पर दस बच्चे हैं और तीन अध्यापक हैं, एक स्थान पर 5 अध्यापक हैं

Page No 16

(16)

(श्री रामसिंह विश्नोई)

और 32 बच्चे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो गांव शहरों के आस पास हैं और सड़क के किनारे हैं वहां पर अध्यापक आराम से जा सकते हैं। जो गांव इंटीरियर में है उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं?

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, इस तरह की कोई नीति निर्धारित नहीं है कि रोड साइड पर जो स्कूल हो वहां पर ज्यादा अध्यापक हों। मैंने निवेदन किया है कि लोग मेन्युपुलेट कर लेते हैं। अब इसके लिए उचित आदेश दिये जा चुके हैं और कम्प्लायेन्स रिपोर्ट मांगी जा चुकी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। श्री शंकरलाल, प्रश्न सं. 115। सदन का समय क्यों नष्ट करते है? स्थगित प्रश्न को पूछ लेने दीजिये।

(व्यवधान)

शिक्षा मन्त्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रश्न अध्यापकों के बारे में किया गया है और अध्यापकों की कमी बताई गई है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष : हां दीजिये।

(व्यवधान)

माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय को पहले जवाब देने दें? फिर स्थगित प्रश्न ...

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। यह शिकायत पिछली बार भी आई थी और इस बार भी यह शिकायत आई है। अब तक व्यवस्था यह थी कि पूरे जिले का एक पूल होता था और उसी पूल से अध्यापकों को वेतन मिलता था। इससे यह होता था कि जिस अध्यापक का जयपुर से ट्रान्सफर हुआ वह जाता नहीं था और जो बाहर से आता था वह भी वहीं रहता था। इस तरह से दोनों एक ही स्कूल में लगे रहते थे।

एक माननीय सदस्य : आप क्या कर रहे हैं, यह बताइये।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : सुनिये तो सही,

श्री शंकरलाल : ये तो जनरल जवाब दे रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था।

श्री भंवरलाल शर्मा : इस सरकार ने व्यवस्था की है, इस बार हमने

(व्यवधान)

इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया है और पूल बजट नहीं बनाया है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब आ चुका है

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : अब पूल बजट की व्यवस्था नहीं है, अब जो अध्यापक जिस स्कूल में रहेगा वहीं से वेतन प्राप्त करेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन श्री शंकरलाल।

स्थगित प्रश्न

राज्य में आयोग एवं जांच समितियों का गठन

दिनांक 9-10-78

115. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में नई सरकार का गठन होने के पश्चात् कितने आयोग व जांच समितियां किन किन कार्यों हेतु गठित किये गये और उन पर कुल कितना खर्चा हुआ।

(2) इन आयोगों व जांच समितियों द्वारा किन मामलों में क्या क्या अंतिम निर्णय लिए गए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

पंचायत मन्त्री (श्री कैलाश मेघवाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को पुन: स्थगित करने के लिए निवेदन है।

श्री शंकरलाल : क्या कारण हैं ?

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, स्थगित प्रश्न कभी स्थगित नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

यह सरकार की...का नमूना है।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न 8-10-78 को भी स्थगित किया गया था। इसको एक महीना हो गया है। अब इसको स्थगित करने का क्या कारण है, इसका आप जवाब दे दीजिये।

श्री मदनसिंह दांता : क्या यह सही है कि..

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, सरकार लाखों रुपया कमीशन पर खर्च कर रही है। सरकार ने क्या फेसेलिटीज दी है ?

(व्यवधान)

इस प्रश्न को स्थगित नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आप आयोग या कमीशन की रिपोर्ट पर कोई फैसला लेते तो आज इन्दिरा गांधी नहीं जीतती, उनको जिताने में इन्होंने मदद की है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष। माननीय सदस्य।

श्री मन्जूरअली (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी 15 सेकिण्ड लेना चाहता हूं।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर (हनुमानगढ़): अध्यक्ष पैरों पर हैं। आप बार बार खड़े हो जाते हैं।

श्री मन्जूरअली : अध्यक्ष महोदय, सब से पहली बात यह है कि स्थगित प्रश्न दुबारा स्थगित नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसमें पब्लिक इम्पोर्टेंस के मामलात, जो फोरी तवज्जोह के मोहताज हैं इन्वाल्व है कमीशनों और आयोगों पर लाखों रुपया खर्च हो रहा है। इतनी मोहलत मिलने के बाद भी मंत्री महोदय फिर अवसर

(श्री मन्जूर अली)

चाहते हैं । आज तक जो खर्च हुआ है, वह तो इन को सदन को बता ही देना चाहिये ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : काला मुंह करो ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। यह मिली भगत है इसको रोको ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, स्थगित प्रश्न पुनः स्थगित करने का संकेत करते हैं यह अत्यधिक खेदजनक है । मैं अब भी आशा करता हूं कि आप कोई न कोई, नाम के लिये, कृपया उत्तर देने की चेष्टा करेंगे ।

श्री मदनसिंह दांखा : काहे का उत्तर दें ? मजबूर न करें ।

श्री अध्यक्ष : क्योंकि यह सदन का अपमान भी है ।

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री को बाहर निकाला जाये सदन से ?

श्री शंकरलाल : सदन का अपमान करने वाली सरकार को त्याग पत्र देना चाहिये ।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं · ·

(व्यवधान)

सुनने को तैयार तो होना चाहिये । मैं प्रश्न करना चाहता हूं । पहले प्रश्न कर्ता से, सारा सदन इस बात का निर्णय करे कि जो प्रश्न किया गया है उस प्रश्न का जवाब देना क्या आज सम्भव है जबकि सभी आयोग कमीशनों की प्रक्रिया चालू है · · ·

श्री अध्यक्ष : Tell them. Tell them.

(व्यवधान)

जो कहना हो सीधा मुंह करके कह दीजिये ।

श्री कैलाश मेघवाल : यह प्रश्न किया गया है कि आयोगों पर कितना खर्चा हुआ । माननीय विधायक अच्छी तरह जानते है जो आयोग बने हैं . . .

(व्यवधान)

आप सुन लीजिये · · ·

(व्यवधान)

सन 1962 से लेकर जब तक जनता पार्टी की सरकार बनी, मंत्रियों पर जितने भ्रष्टाचार के आरोप इस विधान सभा में लगाये गये, उनकी जांच चल रही है। यह माननीय विधायक को अच्छी तरह से मालूम है। यह प्रक्रिया चालू है । यह माननीय विधायक को मालूम है · · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ । प्रश्नकाल समाप्त हुआ । आसन पैरों पर है । प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है · · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को . . .

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : हम बराबर सदन में जो कुछ हो रहा है, सुनने की कोशिश कर रहे हैं । मुझे खेद है है, कि स्थगित प्रश्न को दुबारा स्थगित करने की मांग की गई । उस पर आपकी जो रूलिंग हुई, जो मंत्री ने जवाब दिया है उस पर पांच सवाल और पूछने हैं । आप इजाजत दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : मैं विवश हूं । समय देने में असमर्थ हूं ।

श्री मथुरादास माथुर : बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है । इस तरफ बैठने वाले भ्रष्ट मंत्रियों की जांच उधर बैठने वाले मंत्री कर रहे हैं । प्रश्न सीधा पूछा गया है । आज तक कितने कमीशन बैठे, कितना खर्चा हुआ ? आप खर्चा बता दीजिये . . .

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इसलिये कहना चाहता हूं . .

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या तरीका है ? खड़े होकर बकवास कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : सवाल सीधा पूछा गया है . . .

श्री दुलाराम : ऐसे भ्रष्ट मंत्री के खिलाफ . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने अध्यक्ष महोदय की इजाजत से पूछा है । आप अध्यक्ष महोदय की कुर्सी पर नहीं आ सकते ।

(व्यवधान)

आपके मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उस पर सप्लीमेंट्री पूछने के लिये आपके आदेश थे . .

कई माननीय सदस्य : नहीं थे ।

(व्यवधान)

श्री माणक चन्द सुराणा : आपने कहा था । आपको कोई इजाजत नहीं दी गई . . .

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : आप कौन होते हैं ? आप भी सदस्य हैं, मैं भी हूं . . .

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय रूलिंग दे चुके थे । आपने इन्कार कर दिया था ।

श्री मथुरादास माथुर : प्रोसीडिंग देख लीजिये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री दाऊदयाल जोशी : आसन पैरों पर है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आप इस सम्बन्ध में मुझसे चैम्बर में बात कर लीजिये । मुझे जो कुछ व्यवस्था देनी थी और खेद प्रकट करना था, संकेत करना था मंत्री महोदय को, वह सब कर दिया । तत्पश्चात् मैंने प्रश्न काल समाप्त होने की घोषणा भी कर दी अतएव अब इस सम्बन्ध में चर्चा नहीं होगी ।

Page No 20

(20)

श्री मथुरादास माथुर : मेरा निवेदन है कि आपने जो कुछ भी फैसला दिया वह सर आंखों पर है, हम मानेंगे। मगर जो सवाल पूछा गया उस पर आपने आदेश दिया मंत्री महोदय को कि चाहे कुछ भी जवाब दे दें सप्लीमेंट्रीज जब तक हम न पूछ लें तब तक एबरप्टली प्रश्नकाल समाप्त न किया जाए, इसलिए मैंने खड़े होकर कहा कि मैं सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपका अधिकार था।

श्री मथुरादास माथुर : उसके लिए मैं खड़ा हुआ था।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इस प्रश्न को स्थगित रखा जाए। हम आपका प्रोटेक्शन चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : यदि आपको आपत्ति हो तो चैम्बर में आकर मुझसे बात कर लें।

(व्यवधान)

आपको जो कुछ कहना है कहिए, मैं पुनर्विचार करने को तैयार हूं। मैं इस प्रश्न को समाप्त नहीं करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। सदन में उपस्थित रहने की लीडर की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए साफ रूलिंग है, मैं कोट करता हूं।

He should be present in the house.

श्री शंकरलाल : मेरा निवेदन है 8-10 बार प्रश्न स्थगित किया गया है उसके बाद भी मंत्री महोदय ने कहा कि मैं स्थगित कराना चाहता हूं। आपने व्यवस्था दी थी यह सदन का अपमान हैं, उसके बाद उत्तर देने का प्रश्न है नहीं, उन्होंने मात्र उत्तर देने के लिए ही उत्तर दिया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न समाप्त नहीं हुआ है।

श्री शंकरलाल : आपकी व्यवस्था होने के बाद में उन्होने जो कुछ उत्तर दिया है वह उत्तर नहीं माना जाए। इसको स्थगित किया जाए। इस पर आधे घण्टे की चर्चा होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त नहीं हुआ है। This is a live issue and I will reconsider it.

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपका कर्तव्य और हमारा जो कर्त्तव्य है उसके लिए मैं दो शब्द बोलूंगा।

श्री मदनसिंह दांता : Let him say.

श्री रामनारायण चौधरी : Yes। शंकरलाल जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह साधारण प्रश्न नहीं है, वह राजनैतिक प्रश्न है। राज्य सरकार व मुख्य मंत्री ने आयोगों व कमेटियों के नाम पर विधान सभा की समितियां बना कर पुरानी सरकार के मंत्रियों के कामों की जांच कराने के सिलसिले में बड़ा कार्यक्रम बना रखा है। आए दिन अखबारों और विधान सभा में बराबर इस बात की पब्लिसिटी हो रही है और जनता के खजाने से रुपया खर्च हो रहा है। विधान सभा के माननीय सदस्यों की विधान सभा के सदस्यों के ही खिलाफ जांच कमेटियां बनाई हैं, ऐसा आज तक किसी भी

Page No 21

(21)

(श्री रामनारायण चौधरी)

विधान सभा या दुनियां की संसद में नहीं हुआ, जो यहां पर किया गया है, इतना ही नहीं, इस सदन की प्रतिष्ठा व गरिमा को चोट मुख्य मंत्री ने यह कह कर पहुंचाई है कि इन कमेटियों के सम्बन्ध में विधान सभा में एक प्रस्ताव लाकर नियमों में परिवर्तन कराऊंगा और सदन की कमेटियां घोषित कराऊंगा।

मान्यवर, आपकी बिना अनुमति के सदन के नेता, मुख्य मंत्री प्रस्ताव पास करा कर, नियमों में परिवर्तन करा कर सदन की कमेटियां घोषित करायें, यह सदन क्या उनकी कठपुतली है, मोहर है ? नहीं है। यह तीन करोड़ जनता का सदन है, इसको ही यह अधिकार है कि मुख्य मंत्री को यहां बिठा सकता है, मुख्य मंत्री को बाहर निकाल सकता है, डिस्मिस कर सकता है। मुख्य मंत्री ने इस सदन के अधिकार को अपने हाथ में लेकर कहा कि मैं सदन की कमेटियां घोषित कराऊंगा। कैसे करवा सकता है जब तक ····

श्री सूर्यनारायण चौधरी (मंत्री, संसदीय मामलात) : आन ए पाइंट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, आपने कुछ सदस्यों व श्री माथुर से कहा कि चेम्बर में मिल लें उसके बाद नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है कि इस प्रकार के भाषण हों व डिबेट हों।

श्री अध्यक्ष: चर्चा नहीं होनी चाहिए।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : विरोधी दल के नेता आए दिन ऐसी बात करते हैं वह शोभनीय नहीं है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : ऐसे ही चलेगा आप भी आए दिन कमीशन्स बिठाते हैं

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह दांता : मुख्य मंत्री ने इतना कहा है कि करने जा रहा हूं। इस पर विरोधी दल के नेता आपत्ति कर रहे हैं। जब सारे राष्ट्र के संविधान को मेडम चैलेंज करने लगी उस समय आप कुछ नहीं बोले ?

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : विधि मंत्री ने कहा कि नियमों में प्रावधान नहीं है लेकिन इस बारे में सदन में विचार किया जा सकता है, हमें अधिकार है सदन रूल्स रिलेक्स कर सकता है। आपने व्यवस्था दी और आपने जिक्र किया कि जो कुछ उनके पास सामग्री है बता दें। उन्होंने नहीं बताया। आपने सप्लीमेंट्री पूछने की इजाजत नहीं दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है....

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आपने कोई सुपर प्रश्न नहीं दिया है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने इस प्रश्न को जीवित रखा है लेकिन जीवित रखने से ही इस पक्ष को संतोष नहीं है। आप व्यवस्था दें कि इस सेशन के समाप्त होने से पहले शेष प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। इसका उत्तर नहीं आया तो हम वैधानिक तरीके से इस सदन में सरकार और आसन को बाध्य करेंगे। इसका उत्तर आना चाहिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह कहना कि अध्यक्ष को वाध्य करेंगे ...

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : On a point of order. विरोधी दल के नेता ने कहा है सरकार को वाध्य करने का, साथ ही साथ आसन को बाध्य करने को जो धमकी दी है वह आसन और सदन की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है। उसको कार्यवाही से निकाल दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : This is no point of order. उनका सुझाव है, उनका निवेदन है।

श्री केदारनाथ (यातायात मंत्री) : माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट के लिये निवेदन करना चाहता हूं। माननीय शंकरलाल जी ने जो प्रश्न दिया है इस पर आपने व्यवस्था दी है। मान्यवर जिस चेयर को आप सुशोभित कर रहें है, आपके प्रिडीसिसर ने भी इस प्रकार की व्यवस्था दी है कि स्थगन प्रश्न को भी स्थगित किया जा सकता है। बशर्ते रीजन्स हो, इसलिये आपको पावर्स है, आप स्थगित कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, मैंने इसलिये तो कहा है कि सरकार को ओपन माइन्ड रखना चाहिये, स्थगित प्रश्न को स्थगित नहीं किया जाय। इस सदन में कोई चीज ऐसी नहीं है जो सम्भव नहीं हो, सब सम्भव है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पाली नगरपालिका में विभिन्न बस्तियों के विचाराधीन मामले

214. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली नगर में किन किन बस्तियों में कितने कितने मकान, झोंपड़े अथवा कब्जे के मामले नियमन के लिए किन किन व्यक्तियों के कब से नगरपालिका व भंग नगर सुधार न्यास के विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इनमें अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कितने और कौन कौन से व्यक्ति हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इन व्यक्तियों के कब्जे के मामले अभी तक नियमन नहीं किये जाने के क्या कारण हैं और अब नियमन कब तक कर दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) वर्ष 1975 से पूर्व 910 व्यक्तियों के कच्चे व पक्के मकान अथवा कब्जे के मामले नियमन हेतु नगरपालिका पाली में विचाराधीन है जिसमें भंग नगर न्यास के मामले भी सम्मिलित है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 202 व्यक्ति हैं इन व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) ये कब्जे दिनांक 21-8-78 के बाद के होने के कारण इनका नियमन नहीं किया जा सका।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

जयपुर शहर में शिक्षा विभाग के कार्यरत कर्मचारी

215. श्री नत्थीसिंह (लछमणगढ): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) जयपुर शहर में तीन वर्ष से अधिक समय से शिक्षा विभाग के विद्यालयों एवं कार्यालयों में कार्यरत लिपिक वर्ग के नाम शैक्षणिक योग्यता, प्रथम नियुक्ति तिथि, इसी शहर में कितनी अवधि से नियुक्त हैं एवं इस अवधि के दौरान किस किस कार्यालय में किस किस स्थान पर कब से कब तक कार्य किया, कहां से कहां पदोन्नति हुई, अब कहां कार्यरत हैं ? अलग-अलग कार्यालय एवं जानकारी प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(2) बड़े शहरों में एक लिपिक को रखे जाने का आधार अधिकतम कितने समय का है ? एक ही शहर में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय एवं एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय को भेजे जाने को ही स्थानान्तरण मान लेने की सुविधा अध्यापक वर्ग को क्यों नहीं है ?

(3) जयपुर शहर में कार्यरत लिपिक वर्ग के कितने लोगों की पत्नियां अध्यापिका हैं तथा घोषित स्थानान्तरण नीति में अध्यापकों की तरह ही लिपिक वर्ग में भी पति पत्नि को एक ही स्थान पर रखने का प्रावधान क्यों नहीं किया गया ?

(4) अध्यापक वर्ग की तरह ही शिक्षा विभाग के अभिन्न अंग होने के नाते लिपिक वर्ग के लिए भी क्या राज्य सरकार कोई सक्षम एवं सांगोपांग स्थानान्तरण नीति बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(5) क्या एक ही शहर में 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत लिपिक वर्ग कर्मचारियों का स्थानान्तरण करके वर्षों से बाहर रह रहे लोगों को भी शहर में आने का अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार कोई कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) सूचना संलग्न है।

(2) लिपिकों को बड़े शहरों में रखने एवं स्थानान्तरण हेतु न्यूनतम या अधिकतम समय का कोई आधार नहीं किया गया है। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) शिक्षा विभाग, जयपुर शहर में कार्यरत 7 लिपिकों की पत्नियां अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। शिक्षा विभाग ने कार्मिक विभाग के आदेश न. 40 एफ 14 (45) कार्मिक/क- 5/77 दिनांक 15-9-77 के अनुसरण में आदेश संख्या 8(28) शिक्षा/ 2/78 दि. 16-10-78 द्वारा इस प्रकार का समस्त राज्य कर्मचारियों के लिए प्रावधान कर दिया है।

(3) जी नहीं।

(4) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य की शिक्षण संस्थाओं को अनुदान

216. श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितनी शिक्षण संस्थाओं को कितनी कितनी अनुदान राशि

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

दी जा रही है ? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या इस वर्ष अनुदान राशि देने से पूर्व शिक्षण संस्थाओं के कार्य व महत्व को ध्यान में रखा जावेगा ?

(3) क्या यह सच है कि चौमूं क्षेत्र में चल रहे प्रताप रामेश्वर लाल सहरिया विद्यालय, कालाडेरा में शत प्रतिशत छात्र ग्रामीण क्षेत्र के हैं तथा वहां पर अनुदान राशि काफी कम दी जा रही है ? यदि हां, तो राज्य सरकार अनुदान राशि में वृद्धि करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य में कुल 1084 शिक्षण संस्थाएं अनुदान प्राप्त हैं :—

कालेज शिक्षा	संस्कृत शिक्षा	प्रा. एवं मा.
37	74	973

सूची संलग्न है।

(2) सरकार द्वारा शैक्षणिक महत्व एवं व्यवस्था कार्य का निरीक्षण प्रतिवर्ष अनुदान प्रदान करने से पूर्व करवाया जाता है तथा इस वर्ष भी यही प्रक्रिया अपनाई जावेगी।

(3) विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की अधिकतम संख्या ग्रामीण क्षेत्र में छात्रों की ही है। संस्था को वर्तमान में 70 प्र० अनुदान नियमानुसार ही दिया जा रहा है। अनुदान में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर अनुदान में वृद्धि हेतु संस्था का मामला अनुदान समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सैनजी का मन्दिर, सूरतगढ़ की जमीन का बेचान

217. श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सूरतगढ़ सैनजी के मन्दिर के उत्तर तथा बीकानेर रोड़ के पश्चिम में स्वर्गीय लूणकरन जैन, एडवोकेट के नोहरे के दक्षिण में पुरानी गिन्नानी की जगह में जहां अब बीरबल भादू भूतपूर्व प्रधान का रिहायशी मकान एवं नोहरा बना हुआ है पर किन किन व्यक्तियों को कितनी कितनी भूमि का तबादला दिया गया है व कितनी भूमि नजूल दरों पर बेची गई ?

(2) क्या इस मकान के अन्दर टाउन प्लानर ने पहले स्वीकृत नक्शों में गलियां व सड़कें छोड़ी थीं जो अब एक ही मालिक होने के कारण सब बन्द करके स्वयं भूमि में बिना कीमत दिये मिला ली गई हैं व भवन निर्माण कर लिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त भूमि तबादला विभिन्न फर्जी नामों से लिया गया था, वास्तव में मालिक बीरबल ही था ? बीरबल व मनफूल सिंह, भूतपूर्व राज्य मंत्री के दबाव से प्रशासक नगरपालिका ने बाकी लाखों रुपयों की भूमि चन्द रुपयों में बीरबल के बेनामी लोगों को अलाट कर दी है व रकम मामूली जमा खजाना नगरपालिका में करवाली ?

(4) क्या राज्य सरकार इस भयंकर कांड की जांच, मामला पुलिस में देकर करवाने की सोच रही है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जिन व्यक्तियों की भूमि का तबादला किया गया वह निम्नानुसार हैं:—

प्लाट सं.	नाम मूल मालिक	तबादला प्राप्त कर्ता का नाम	तबादला में प्राप्त प्लाट नं.
119 बी	मू. सजना	विजेन्द्रकुमार पुत्र बीरबल भादू	संनजी के मंदिर पास वाला प्लाट
79 ई	नाथूराम हरिजन	मालीराम पुत्र मोटाराम भादू	,, ,,
38 ई	धर्मचन्द हरिजन	रविन्द्रसिंह पुत्र बीरबल	,, ,,
121 ई	सेवाराम हरिजन	पृथ्वीराज पुत्र नारायणराम	,, ,,

(2) इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच की जा रही है तथा रेकार्ड भी उन्हीं के कब्जे में है।

(3) चूंकि पूर्ण मामले में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच की जा रही है इसलिए जांच के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकेगा।

(4) इस प्रश्न का उत्तर भी भाग 2 में दिया गया है।

जयपुर हाऊसिंह बोर्ड द्वारा निर्मित भवन

218. श्री ओंकारलाल चौहान (ग्रटरू) : आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत सत्र में आवासन मन्त्री जी ने ईमानदारी से सामान्य-तौर पर सदन में यह स्वीकार किया था कि मण्डल ने घटिया किस्म का सामान लगाकर गंगा-जमुनी मकान बनाकर उनकी ऊंची कीमत चार्ज कर जरूरतमंद ग्राहकों को बेरहम लूटा है ? यदि हां, तो इस स्टेटमेंट के फालोअप एक्शन के रूप में ग्राहकों को किस प्रकार राहत प्रदान किये जाने का विचार किया गया है और पर्यवेक्षण प्रभाव के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

(2) क्या यह सच है कि नाहरी का नाका हाऊसिंग बोर्ड के सेक्टर 2 में ब्लाक छ: के 20 मकानों के निर्माण कार्य में घटिया स्तर का मैटिरियल इस्तेमाल करने, नीचे स्तर की क्राफ्टसमैनसिप होने, संरचना सम्बन्धी त्रुटि होने, कारपेन्टरी व सैनीटेशन का कार्य दोषपूर्ण होने की सूचना वहां के निवासियों द्वारा रेजिडेन्ट इन्जीनियर से लेकर मण्डल के अध्यक्ष व सम्बन्धित मन्त्री महोदय को समय समय पर मौखिक व लिखित रूप से की जाती रही है ?

(3 क्या उक्त दोष होने के कारण अधिकांश मकानों का प्लास्टर हटने, छतों के बरसात में निरन्तर चूने, फर्शों में दरार पड़ने, स्थान स्थान पर सीमेंट व चिप्स हटने से खड्डे पड़ जाने (चिप्स फ्लोरिंग में विशेष कर) घटिया लकड़ी के किवाड़ों के फ्रेम में दरार पड़ने अथवा कोने टूट जाने, दीवारों के कोने झड़ने, टेढेमेढे टांड लगाने, टेढे मेढे गेट्स बनाने आदि के दृश्य सर्वत्र देदीप्यमान हो रहे हैं और स्थानिय अभियन्ता के रेकार्ड से लेकर मण्डल के उच्च स्तर तक रेकार्ड में इस विषयक व अन्य सम्बद्ध शिकायतें दर्ज हैं जिनके निराकरण की अर्से से प्रतीक्षा है ? अब इन कमियों को कब तक दूर किया जा सकेगा ?

(श्री ओंकारलाल चौहान)

(4) क्या यह भी सही है कि सैक्टर 2 (छ: ब्लाक (30×60) के मकानों की नींव खोखली होने और पत्थर की तराशकारी वाली सामने की दीवार के खोखली होने की गम्भीर व खतरनाक स्थिति से भी मण्डल को अवगत कराया गया है ? क्या उक्त गम्भीर त्रुटियों के कारण इन मकानों के बेडरूम के कोनों व अन्य स्थानों डब्ल्यू. सी. शौचालय आदि में बारह महीने सील रहती है और वह निरन्तर बढ़ती जा रही है।

(5) मकानों को गिरने से बचाने व इन गंभीर त्रुटियों के स्थायी समाधान हेतु क्या राज्य सरकार अविलम्ब कदम उठाने का विचार करेगी ?

उत्तर

1. गत सत्र में इस आशय का बयान दिया गया था कि नाहरी का नाका क्षेत्र में निर्माण कार्य संतोषप्रद स्तर का नहीं है तथा इसके आवंटियों में असंतोष है।

2. इस सम्बन्ध मे जांच के आदेश दिये जा चुके हैं।

3. इस सम्बन्ध में जांच के आदेश दिये जा चुके हैं।

4. इस सम्बन्ध में जांच के आदेश दिये जा चुके हैं।

5. जांच व प्रतिवेदन आने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

नगरपालिका किशनगढ में कार्यरत कर्मचारी

219. श्री करतारसिंह (किशनगढ़) ; क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

1. नगरपालिका किशनगढ़ (अजमेर) में पिछले दस वर्षों से कितने कर्मचारी अस्थाई रूप से कार्य करते रहे है ? कर्मचारियों के नाम मय सेवा अवधि के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

2. इन अस्थाई कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों को स्थाई कर दिया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

3. क्या यह सही है कि अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करने में नगरपालिका के संबंधित अधिकारियों ने पूर्ण मनमानी की है तथा बाद में लगे कर्मचारियों को तो स्थाई कर दिया है तथा काफी लम्बे अर्से से सेवारत कर्मचारियों को स्थाई नहीं किया है ?

4. यदि हां, तो क्या राज्य सरकार अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

5. क्या राज्य सरकार सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध भी कोई नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती हैं जिन्होंने कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही हैं तथा कब तक संभव हैं ?

उत्तर

1. कुल 148 कर्मचारी। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

2. स्थाई किये गये कर्मचारियों की संख्या 101 हैं। सूची सदन की मेज-पर रख दी गई है।

3. जी नहीं। यह सही है।

4. इसका उत्तर भाग 3 में दे दिया गया है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

5. इसका उत्तर भी भाग 3 में आ चुका है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजकीय संस्कृत कालेज, मनोहरपुर के प्राचार्य

220. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर पूर्व)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (नोलायत)

श्री ईश्वरचन्द (पिड़ावा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान प्राचार्य राजकीय संस्कृत कालेज, मनोहरपुर किस किस शैक्षिक एवं सामाजिक संस्थाओं में पदाधिकारी हैं? संस्थाओं व पदों के नाम की सूची सदन में प्रस्तुत करने का कष्ट करें? क्या राज्य सरकार द्वारा उनको उन पदों पर कार्य करने की अनुमति दी हुई है ? यदि नहीं, तो राजस्थान सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(2) क्या कथित प्राचार्य उन पदों पर कार्य करते हुए अपने प्राचार्य पद के कार्य का पूर्णरूपेण निर्वहन कर रहे हैं ? यदि हां तो बताया जावे कि अपना अधिकांश समय जयपुर में रह कर व्यतीत करते हुए मनोहरपुर कालेज के प्राचार्य पद का कार्य उनके द्वारा किस प्रकार निर्वहन किया जा रहा है ?

(3) वर्तमान प्राचार्य राजकीय संस्कृत कालेज मनोहरपुर में गत छः माहों में किन किन तिथियों में मनोहरपुर में रहे हैं ? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या कथित प्राचार्य के विरुद्ध कभी राजस्थान सी. सी. ए. नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कोई जांच आदि की कार्यवाही हुई है ? यदि हां तो पूर्ण रूप से उसका क्या नतीजा निकला ?

(5) क्या कथित प्राचार्य श्री जोशी के सीकर से मनोहरपुर स्थानान्तरण के पूर्व राजकीय स्वीकृति प्राप्त की गई थी ? यदि नहीं तो क्यों ? और यदि हां, तो उस स्वीकृति की प्रति सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करें ?

(6) क्या यह सच है कि प्राचार्य श्री जोशी के साथ विशेष रियायत दी जाकर अधिकतर मनोहरपुर कालेज में ही कार्यरत रखा गया है जब कि अन्य किसी प्राचार्य को इतनी लम्बी अवधि तक एक स्थान पर नियुक्त नहीं रखा गया ?

(7) क्या यह सच है कि कथित प्राचार्य श्री जोशी ने माह जुलाई, अगस्त, 78 में जिन दिनों संस्कृत कालेज मनोहरपुर में उपस्थित होना बतला रखा है उन्हीं दिनों का यात्रा भत्ता जयपुर यात्रा का संस्कृत निदेशालय तथा राजस्थान विश्वविद्यालय से उठाया है ? यदि हां तो इस धोखाधड़ी की कार्यवाही के लिए श्री जोशी के विरुद्ध राजस्थान सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(8) क्या यह सच है कि कथित प्राचार्य श्री जोशी ने संस्कृत शिक्षा निदेशक की शिकायत से अनधिकृत रूप से संस्कृत निदेशालय की फाइलों में नोटिंग ड्राफ्टिंग गत तीन चार माहों में किया है ? यदि हां, तो इस अवैधानिक कार्यवाही के लिये राज्य सरकार संस्कृत निदेशक एवं इस प्राचार्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

(श्री ईश्वर चन्द्र)

(9) संस्कृत निदेशालय की इन गतिविधियों की सी. बी. आई. से खुली जांच कराने के विरुद्ध राज्य सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) श्री मोती लाल जोशी, भूतपूर्व, प्राचार्य संस्कृत कालेज, मनोहरपुर-राजस्थान विश्वविद्यालय की सिन्डीकेट के प्राचार्य स्नातक महाविद्यालय क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य हैं । विश्वविद्यालय एक्ट विधि द्वारा सम्मत हैं ।

(2) राजस्थान संस्कृत साहित्य सम्मेलन एवं उसके द्वारा संचालित राजस्थान शिक्षक प्रशिक्षण विद्यापीठ के वे सचिव हैं । सम्मेलन के अवैतनिक सचिव होने के लिए उन्हें राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ 4 (डी) (9) शिक्षा/सैल-2/64 दिनांक 26-9-64 द्वारा आर. एस. आर. के नियम 43(ए) के अधीन स्वीकृति दी हुई है । सम्मेलन सचिव होने के नाते वे पदेन विद्यापीठ शासन निकाय के सचिव हैं यह स्वीकृति वापिस ले ली गई है।

जी हां ।

राजकीय । विश्वविद्यालय निजि अवकाश । राजपत्रित अवकाशवश जब वे मुख्य स्थान से बाहर रहते हैं उनके अधिनस्थ वरिष्ठ अधिकारी द्वारा व्यवस्था की देख-रेख रहती है ।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) जी हां । जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है उस पर कार्यवाही की जा रही है ।

(5) जी नहीं । राजस्थान अधिनस्थ संस्कृत सेवा नियमों में उस समय प्राचार्य शास्त्री कालेज का पद था अत: नियुक्ति प्राधिकारी होने के नाते निदेशक स्थानान्तरण के लिए सक्षम था ।

(6) जी नहीं ।

(7) जी नहीं ।

(8) जी नहीं । मान्यता सम्बन्धी विभिन्न निरीक्षण प्रतिवेदनों की मूल्यांकन टिप्पणियों के अतिरिक्त कोई टिप्पणियां नहीं लिखी गई है । उक्त टिप्पणियां कार्य की अधिकता के कारण लिखने के लिए आदेशित किया गया था ।

(9) प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने के उपाय

221. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि राज्य में औसतन 80प्रतिशत शिक्षण संस्थाओं(सरकारी एवं अनुदान प्राप्त विद्यालय) का शिक्षा स्तर गिरा हुआ है ?

(2) राज्य सरकार ने शिक्षा स्तर ऊंचा करने के लिए क्या प्रयत्न किये हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं । शिक्षा के गिरते स्तर की समस्या राष्ट्रव्यापी है तथा इस पर हर स्तर पर विचार किया जा रहा है ।

(शिक्षा मंत्री)

(2) शिक्षा के ढांचे में परिवर्तन का विचार राष्ट्र स्तर पर चल रहा है। राजस्थान भी शिक्षा का नया पेटर्न 10 प्लस 2 लाने के लिये अपनी सहमति दे चुका है। इस नवीन पेटर्न में विषय वस्तु का स्तर ऊंचा करने, शिक्षण पद्धतियों के विकास करने तथा शिक्षा को श्रम से जोड़ने का प्रयत्न किया गया है। प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिये इस वर्ष राज्य सरकार ने 65 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। प्रशासन को सुदृढ़ करने के अन्तर्गत 1 पद संयुक्त निदेशक, 2 पद उप निदेशक, 2 जिला शिक्षा अधिकारी महिला 7 अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, 50 उप जिला शिक्षा अधिकारी, 100 पद प्रवर निरीक्षक के स्वीकृत किये गये हैं ताकि प्रभावी पर्यवेक्षण हो सके। इसके अतिरिक्त राज्य में अलग अलग कार्यरत शैक्षिक इकाईयों को मिला कर एक राज्य शैक्षिक व अनुसन्धान संस्थान की स्थापना की गई है।

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड, जयपुर द्वारा आवंटित मकान

222. श्रीमती उज्जला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड, जयपुर द्वारा अब तक जयपुर में लाटरी सिस्टम द्वारा किन किन व्यक्तियों को कब कब कितनी कितनी साइज के कितनी कितनी रकम के प्लाट्स बनाकर अलोट किये हैं? प्रिन्ट सम्पूर्ण विवरण सहित सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि निश्चित समय पर प्लाट आवंटन नहीं करने के कारण बहुत से लोगों ने जमा पैसे वापस लिये? यदि हां, तो किन किन व्यक्तियों ने कब कब कितने कितने पैसे वापस लिये? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(3) हाऊसिंग बोर्ड की कौन कौन सी योजनायें कितने कितने प्लाट्स निर्माण कराकर कब कब अलाट करने की है।

(4) वर्ष 1973 की लाटरी योजना के अन्तर्गत लोगों को कब तक प्लाट्स उपलब्ध करा दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) जयपुर में अब तक लाटरी द्वारा 4111 व्यक्तियों को मकान अलाट किये जा चुके है, जिनमें 850 जनता वर्ग, 16 आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, 1811 अल्प आय वर्ग, 1263 मध्यम आय वर्ग तथा 171 उच्च आय वर्ग के हैं। सूची तैयार की जा रही है।

(2) बोर्ड में जमा राशि जिन लोगों ने वापिस ली है, उनमें वे व्यक्ति हैं जो या तो मकान लेने के इच्छुक नहीं या जिन्होंने अपने स्तर पर आवास समस्या को हल कर लिया है तथा उनके द्वारा जमा राशि, बोर्ड नियमानुसार ब्याज सहित लौटाई गई है। लोगों ने विलम्ब के कारण भी अपनी धनराशि वापस ली हैं। सूची तैयार की जा रही है।

(3) इस समय जयपुर में हाऊसिंग बोर्ड की 6 योजनाएं हैं इनमें से नाहरी का नाका तथा ज्योति नगर (लालकोठी योजना) में बने सभी मकान आवंटित कर दिए गए हैं। जवाहर नगर में 1600 फ्लेट बन रहे हैं जिन्हें वर्ष 1978 से लगा कर 1980 तक

(आवासन मंत्री)

अलाट करने का प्रयत्न किया जायेगा। वन बिहार योजना में 760 फ्लेट निर्मित किए जायेंगे जिन्हें दो भागों में क्रमशः 1978-79 तथा 79-80 तक आवंटित करने का प्रयास किया जायेगा। घाट की गुणी योजना में 604 मकान बनेंगे वे भी 1980 तक आवंटित हो जाने की संभावना है। मालवीय नगर योजना के एक भाग में 1900 मकान तक दूसरे भाग में 1900 मकान 82-83 तक आवंटित कर दिये जाने का प्रयत्न किया जावेगा।

4. 1973 के पंजीकृत आवेदकों को लाटरी द्वारा मकान दिये जाने का क्रम दिसंबर में खुलने वाली लाटरी से ही प्रारंभ हो जायेगा किन्तु इस वर्ष के सभी 12000 पंजीकृत लोगों को 1981-82 तक मकान दिये जाने की संभावना है।

राजकीय विधायक निवास, जयपुर में पानी की व्यवस्था

224. श्री ईश्वर चन्द्र भटनागर (पिड़ावा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय विधायक निवास, जयपुर में पीने के पानी में पेचिस के कीटाणुओं का बाहुल्य है?

(2) क्या यह सही है कि विधायक निवास में रह रहे अधिकांश विधायक इस दूषित जल के कारण पेट की बीमारी से ग्रस्त है ?

(3) राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) विधायक निवास में दिये जाने वाले जल के उपयोग से पेट की बीमारी होने की संभावना नहीं है।

(3) राज्य सरकार शुद्ध पेय जल का ही वितरण कर रही है।

उप-खंड अधिकारी, बहरोड़ के विरुद्ध की गई शिकायतें

228. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री छोटू सिंह तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, बहरोड़ जिला अलवर के खिलाफ 11-7-75, 21-7-75 को श्री रोहताशसिंह, एडवोकेट, 23-8-75 को प्रभातीलाल, ब्लाक कांग्रेस कमेटी, धनश्यामसिंह, ब्लाक कांग्रेस कमेटी, हरिजनों ने, श्री मनोहरलाल अध्यक्ष कमजोर वर्ग समस्या निवारण, तहसील बहरोड़ आदि ने शिकायत की ? क्या शिकायत की ?

(2) क्या इतने व्यक्तियों के शिकायत करने पर भी राज्य सरकार ने जिलाधीश से शिकायत पर मामला समाप्त टिप्पणी प्राप्त कर किया ?

(3) क्या यह राज्य सरकार का न्यायिक कदम है कि बार-बार कई प्रतिष्ठित व्यक्ति शिकायतें करें और राज्य सरकार केवल सबका समाधान एक जिलाधीश से ही करालें, फिर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग किसके लिये है ?

(श्री रामकरण सिंह)

(4) क्या यह सत्य है कि 15 और 16 जुलाई को श्री छोटूसिंह कार्यालय में नहीं आये थे और न हीं छुट्टी पर थे ?

(5) बिना अवकाश के अनुपस्थित रहना क्या उनके लिये उचित था ?

(6) क्या श्री छोटूसिंह के लिये जिलाधीश को प्रशासनिक कारणों से यह आदेश था कि इस प्रसंग में कठोर कदम लिये जाने की आवश्यकता नहीं है ?

उत्तर

(1) जी हां। इन शिकायतों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त शिकायतों के अतिरिक्त राज्य सरकार को अभिभावक संघ, बहरोड़ से ज्ञापन प्राप्त हुए जिसमें इन शिकायतों को मिथ्या बताते हुए श्री भदुरिया के कार्यों की प्रशंसा की गई थी। अत: जिलाधीश से टिप्पणी प्राप्त कर विगत सरकार ने मामले को सितम्बर 75 एवं अक्टूबर, 76 को समाप्त कर दिया एवं जिलाधीश को निर्देश दिये कि श्री भदूरिया की गतिविधियों पर नियन्त्रण रखे तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें चेतावनी दें।

(3) वर्तमान सरकार इन शिकायतों के तथ्यों को पुन: दिलवा रही हैं। अगर शिकायत सही पाई गई तो उचित कार्यवाही की जायेगी।

(4) जी हां।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं।

वर्तमान सरकार संबंधित अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त कर रही है।

(शिकायतों की प्रतिलिपियों के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

जिला मुख्यालय पर चिकित्सा विशेषज्ञ

230. **श्री बंशीलाल सारस्वत** (नागौर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के ऐसे कौन कौन से जिला मुख्यालय है, जिनमें शल्य चिकित्सक मेडीसन स्त्री रोग, बाल आयुर्विज्ञान, आर्थोपेडी एवं नेत्र चिकित्सा में कनिष्ट विशेषज्ञ नहीं है ?

(2) यदि वहां स्थान है तो कौन-कौन सी जगह स्थान रिक्त होते हुए भी डाक्टर वहां पर जाने में हिचकिचा रहे हैं ?

(3) राज्य सरकार ऐसी हिचक एवं डाक्टरों के सहयोग की पूर्ति कैसे कर रही है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जो भी रिक्त स्थान है वहां पर शीघ्र नियुक्ति की जा रही है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

खाद्य सामग्री तथा दवाइयों में मिलावट के पकड़े गये मामले

231. **बंशीलाल सारस्वत** (नागौर): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य में जून 1977 के खाद्य सामग्री एवं दवाइयों में मिलावट के कितने मामले पकड़े गये हैं ?

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

(2) उनमें से कितनों का चालान हुआ है ?

(3) यदि नहीं, तो राज्य सरकार की इस बारे में नीति क्या है ?

उत्तर

(1) माह जून, 1977 में 8 नमूने खाद्य सामग्री के व दो नमूने दवाइयों के लिये गये थे।

(2) चार खाद्य पदार्थों के नमूनों में मिलावट होने के कारण चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया हैं।

(3) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सागवाड़ा अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था

232. श्री लालशंकर (सागवाड़ा): डडोर क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे -

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार सागवाड़ा अस्पताल को 'बी' श्रेणी में क्रमोन्नत करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अस्पताल में एक्सरे मशीन खराब पड़ी है ? यदि हां तो कब से तथा इसे कब तक ठीक करवा दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि उस अस्पताल में सर्जन व हड्डियों के डाक्टर तथा अन्य तीन डाक्टर व नर्स व अन्य कर्मचारियों की लम्बे समय से पूर्ती नहीं की जा सकी है ? यदि हां, तो क्यों ? तथा अब पूर्ती कब तक करवा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं, शेष है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

जी हां। दिनांक 8-4-75 है।

(2) इस एक्सरे मशीन का कन्ट्रोलर खराब होने के कारण गई मशीन कब करने का मामला विचाराधीन है।

(3) स्वीकृत पदों की सूची दी जा चुकी है। हड्डियों के डाक्टर का कोई पद स्वीकृत नहीं है।

लाइम स्टोन उद्योग में कार्यरत कर्मचारी

233. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह भी सही है कि तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर तथा तहसील सोजत जिला पाली में लाइम स्टोन का अथाह भण्डार है जहां भारत का केमीकल ग्रेड लाइम पाया जाता है और पिछले 50 वर्षों से पत्थर विकास कर देश के अलग अलग भागों में भेजा जाता है, जहां हजारों मजदूर लीज होल्डर के पास कार्यरत हैं ? यह सही है कि कार्यरत मजदूरों से ठेकेदार लोग प्रति दिन 15-16 घन्टे काम लेते हैं ? यदि हां, तो बोरून्दा, गोटन, हरियाणा, पटना, अटपड़ा, मंडला तक कितने मजदूर एक एक ठेकेदार के पास पिछले 20 वर्षों में (मासिक औसत) से कार्यरत हैं ? इनमें कितने मजदूरों ने कितने दिन कितने घण्टे काम किया इनमें कितने मजदूर नाबालिग थे व है ? सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(श्री माधवसिंह दीवान)

(2) क्या यह सही है कि इन भट्टों पर औरतें व नाबालिग बच्चे व बच्चियां से 18 घण्टे तक काम लिया जाता है परन्तु दैनिक मजदूरी मिनिमम वेजेज से भी कम दी जाती है अगर हां, तो पिछले 5 वर्षों में कितनी बार निरीक्षण किया ? तथा क्या रिपोर्ट आई ? प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) पिछले 5 वर्षों में अलग अलग समय में प्रति महीने कितने मजदूर कार्यरत थे तथा इन में से कितनों को स्थाई किया गया तथा 30 अगस्त 78, 30 मई 78, को कितने मजदूर कार्यरत थे तथा इनमें स्थाई कितनों को किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) पिछले 10 वर्षों से किस किस ठेकेदार ने या कम्पनी ने कब कब तथा किन किन आदमियों को कितना कितना बोनस दिया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) उपरोक्त लाइम स्टोन क्षेत्र (बिलाड़ा एवं सोजत, मेड़ता तहसील) में कितनी यूनियन रजिस्टर्ड हैं तथा नाम व स्थान एवं मैम्बरों की संख्या तथा रजिस्ट्रेशन की तारीख की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में ठेकेदार व कम्पनियों के द्वारा भयंकर रूप से मजदूरों पर अत्याचार एवं खुला शोषण तथा राज्य सरकार की श्रम नीति के विरुद्ध सरकारी अधिकारियों की मिलावट से काम लिया जा रहा है ? अगर हां, तो राज्य सरकार (श्रम विभाग) ने आज तक क्या कदम उठाये हैं और उसके क्या परिणाम रहे हैं ?

उत्तर

(1) यह सही है कि तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर तथा तहसील सोजत जिला पाली में लाइम स्टोन का अथाह भण्डार है जहां भारत के केमीकल ग्रेड लाइम पाया जाता है और पिछले कई वर्षों से यहां से उत्पादित लाईम स्टोन देश के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों में लाइम स्टोन के विभिन्न नियोजकों को खनन भट्टे स्वीकृत हैं। इन खानों में कार्य करने वाले मजदूर भारत सरकार के श्रम प्रवर्तन निदेशालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

(2) यह सही है कि भट्टों पर औरतें कार्य करती हैं लेकिन नाबालिग बच्चों व व बच्चियों से कार्य नहीं लिया जाता है। यह सही नहीं है कि इन भट्टों पर कार्यरत श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन दिया जाता है।

(3) पिछले पांच वर्षों में इन भट्टों पर कार्यरत श्रमिकों की संख्या की सूची संलग्न है जहां तक इन भट्टों पर कार्यरत श्रमिकों के स्थाई व अस्थाई का प्रश्न है किसी भी संस्थान में प्रमाणीकृत स्टेंडिंग कार्यक्रम लागू नहीं है। स्टेंडिंग आर्डर्स अभाव में श्रमिकों को स्थाई करने का प्रावधान नहीं होने से वांछित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(4) पिछले 10 वर्षों में खानों के किस–किस ठेकेदार ने किन-किन आदमियों को कितना-कितना बोनस दिया इसका सम्बन्ध भारत सरकार के श्रम प्रवर्तन

(श्रम मंत्री)

निदेशालय से है पिछले 10 वर्षों में भट्टों की कम्पनियों ने किन-किन आदमियों को कितना-कितना बोनस दिया इसकी उपलब्ध जानकारी सूची में संलग्न है।

(5) केवल मात्र एक यूनियन लाइम स्टोन माइन्स मजदूर संघ, गोटन जिसका पंजीयन संख्या जे.डी एच.ए.आर.टी.यू. 47/78 हैं और इसमें 260 मजदूर कार्य करते हैं। बिलाड़ा एवं सोजत में कोई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन नहीं है।

(6) यह सही नहीं हैं कि भट्टों पर कार्य कर रहे मजदूरों पर अत्याचार एवं खुला शोषण किया जा रहा है। यह सही नहीं हैं। खानों में काम करने वाले श्रमिकों का सम्बन्ध भारत के श्रम प्रवर्तन निदेशालय से है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तिजारा तहसील के गांवों का विद्युतीकरण

235. श्री अयूब खां (तिजारा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील तिजारा में 1977-78 में किसी भी नये गांव का विधुतीकरण नहीं हुआ? यदि हां, तो क्यों?

(2) छठी पंचवर्षीय योजना में तहसील तिजारा के कितने गांवों का विद्युतीकरण हो जाएगा?

(3) क्या सर्वेक्षण के मुताबिक इस क्षेत्र की जमीन, पानी विद्युतीकरण के लिये उपयुक्त है? यदि हां, तो इस पर कब अमल होगा?

उत्तर

(1) जी हां। अभी कोई योजना इस तहसील में और गांवों के विद्युतीकरण की नहीं बनी है।

(2) अभी न तो गांवों का सर्वेक्षण ही हुआ है और न ही कोई योजना विचाराधीन है। अतः अभी कुछ कहना संभव नहीं है।

(3) जी हां। योजना बन जाने के पश्चात ही कुछ कहना संभव होगा।

क्षतिग्रस्त बांधों एवं तालाबों की मरम्मत

236. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिछले दो वर्ष से राज्य में वर्षा के कारण कौन कौन से बांध, तालाब क्षतिग्रस्त हुए हैं? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या राज्य सरकार ने उक्त क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मत आदि के लिये कोई धनराशि स्वीकृत की है? यदि हां, तो किस किस बांध, तालाब की मरम्मत आदि के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और कितनी धनराशि का कब कब कहां उपयोग हुआ?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में भी कई बांध, तालाब आदि क्षतिग्रस्त पड़े हुए हैं यदि हां, तो कौन कौन से और इन्हें राज्य सरकार ठीक कराने हेतु कब तक क्या व्यवस्था करेगी और किस किस पर कितनी राशि खर्च करने की स्वीकृती प्रदान करेगी?

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(4) क्या राज्य सरकार ने उक्त कार्य को काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत करवाया है ? यदि हां, तो कितना कितना कार्य कितने कितने मजदूरों द्वारा कहां कहां करवाया गया है ? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) सूची 'क' सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(2) उपरोक्त सूची क' में सूचना अंकित है ।

(3) जी हां । वांछित सूचना उपरोक्त सूची 'क' में अंकित है ।

(4) जी हां । सूची 'ख' सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रख दी गई ।)

जालौर जिले में नदियों का कटाव और उसका सर्वेक्षण

237. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जवाई, बांडी सूकड़ी, सागी, लूनी नदियां जालौर जिले में बहती हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि भीनमाल तहसील के कई गांव जैसे दामन, चेनपुरा, राउता, मोरसीम, बाली, भालानी, धुम्बडिया एवं सांचौर तहसील के गांव रामपुरा, वमला प्रसखोड, इटावा, भाव, बोरली, हेमगुडा आदि गांवों की हजारों एकड़ जमीन इन नदियों के कटाव में आ गई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि सिंचाई विभाग ने इन गांवों के भूमि कटावों को रोकने हेतु वमल, धुम्बडिया, भाव, हेमगुड़ा आदि स्थानों पर लाखों की लागत से क्रास बांध का निर्माण करवाया था ?

(4) क्या यह भी सही है कि 1973 की बाढ़ से ऊपर लिखे गांवों में निर्मित बांध टूट गये थे ? जिनके पुन: निर्माण कार्य हाथ में नहीं लिये जाने के क्या कारण थे ? क्या राज्य सरकार का इन बांधों का पुन: निर्माण का विचार है ? अगर हां, तो कब तक ?

(5) क्या राज्य सरकार अविलम्ब एक सर्वे डिवीजन खोल कर इन गांवों के कटाव का पुन: सर्वेक्षण करवाना उचित समझती है?

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

यह सही है कि वर्ष 1973 में अतिवृष्टि से उपरोक्त गांवों में बने बांध क्षतिग्रस्त हो गये थे । इन कार्यों का पुन: निर्माण बजट के अभाव के कारण नहीं कराया जा सका । इनके पुनः निर्माण के प्रस्ताव विचाराधीन है

(5) जी नहीं ।

इस समय एक सिंचाई खण्ड जालौर ही पर्याप्त है ।

(36)

विचाराधीन ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाऐं

238. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार के समक्ष कितनी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनायें विचारार्थ हैं ?

(2) ऐसी कितनी परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है ?

(3) इन पर इस वर्ष कितना व्यय होगा और इससे कितने ग्राम लाभान्वित होंगे ?

(4) किशनगंज / शाहबाद विधान सभाई क्षेत्र में ऐसी परियोजना पर इस वर्ष के अन्त तक कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है और इससे कितने ग्राम लाभान्वित हो सकेंगे ?

उत्तर

(1) विभिन्न श्रेणी की 26 योजनायें मण्डल एवं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के समक्ष विचाराधीन है।

(2) 136 ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं पर कार्य चल रहा है।

(3) इन योजनाओं पर वर्ष 1978-79 में 1095-37 लाख रुपये व्यय होने तथा इनके अन्तर्गत 1283 ग्रामों एवं 11.555 कृषि कुओं के विद्युतीकरण करने का प्रावधान प्रस्तावित है।

(4) किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र की योजना अभी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के समक्ष स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं। स्वीकृति से पूर्व विद्युतीकरण के लक्ष्य एवं संभावित व्यय का ब्यौरा बताना संभव नहीं है।

अजमेर नगर में बिजली की व्यवस्था

239. श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर नगर को कितनी यूनिट बिजली प्रतिदिन दी जा रही है ? मदार ग्रिड पर कितनी यूनिट बिजली प्राप्त होती है ?

(2) अजमेर नगर में प्रतिदिन कितनी बार बिजली बन्द रहती है और कितनी देर तक बन्द रहने का औसत समय है ?

(3) क्या यह सही है कि मदार ग्रिड पर जितनी यूनिट बिजली मिलती है उसकी उपभोक्ताओं तक पहुंचते पहुंचते चोरी हो जाती है ? प्रतिदिन कितने यूनिट बिजली की चोरी होती है ? इस चोरी के लिए कौन जिम्मेदार है ? इसको रोकने के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) अजमेर नगर को मदार ग्रिड सब स्टेशन से 5 भिन्न फीडर्स से बिजली दी जाती है जिसमें से दो फीडर्स 33 के. वी. के हैं जिन पर यूनिट मापक यंत्र नहीं लगा है तथा तीन फीडर्स 11 के. वी. के हैं जिन पर यूनिट मापक यंत्र लगे हैं उनसे औसतन 1,10,000 यूनिट बिजली अजमेर नगर को प्रतिदिन मिलने का अनुमान है। 33 के.वी. फीडर्स पर बिजली मापक यंत्र नहीं होने के

(विद्युत मंत्री)

कारण प्रतिदिन की कुल यूनिट का ब्यौरा देना सम्भव नहीं है। मदार ग्रिड सब स्टेशन पर 40 एम. वी. ए. की क्षमता है।

(2) अजमेर नगर को बिजली पहुचाने वाले 11 के. वी. के 3 फीडर्स तथा 33 के. वी. के 2 फीडर्स भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न कारणों से ट्रिप होते हैं इनकी ट्रिपिंग का तथा बन्द होने के औसत समय का विवरण देते हुए सूची 'अ' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) ग्रिड सब स्टेशन से उपभोक्ता तक बिजली पहुंचाने में कुछ बिजली की पावर सिस्टम में खपत हो जाती है जिसे ट्रांसमिशन लासेज कहते हैं, जिसे चोरी की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, तथा इसके लिए किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार भी नहीं ठहराया जा सकता है। कुछ यूनिट बिजली की चोरी होने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। चोरी का पता लगने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। कितनी यूनिट की प्रतिदिन चोरी होती है। इसका सही अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

ग्राम ढाणी बड़ी के हरिजन द्वारा दर्ज कराया गया मामला

240. श्री हजारीमल सारण (सरदार शहर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम ढाणी बड़ी, तहसील राजगढ़, चूरू के एक हरिजन श्री अर्जुन बांडी का मकान उसी गांव के कुछ सवर्णों द्वारा तोड़ दिया गया था और उसकी भूमि पर कब्जा कर लिया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि का स्थानीय सरपंच से मिल कर किसी अन्य व्यक्ति ने अपने नाम पट्टा बना लिया था ? यदि हां, तो किस व्यक्ति ने और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री अर्जुन हरिजन ने इस घटना का मुकदमा पुलिस रामगढ़ में दर्ज कराया था ? यदि हां, तो कब और उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

(4) क्या यह भी सही है कि पुलिस ने अभी तक मुकदमे का चालान नहीं किया ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और चालान कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। इस भूमि का पट्टा श्री रामजीलाल जाट के नाम बनाया गया था। श्री अर्जुन की रिपोर्ट पर अभि. नं. 70/78 धारा 447: 342: 379: 323: 427: 147 आई. पी. सी. दर्ज किया जाकर अनुसंधान कर मुकदमे में चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है जो विचाराधीन है।

(3) जी हां। अर्जुन हरिजन ने दिनांक 8-5-78 को थाना राजगढ़ में इस घटना का मुकदमा नं. 70/78 दफा 447, 342, 379, 323, 427, 147 आई. पी. सी. में दर्ज कराया था। बाद में अनुसंधान अभियुक्तगण का चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है, जहां विचाराधीन है।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

व्यवस्था

पाली की एक मिलकी एक यूनियनकी ओर से जारी किये गये खुले पत्र का विवरण

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि कल दिनांक 7 नवम्बर, 1978 को सदन के कुछ सदस्यों ने इस सचिवालय द्वारा पाली की एक मिल की एक यूनियन की ओर से जारी किये गये खुले पत्र के वितरण के बारे में आपत्ति उठाई थी। उस घटना की जांच कर ली है और उस जांच में इस सचिवालय का कनिष्ठ लिपिक दोषी पाया गया। उक्त लिपिक ने क्षमा याचना कर ली है और उसे भविष्य में सतर्क रहने की चेतावनी दे दी है।

श्री मूलचन्द डागा : आपने जो निर्णय दिया है, वह सही है लेकिन इसमें कोई अधिकारी अवश्य दोषी होगा।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : शर्म तो उनको आनी चाहिए जिन्होंने यह हरकत की और उस गरीब को मरवाने की बात की।

श्री मूलचन्द डागा : जो आपने निर्णय लिया वह मान लिया।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, मुझे दो शब्द कहने है। मान्यवर, जो पत्र सक्यूंलेट हुआ है उसके बारे में आपने जानकारी ली और आपने अपनी जांच के अन्दर एक कनिष्ठ कर्मचारी को दोषी पाया और क्षमा मांगने पर माफ कर दिया। मान्यवर, इसमें यह बात नहीं है कि उस कनिष्ठ कर्मचारी का ही दोष हो। विभाग के बड़े अधिकारी, उस विभाग, जिस विभाग का सम्बन्ध है, के कर्मचारी यहां पर आये और उस कर्मचारी को कहा यह डाक्यूमेंट है, इसको सक्यूंलेट किया जाना जरूरी है, माननीय सदस्यों को यह पत्र भी सक्यूंलेट हो जाना चाहिए। यह सरकारी डाक्यूमेंट है और सक्यूंलेट होना जरूरी है। जनता पार्टी की सरकार में बाबुओं में भय और आतंक फैला हुआ है इसीलिए आज एक कर्मचारी की हिम्मत नहीं थी कि वह उससे इन्कार कर देता। उसने सोचा जरूर होगा। दिखने में लापरवाही हो सकती है लेकिन आपने उस कर्मचारी को दोषी मानकर क्षमा मांगने पर माफ कर दिया। मान्यवर, यह एक कर्मचारी की लाइफ का प्रश्न है। यह रिकार्ड पर बात है इसलिए, मान्यवर, इस प्रश्न को ओपन रखे और दुबारा जांच करें कि कौन अधिकारी है, कौन बाबू है जो आया और इस पत्र को सक्यूंलेट करवाया। मान्यवर, यह सचिवालय का कोई नहीं है। यह सचिवालय न उधर के पक्ष का है और न इधर के पक्ष का है, यह सचिवालय निष्पक्ष है। हम नहीं चाहते हैं कि इस विधान सभा की प्रोसीडिंग में इस प्रकार का कोई रिमार्क या टिप्पणी सदस्यों की तरफ से आये या आसन की तरफ से आये कि आपका एक कनिष्ठ कर्मचारी दोषी करार किया जाय और उसका सर्विस केरियर किसी प्रकार समाप्त किया जाय। इसलिए इसको ओपन रखा जाय। क्या परिस्थितियां थीं, जिसके कारण ऐसा हुआ? इसके लिए मेरा निवेदन है कि दुबारा जांच करें।

श्री मदनसिंह दांता : मान्यवर, मेरा खयाल दूसरा है। यह तो एक कागज की बात है, कल कोई बम लेकर आयेगा और कहेगा इसको सक्यूंलेट कर दो। इसका भी क्या दोष है, लेकिन एक प्रिन्सिपल की बात है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मुझ से चेम्बर में मिल लें।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : मैंने तो निर्णय ले लियाहै जो कुछ कहना हैवह यहीं कहूंगान चेम्बर में मिलूंगा, न घर पर मिलूंगा। मैंने जीवन में यह अनुभव ले लिया है। जिन्होंने मुझे भेजा है उन्होंने यहां ही कहने को भेजा है।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री जयकृष्ण शर्मा, सदस्य विधान सभा की ओर से अलवर जिले में सिरसका अभयारण्य से टहला की तरफ जाने वाली सड़क पर वाहन टैक्स की वसूली के कारण पाण्डवपोल आदि स्थानों में जाने वाले लोगों के लिये असुविधा होने के विषय में,

(2) श्री रामकरणसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से जिला जयपुर के छापरवाड़ा और कालख बन्धों पर सिंचाई विभाग द्वारा अनावश्यक खर्चा करने के विषय में,

(3) श्री भ्योपतसिंह मकासर, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान के चिकित्सालयों में पागल कुत्तों के काटे जाने की दवा उपलब्ध न होने के विषय में,

(4) श्री अब्दुल अजीज, सदस्य विधान सभा की ओर से मकराना नगरपालिका क्षेत्र में पक्की नालियां और सड़कें आदि न होने से पानी भरने के कारण मलेरिया फैलने के विषय में,

(5) श्री रामकृष्ण दास गुप्ता, सदस्य विधान सभा की ओर से कोलायत व बीकानेर तहसील के ग्रामीण स्कूलों में अध्यापकों के काफी पद रिक्त होने के विषय में,

(6) श्री मूलचन्द डागा, सदस्य विधान सभा की ओर से पाली शहर की फैक्ट्रियों से होने वाली भारी जल प्रदूषण के विषय में,

(7) श्री नूरा, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य में विशेषकर जयपुर में आवश्यक वस्तुएं जैसे कोयला, सीमेंट, केरोसिन और पैट्रोल की कमी के विषय में,

मैं इन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज रहा हूं। इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं आज मुख्य मन्त्री जी, गृह मन्त्री जी और वित्त मन्त्री जी तीनों ही नहीं है, क्या मामला है ? झगड़ा ज्यादा बढ़ गया क्या पोर्टफोलियो के बारे में ?

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह (कृषि मन्त्री) : माननीय खेतसिंह जी ने जनता पार्टी में शामिल होने के लिये प्रार्थना पत्र दिया है, उस पर विचार कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमती गांधी की जीत.......

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दूसरे अन्य माननीय सदस्यों के हस्ताक्षरों से आकाशवाणी की अकर्मण्यता के बारे में

(50.)

(श्री रामनारायण चौधरी)

दिया था। राजस्थान की जनता को आकाशवाणी ने भ्रमित किया है। लोक सभा चुनाव के बारे में सही तथ्यों की जानकारी नहीं दी। गलत प्रचार और सही चीजों का भी खण्डन किया है। यह, मान्यवर, एक ऐसा पहलू है,...

(व्यवधान)

आपने सम्भवतः सदन में इसको इसलिए नहीं रखा होगा कि यह भारत सरकार का प्रश्न है और राजस्थान सरकार का...

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, क्या आपने इनको बोलने की इजाजत दे दी है ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्या विरोधी दल के नेता सदन को मजाक बनाना चाहते हैं? जो मर्जी आये वही बोलने लग जायें...

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपको शर्म आनी चाहिए अपनी हार पर...

श्री श्योपतसिंह मकासर : इसमें शर्म की कौन सी बात है? हार और जीत तो होती रहती है। जीतने के बाद तो आदमी को जरा संजीदा होना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने भी स्थगन प्रस्ताव दिया है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरा भी यह निवेदन है कि माननीय सदस्य श्री रामनारायण चौधरी ने इस सम्बन्ध में कल चर्चा कर ली है और जो कुछ जिक्र करना था वह कर दिया। फिर भी मैं यह स्वीकार करता हूं कि यह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का विषय है इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा भी करना चाहें तो मैं रुकावट नहीं डालता।

श्री मूलचन्द डागा : हमने भी स्थगन प्रस्ताव दिए हैं।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कह दीजिए।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : पहले हमारे स्थगन प्रस्ताव लिये जावें।

आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, हमारे स्थगन प्रस्ताव पहले लिए जावें। हमारे स्थगन प्रस्ताव महत्वपूर्ण हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर है, माननीय सदस्य। माननीय श्री श्योपतसिंह।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है वह आपका अधिकार है। आपके अधिकार को हम चुनौती नहीं देते, आपका आदेश शिरोधार्य है लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले हमारे स्थगन प्रस्तावों को लिया जावे। विरोधी दल के माननीय नेता ने...

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारे, कांग्रेस के साथ आ जाओ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन था कि विरोधी दल के नेता को बोलने की आप इजाजत दें। ठीक समझता है आसन तो हमको कोई परेशानी नहीं है। हम कहते हैं कि वे तो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं परन्तु हम तो यहां पर एक स्टेट के कार्यकर्त्ता के नाते बैठे हैं। हमको यहां की बात पहले कहने दी जाय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की बात बाद में बोलने दें, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य रामनारायणजी, मेरा आपको यही कहना है कि अगर आप बाद में बोलेंगे तो आपको जरा मजा आएगा।

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : माननीय महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था कि अलवर जिले में सिरसका गेम सैंक्चुअरी है, यह गेम सैंक्चुअरी बहुत अर्से से है। वह इसलिए है कि देश के लोग और विदेश के लोग वहां पर कुछ पशु पक्षियों को, जो अन्य देशों में नहीं है, देख सकें। मैं इस बात के लिए इन्कार नहीं करता कि यह एक गेम सैंक्चुअरी बहुत पुरानी है। इस गेम सैंक्चुअरी में एक पी.डब्ल्यू.डी. की सड़क बनी हुई है जो सिरसका से टहला तक और टहला के आगे के गांवों को जोड़ती हुई दौसा तक जाती है। इस गेम सैंक्चुअरी में सुरक्षा की दृष्टि से राजस्थान की सरकार ने सायं 6 बजे से लेकर प्रातः 5 बजे तक उस सड़क को बन्द कर दिया है। कोई बात नहीं। सड़क को इस दृष्टि से बन्द किया गया कि वहां पर जो शेर हैं, और पशु पक्षी हैं, वे अच्छी तरह से रात को विचरण कर सकें। इसमें कतई कोई ऐतराज नहीं है न मुझे इस बारे में कुछ कहना है। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि वह गेम सैंक्चुअरी एक नेशनल प्रोजेक्ट है उसके सम्बन्ध में इस जनता पार्टी की सरकार ने जब जनता से वोट मांगे पार्लियामेंट के लिए, उस समय उन लोगों को यह कह कर वोट मांगे कि गेम सैंक्चुअरी कांग्रेस सरकार की देन थी, अब आगे से गेम सैंक्चुअरी नहीं रहेगी। उन्होंने वोट दिए। वोट लिए और उसके बाद वहां के लोगों के साथ क्या हुआ? क्योंकि इनकी कथनी और करनी में कभी कोई साम्य नहीं होता, हमेशा इसमें अन्तर होता है, उस गेम सैंक्चुअरी में सड़क कांग्रेस सरकार के जमाने में तो शाम को छः बजे से प्रातः पांच बजे तक बन्द रहती थी, परन्तु जब जनता पार्टी का राज आया तो सांय छः बजे से सुबह पांच बजे तक बन्द करने के बाद जब उस गेम सैंक्चुअरी को खोलने का टाइम होता है तब कोई भी व्हिकल जाती हो, कोई भी व्यक्ति जाता हो; उस गेम सैंक्चुअरी को देखने के टैक्स के नाम पर प्रत्येक व्यक्ति से 5) रु० और प्रत्येक व्हिकल के पांच रुपये वसूल किए जाते हैं। यह नहीं, अध्यक्ष महोदय, गेम सैंक्चुअरी की वह सड़क दूसरे गांवों की ओर उस इलाके जो कि आदिवासी ज्यादातर इलाका है, के अन्य गांवों को जोड़ती है। उस सड़क से जब कोई व्यक्ति जाता है तो वह इस बात के लिए नहीं जाता कि वह शेर देखेगा और बघेरा देखेगा जिसका उसको टैक्स देना पड़ेगा। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, इस गेम सैंक्चुअरी के मध्य में एक धार्मिक स्थान पांडव पोल के नाम से है, जो तीर्थ स्थान है, जिस पर एक जाति विशेष के लोग अपनी रस्म अदा करने के लिए, अपने बाल बच्चों

(92)

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

के बाल मुंडवाने के लिए पहुंचते हैं। उस जगह हर मंगलवार और शनिवार को जाते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि आज से कुछ दिन पहले एक गरीब परिवार का व्यक्ति अपने बच्चे के बाल मुंडवाने के लिए आया और उसके साथ पचास आदमी थे। तो गेमसैंक्चुअरी वालों ने कहा कि हम एक रुपया प्रति व्यक्ति टैक्स लेंगे तभी आप को गेम सैंक्चुअरी में जाने देंगे। उस व्यक्ति ने थानागाजी में अपनी औरत के जेवर गिरवी रख कर पचास रुपये टैक्स के अदा किए। जो सरकारी कर्मचारी वहां पर हैं, छोटे कर्मचारी, वह कभी उस टैक्स की रसीद देते हैं, कभी रसीद नहीं देते हैं। इस प्रकार की बात वहां पर पैदा हुई है

इसके अलावा अलवर भी एक शहर है, आसपास के गांवों में जो माइन्स हैं, चाहे कोपर की माइन हों, चाहे सोप स्टोन की खानें हों, जितनी भी मिनरल्स की खानें हैं वह सब उस सड़क से जुड़ती हैं, अगर माइन्स का कोई काम हो तो उस सड़क पर से होकर अलवर जाता है। अध्यक्ष महोदय, इस बात के सम्बन्ध में मैंने कई बार अधिकारियों को कहा परन्तु इस गूंगी बहरी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी। मुझे एक बात याद आती है कि यह सरकार दूसरों के काम पर ही जिन्दा रहना चाहती है। हमेशा एक ही बात पर जिंदा रहना चाहती है, तीस साल के शासन की बात कह कर यह सरकार जिन्दा रहना चाहती है। परन्तु, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं इस सरकार को कहना चाहता हूं कि यह जनता पार्टी की सरकार जनता की सरकार बनती है लेकिन यह भ्रष्टाचार को देख नहीं सकती, भाई भतीजावाद को देखने के लिए इसकी आंखें फूट गई हैं, यह अंधी सरकार है जिसके समय में इस प्रकार के हालात यहां पैदा हो रहे हैं। इस हालात पर काबू करने की इस सरकार में हिम्मत नहीं है, सौ फीसदी हिम्मत नहीं है। कभी जनसंघी अपनी बात कहते हैं, कभी दूसरे अपनी बात कहते हैं। ऐसी गूंगी सरकार यह जनता पार्टी की सरकार है। देश जिन समस्याओं से घिरा हुआ है, देश के लोग जिस प्रकार के हालात से गुजर रहे हैं उनके उपर तो यह सरकार विचार नहीं कर सकती है, ऐसी यह गूंगी सरकार है। इसलिए इस गूंगी सरकार, अंधी सरकार, बहरी सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि यह इतनी बड़ी समस्या है ..

श्री माधोसिंह कछवाह : मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहूंगा कि उनको कुछ दिखता भी है या यों ही बोल रहे हैं। कोई अवधि भी निश्चित है बोलने की।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मेरे को तो सब कुछ दिखता है लेकिन आप अपनी सरकार की फिक्र करो। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो मैंने यह तीन ही संज्ञा दी हैं लेकिन अब तो रतौंदा और होने वाला है। इनकी आंखों के आगे रतौंदा और आ रहा है जिसकी वजह से जनता की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरा निवेदन है कि गरीब लोगों की तरफ ध्यान दिया जाए। वे बेचारे धार्मिक स्थान पर जाने को तरसते हैं। क्योंकि उनको अपने धार्मिक स्थानों पर जाने के लिए टैक्स देना पड़ता है। इस प्रकार की व्यवस्था इस सरकार के समय में ही हुई है। मंत्रीजी आप इस बारे में जानकारी करा लें। मुझे उम्मीद है कि आप अवश्य ही

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

जानकारी करायेंगे तो इन लोगों को जो गरीब हैं, अवश्य ही कुछ राहत आप पहुंचाएंगे। यह मेरा निवेदन है कि यह जो इलाका है, यह बहुत पिछड़ा हुआ है और गरीब इलाका है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक भभकती हुई समस्या है, गरीबों की समस्या है। आप इस पर ध्यान देंगे यही, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव ...

श्री रामनारायण चौधरी : खूब बोलिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह आपका राज्य नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : बहुत नजदीक है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : तीस वर्ष तक राज्य कर लिया। थोड़े समय भी इन्तजार नहीं कर सकते? आपको परेशानी हो रही है। मुझे कोई परेशानी नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इस बार आप को दुखी नहीं करेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव इस सम्बन्ध में था कि पागल कुत्ते के काटने के इलाज के लिए जो दवाई मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है। इसकी राजस्थान में भयंकर कमी है। इसका नतीजा क्या हो रहा है? मगर कुत्ते ने काट लिया हो, चाहे वह पागल हो या नहीं, मगर उसकी दहशत इतनी बड़ी होती है कि उससे लोगों की जिन्दगी पर असर पड़ता है। किन्तु दवाई नहीं है। ब्यावर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर इन बहुत सी जगहों पर मैंने मालूमात की तो मालूम हुआ कि दवाई उपलब्ध नहीं है।

श्री सभापति : नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : दवाई उपलब्ध नहीं है तो आप अन्दाजा लगाइये लोगों की हालत क्या होगी? अस्पताल में दवाई उपलब्ध न हो, यह गैर जिम्मेदारी की बात है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : सरकार है ही कहां?

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार के पास दवाई नहीं है तो एक दूसरी व्यवस्था और हो सकती है कि वह पागल कुत्तों को मारे। आज जनता पार्टी में संस्कृति की बात करने वाले हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं ...

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : कुत्तों की नसबन्दी कर दी जाए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जनता पार्टी के राज के बाद कोई चीज घटी हो या बढ़ी हो, परन्तु आम शहरों में आज कुत्तों की तादाद बढ़ गई है और उनमें पागल कुत्ते ज्यादा है। मेहरबानी कर के इसकी कोई आल्टरनेटिव व्यवस्था आप कीजिए। अगर दवाई नहीं है तो चाहे म्युनिसिपैलिटी हो, चाहे पंचायत हो, उनको कहिए जहां भी

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

पागल कुत्ता हो, आवारा कुत्ता हो, उसको मारने की व्यवस्था की जाए। अगर आपके पास दवाई नहीं है तो पागल, आवारा कुत्तों को मारने की व्यवस्था आपने नहीं की तो फिर मरने वाले इन्सानों का इल्जाम आप पर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इन्सानियत के नाते कम से कम आप इसकी व्यवस्था करेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़: मिनिस्टर महोदय नहीं है फिर किस को सुना रहे हैं ?

श्री मनोहरसिंह मेहता: बैठे हुए हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर: इसके अलावा मैं आपको दवाई का एक और नमूना पेश करना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार की तरह यह जनता सरकार भी उल्टी चल रही है। इसके सारे काम उल्टे हो रहे हैं। कोई भलाई का काम यह क्यों नहीं कर रही है, यह मेरी समझ में नहीं आता है। मेरे पास दवाई की ये दो शीशियां है। यह क्लोरोक्वीन की दवाई है जो मलेरिया के लिए है। हर दवाई की शीशी पर मैन्यूफैक्चरिंग की डेट और एक्सपाइरी डेट होती है परन्तु इस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है सिर्फ एक्सपायरी डेट है मार्च 1981, यह इसकी डेट आफ एक्सपायरी है। डेट आफ मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। यह नहीं होने की वजह से पीरियड ज्यादा हो जाता है। दवाई भी इस तरीके से लेबल लगा कर बेची जा सकती है। यह एक शीशी तो सांगरिया के डाक्टर ने दी है और दूसरी जयपुर के डाक्टर ने दी है। दोनों पर डेट आफ एक्सपायरी मार्च, 1981 है। डेट आफ मैन्युफैक्चरिंग हो तो आदमी पढ़ सकता है कि यह कब बनी है, इसकी एक्सपायरी हो गई है। मैं मंत्री महोदय के पास यह शीशी भेजूंगा। इसकी जांच की जाए बाकायदा और इसको रोका जाय ताकि इस तरह की घटना दुबारा न हो ? मेहरबानी करके इसको देखें। आप भले आदमी हैं इसलिए लोग आपको तबादलों के लिए ज्यादा परेशान करते है। मेहरबानी करके आप इसकी जांच कीजिए और इस बात की व्यवस्था कीजिए। पागल कुत्तों के काटने की दवाई आपके पास नहीं है तो उनको मारने की व्यवस्था कीजिए। आवारा कुत्तों को भी खत्म कीजिए।

श्री मनोहरसिंह मेहता: अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह पागल कुत्ते का मामला है इसलिए मैं भी एक मिनट इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। दवाई की व्यवस्था न हो तो जैसे पहले राज्य अपने खर्चे से ऐसे आदमियों को कसौली भेजते थे, वैसे ही आप व्यवस्था कीजिए। उस आदमी का सारा खर्चा राज्य सरकार द्वारा उठाया जाना चाहिए। हाइड्रोफोबिया होने के बाद कोई नहीं बच सकता है। यदि दवाई न हो तो ऐसे व्यक्तियों को कसौली भेजने की व्यवस्था की जानी चाहिए। हाइड्रोफोबिया होने के बाद आदमी के बचने का कोई रास्ता नहीं है इसलिए यह निवेदन है।

अब्दुल अजीज: अध्यक्ष महोदय, मैने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है...

श्री त्रिलोकचन्द जैन (स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय श्योपतसिंह ने जो एन्टीरेबिक वेक्सीन के बारे में कहा है वस्तुत: वह सही स्थिति है। कसौली इसका उत्पादन होता है कसौली में वहां पर इसका उत्पादन बंद हो गया था इस

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

कारण से यह परिस्थिति राज्य में हुई है। फिर भी राज्य सरकार ने जहां जहां भी यह वेक्सीन था वहां से पुल कर के जहां भी आवश्यकता होती थी वहां भेजने की व्यवस्था की है। अब वापस प्रोडक्शन शुरू हो गया है और सारी व्यवस्था शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। इस बीच में चिकित्सा विभाग ने नगरपालिकाओं को सूचना दे दी है इस प्रकार का वेक्सीन नहीं है इसलिए वे ऐसे कुत्तों को पकड़वाने की व्यवस्था करें। उनको सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। माननीय सदस्य ने जो अवधि पार दवाईयों की शीशी के बारे में बताया है उसके बारे में अवश्य ही जांच की जाएगी और सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस प्रकार जांच की व्यवस्था पहले से की हुई है जांच में यदि अपराधी पाये गए तो उनके साथ किसी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाएगी। यह बर्दाश्त नहीं किया जायगा कि इस प्रकार जनता की जान लेने कीपरिस्थिति हो, कोई दवा का मेन्युफेक्चर करता रहे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जहां जहां डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर है वहां पर पागल कुत्तों या कुतिया के काटे जाने पर क्या व्यवस्था है ?

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अगर पागल कुत्ता काट खाये तो कुचिला खालें। जब तक वेक्सोन नहीं आती है, तब तक के लिए आयुर्वेद की विषतिन्दुर वटी है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमने दोस्ती आपसे भी लगाई है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैंने तो मंत्री जी से केवल इतना ही कहा था कि अगर जिला हैड क्वार्टर पर····

श्री नारायण सिंह (मालपुरा) : यह जो पागल कुत्ते कहा गया है इसको निकाला जाय।

श्री नूरा : जिस प्रश्न पर जान चली जाने का सवाल है उसको गंभीरता से लेना चाहिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : माननीय मंत्री जी ने यह भी फर्माया कि जितने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के हास्पिटल्स हैं जहां वैक्सीन नहीं है। वहां दवाई भेजने के लिये सरकार खर्चा उठाएगी या नहीं ? क्योंकि यह जान का सवाल है इसलिये सरकार को खर्चा उठा कर भी उन अस्पतालों में, जहां पर वैक्सीन उपलब्ध है, भेजनी चाहिये।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेहता जी का सुझाव बहुत वेलिड है। सरकार को यह आश्वासन देना चाहिये। यदि यह दवाई कसौली में उपलब्ध नहीं है या और कहीं उपलब्ध नहीं है तो यह सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है इसलिये आप आश्वासन दीजिये कि जहां भी अवेलेबल है इसके इंजेक्शन वहां से मंगाने की व्यवस्था सरकारी खर्च से की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह व्यंग्य और हंसी का विषय नहीं है। यह बहुत अहम मामला है। इस तरह से अशोभनीय फब्तियां कसना अच्छा नहीं है।

श्री अब्दुल अज़ीज : अध्यक्ष महोदय, मकराना की नगरपालिका में सड़कों की टूट

(श्री अब्दुल अजीज)

फूट और जगह जगह गन्दगी के संबंध में स्थगन प्रस्ताव दिया है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को, चिकित्सा मंत्रीजी को, इस गंदगी के कारण जन स्वास्थ्य मंत्री जी को, जो नगरपालिका के भी मंत्री है, को यह निवेदन करूंगा कि अब मलेरिया की बीमारी तक मकराना आ गया है। अध्यक्ष महोदय, मकराना की आबादी सालों पहले 30 हजार थी अब ज्यों ज्यों फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, वह बढ़ कर 50 हजार हो गई है। मकराना नगर औद्योगिक होने के कारण लोगों का वहां आवागमन भी बहुत ज्यादा है। वहा एक भी सड़क नहीं है। एक आध जो 1975 में पाइप लाइन डाली थी वह जगह जगह से टूट गई। उसका कारण यह भी है कि वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण पत्थरों की चिराई के कारण गांवों से करीब 25 ट्रक प्रतिदिन मिट्टी रोज आती है और फैक्ट्री वाले वह अनयूज्ड होने पर सड़क पर डाल देते हैं। इससे नतीजा यह हुआ है सड़कों का लेवल बिगड़ गया। गत दशहरे में मुख्य मंत्री जी वहां पधारे थे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मकराना करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा देता है।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, आपने यह बता दिया कि मकराना की गरिमा, इंपोर्टेंस को आप समझते हैं। लेकिन वहां के मजदूरों की हालत है उसका मुलाहिजा फर्मायें वहां सड़क नाम की कोई चीज नहीं है। वहां से जो मारबल जाता है उससे करोड़ों रुपयों की राज्य सरकार को आमदनी होती है लेकिन इससे नगरपालिका को कुछ नहीं मिलता है। बाहर से कोई माल शहर में तो आता नहीं है जिससे कि नगरपालिका की आमदनी बढ़े इसलिये नगरपालिका की आमदनी बहुत कम है।

इसी तरह से वहां पर गन्दगी के ढेर लगे हुए हैं। जिससे बीमारी फैल गई है। मलेरिया जिस तरह से फैला है उसके कारण अस्पतालों में जगह नहीं है। इसलिये मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध करता हू कि तत्काल चिकित्सा मंत्रीजी इस बात की मेहरबानी करें और स्वायत्त शासन मंत्रीजी सड़कें बनाने पर ध्यान दें। राज्य सरकार के प्लानिंग विभाग से अनुरोध है कि वह कुछ हिस्सा वहां की नगरपालिका को अनुदान के रूप में दे। ताकि वहां विदेशों और दूसरे देशों से जो लोग आते हैं मारबल खरीदने जावें आपकी सराहना करें।

श्री नूरा : मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है, सीमेंट का न मिलना, पैट्रोल का न मिलना।

श्री अध्यक्ष : पहले श्री रामकृष्ण दास का नाम है। मैं पहले उनको बुलाता हूं।

श्री राम कृष्णदास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके जरिये से इस जनता सरकार के ध्यान में एक बहुत ही गंभीर विषय लाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे अच्छी तरह से याद है, इस हाउस के प्रथम अधिवेशन में मैंने इसी समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाया था कि किस प्रकार से शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा विभाग के स्कूलों के प्रति उपेक्षा का व्यवहार कर अध्यापकों की बदली हजारों की संख्या में कर अपने घटक-

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

वाद का परिचय देकर गांवों के हजारों छात्रों के जीवन के साथ खेल खेल रहे हैं। राजस्थान में बजट का नौवां हिस्सा, 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि शिक्षा मद में खर्च की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, उस समय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि ग्रामीण स्कूलों में पूरे अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी और जितनी संख्या अध्यापकों की निर्धारित है उतने ही अध्यापक दिए जाएंगे। परन्तु एक वर्ष का समय व्यतीत होने के बाद भी बीकानेर जिले के ग्रामीण स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं। 30 से 40 प्रतिशत ही अध्यापक काम कर रहे हैं। कोलायत और बीकानेर तहसीलों में आज भी मिडिल स्कूलों में जहां 9 अध्यापकों का स्थान है वहां 2, 3 या 4 अध्यापक हैं। श्रीमान्, कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। जनता पार्टी की घोषणा थी कि हम गांवों का खयाल रखेंगे। कल वित्त मंत्री जी ने भाषण दिया कि हमारे बजट का 60 प्रतिशत ग्रामीण इलाके में खर्च हो रहा है। मुख्य मंत्री जी ने यहां यह घोषणा की कि जितने स्कूल कांग्रेस शासन में नहीं थे उससे ज्यादा जनता सरकार ने खोले हैं। परन्तु अफसोस की बात है कि स्कूल कागजों में खोल दिये, मेरा खयाल है कि यह सरकार के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं नहीं हाउस में। उनको भय लगा हुआ है कि उनसे कहीं यह पोर्टफोलियो छीन जायगा।

श्री रघुनन्दन व्यास : रह गया, रह गया।

श्री रतनलाल वर्मा : आपको मिलने वाला नहीं है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जनता सरकार के जो यहां बैठे हुए हैं उन्हीं शिक्षा मंत्री के काल में शिक्षा विभाग का हुलिया बिगड़ा, उस हुलिये को और बिगाड़ने में वर्तमान शिक्षा मंत्री ने और सहयोग दिया। पहले कांग्रेसी सरकार में भी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, वह क्यों इनको खर्च किया करते थे? इस 18 महीनों के अन्दर हमारी जनता सरकार ने स्कूलों में जो भी अध्यापक भेजे हैं वह स्कूलों में आर. एस. एस. की शाखाएं लगा रहे हैं।

कई माननीय सदस्य: शेम, शेम।

श्री मदनसिंह दांता : तो क्या हो गया वह अच्छे अध्यापक हैं, चरित्रवान हैं? आर. एस. एस. के आ गये तो क्या अन्याय हो गया?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जो अध्यापक आये आर. एस. एस. के वह बढ़िया नहीं थे। वह स्कूलों में शाखाएं लगाते हैं। आर. एस. एस. के अध्यापक इतनी संख्या में नहीं मिल सके, इसलिए गांवों के स्कूल खाली पड़े हुए हैं। श्रीमन्, जब विधायक अपना कर्त्तव्य पालन करने के लिए गांवों की ओर जाते हैं अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी में जाते हैं तो ग्राम के लोग कहते हैं कि हमारे स्कूलों में अध्यापक नहीं है, हमारे बच्चे खुले बैठे हुए हैं, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, शिक्षा नहीं मिलेगी! तुम्हारी सरकार का मुंह काला हो, तुम्हारा मुंह काला हो....

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : डूब मरो।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप हमारे यहां आर. एस. एस. के ही भेजो। हमारे कुछ तो स्कूल चलें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : श्रीमन्, मैं पूरी गम्भीरता से इस सदन को कह सकता हूं, मैंने जो इल्जाम लगाया है कि मैंने यहां कोलायत पंचायत समिति में मिडिल स्कूलों में 9 मास्टरों की जगह तीन मास्टर ही काम कर रहे हैं, यह सब क्यों हैं ? अगर यह आरोप गलत हो तो मैं रिजाइन कर दूंगा वरना आप रेजिगनेशन दे दें। है आपमें हिम्मत ? यहां पर मंत्रि मण्डल का विस्तार हो रहा है। 15 की जगह 21 हो गये हैं और इस अधिवेशन के बाद 30 हो जायेंगे लेकिन मास्टरों की संख्या नहीं बढ़ेगी···

एक माननीय सदस्य : कुछ दिनों में अलीबाबा और चालीस चोर हो जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : तुम्हारे यह काले कारनामे हैं। डूब मरो। तुम्हारे काले कारनामों के कारण ही जनता में इतना अविश्वास हो गया कि आज चिकमंगलूर से इन्दिरा गांधी चुनाव जीती हैं। तुम डूब मरो चुल्लू भर पानी में। तुम्हे शर्म नहीं आती हैं। तुम्हे डूब मरना चाहिए।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : तुम रो रहे हो।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं क्या रो रहा हूं ? रोओगे आप।

एक माननीय सदस्य : 5 साल के बाद आप रोओगे।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मंत्री कह रहे हैं कि रो रहे हो। आपको मालूम नहीं कि आज 18 महीने के कुशासन के कारण ही जनता पार्टी रो रही है और इन्दिरा गांधी जीती हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : यह छाती माथा करेंगे।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय मंत्री महोदय आर. एस. एस. के नेता हैं। बालासाहब देवरस ने घोषणा की थी कि चिकमंगलूर में आर. एस. एस. जनता पार्टी का साथ नहीं देगा और चुनाव कराने में भाग नहीं लेगा। इसका मतलब यह है कि इनकी सांठगांठ हैं। इसलिए इन्दिरा गांधी की जीत हुई है।

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह झूठ बोल रहे हैं। हमारी इन्दिरा गांधी से कोई सांठगांठ नहीं है।

(व्यवधान)

आर. एस. एस. की इन्दिरा गांधी के साथ कोई सांठगांठ नहीं है। यह झूठा आरोप लगा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपकी जनता सरकार को आर. एस. एस. का राहू केतु लग गया है।

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : शेम। शेम !

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जब तक आर. एस. एस. वालों से शिक्षा मंत्रालय नहीं लिया जायगा तब तक हमारे गांवों में कोई टीचर नहीं जायगा, शिक्षा का प्रचार नहीं होगा।

कई माननीय सदस्य : हियर। हियर।

एक माननीय सदस्य : यह सही आरोप है।

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द सुराणा : माननीय सदस्य ने आर. एस. एस. के लिए जो कहा उससे स्पष्ट है कि उनको जानकारी नहीं है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे गुप्ता जी समाजवादी चिन्तन और विचारधारा के प्रतीक हैं। आप जनता पार्टी के प्लेटफार्म से चुनाव जीतकर आये है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जनता और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जनता पार्टी पांच घटकों से बनी है और आज की तारीख में भूतपूर्व घटकों का कोई अस्तित्व नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपका यह प्रस्ताव था कि आर. एस. एस. वाले जनता पार्टी में मिल जायें या जनता पार्टी वाले आर.एस.एस. में मिल जायें लेकिन आर.एस.एस. वालों ने आपके प्रस्ताव को नहीं माना है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आर.एस.एस. जनता पार्टी को खा गई।

(व्यवधान)

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : माननीय अध्यक्ष महोदय, रामकृष्णदासजी पागल हो गये हैं, इनका इलाज करवाया जाय।

(व्यवधान)

सदन की मर्यादा को भंग करके बोल रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : गांधीजी के हत्यारे हो, जनता पार्टी के हत्यारे हो, आपने भारत को कुशासन दिया है।

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : अध्यक्ष महोदय, लगता ऐसा है ये पागल हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पाइन्ट आॅफ आॅर्डर है।

श्री माणक चन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थिति करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हम लोग भी विरोधी पक्ष में रहे है ··

(व्यवधान)

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, जब से ··

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द सुराणा : आप सुनिये तो सही,···

(व्यवधान)

आप सुने तो सही पहले।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय सुराणाजी आपने मंत्री बनने के लिए अपने घुटने आर. एस. एस. के सामने टेक दिये।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : आप लोगों ने सन् 62 के अन्दर जूते चलाये हैं ...

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द सुराणा : लोकतंत्र में सुनने की भी कोई शक्ति होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता यहां बैठे हैं।

(व्यवधान)

आपको बैठना पड़ेगा, मेरा पाइन्ट ऑफ ग्रार्डर है।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : इनको कह लेने दीजिये।

(व्यवधान)

इनको गाली निकालने दीजिये, अच्छा लगेगा।

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़) : ग्रान ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर पहले मेरा है।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : मैं समझता हूं माणकजी ये इस वक्त इस मूड में हैं ....

(व्यवधान)

क्या बिगड़ जायेगा ग्रापका ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि माणकजी ने आत्मा कभी गिरवी रख दी या कभी बेच दी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं रामकृष्णदासजी ने भी उस आत्मा के दर्शन तो किये हैं ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, हो-हल्ला मच गया।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्ष महोदय रामकृष्णदासजी को किसी ढंग से गालियां बोलनी है, तो हम बोलने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाय ...

(व्यवधान)

मर्यादाओं को तोड़ने का उनको अधिकार नहीं है।

(व्यधान)

श्री अध्यक्ष : 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. पू. 1.20 बजे 15 मिनट के लिये स्थगित की गई।)

विधान सभा की बैठक पुनः म. पू. 2.00 बजे प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : श्री रामकृष्णदास गुप्ता की चर्चा समाप्त हुई।

श्री माणकचन्द सुराणा (योजना मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य अपने भाषण में जो नये मन्त्री बने हैं, उन पर राजनैतिक प्रहार करना चाहते थे वह उन्होंने किया, वह उनका अधिकार था। उन्होंने भाषण के दौरान में यह भी कहा, अध्यक्ष महोदय, मैंने आर. एस. एस. के सामने घुटने टेक दिये और आर. एस. एस के सामने घुटने टेक कर मैं मन्त्री बन गया। मैं, अध्यक्ष महोदय, बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता और इस सदन में और राजस्थान यूनिवर्सिटी के परिसर में आर. एस. एस. की जो शाखा लगती है उसके सम्बन्ध में इस सदन में जो चर्चा हुई उसका जिक्र करना चाहूंगा। आर. एस. एस. की शाखायें यूनिवर्सिटी की परिसर में लगाई जावें। इसका समर्थन उस चर्चा का श्री रामकृष्णदासजी गुप्ता ने किया और यह हमारे शिक्षा मन्त्री ही थे जिन्होने दखल दे करके जो शाखायें वहां लगती थी उनको शिक्षा मन्त्री होने के नाते बन्द करवाया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जनता पार्टी के मन्त्रियों का रवैया हमेशा घटकवाद से ऊपर रहा है। आर. एस. एस. का समर्थन करने का जहां तक प्रश्न है, इसका समर्थन मैंने नहीं किया कि आर. एस.एस. की शाखायें यूनिवर्सिटी परिसर में लगें बल्कि इसका समर्थन कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने किया है। आज वे मुझ पर चार्ज लगाते है कि मैं समाजवादी था और मन्त्री बनने के लिए मैंने आर.एस. एस. के सामने घुटने टेक दिये। मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, मैं इस आरोप का न केवल खण्डन ही करता हूं बल्कि मैं कहता हूं कि यह राजनैतिक चाल है जिसके द्वारा ये चाहते हैं कि जनता पार्टी के लिए यह कह कर कि यह आर. एस. एस. का है, यह समाजवादी है, यह स्वतन्त्र पार्टी का है, यह मालोद का है, कुछ न कुछ बना कर उसके अन्दर में कोई अन्तर विरोध पैदा कर सकें। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, इस तरह से जो चार्ज लगाया गया है मैं उसका खण्डन करता हूं। आप राजनैतिक प्रहार करें आपको अधिकार है।

इसके साथ साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं इस हाउस की कार्यवाही को चलाने के लिए हमेशा यह देखा गया कि यदि मुख्य मंत्री बोल रहे है तो विपक्ष के नेता या कोई भी माननीय पाइन्ट आफ आडर उठा देते है। इस तरह की स्थिति से मुझे बहुत दुख है। जब कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे तब बावजूद कई बार कोशिश करने के जो पाइन्ट आफ आर्डर स्टेट करना चाहते थे वह करने नहीं दिया। मैं विपक्ष के नेताओं से निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, इस सदन में हमको डिबेट करनी है, हमको बहस करनी है, डिबेट और बहस की जगह यदि नोइस होती रहे तो इस सदन की कोई गरिमा नहीं रहेगी। यदि कोई पाइन्ट आफ आर्डर स्टेट करना चाहते है तो पहले उनको कहने दिया जाय भले ही अध्यक्ष महोदय, उसको रिजेक्ट करें। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, इससे सदन की गरिमा घटती है। चाहे इधर के माननीय सदस्य हों चाहे उधर के माननीय सदस्य हों जो भी माननीय सदस्य बोलें, जब कोई पोइंट आफ आर्डर स्टेट हो रहा हो तो नेचुरली फर्ज है कि हम अपनी सीट को ग्रहण करें। अध्यक्ष महोदय को उसको ओवर रूल करने दें, जो कुछ फैसला करना हो वह करें, वह करें, उसके बाद फ्लोर रिज्यूम करें, यही मेरा निवेदन है।

श्री मदनसिंह दांता : मेरा निवेदन है कि कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य जब बोल रहे थे, उस समय उन्होंने कहा कि आर. एस. एस. के सामने घुटने टेक रहे हैं। अभी मंत्री महोदय ने उसका खण्डन किया। लेकिन मैं पूछता हूं कि शुरूआत हुई कहां से ? जब आपने उनको बोलने की इजाजत दी तो वे बोल रहे थे। उनके बोलने के बीच उठकर पांच सात सदस्यों ने यह फरमाया कि यह झूठ है। यह सारी बातें होती कहां से ? यहीं. से जनता पार्टी से। जब एक सदस्य बोल रहे थे तो बीच में बोलने की क्या जरूरत थी ? आप अपने सदस्यों पर कन्ट्रोल करते नहीं। इधर भले ही कन्ट्रोल नहीं हो क्योंकि इधर तो पूरा घटकवाद है, कोई कांग्रेस का है, कोई प्रगतिशील गुट का है, कोई कांग्रेस आई का है लेकिन आप तो सब एक हो आप अपने सदस्यों पर कन्ट्रोल रखो। आप अपने सदस्यों पर तो कण्ट्रोल नहीं रख सकते हैं और आक्षेप हम पर लगाते हो। घटकवाद के लिए तो कृपलानीजी कह रहे हैं उनको दोष दो। घटकवाद से तो खुद मोरारजी देसाई परेशान हैं। घटकवाद के लिए स्वयं जे. पी. बाबू कह रहे हैं। इसीलिए पहले आप एक तो हो। आज तो कम से कम एक होना चाहिए, फिर बाद में कुछ भी करो, आज तो एक हो जाओ आप।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। आर. एस. एस. के बारे में यहां पर कहा गया, उस संस्था का कोई प्रतिनिधि इस हाउस में सदस्य नहीं है, उस संस्था का कोई आदमी यहां पर मौजूद नहीं है, यहां या तो जनता पार्टी के लोग हैं, या कांग्रेस आई के लोग हैं या प्रगतिशील दल के लोग हैं। जब आप कोई बात कहते हो तो उसका जवाब दिया जाता है। केवल रोला करने के लिए किसी सांस्कृतिक संस्था, जिस संस्था का प्रतिनिधि यहां मौजूद नहीं है, का नाम लेकर उसको अपमानित करने के नाते अगर कोई माननीय सदस्य इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, इस प्रकार की भावना पैदा करते हैं, हाउस में जान बूझ करके गड़बड़ करते हाउस को अपमानित करना चाहते हैं, उसमें व्यवधान लाना चाहते हैं तो मैं यह निवेदन करता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, हम उससे सम्बन्धित हैं, हमारी श्रद्धा आर.एस. एस. के प्रति रहेगी। इसलिए उसके प्रति, उसके विरोध में कुछ भी अगर कोई कहेगा उसके खिलाफ असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग हुआ तो चाहे सिर कट जाय, चाहे मृत्यु हो जावे हम बराबर जीवन पर्यन्त लड़ते रहेंगे और मृत्यु का वरण करना पड़ा तो हम वह भी करेंगे। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप श्रीमान, को अधिकार है कि जो संस्था यहां प्रतिनिधित्व नहीं करती, उसको अपमानित करने की बात उसके खिलाफ गलत बात कहते हैं तो उसको रोकें। किसी माननीय सदस्य को ऐसी संस्था के लिये कहने का अधिकार नहीं हैं। मेरा ऐसा मानना है कि श्रीमान् रामकृष्णदास गुप्ता ने जान बूझ कर यह किया है। मैं चाहता हूं कि या तो वे माफी मांगें अन्यथा उनके खिलाफ कोई न कोई कार्यवाही की जावे।

श्री मूलचन्द डागा : किस बात की क्षमा मांगें ? उनको अधिकार है।

श्री श्योपत सिंह मक्कासर : अध्यक्ष महोदय, बहुत हैरानी का विषय है कि आर.

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

एस. एस. का नाम लेने से ही कुछ साथी बहुत परेशान हैं। उनकी आर. एस. एस. के प्रति श्रद्धा है, रखें। 18 माह पहले जनता के सामने वायदा करके आये थे कि हम न्यूटरल रहेंगे, उस वक्त आपको गुस्सा नहीं आया ? यहां इस तरह की बात कोई भी कहता है तो हमें बर्दाश्त करना चाहिये । आप उसके सदस्य हैं, अच्छा है, लेकिन आपको उस वक्त गुस्सा नहीं आया जब आर. एस. एस. के लीडर्स ने यह फैसला किया कि हम किसी का समर्थन नहीं करेंगे ? आपकी आर. एस. एस. की नीतियों में आस्था हो सकती है, आप रखिये, लेकिन हमको कहने का पूरा अधिकार है यहां कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में कमेंट करते हैं, करिये । आपने हमको चीन का एजेन्ट बताया, हमने सुना और अब आपका सवाल आता है, तो आप भी सुनिये । जब आपके आर एस. एस. के लोग चीन जाने लगे और माओ को सलाम बजाने लगे तब आप चुप रह गये । आर. एस. एस. के लोगों ने हमको गद्दार कहा, हमने सुना । इस तरह के सवाल तो आते ही रहेंगे । इसलिये मूंछें फड़फड़ाने से मामले तय नहीं होंगे। आप बहुमत के आधार पर यह दबाना चाहें, तो हम दबेंगे नहीं । कोई विरोधी दल का माननीय सदस्य अगर आपकी तारीफ करता है, तो आप खुश होते हैं, लेकिन जब कोई खिलाफत में ठीक बात कहता है, तो आप नाराज हो जाते हैं ।

श्री माणक चन्द सुराणा : आन ए पाइंट आफ आर्डर, सर मैंने जो श्रीमान से निवेदन किया था वह मैंने आन ए पाइंट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन का किया एक राजनैतिक प्रहार उन्होंने मेरे ऊपर किया, उसका मैंने जवाब दिया । यह कोई जनरल डिबेट का प्रश्न तो है नहीं ।

श्री मूलचन्द डागा : उन्होंने पाइंट आफ आर्डर उठाया था ।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : हम फील करते है, हम आपको सहयोग देते हैं ।

(व्यवधान)

हमारा कहना है कि दोनों तरफ से व्यवधान होता है, लेकिन अध्यक्ष महोदय. गम्भीरता से सुनते हैं और जैसी स्थिति होती है उसको कन्ट्रोल करते हैं । आज इस प्रकार की स्थिति सभी विधान सभाओं में बन रही है, राज्य सभा में भी ऐसा हो रहा है, यह कोई नई बात नहीं है । अपनी विधान सभा तो सब से ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। इसका मुख्य श्रेय हमारे अध्यक्ष महोदय को है । पहले भी इस तरह की कोई बात होती तो अध्यक्ष महोदय दोनों पक्षों को सुनते थे। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य घंटे घंटे तक बोलते थे और हम ऐतराज करते थे तो भी अध्यक्ष महोदय यह कहते थे कि जनतन्त्र में आपको विरोधी पक्ष की बात सुननी पड़ेगी, हम ज्यादा समय तक भी बैठ जायेंगे लेकिन जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी बात आपको सुननी पड़ेगी । आपके चीफ व्हिप का यह दायित्व है कि वह आपकी पार्टी के सदस्यों पर कन्ट्रोल रखें । हमारे चीफ व्हिप जब खेत सिंह जी थे, तब हमारे कोई सदस्य अगर हल्ला करते थे तो उसके पास जाकर बैठते थे और उनको समझाते थे ।

एक माननीय सदस्य : उनसे कान पकड़वाते थे ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके चीफ व्हिप कोई कोशिश नहीं करते हैं। यह व्यवस्था की कमी है। सरकारी मुख्य सचेतक को सतर्क होना चाहिए

श्री माणकचन्द सुराणा : आपके माननीय खेतसिंह जी की सीट दुलाराम जी के पास रहनी चाहिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उनको भी बिठाते हैं। अध्यक्ष महोदय, पैरों पर खड़े रहते हैं, हाउस की परम्परा बिगड़ रही होती है तो बिठाना भी पड़ता है। यह आपके चीफ व्हिप का फर्ज है कि वह सत्ता पक्ष के सदस्यों को बिठावे। आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। आप 150 है। आप बहुत ज्यादा हैं। आपको चिन्ता क्या है? आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय की पोजीशन को आकवर्ड नहीं करना चाहिए और हाउस को संजीदगी के साथ चलाने देना चाहिए। हाउस को 15 मिनट के लिये स्थगित करना पड़ा यह स्थिति आपने पैदा की। सब अपने अपने दायित्व को संभालें तो ढंग से हाउस चल सकता है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आधा मिनट। माननीय माणकचन्द जी सुराणा ने पर्सनल एक्सप्लेनेशन के तौर पर कहा....

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट का समय इस समस्या पर और देता हूं। इसके बाद सदन की कार्यवाही आगे चले तो ठीक रहेगा।

श्री बजरंगलाल शर्मा : श्री माणकचंद सुराणा से रामकृष्णदास जी ने यह कहा कि उन्होंने आर.एस.एस. के सामने घुटने टेक दिये तो उन्होंने पर्सनल एक्सप्लेनेशन के तौर पर कहा कि मैंने घुटने नहीं टेके। मैं इसका खंडन करता हूं। तो इसमें मेरे विरोधी पक्ष के सदस्यों को कोई ऐतराज है। वे कहते हैं कि घुटने नहीं टेके..

श्री मूलचन्द डागा : आप जानो आपका काम जाने?

श्री मदनसिंह दांता : इसका मतलब यही है कि घुटने टेक दिए।

श्री मूलचन्द डागा : आप चाहे घुटने टेको, चाहे चरण छुओ, चाहे जो करो....

श्री बजरंगलाल शर्मा : मुझको तो यह मालूम हुआ कि साष्टांग प्रणाम किया। हमारे हालात की आपके पास कैसे जानकारी है

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : आर. एस. एस. जनसंघ का मुख्य मंत्री है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने यह बात कही है कि घुटने नहीं टेके हैं तो मेहरबानी करके इसमें आपको कोई सीरियस आब्जेक्शन नहीं होना चाहिए।

श्री शंकरलाल : बजरंगलाल जी को हाई कोर्ट का जज बना देंगे तो कहेंगे कि इन्होंने भी घुटने टेक दिए, यह क्या बात हुई।

श्री श्योपतसिंह मकासर : बनेंगे तो मिनिस्टर बनेंगे जज नहीं बनेंगे।

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा) : हमारे घुटने हैं, हम ही टिकाने वाले हैं। इनको क्या एतराज है?

श्री अध्यक्ष : मैं केवल मात्र यह चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही कान्सेन्शस के बेसिस पर चले। इसकी गरिमा बनी रहे।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य आपस में नहीं उलझें, एक बार, दो बार, तीन बार यदि आसन संकेत कर दे तो उसकी अवहेलना भी क्षम्य है और उसकी सीमा भी होती हैं। मानसिक मनोवृत्ति द्वारा यह अनुभव होने लगे कि सदन की गरिमा कम हो रही हैं तो आपको स्वयं ही नियन्त्रित होकर, अनुशासित होकर बैठ जाना चाहिए।

माननीय नूरा और गुप्ता जी का स्टेटमेंट भी प्रोसिडिंग्स में आ जाए, आप अत्यधिक उधम मचाने की कोशिश करते है।

श्री नूरा : मैं सदा सिद्धांत और नीति के सम्बन्ध में ही कहता हूं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रति माननीय मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा ••

एक माननीय सदस्य : आपके प्रति••

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : About me.

अध्यक्ष महोदय, गत अधिवेशन में राजस्थान यूनिवर्सिटी के बिल पर बहस के समय जो कुछ मैंने कहा, वह अपने ढंग से कहा। उसका रिपोर्टिंग हुई है। फिर भी आने वाली पीढ़ी गलत न समझे। इसलिये दुबारा उसको मैं अपने शब्दों में कहना चाहता हूं। मैंने यह कहा था कि किसी भी छात्र के संगठन को जहां वह पढ़ रहा हो, जहां वह रह रहा हो उस केम्पस में उसे कानून सम्मत अपनी गतिविधि करने का अधिकार होना चाहिये चाहे वह आर.एस.एस. के स्टूडेन्ट हों, वामपन्थी विचारधारा के स्टूडेन्ट हों, उनको कानून सम्मत गतिविधियों में भाग लेने से अगर कोई अधिकारी रोके और सरकार ने ऐसे कोई आदेश दिए तो वह अधिनायकवाद की ओर जाने वाला पहला कदम होगा। यह मैंने उस दिन कहा था।

माननीय माणकचंद सुराणा विधायक, लूणकरणसर ने घुटने नहीं टेके, जनता पार्टी ने घुटने टेके। वे एक योग्यतम मंत्री हैं। मुझे फक्र है कि हमारे क्षेत्र का एक विधायक मंत्री के पद पर पहली बार राजस्थान के मंत्रिमंडल में पहुँचा है। वे हमारे जिले की आशा, आकांक्षा के प्रतीक है। मैं तो माननीय मुख्य मंत्री से पुरजोर शब्दों में यह आग्रह करूंगा कि वे इनको कोई महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो दें जिससे हमारे पश्चिमी राजस्थान में पानी पहुंचे, रोड बने, बिजली लगे और यह जो भ्रष्टाचार का कांटा लगा हुआ है वह हटे।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। मैं आपका बड़ा आभारी हूं।

श्री नूरा।

श्री कौशल कुमार जैन : एक मिनट हमें भी दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप भी बोलिए।

श्री कौशल किशोर जैन: अध्यक्ष महोदय, 18 महीने से यह सदन चल रहा है। कई बार पहले भी माननीय सदस्यों ने ••

(व्यवधान)

मुझे अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी है।

श्री अध्यक्ष : अति सर्वत्र वर्जयेत आप सीमा में बोल लीजिए।

(56)

श्री कौशलकिशोर जैन: मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस हाउस में वाद-विवाद में बार बार आर.एस.एस. को बीच में लाते हैं, मैं समझता हूं, यह ठीक नहीं है। आखिर कोई बात किसी चर्चा में लाई जाए तो समझ में आ सकती है किन्तु मन में अन्तर्निहित बात रख कर किसी संगठन पर आरोप लगाया जाए तो उस संगठन के प्रति श्रद्धा रखने वाले कुछ माननीय सदस्य भी इस सदन में हैं उनको उत्तेजना होती है। आरोप लगाये जाएं इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है परन्तु अनर्गल आरोप लगाये जाएं वह उचित नहीं है। दूसरी और कोई माननीय सदस्य इस पर आपत्ति करें तो माननीय दूलारामजी, माननीय रामकृष्ण जी को इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए जैसा आचरण आज उन्होंने इस सदन में किया है। मेरा निवेदन है कि आप शालीनता से आचरण करने के लिए उनको कहें, कम से कम भविष्य में वे इस प्रकार का आचरण न करें ताकि आज जो काण्ड हुआ है वह न दोहराया जाए।

श्री मदनसिंह दांता: जनता पार्टी को कोसें। उनकी शायद इंदिरा गांधी में श्रद्धा नहीं है। हम भैरोंसिंह जी को कोसें। मैं आपसे पुराना आर. एस. एस. का हूं। आप क्यों होते हैं नाराज। हिन्दू महासभा के लिये, मुस्लिम लोग के लिये ये जो कहेंगे···

श्री नूरा: अध्यक्ष महोदय, ये हमारी जनता पार्टी के विधायक हैं लेकिन उसके उपर आर. एस. एस. का सवाल है। वे ही आदमी आगे आते हैं जो आर. एस. एस. के हैं। इनको जनता पार्टी के अन्दर कहना चाहिये।

श्री कौशलकिशोर जैन: आप कम्युनिस्ट पार्टी की बात करिये। जनता पार्टी की क्यों करते हैं?

श्री नूरा: जगह जगह पाबन्दियां लगाई जाती हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें बोलने नहीं दिया जाता। मैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, ने मुझे बोलने के लिये इशारा किया। आप कहें तो बैठ जाउं। थोड़ी सुनने की भी शक्ति रखनी चाहिये। यहां पर आप कहें कि हम मर जाएंगे। यह मरने की बात कहने के बजाय अगर आलोचना करते हैं तो सुनने की भी शक्ति रखनी चाहिये। हम जनता पार्टी के खिलाफ आर. एस. एस. के खिलाफ बोलेंगे। हम भी जनता से चुन कर आये हैं। किसी की दया से बोलने के लिये नहीं खड़े हुए हैं। इसलिये मैं आपसे कह सकता हूं इस बात का जवाब दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहिये।

श्री नूरा: मैं अपने स्थगन प्रस्ताव पर आता हूं, अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है–बाजार से घासलेट गायब, पैट्रोल गायब, और कोयला भी गायब। छोटे छोटे स्कूलों के बच्चे स्कूलों से छुट्टी लेकर लाइन में लगते हैं फिर भी उनको आवश्यक वस्तुएं नहीं मिलती। कल के दैनिक नवज्योति में विस्तार से लिखा है लेकिन आपको यह पता कैसे लगे? आप जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सारा सामान आसानी से पहुंच जाता है। आपको इसकी कोई चिन्ता नहीं है कि आज लोगों के सामने किस चीज की

(श्री नूरा)

समस्या ही रही है ? उसमें लिखा है कि पेट्रोल में पानी मिला दिया जाता है। गाड़ी रास्ते में खड़ी हो जाती हैं। तिल्ली का तेल शुद्ध नहीं मिलता। मैं कहता हूं जनता पार्टी वालों से कि मिलावट करने वालों से आप कुछ कह नहीं सकते ? तेल की कमी नहीं है मार्केट में, लेकिन सारा ऊपर ही ऊपर सप्लाई हो जाता है। ब्लेक होता है, दुकान वाले पैसा कमाते हैं लेकिन साधारण जनता के लिये पाना मुश्किल है। मेरा कहना है कि समय पर जो चीजें गायब हो जाती हैं, जो आम लोगों के जीवन से ताल्लुक रखती है उनके सरकारी लेवल पर बंटवाने की आपको व्यवस्था करनी चाहिये—

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सीमेंट का कोटा लिया था इस विश्वास पर कि हम इसको बांटेंगे लेकिन हाई कोर्ट में गये और स्टे ले आये। को-आपरेटिव बेसिस पर बेचने से क्या इस समस्या का हल होगा ? जब चाहे उत्पादन करने वाला स्टाक में धर लेता है और कह देता है कि मेरे पास माल कम है। बाजार में चाहे कमी हो अपनी मर्जी से कह देता है मैं 20 रुपये क्विंटल ज्यादा कर दूंगा। इसके रोकने के लिए आपके पास क्या अधिकार है। मेरा निवेदन करना है कि सीमेंट की कमी राजस्थान के लिए समस्या बनी हुई है। इसके अलावा घासलेट की कमी है आज हजारों लोगों का काम घासलेट से चलता है। छोटे तबके के लोग हैं, छोटे बच्चे स्कूल से छुट्टी लेकर लाइन में लगते हैं। रिक्शे वाले वस्ती से तेल लाये हैं। आप इसको छोटी-छोटी बातें कहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस घटकवादी सरकार को जनता पार्टी की सरकार को, जिसमें जनसंघ भी है, सोशलिस्ट भी है, और भी हैं, को कहना चाहता हूं कि यह समस्या जयपुर में ही नहीं पूरे राजस्थान में बनी हुई है। अगर आप इस समस्या को हल नहीं करेंगे तो जनता ने आज आपको अधिकार दिये हैं लेकिन कल आप भी सड़क पर आ जाएंगे जैसे कांग्रेसी घूम रहे हैं। मैं कहता हूं समय रहते इस दिक्कत को हल करने के लिए सरकार पहल करे—

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यह बहुत बड़ी समस्या, हम लोगों के जीवन से ताल्लुक रखती है। मेरा निवेदन है कि जो स्टाक करते है, उन्हें कालाबाजार की आप छूट दे रहे हैं उन्हें आप कंट्रोल नहीं करते हैं, मैं कहूंगा कि उन पर छापे पड़ने चाहिए। वह सारा सामान बाहर आना चाहिए और बंटना चाहिए। वह सरकारी स्तर पर बांटा जाना चाहिए। यही बात कहते हुए मैं आशा करूंगा कि सरकार इस समस्या को हल करेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका नाम नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विषय है, इसके सम्बन्ध में मैंने थोड़ी देर से जरूर दिया है—

श्री अध्यक्ष : पहले माननीय मंत्री जी का उत्तर सुनें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप इजाजत दें तो माननीय मंत्री जी कहें उसके पहले मैं

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जालौर में एक कट्टा सीमेन्ट भी नहीं मिल रही है। मैंने पहले भी इस बारे में ध्यान आकर्षित किया था सरकार का परन्तु सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। अब हाई कोर्ट ने प्राइवेट सीमेन्ट विक्रेताओं को अलाउ कर दिया कि जो पहले से डीलर्स हैं वे ही लाएंगे। वे किस तरह से लाएंगे ? सीमेन्ट कौन देगा ? माननीय मंत्री जी, वहां एक तरफ तो अकाल पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ कोई व्यवस्था सरकार पिछली साल भी नहीं कर सकी थी। ये पूनिया साहब कोई काम नहीं कर पाये थे। मैं इसके बावजूद भी सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि क्रूड आयल पंपिंग सैट्स को नहीं मिला तो रबी की फसलें जल जाएंगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गंभीर विषय है। मैं आपका इस बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूं कि घासलेट, क्रूड आयल, पेट्रोल मोबिल आयल नहीं मिलता है। कैरोसीन, जिसमें पानी मिला आता है, जलता नहीं। जनता पार्टी के सदस्य मालूम नहीं क्यों नहीं बोलते हैं ? मुझे अफसोस है जनता इतनी परेशान है। 6 रुपये किलो दालें हैं और ये कह रहे हैं कि कोई महंगाई नहीं है। अभी चुनाव करा कर देख लीजिये, जयपुर में ही क्या हाल होता है इनका। अभी तो 3 साल पड़े हैं। फिर भी आप जनता की तकलीफें नहीं देखते।

श्री कौशलकिशोर जैन: जो चीजें सस्ती हो रही हैं उनकी भी तो चर्चा कीजिये।

श्री मदनसिंह दांता : जनता पार्टी वाले जयपुर शहर में मीटिंग नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : चिकमंगलूर नहीं बनेड़ा की याद करिये।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह व्यापारी वर्ग आपको धारता ही नहीं है। न मालूम क्या बात है कि वह क्यों नहीं कन्ट्रोल में आते हैं ? कुछ एक्शन करके दिखाइये ताकि जनता को रिलीफ मिले। हम यहां बोलकर चले जाते हैं और आप यहां खड़े होकर जवाब दे देते हैं। इससे समस्या का समाधान नहीं होता है। जनता परेशान है। आपका डिपार्टमेंट कन्ट्रोल नहीं करता है। जनता को चीजें नहीं मिलती हैं और लोग घन्टों लाइन में खड़े रहते हैं। लोगों को परेशानी है। इसका आप जवाब दें।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नये विभागों के बटवारे की घोषणा हो चुकी है जैसी कि मुझे जानकारी मिली है पूनियाजी से सिविल सप्लाइज का डिपार्टमेंट ले लिया गया है। आगे जो एक्शन लेना है वह नये मंत्री को लेना है।

श्री दिग्विजय सिंह : आज की स्थिति में तो यही जवाब देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जिनका पोर्टफोलियो छीन लिया गया है वह जवाब दे रहे हैं ?

श्री दिग्विजय सिंह : जो जोइन्ट रेस्पान्सिबिलिटी है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर तो नहीं है लेकिन यह निवेदन है कि सदन की कार्य-वाही चल रही है, सदन का सेशन और सिटिंग चल रही है इस दौरान इतना बड़ा परिवर्तन राज्य सरकार में हो गया, उसका आसन को पता नहीं, सदन को पता नहीं कि सदन के बाहर क्या क्या हो गया ? कई मंत्रियों के विभाग चले गये । इस सदन को यह अधिकार है कि राजस्थान सरकार कोई भी महत्वपूर्ण घोषणा करे वह पहले इस सदन में होनी चाहिए । माननीय मुख्य मंत्रीजी को अधिकार है कि कुछ भी परि-वर्तन करें। लेकिन जब सदन चल रहा है तो सदन में घोषणा करनी चाहिये । यदि सन्डे होता तब भी वह कह सकते थे कि आज इतवार है, माननीय मुख्य मंत्रीजी सदन से गैर हाजिर हैं और पोर्टफोलियो का बंटवारा कर रहे हैं। उसकी हाउस को जानकारी नहीं है । हाउस को जानकारी होनी चाहिए कि कौन क्या है, कौन मिनिस्टर किस विभाग का है । मास्टर आदित्येन्द्रजी फाइनेन्स मिनिस्टिर हैं कि नहीं, प्रोफेसर केदारजी से ट्रान्सपोर्ट विभाग गया क्या ? यह मालूम होना चाहिए । यह हाउस का निरादर है ।

एक माननीय सदस्य । माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सदन का घोर अपमान किया है ।

श्री अध्यक्ष : आपको कहना था वह कह दिया । माननीय सचेतक व पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर को मालूम हो गया ।

श्री रामनारायण चौधरी: आप बता दें कि क्या हो गया ? आप घोषणा कर दें । हमें पता चलना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष: सरकार करेगी । मुझे क्या लेना देना है ।

श्री रामनारायण चौधरी: सदन चल रहा है । आप बतला दें कि ऐसा हुआ है या आप कह दें कि इसकी जरूरत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष: सरकार का ध्यान आक-र्षित हो गया ।

श्री रामनारायण चौधरी: सरकार का नहीं हम आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मेरा ध्यान आकर्षित हो गया ।

श्री रामनारायण चौधरी: आप क्या फर्मा रहे हैं आप फर्मा दें कि वह वाजिब है या गैर वाजिब है । बताने की जरूरत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष: इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता हूं ?

श्री परसराम मदेरणा: (भोपालगढ़): अध्यक्ष महोदय, इस सदन के प्रारम्भ होने से पूर्व आप जो सर्क्यूलर्स भेजते हैं उसके साथ में यह सर्क्यूलर भी होता है कि किस मिनिस्टर के पास क्या विभाग है । वह सर्क्यूलर्स इस सदन का सचिवालय डिस्ट्रि-ब्यूट करता है । हर सत्र के प्रारम्भ होने पर यह सर्क्युलेट होता है । इसलिए मान-नीय सदस्यों को यह जानने का अधिकार है । इसके लिए आपको एड्रेस नहीं करें तो किन को एड्रेस करें । किन के पास क्या विभाग हैं यह तो मालूम होना चाहिए । किस मिनिस्टर के पास क्या विभाग है, यह बताया जाना चाहिए । क्या यह जानने को चीफ मिनिस्टर के पीछे घूमते फिरें कि किस

(श्री परसराम मदेरणा)

के पास क्या विभाग है ? माननीय केदारजी के पास से ट्रान्सपोर्ट चला गया इसकी आपको जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है। इससे बड़ी गड़बड़ी हो जायगी। इसलिए आप राज्य सरकार को आदेश दें कि वह उनकी सूची भेजें सचिवालय को और वह हमें सूचित करें। यह सदन का हक होता है।

श्री मदनसिंह दांता : सूची नहीं भेजी यह नई परम्परा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कांग्रेस सरकार के समय जब अपोजिशन ने पाइंट आफ आर्डर उठाया था कि सदन में स्टेटमेन्ट देना चाहिए था तो उस वक्त के मुख्य मंत्री जी ने उठकर कहा था सदन में कि गलती हो गयी है और आयन्दा नहीं होगी। उन्होंने कहा था कि मेरी गलती हुई है कि मैंने बाहर स्टेटमेंट दे दिया। यह यहां हाउस में खड़े होकर कहा था।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा हमें निश्चित रूप से यह मालूम होना चाहिए कि कौन से दिन कौन से मंत्री प्रश्नों का जवाब देंगे। हमने यह सुना तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि प्रोफेसर केदार जी के पास से ट्रान्सपोर्ट का पोर्टफोलियो छिन गया। हमें मालूम नहीं। यह भी जानकर दुःख हुआ कि दिग्विजयसिंह जैसे भले आदमी से उनका पोर्टफोलियो ले लिया।

अध्यक्ष महोदय, जो मौजूदा मंत्री हैं सिविल सप्लाइज के, आवश्यक वस्तुओं के लिए अभी प्रश्न जो उठाया गया है उसका सिविल सप्लाइज कमिश्नर ने रिप्लाई बना कर दे दिया है वह रिप्लाई दे देंगे। आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे कि मेरा तो पोर्टफोलियो चेन्ज हो गया है। इसलिए जिनके पास यह पोर्टफोलियो आया है उनसे जवाब दिलवाइये। सरकार की नीति साफ होनी चाहिए। यह निश्चित तौर से मालूम होना चाहिए।

श्री जयनारायण पूनिया (मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग) : अध्यक्ष महोदय, पैट्रोल और डीजल की कमी की चर्चा की गई है। कुछ वेगन्स समय पर नहीं पहुंचने के कारण ऐसा हुआ है। वह आज कर दिया है। पैट्रोल और डीजल पहुंच रहा है...

श्री रघुनाथ विश्नोई : कब तक।

श्री जयनारायण पूनिया : शाम तक पहुंच जायगा। कुछ तो पहुंच भी गया है। करीब एक लाख लीटर आज पहुंच गया है इसी प्रकार से 4 लाख लीटर पैट्रोल जयपुर डिवीजन के लिए हैं जिसमें कि जयपुर, भरतपुर जिले आदि हैं यह पहुंच जायगा।

श्री सूरजपाल सिंह : जालौर के क्रूड का क्या हुआ ?

श्री कौशल किशोर जैन : सुनने का धैर्य रखिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अर्बन एरिया में कोटा, भीलवाड़ा और जयपुर यह तीनों ही हैं बाकी नहीं हैं ?

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जब आपने माननीय मंत्री जी को जबाब देने का निर्देश दिया तो विरोधी दल

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

के माननीय सदस्य बीच बीच में हस्तक्षेप क्यों करते हैं ? इनको आप आगाह करें कि यह बीच बीच में हस्तक्षेप न करें।

श्री जयनारायण पूनिया : अध्यक्ष महोदय, यह क्रूड आइल की बात बताई गई है मैं समझता हूं कि यह मेरे सामने समस्या नहीं हैं। लेकिन अब इस बात पर ध्यान दिया जायगा और इसकी और समस्या नहीं रहेगी।

श्री नूरा : कैरोसिन और सीमेंट।

श्री जयनारायण पूनिया : सीमेंट के बारे में प्रश्न उठाया गया था। उसमें विवाद खड़ा हो गया था। हमने कोआपरेटिव बेसिस पर सीमेंट का वितरण करने की बात चालू की थी लेकिन हाई कोर्ट में मामला जाने के कारण उसमें देरी हो गई। कोआपरेटिव और दूसरे डीलर मिलकर वितरण करेंगे इसके लिए एप्लीकेशन मांगी गई थी उसके आधार पर वितरण होगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसमें एक महीना निकल गया। इस तरह की जो शार्टेज आई है वह आगे नहीं आयेगी। वह भी शीघ्र पूरी हो जायगी।

श्री नूरा : कैरोसीन के बारे में।

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के माननीय सदस्यों द्वारा मन्त्रिमण्डल के विस्तार के बारे में जो संकेत किया गया है उस सम्बन्ध में एक हद तक मेरी सहानुभूति है। परंपरानुसार मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मन्त्रिमण्डल में जो विस्तार हुआ है और उसके फलस्वरूप जो पोर्टफोलियोज का वितरण हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसके विषय में जानकारी माननीय सदस्यों को निश्चित रूप से आज शाम तक प्राप्त हो जायगी।

माननीय मनोहरसिंह जी मेहता।

श्री रामकरण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है ··

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव किस बारे में है ?

श्री रामकरणसिंह : सिंचाई विभाग के बारे में—

श्री अध्यक्ष : आपका नाम पुकारा गया था, माननीय सदस्य, आप थे नहीं, बोल लीजिये।

श्री रामकरणसिंह : अध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग के बारे में जो माननीय मन्त्री महोदय यहां पर बैठे है उनको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। चाहे वे अपने आपको ज्यादा विद्वान समझें लेकिन मेरी मान्यता है और मैं यह दावे से कहता हूं कि आज हम जयपुर में अलग अलग विभाग देखते हैं उनको अगर पूरी जानकारी दे दें तो मैं सदन से इस्तीफा देने को तैयार हूं। यही कारण है कि माननीय ललितकिशोरजी केवल अनभिज्ञ हैं। जब भी उनसे किसी भी प्रकार की जानकारी चाही है तो उन्होंने कहा है कि यह डिपार्टमेंट तो है ही नहीं, या जब कभी किसी डिवीजन की बात आई तो उन्होंने कहा कि यह इस डिवीजन की बात नहीं है। इसलिए मैं सबसे पहले यह जानना चाहूंगा कि जब आपको किसी चीज का मालूम नहीं है, आपको यह मालूम नहीं है कि कितना रुपया कौन कहां कहां पर खर्च

(श्री रामकरण सिंह)

कर रहा है तो आप ऐसे विभाग में क्यों फंसे हुए हैं ? माननीय शिक्षा मन्त्रीजी, आप भी टोटली फेल्योर हैं, इस तरह से इशारे करने से कोई काम नहीं चलेगा, काम तो करने से चलेगा। पहले आप सोचिये कि मन्त्री कैसे होते हैं और अधिकारियों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए ? इस तरह की ट्रेनिंग लीजिये । मैं जो कह रहा हूं आप सुनते नहीं और इशारा कर रहे हैं। इशारों से काम नहीं चलेगा। काम करने से काम चलेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आधुनिकीकरण ·······

एक माननीय सदस्य : इशारे से काम नहीं चलता है तो क्या मन्त्रीजी तलवार चलायें ?

श्री रामकरण सिंह : आधुनिकीकरण के नाम पर दो बांधों, छापरवाड़ और कालख के बारे में पेपर में यह आया कि इन पर दो करोड़ का खर्चा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, किसानों की खेती सूख रही है, और आप वहां लोनिंग करेंगे, बगीचे लगायेंगे या घूमने-फिरने और ऐशो-आराम के लिए वहां पर दो करोड़ रुपया खर्च करेंगे। अगर यह स्टेटमेंट होता कि नहरों को पक्का किया जायगा और पानी को बचाया जायेगा, तो हमें सन्तोष होता। दो करोड़ रुपया दो बांधों के आधुनिकीकरण के लिए आप खर्च कर देंगे तो बाकी एरिया सूखा रह जायगा, वहां पर पानी की एक बून्द नहीं मिलेगी। आपको ज्ञान हो तो बता दें कि दो करोड़ कैसे खर्च होंगे ? आप खुद वहां गये हैं, लोगों ने चापलूसी कर दी। आपको यह मालूम नहीं है किस प्रकार से चापलूसी कर दी।

छितोली बांध के लिए कहते हैं 32 हजार रुपये बुल डोजर के नाम से···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आये हैं। रात को वे चल नहीं सकते। 244 घण्टों में 22 घंटा चला हुआ बता करके उसका पैसा उठाया गया है। ताज्जुब यह है कि लाइट काम नहीं कर रही है, प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है।

इसके अलावा मेरे यहां एक अण्डर-ग्राउण्ड नहर बन रही है, लेकिन वहां कोई नहर नहीं है, कोई लेना-देना नहीं है, पट्टियों का ढेर लग गया है।

इसी तरह से सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण पण्डरपुरा डूबा हुआ है। पूनिया साहब ने उसको देखा था। उसके लिए उन्होंने रुपया भी सैंक्शन कर दिया लेकिन ललितजी के कुनिन्दा वहां पर काम नहीं करना चाहते। डेढ़ साल से वह डूबा हुआ है, लोग वहां पर मछलियों की तरह से सड़ रहे हैं। ललितजी, काम तो करने से चलेगा। इन्दिराजी के लिये जो अफसोस और दुःख आपको है, आपको नहीं होगा तो और किसको होगा। नहीं होगा तो जनता पार्टी के साथी आपको कोसेंगे, आपका मोटापा नोचेंगे। अध्यक्ष महोदय, ललितजी का कार्य और व्यवहार ऐसा है कि विभाग के बारे में इनको जानकारी नहीं है। ये इस बारे में फेल्योर रहे हैं इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा ललितजी जैसे व्यक्ति को ऐसा विभाग, जिस विभाग से राजस्थान के किसानों का हित हो नहीं

(श्री रामकरण सिंह)

दिया जाय, वे न किसानों के दुःख दर्द के बारे में जानते हैं और न विभाग के बारे में। कहते हैं तो यही कहते हैं कि इन अधिकारियों का यहां पोस्टिंग नहीं होना चाहिये, इस वर्ग के आदमी यहां नहीं आने चाहिये। इस तरह की धारणा रखने वाले मन्त्री किसानों का क्या भला करेंगे? इस विभाग में ऐसे अधिकारी चाहिए जो किसानों का भला सोच सकें। इसमें किसी प्रकार का राजनैतिक स्टन्ट नहीं होना चाहिए। राजनैतिक स्टन्ट करके आप किसानों का भला करना चाहते हैं तो इस तरह से किसानों का भला नहीं हो सकता। इस तरह का रवैया किसानों के लिए धोखा है। इससे न तो किसानों का और न राज्य का ही कोई हित हो सकता है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सिंचाई मन्त्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटपूतली से आये हुए माननीय विधायक ने एक स्थगन प्रस्ताव रखा है, बड़ा अच्छा होता यदि वे इस स्थगन प्रस्ताव तक ही सीमित रहते। किन्तु स्थगन प्रस्ताव के सहारे उन्होंने कई बातें मेरे बारे में कहने की कोशिश की है। मैं उनके स्थगन प्रस्ताव के बारे में ही विचार व्यक्त करूंगा।

आधुनिकीकरण का जहां तक सवाल है, शायद कोटपूतली से आये हुए माननीय विधायक को पता नहीं है वैसे तो उन्होंने कहा कि मेरे को पता नहीं है, इसका तो सारा सदन निर्णय करेगा।

श्री रामकरणसिंह: आपको पता नहीं है इसलिए कह रहा हूं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी: आपने बहुत कुछ कहा है, अब आप सुनिये।

दो करोड़ रुपये इस वर्ष आधुनिकीकरण के लिए सारे राजस्थान की योजनाओं के लिए हैं जिसमें से केवल 20 लाख रुपये इन दोनों बान्धों के लिये खर्च किये जाने हैं। पहले तो, श्रीमान, कोटपूतली से आये हुए माननीय विधायक इस बात को करेक्ट कर लें कि दस लाख छापरवाड़ और दस लाख कालख बांध के आधुनिकीकरण के लिए रखे गये हैं। राजस्थान के 13 बांध हमने लिये हैं जिन पर दो करोड़ रुपया खर्च किया जाना है। राजस्थान सरकार की मान्यता है कि एक एक बूंद पानी का उपयोग, जो इन बांधों में आता है उसका पूरा पूरा उपयोग किया जाय। अगर कहीं पानी ज्यादा आता है तो नहरें बना कर और दूसरी योजनायें बनाई गई जिनकी चर्चा वे कर रहे हैं। उस पूरी योजना में से टुकड़ों टुकड़ों में भी जो पैसा दिया अगर उतना पैसा लगा कर काम हाथ में ले लेंगे तो 3 हजार से लेकर 4 हजार रुपये प्रति एकड़ व्यय आएगा जब कि सामान्य रूप से नये बांध बनाने में 5 हजार से 7 हजार रुपये प्रति एकड़ खर्च आता है। इसलिए केन्द्रीय सरकार ने योजना बनाई है कि जो पुराने बांध हैं, जो टूट गए हैं, जिनकी नहरें टूटी हैं, जिनमें रिसाव होता है, जिनमें पानी की उपलब्धि हाइट ऊंची करने से होती है, इस योजना को सारे देश में लागू किया जाए। इसके अन्तर्गत राजस्थान में 13 योजनायें हैं उनमें से दो योजनायें जो हैं उनमें केवल 20 लाख रुपया खर्च करने का है। उसके बाद 3 हजार से 4 हजार रुपया प्रति एकड़ खर्चा आएगा। पानी की उपलब्धि होगी और उसके कारण अधिक सिंचाई हो सकेगी।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

हो सकता है किसी ट्रांसफर के बारे में माननीय सदस्य के कहने से मैने नहीं किया हो, किसी करप्ट व्यक्ति के ट्रान्सफर के....

श्री रघुनाथ सिंह विश्नोई : आपको कहा था क्या किसी ट्रांसफर के बारे में

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मुझे पूरी बात कहने दीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कटिबद्ध है। किसी भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति को नहीं रखा जाएगा। राज्य सरकार कभी भी इस मामले में झुकेगी नहीं।

श्री रामकरण सिंह : आन ए पाइंट आफ क्लेरीफिकेशन। मंत्रीजी ने अपने आप को उबारने के लिए और अपनी मजबूरी को सदन के सामने प्रकट करने के लिए एक अच्छा बहाना ढूंढ निकाला, एक ट्रांसफर की बात कह दी। मैने कहा है और आज भी कहता हूं कि टी. एन. जैन ऐसे व्यक्ति हैं जिसको सिंचाई मंत्री मेरे यहां लाए। उनका रेकार्ड देखें कि उनके आने के बाद कितने व कहां कहां काम हुए। उससे पहले जिन्होंने काम किया उनका रिकार्ड देखने के बाद में सिंचाई मंत्री स्पष्ट कर दें कि किसानों को कितना पानी और किस तरह की सहूलियतें मिल सकती हैं, कितना काम हुआ है, नहरों में कितना पैसा खर्च हुआ है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 32 हजार रुपये जैन साहब ने छिदोली बांध पर खर्च किए? कोई 22 घंटे बुलडोजर चल सकता है एक दिन में? ऐसा व्यक्ति मैं नहीं चाहता कि रहे। अब भी कहता हूं पहले भी कहा था, यदि उसको रखना चाहते हैं क्योंकि वह आपके यहां हर प्रकार के साधन जुटाने में सम्पन्न है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। हम लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। आप इस बात को कहकर हम लोगों को चुप रखना चाहते है, इसकी मुझे कोई चिन्ता नहीं लेकिन हमारे इलाके में कोई अधिकारी काम नहीं करेगा तो हम आपको भी कोसेंगे और उनको भी कोसेंगे। बहुत साधन हमारे पास है जिससे हम उनको रोक सकते हैं और आपको भी रोक सकते हैं। आप जैन के प्रोटेक्शन के लिए हमारे सब-डिविजन को बरबाद करना चाहते हैं। वहां क्या सिचाई के साधन उपलब्ध हुए हैं? आप खड़े होकर कहिए। जैन के आने के बाद कौनसी नहर बनी? कितना सुधार हुआ? छिदोली बांध में नहर जा रही है? आज सिंचाई के लिए पानी चाहिए, खड़े होकर कह देना छिदोई कब खोलेंगे...

श्री कौशल किशोर जैन : असली बात आपने प्रकट कर दी।

श्री रामकरणसिंह : केवल जैन को वहां रखने के लिए...

(व्यवधान)

मंत्री महोदय बतायें 32 हजार रुपये कैसे खर्च हुए? एक सरकारी बुलडोजर है, दिखा दिया कि खराब है और 32 हजार का पेमेंट कर दिया। बुलडोजर 22 घन्टे चल सकता है? नाइट में चल सकता है? उसके पीछे लिफ्ट होती है, उसमें लाइट काम देती। छिदोली बांध पर जैन के आने के बाद क्या काम हो रहा है? मंत्रीजी कम से कम यह तो कहें कि इस बारे में आगे जानकारी करेंगे और 32 हजार रुपये के व्यय से सदन को अवगत करायेंगे?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है उसकी जरूर जांच की जाएगी। और मैंने जो बात कही है जिम्मेदारी से कही है। जो काम नहीं करेगा उसको हटाया जायेगा।

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, बिजोलिया एक ऐसा स्थान है जहां पठार है, 119 गांव हैं। स्वर्गीय पथिकजी ने सत्याग्रह किया था, उसके कारण उस स्थान का सारे देश में नाम है। जंगलों के बारे में वह स्थान धनी था, पूरे भीलवाड़ा जिले को अनाज सप्लाई करता था। आज दुर्भाग्य से सब लोगों ने खोद खोद कर पत्थर निकालने शुरू कर दिये हैं। वहीं से एक शुभ शुरूआत हुई। वहां लाटरी सिस्टम से छोटे छोटे प्लाट्स काम करने वाले लोगों को देना प्रारम्भ किया था। अच्छी योजना थी लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों जिनमें कीरत भाई, बद्रीलालजी खाती भी शामिल थे, मिलकर बड़े बड़े भूखंड लीज पर लेना प्रारम्भ कर दिया। अगर यही स्थिति रही और लीज सिस्टम पर बड़े बड़े भूखंड देना बन्द नहीं किया तो 119 गांव वालों को नीचे उतरना पड़ेगा। बिजोलिया सत्याग्रह करना जानता है। जब लाटरी सिस्टम से बड़े बड़े सेठों को भूखण्ड दिये जा रहे हैं तो यह मंत्री का काम है कि वह पता लगाये कि वहां क्या हो रहा है, ये भूखंड उनको क्यों दिये जा रहे हैं। अगर भूखण्ड देना बंद नहीं हुआ तो भारी सत्याग्रह होगा। जिस बिजोलिया ने पूरे देश को सत्याग्रह करके दिखा दिया है, वह बिजोलिया सत्याग्रह करेगा और मनोहर सिंह उसमें अगुवा रहेगा। यदि नई बाउन्ड्री खुलना बन्द नहीं हुआ तो वह जगह मरघट बन जाएगी, खेती कम हो गई है और जंगल नष्ट हो गये हैं

श्री नरेन्द्र पाल सिंह : मेहता साहब बतायें कि बिजोलिया में कब आंदोलन हुआ था ?

श्री मनोहर सिंह मेहता : आप मेरे बड़े भाई हैं, पिता तुल्य हैं, आप सब जानते हैं। हम भी इन्हीं से सीखे हैं। वहां के किसान और दूसरी जनता सत्याग्रह करना जानती है। अब आदमी की जान पर आती है, जब निवास छूट जाता है तो आदमी सब कुछ कुर्बान कर देता है। इसलिए मंत्रीजी आश्वासन दें कि लीज सिस्टम नहीं होगा, जंगलों में से कोई जमीन नहीं ली जायगी, और वहां फिर से जंगल लगायेंगे।

श्री कौशलकिशोर जैन : कल मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है कोटा के श्री राम रेयन्स के अन्दर 14 दिन से हड़ताल चल रही है।

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी) : कल मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था बूंदी जिले में . . .

श्री अध्यक्ष : श्री ओमप्रकाश दो मिनट बोल दें।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : बूंदी जिले में केशवराव पाटन शुगर मिल है वहां पर मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं गन्ना काश्तकारों को रुपया दिया लेकिन अफसोस है कि काश्तकारों को अब तक केवल 12 लाख रुपये ही दिये गये हैं जब कि वहां के काश्तकारों के लिए 30 लाख रुपये सरकार ने मन्जूर कर दिए थे। वह 30 लाख रुपया वहां की मिल में लगा दिया गया। सरकार ने कहा था कि काश्तकारों को दिये जायेंगे, लेकिन वह पैसा अब तक काश्तकारों को नहीं दिया गया।

Page No 66

(66)

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

इस कारण वहां के काश्तकारों को खाद बीज लेने में बड़ी परेशानी हुई है। पिछले वर्ष से लगभग 40 प्रतिशत गन्ना उत्पादन हुआ है। इस परिस्थिति में गरीब काश्तकार को पैसा नहीं दिया गया। उनसे सरकार पैसा मांगती है। व्यापारी, जिनसे उन्होंने उधार ले रखा है, पैसा मांगते हैं। सम्पूर्ण काश्तकार परेशान हैं। इस सारी परिस्थिति को देखते हुए मैंने मंत्री महोदय से कई बार निवेदन किया, किन्तु मंत्री महोदय ने कोई ध्यान नहीं दिया।

इसके साथ ही एक निवेदन और किया था, शुगर मिल चल रही थी उसके एम. डी. पर जांच लगाई थी, डिप्टी कमिश्नर को जांच दी थी, वह जांच रोक दी गई है। इसके साथ साथ हमने जो डाक्यूमेंट्स रखे थे वह डाक्यूमेंट्स उन अधिकारियों ने रोक लिये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जांच वापस शुरू कराई जाये उस जांच में जो भी व्यक्ति दोषी है उनको दण्ड दिया जाये···

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वहां के काश्तकारों को शीघ्र पैसा दिया जाये। अगर पैसा नहीं दिया गया तो आन्दोलन करना पड़ेगा। भूखा नंगा काश्तकार कहां तक बैठा रहेगा? मैं सरकार से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि वहां के काश्तकारों को बाकी का पैसा शीघ्र दिया जाये।

आपने समय दिया धन्यवाद।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : जो प्रस्ताव रखा है मैं इस विषय में····

श्री माणकलाल ठाकोर : मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष : आप चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं।

श्री माणकलाल ठाकोर : आपके साथ ही मैं बोलना चाहता हूं···

श्री शंकरलाल (जैतारण) : आन ए पाईंट आफ आर्डर, सर;

श्री माणकलाल ठाकोर: आपका पाइंट आफ आर्डर मेरे ऊपर है।

श्री शंकरलाल : मैं किसी एक माननीय सदस्य के बोलने के लिए आपत्ति नहीं करता। मैं आपका ध्यान इस सदन की परम्पराओं की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। जो स्थगन प्रस्ताव आते हैं उनके बारे में, दो दो, पांच पांच मिनट, जैसा आपका विवेक कहता है और आप उचित समझते हैं, माननीय सदस्यों को बोलने का मौका देते हैं। जिनके ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आते हैं वे जब तक कार्य सूची में न आ जायें, उनको बोलने का समय प्रमूमन नहीं दिया जाता। वैसे आपके अधिकार की बात है। मैं आपका ध्यान इसलिए आकर्षित कर रहा हूं कि तीन बज गये हैं, जीरो आवर अभी चल रहा है। सरकार की तरफ से हम पर इलजाम लगाते है कि जीरो आवर देर तक चलता है। स्थगन प्रस्ताव पर बोलने की इच्छा है तो मुझे कोई एतराज नहीं। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर बोलने की अगर छूट दे दी गई तो कल को ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आ जायेंगे और आपका पूरा समय जीरो आवर में चला जायेगा।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा है। आपने दो मिनट दिये हैं। मेरा यह निवेदन है . . .

श्री श्योपतसिंह मकासर : राज दे दिया, गिड़गिड़ा क्यों रहे हो ?

श्री अध्यक्ष : शासन पैरों पर हो तो कुछ तो शासन का आप ध्यान रखिये। माननीय सदस्य, निश्चित रूप से मैं आपको समय देने जा रहा हूं।

माननीय सदस्य जो शंकरलाल जी ने आपत्ति उठाई है पाइंट ग्राफ आर्डर के द्वारा वह बिल्कुल वाजिब है लेकिन मेरी विवशता है। जीरो आवर की सीमा का उल्लंघन हो चुका है आखिरकार ये भी सदस्य हैं शासन पक्ष के। ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव या आधे घण्टे की चर्चा उठा सकते हैं, स्थगन प्रस्ताव दे नहीं सकते। मैं संख्या तो नहीं कहूंगा लेकिन कई एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव माननीय सदस्यों के शासन पक्ष के सदस्यों के सरकार को भेजे हैं। खेद का विषय है जब उत्तर प्राप्त नहीं होता, इनको मैं सन्तुष्ट नहीं रखता तो कुछ न कुछ हद तक तो उसके दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। इनकी मांगें, आकांक्षाओं की पूर्ति अगर सीमित मात्रा में शासन के द्वारा नहीं होती तो फिर शासन मेरे ख्याल में अपने उत्तरदायित्व को छोड़ बैठेगा। अतएव माननीय श्री ठाकोर।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं ? सरकार को छोड़ कर आ जायें। हमने इनको हकूमत दी है, जनता ने हकूमत दी है, लड़े अपने मंत्रियों से

श्री अध्यक्ष : 20–25 सदस्य मुख्य मंत्री के पास जायें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : घेराव करना चाहिये . . .

श्री अध्यक्ष : यह मेरा विषय नहीं है।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा के अन्दर . . .

श्री अध्यक्ष : अगर सदन ही नहीं चाहता कि सरकारी काम शुरू हो और सदन की यह इच्छा है कि विषय यहां पर उठे तो एक हद तक रुकावट कर सकता हूं, मुंह बन्द नहीं कर सकता।

श्री श्योपतसिंह मकासर : टाइम उनको दिया है।

श्री अध्यक्ष : पहले श्री ठाकोर।

श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा) : आपको धन्यवाद देते हुए कि आपने मुझे मौका दिया, मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि बूंदी जिले में हाल ही में जो काश्तकारों की दुर्गति हुई है, वह इस कारण से हुई है कि वहां की जो गन्ने की खेती है, वह मुख्य खेती है। उसको केशवराय शुगर मिल ने खरीदा किन्तु जितना काश्तकारों का पैसा था लगभग 6 महीने में अब तक अदा नहीं किया, नतीजा यह हुआ . . . .

श्री अध्यक्ष : यही स्थिति मेरे निर्वाचन क्षेत्र चित्तौड़गढ़ की है।

श्री रामनारायण चौधरी : हद हो गई।

श्री माणकलाल ठाकोर : इस बात के लिये मुख्य मंत्री . . . .

श्री शंकरलाल : It is shameful for the Government. They cannot satisfy and solve the

(श्री शंकर लाल)

probiem of their own party members, what should we expect from them for us.

श्री अध्यक्ष : Majority should be assured also.

श्री रामनारायण चौधरी : जब आपके साथ ऐसा है तो इस सदन को सीरियस व्यू लेना चाहिये।

श्री माणकलाल टाकोर : पहले शुगर मिल अप्रेल तक चली थी। वर्तमान सरकार को विशेषतः मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अप्रेल की बजाय केशोरायपाटन शुगर मिल जून तक चालू रखी। उन्होंने यह वायदा किया कि दो महीने तक ज्यादा मिल चलाई जा रही है उसका जो घाटा लगेगा वह राज्य सरकार वहन करेगी। इस निश्चित आश्वासन और निश्चित आदेश के साथ दो महीने केशोरायपाटन की मिल चली और घाटे के फलस्वरूप 30 लाख रुपये आज की तारीख में राजस्थान सरकार को अदा करना है। इस संबंध में हमारे बूंदी जिले का प्रतिनिधि मण्डल और मेरे साथी विधायक माननीय मुख्य मन्त्रीजी से मिले। उन्होंने पेमेंट का आश्वासन भी दिया। इस संबंध में हमारे जो सहकारिता मंत्री है, माननीय मेघवाल साहब, उनसे भी मिले। मुझे खेद है कि उन्होंने यह कह कर टाल दिया कि अमुक अधिकारी नहीं है। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के जो माननीय विधायक लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं कि बूंदी जिले के अन्दर कांग्रेस दल ने इस तरह का अल्टीमेटम दिया था और आन्दोलन चालू किया था ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वहां पर काश्तकारों को पेमेंट नहीं किया जा रहा है। स्वयं बृजसुन्दरजी शर्मा ने आह्वान किया था। अब मेरी समझ में नहीं आता है कि उन्होंने उस आन्दोलन को कैसे वापस ले लिया। शायद कोई गुप्त बातचीत हुई हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं बूंदी जिले के जो काश्तकार हैं चाहे हम सत्ता पक्ष में ही क्यों नहीं हों हम उनके अधिकार की रक्षा करेंगे। मैं आपकी मार्फत मुख्य मन्त्री महोदय का और सहकारिता मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक सप्ताह के अन्दर वहां के काश्तकारों को पेमेंट की व्यवस्था करें वरना हमको मजबूरन किसानों के साथ रहना पड़ेगा और सत्ता का विरोध करना पड़ेगा।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय···

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की समस्या है। मैं वहां से आया हूं। मुझे ज्यादा जानकारी है वहां की मिलों के बारे में।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। बहुमूल्य समय है सदन का। किसान ही रीढ़ की हड्डी है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : इसीलिये तो बोलना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, किसान रीढ़ की हड्डी है।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, श्रीराम रेयन्स मिल कर्मचारी संघ कोटा एक मान्यता प्राप्त संगठन है। 12-10-78 को चार मांगों का एक पत्र संघ ने मिल के प्रबन्धक को दिया था। 24 अक्टूबर को मिल के प्रबन्धक ने सूचना दी संघ को कि हमारी बैलेन्स शीट तैयार नहीं हुई बस

(श्री कौशलकिशोर जैन)

लिये 20 प्रतिशत बोनस नहीं दे सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं 25 तारीख को बिना यूनियन से बात किये हुए 8.33 प्रतिशत बोनस का कागज चिपका दिया गया। न तो उसकी सूचना श्रम मंत्रालय को दी गई, न कर्मचारियों की यूनियन को दी गई। इसके फलस्वरूप वहां की मान्यता प्राप्त यूनियन ने 26 तारीख से अनिश्चित कालीन हड़ताल प्रारम्भ कर दी। 30 तारीख को छुट्टी के दिन सरकार और वहां के प्रबन्धक ने मिलकर इस हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। जो कुछ पाली में हुआ है वह कल कोटा में हो सकता है। मिल बन्द है-1400 कर्मचारी हैं। हड़ताल को गैर कानूनी किस आधार पर घोषित किया गया है? हड़ताल गैर कानूनी नहीं है। मैनेजमेंट को नोटिस दिया गया है, उनको सूचना दी गई है। प्रबन्धकों ने 25 तारीख को किस आधार पर बोनस दे दिया जब कि 24 तारीख को उनकी बैलेन्स सीट ही तैयार नहीं थी? न उसकी सूचना श्रम मंत्रालय को दी गई, न यूनियन के कर्मचारियों को दी गई। श्रम मंत्री जी विराजमान है। मै चाहूंगा, श्रम मंत्री महोदय को इन छोटे छोटे मामलों में यूनियन को विश्वास में लेकर निर्णय करना चाहिये। यह नहीं हो जैसी कि यह आशंका व्यक्त की गई कि तोड़-फोड़ होगी। कर्मचारी हिंसा पर उतारू होंगे, इस आशंका पर तो कहीं हड़ताल गैर कानूनी घोषित नहीं की है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे यूनियन के कर्मचारियों को बुलायें। जो 20 प्रतिशत बोनस की मांग है और जो अन्य तीन मांगे हैं वे उचित है। उनको उनके साथ बैठकर हल करें। प्रबन्धक ने क्या कह दिया इस पर दुबारा निर्णय करना होगा। राजस्थान में लॉ एन्ड आर्डर कायम रखने के लिये मै निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय श्रम मंत्री महोदय को निर्देश दें कि वे मेरे सवालों का उत्तर दें। आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट मुझे भी दिये जायं····

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय को बोलने दीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : वे आल राउण्ड हैं, साहब। आप तो मुख्य मंत्री की जगह लेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : देश का तीसरे नम्बर का सेठ लाला भरतराम, चरतराम कोटा में रेयन्स मिल चलाता हैं। सबसे बड़ा चोर, चुंगी चोर, सेल्स टैक्स चोर, बिजली चोर, ये सब लाला भरतराम चरतराम के कारिन्दे हैं····

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : चोरों को पनाह देती है सरकार।

श्री दाऊदयाल जोशी : चोरों को पनाह आपकी पार्टी देती है, मेरी सरकार नहीं।

(व्यवधान)

आज लोहिया के सिद्धान्तों के अनुरूप वे अपनी मांगों को पूर्ण रूप से प्रकट कर रहे हैं। सारे मजदूर फैक्ट्री से बाहर नहीं आये हैं। वे मशीन के ऊपर बैठे हैं और शान्ति से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं···

श्री श्योपतसिंह मकासर : मशीन के ऊपर बैठे हैं ?....

(व्यवधान)

मशीन के ऊपर बैठे है या गेट पर बैठे हुये हैं

(व्यवधान)

अरे भाई विरोध नहीं कर रहा हूं पूछ रहा हूं कि मशीन पर बैठे है या गेट के पास बैठे है ?

श्री दाऊदयाल जोशी : मशीन के पास बैठे है...

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमको तो अन्दर घुसने नहीं देते थे।

श्री दाऊदयाल जोशी : अगर यह यूनियन सीटू की होती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं रेयन्स मिल में आग लगा दी जाती। जिस प्रकार की विस्फोटक स्थिति वहां बन रही है उसमें मुझे डर है कि अब ये सीटू वाले आग लगाने वाले हैं। मुझे डर है, इस हड़ताल को तुड़वाने के लिये सीटू के मजदूर फैक्ट्री के अन्दर घुस गये हैं। 1200 मजदूर जीवन-मरण, अपनी रोजी-रोटी के लिये लड़ रहे हों उनके साथ इस प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका मुझे दुख है। 6 मजदूर, जो सीटू से सम्बन्धित थे, हड़ताल तुड़वाने के लिये मिल में घुस गये लेकिन मजदूरों ने हिम्मत करके उनको बाहर निकाल दिया। मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी उद्योग मंत्री श्री सूर्यनारायण चौधरी से वातचीत की थी। श्रीमान् साल डेढ साल पहले भी उनको 20 प्रतिशत बोनस दिया गया था। इस साल डिमान्ड चार्ट गया 12 तारीख को। 25 को चिट्ठी आई कि हम बोनस देने की स्थिति में नहीं है और तुम्हारा बोनस फरवरी में मिलेगा। फिर कौन सी वजह थी कि 25 को जवाब दिया और 26 तारीख को ही नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया कि 8.33 प्रतिशत बोनस उठा लें। 25 तारीख को बैलेन्स शीट तैयार नहीं थी और 26 को ही यह घोषणा हो जाती है तो मजदूर किस प्रकार लेगा ? पिछले साल 20-22 प्रतिशत की बात थी उस समय 22 के स्थान पर 20 ले लिया। श्री पाठक ने मंजूर किया था कि अगली बार तुम्हे 20 की जगह 22 देंगे, उसके विपरीत आज मजदूरों को 8.33 प्रतिशत बोनस देने की बात कर रहे है। कल सूर्य नारायण जी ने कहा था, चिन्ता मत करो अभी दो-तीन घन्टे में सूचना मिल जायगी लेकिन वह भी नहीं मिली।

मजदूर शान्तिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं किन्तु लाला भरतराम चरतराम किसी भी बात पर झुकने को तैयार नहीं है। सारा का सारा पूंजी में दबा हुआ व्यक्ति है। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा श्रम मंत्री महोदय और उद्योग मंत्री महोदय को कि जैसे उड़न तश्तरी में आग लगने का खतरा रहता है वैसी वहां विस्फोटक स्थिति न हो जाय। उड़न तश्तरी में जल्दी आग जाती है तो चार किलोमीटर के क्षेत्र में तबाही मच जाती है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सीटू को तो करफ्यू लगा कर राजस्थान से बाहर भेज दो।

श्री दाऊदयाल जोशी : यही कहते हुए जो समय मुझे बोलने के लिए दिया गया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि माननीय उद्योग मंत्रीजी इसको जल्दी हल करायेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : आप किस पर बोल रहे हैं ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उत्तर दे रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : यह कोई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नहीं है जिसका उत्तर दे रहे है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जो प्रश्न उठाये हैं उनका उत्तर दे रहा हूं।

श्री शंकरलाल : सदन को अवगत करा दिया जावे कि किस पर बोल रहे हैं ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है यह बता रहा हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हम यह पूछ रहे हैं कि माननीय मंत्रीजी किस पर बोल रहे है। जो गन्ने का सवाल था।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : श्रीराम रेयन्स कोटा के बारे में।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उसका जवाब तो श्रम मंत्री देंगे, आपका क्या सम्बन्ध है ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मेरे से सम्बन्धित है, मैंने नेगोशियेशन्स करवाये हैं उसकी सूचना मैं दे रहा हूं। अध्यक्ष जी....

श्री श्योपतसिंह मकासर : फिर चिल्ला काहे को रहे थे ? अपने आप ही कर लेते।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : पहले वे चिल्ला रहे थे, अब आप चिल्ला रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : Don't waste the valuable time of the House.

श्री सूर्यनारायण चौधरी (उद्योगमंत्री): इस सम्बन्ध में दो तीन मुद्दे उठाये गये हैं। राजस्थान सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है, यह कहा गया। राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में जो प्रयास किये हैं, उनको बहुत संक्षेप में सदन को जानकारी देना चाहता हूं।

पिछले वर्ष इनको 18 प्रतिशत बोनस दिया गया था। किसका क्या प्रयास था, मैं इसमें अधिक नहीं जाना चाहता। माननीय दाऊदयालजी ने बता दिया है कि श्रम मंत्री जी का प्रयास था। इस साल 12 तारीख को कोई नोटिस जो वहां की रिकगनाइज्ड यूनियन थी, उसने दिया तीन चार मांगों को लेकर। उस नोटिस के अन्दर यह नहीं था कि अगर ये मांगें मन्जूर नहीं की गई तो वह निश्चित रूप से हड़ताल कर देंगे। इस प्रकार का संकेत उस नोटिस में नहीं था। यह बात बिल्कुल सही है कि श्री राम रेयन्स के मैनेजमेंट ने इस सारे मामले पर बुद्धिमता से कार्यवाही नहीं की। 24 तारीख को श्री राम रेयन्स वालों ने पत्र लिख कर दिया कि अभी तक हमारी बैलेन्स शीट तैयार नहीं हुई है। बैलेन्स शीट तैयार होने में टाईम लगेगा। क्योंकि बैलेन्स शीट तैयार नहीं हुई है इसलिए किसी प्रकार का बोनस देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन 26 तारीख को दो दिन बाद ही उन्होंने एक नोटिस नोटिस बोर्ड पर लगा दिया कि हम 8.33 परसेन्ट बोनस देते हैं। इससे श्रमिकों

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

के बीच में उग्रता पदा हुई । यूनियन का यह कहना था कि उनको बाई पास करके बिना नेगोशियेशन्स के बिना उनको कान्फीडेन्स में लिये हुए जो इकतरफा घोषणा की गई है उससे उनकी अवहेलना होती है । मजदूरों को उनका हक मिलना चाहिए । इस पर आकस्मिक रूप से हड़ताल हो गई । हमारी राजस्थान सरकार की जो नीति है औद्योगिक संस्थाओं के प्रति और मजदूर यूनियन के प्रति वह बिल्कुल स्पष्ट है । जहां हम एक तरफ औद्योगिक शांति बनाए रखना चाहते हैं, वहां निश्चित रूप से यह भी चाहते हैं कि श्रमिकों का जो अधिकार है, जो भी उनका पैसा या पारितोषिक बनता है, बोनस के रूप में ग्रेचुटी के रूप में वह मिलना चाहिए । अन्यथा इकतरफा कार्यवाही चल नहीं सकती । इस सम्बन्ध में सरकार ने श्रीराम रेयन्स के मैनेजमेंट उसके प्रबन्धकों और लेबर के रिप्रेजेण्टेटिव्स को बुलाकर बातचीत की । हमारे एडीशनल लेबर कमिश्नर हैं, वे भी कोटा गए । जो दोनों पक्षों की खामियां हैं उनकी तरफ भी सरकार ने अपनी तरफ से उनको अवगत कराया । इस बात का प्रयास चालू हैं कि शीघ्रातिशीघ्र नेगोशियेशन्स से सारा मामला निपट जाय । मैं सदन को, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य के बड़े हित और औद्योगिक शांति और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा आज के दिन देश के हित में है, इस सबको ध्यान में रखते हुए मैं सदन को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार बिल्कुल न्यायिक और उचित तरीके से इन सारी घटनाओं को, प्रकरण को, मजदूरों की मांगों की बातों को तय करेगी । उसके अन्दर किसी भी प्रकार की कोई बात हो, बड़े सेठों का दबाव, और कुप्रभाव सरकार के निर्णय पर नहीं पड़ने वाला है, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं...

श्री कौशल किशोर जैन : आपको बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कोई भी संगठन हो, चाहे सीटू हो या और कोई हो, अगर वायदा तोड़ता है, समझौता तोड़ता है तो उससे सख्ती से डील करें, इसमें मुझे एतराज नहीं है । मैं स्वागत करता हूं ।आज तक के इतिहास में हमने देखा है कि जब भी आन्दोलन होता है तो गेट के बाहर बिठाते हैं दो दो महीने तक आन्दोलन होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, उन सब की एक सीमा है । मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि यह आन्दोलन कारखाने के बाहर चल रहा है या अन्दर चल रहा है ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : दोनों जगह ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : दोनों जगह किस तरह से चल सकता है ? भारतीय जनसंघ की यूनियन हो तो उसको घर में ले जाकर आन्दोलन कराओ और दूसरें हों तो उनको कारखाने में घुसने नहीं दो । आपकी पुलिस और आपका प्रशासन लाठियों के जोर से बाहर घसीटता है । यह दोनों नीति एक साथ नहीं चलेगी । आप व्यवस्था कीजिए इसमें एतराज नहीं है, आपकी जनसंघ को यूनियन मान्यता प्राप्त है तो उसके साथ फैसला कीजिए....

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय सदस्य, भारतीय जनसंघ अस्तित्व में ही नहीं है, आप गलत कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह आपका अधिकार नहीं है कि जनसंघ के लोग तो कारखाने की मशीनों पर जाकर बैठ जायें"

श्री दाऊदयाल जोशी : बिल्कुल बैठेंगे। तुम्हारी तरह उनको तोड़ेंगे नहीं।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : अगर सरकार की तरफ से प्रहार होता है, अगर आप पर जुल्म होता है तो इधर बैठो, छोड़ो उधर बैठना। मैं मजदूरों के हितों की रक्षा करता हूं, सरकार की चमचागिरी नहीं करता। अगर यह सरकार मजदूरों के साथ जुल्म करती है तो इधर आइये"

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बातचीत नहीं करें।

श्री कौशलकिशोर जैन : आपकी मिली भगत से कोटा के मजदूरों के पेट पर प्रहार होता है"...

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : टुक्कड़खोर हो तुम....

श्री कौशलकिशोर जैन : सेठों के चमचे हो ....

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : जो सीढ़ के लिए करते हो वही भारतीय जनसंघ के लिए करना पड़ेगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : श्रीमान अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं श्योपत सिंहजी को कि हमारी मान्यता है कि मशीनें मजदूरों का प्राण है। मशीन मजदूर के जीवन मरण का प्रश्न है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : तुम्हारे लिए है, हमारे लिए नहीं है ? जब हमारा कारखाना बन्द होता है तो तुम लाठियों से बाहर खदेड़ देते हो, नजदीक नहीं आने देते और अपनी यूनियन के लोगों को डी. सी. एम. की मशीनों के ऊपर बिठाते हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : हम लोग लालाओं से समझौता नहीं करते, हम लोग उनको ललकारते हैं।

श्री अध्यक्ष : हो गया माननीय सदस्य।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हम सरकार के टुकड़ों पर नहीं पलते।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पर्याप्त हो गया।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने मोशन पहले रखा था ....

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : पहले मेरा प्रस्ताव है साहब, आप देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष : आपका भी चिकमंगलूर पर है।

Page No 74

(74)

श्री मूलचन्द डागा : जी हां, मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : पहले ये बोल लें।

श्री मूलचन्द डागा : पहले मुझे बोलने दीजिये। मेरा नाम पहले लिखा हुआ है, आपकी लिस्ट में है।

श्री नाथूराम (वागीदोरा) : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है। आपने आधा घण्टे की चर्चा का आदेश ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इनको पहले पांच मिनट बोलने दें।

श्री रामनारायण चौधरी : नाम पुकारिये साहब।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा नाम पहले लिखा हुआ है, पहले मैं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको भी बोलने दूंगा। और क्या चाहते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैंने समय पर दिया है। हमारे अधिकार का हनन हो रहा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले इनको बोलने दीजिए। हम एक हैं।

श्री अध्यक्ष : बहुत सराहनीय है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आज नहीं तो कल एक होंगे।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष, मैं आपका आभार मानता हूं कि आपने मुझे चर्चा उठाने का अवसर दिया। 8 नवम्बर का श्रीमती इन्दिरा गांधी की चिकमंगलूर से शानदार विजय हुई, 77 हजार वोटों से वे विजयी हुई, इतिहास में यह दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा। उनके विरोध में जनता पार्टी के एक प्रभावशाली नेता श्री विरेन्द्र पाटिल खड़े हुए थे, जिनका भी वहां की जनता आदर करती है। उन की हार का कारण क्या है ? जनता पार्टी के खिलाफ आम जनता का विश्वास क्यों टूट गया है ? आज जनता पार्टी की छवि गिर गई है। यह इनके कुशासन के कारण हुआ कि जनता ने यह शानदार विजय श्रीमती इन्दिरा गांधी को चिकमंगलूर में दी। चिकमंगलूर में इन्दिरा गांधी की विजय, मैं यह नहीं मानता, यह जनता पार्टी की हार थी, लेकिन नानाजी देशमुख, जो जनता पार्टी के महामन्त्री हैं, ने एक बात कही, उनका एक वाक्य है, वह बड़ा सार-गर्भित है। उन्होंने यह कहा 'लोकनायक जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति का आंदोलन सत्ता मूलक राजनीति के भंवर जाल में फंसकर रह गया है। मुझे दुख है कि जनता पार्टी, जो समग्र क्रांति लाने वाली थी, की सारी क्रांति सत्ता में सीमित हो गई है। उसके भंवरजाल में फंस गयी है। जनता की आंकाक्षा और अभिलाषा को जिस उद्देश्य से उभारा था वह असफल हो गया है। हम लोग विधान सभा में बैठे थे हम को विधान सभा इसलिए छोड़नी पड़ी कि जनतंत्र में तुम्हारा विश्वास उठ गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि 14 महीने के बाद आपके प्रति जनता का विश्वास कम हो गया है। भारत के प्रधान मन्त्री मोरारजी देसाई ने एक स्टेटमेंट दिया, सारे हिन्दुस्तान के पत्र में वह प्रकाशित हुआ था। यह कोई पटेल या श्रीमती इन्दिरा गांधी के जीत का सवाल नहीं है। यह हमारी नीतियों का सवाल है। इस पर चिकमंगलूर की जनता

(श्री मूलचन्द डागा)

ने फैसला दे दिया है। उस फैसले के बाद आपका नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि आप अपने शासन से बाहर आ जाएं और सारे दुबारा चुनाव करवा दें। यह चिकमंगलूर ने फैसला दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : आप कितने मिनट लेंगे ? ब्रीफ में स्टेटमेंट दे दीजिए। सदन के समय का ध्यान रखें।

श्री मूलचन्द डागा : आपने मुझे जो आज्ञा दी उसको मैं मानता हूं। संक्षेप में कहूंगा। आपका अनुशासन और आपकी आज्ञा को मानता हूं। इसमें गौरव मानता हूं।

चिकमंगलूर हमारे मुख्य मन्त्री श्री भैरोंसिंह शेखावत भी जाना चाहते थे। उन्होंने भी अपने कदम बढ़ाये थे। उस समय मैंने भी सोचा कि वहां पर जाना चाहिए। चिकमंगलूर में हार-जीत हिन्दुस्तान के भाग्य का निर्णय करेगी।

(3.36 म. प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चिकमंगलूर की बात कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मैंने शुरू किया था और आपकी अध्यक्षता में समाप्त कर रहा हूं।

श्री माणकचन्द सुराणा : क्या कांग्रेस (आई) में एडमिशन के लिए इनकी दरख्वास्त आ गई है ?

श्री मूलचन्द डागा : हमारे घर की चिंता मत करो। हम एक हैं।

श्री माणकचन्द सुराणा : आप एडवान्स में एप्लीकेशन भेज रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : ये धर्म परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप भी इधर आ जाइये।

श्री माणकचन्द सुराणा : हम तीस साल नहीं आए तो अब क्यों आएंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जनता पार्टी ने जो हथकंडे वहां पर अपनाए हैं...

श्री बजरंगलाल शर्मा : कम से कम मैं माननीय सुराणा जी से यह निवेदन करूंगा कि वे गलतबयानी नहीं करें। जो बयान दें वह साफ बयान दें।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, चिकमंगलूर के बारे में हमारे प्रधान मंत्री ने जो कहा है उसका एक सैन्टेन्स मैं यहां पढ़ना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : आप कितना समय लेंगे ?

श्री मूलचंद डागा : पांच मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में माननीय रामनारायणजी भी बोलेंगे।

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय ने पांच मिनट दिए थे वे पूरे हो गए हैं। मेरा आधे घन्टे की चर्चा का विषय है वन नीति के सम्बन्ध में इसके लिए समय अलाट करें।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : आप तो पुराने कांग्रेसी हैं।

श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य सचेतक): मैं यह याद दिला रहा हूं कि जीरो आवर दो बजे तक रहेगा। ये तो प्रदूषण पर बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जारी रखें।

श्री मूलचंद डागा : इतनी बौखलाहट हो रही है। इसका कारण क्या है ?

श्री महबूबअली : कारण यह है कि आप अपने एडजोर्नमेंट मोशन पर बोलें।

श्री बुलाराम : आप इनको बोलने नहीं दे रहे हैं। बीच बीच में शोर मचा रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : "A vote for Mr. Patil is a vote for democracy and for a known and tried friend and guide. A vote for Mrs. Gandhi is a vote for authoritarianism and for all that stands for the suppression of popular voice and welfare." सारे अखबार, सारी मशीनरी, सारा फोर्स चिकमंगलूर में मौजूद था। वह चुनाव केवल उस क्षेत्र का चुनाव नहीं था, भरतपुर के लोग भी वहां मौजूद थे। हिन्दुस्तान इकट्ठा हुआ था, हिन्दुस्तान की सारी पार्टियां वहां जमी हुई थीं। समाजवाद की दुहाई देने वाले जार्ज फर्नांडीस ने उकसाया लोगों को, एक और हवा पैदा की थी, उन्होंने कहा था कि वह खून की प्यासी औरत है। उन्होंने लोगों में इस प्रकार के जजबात पैदा किए थे। लेकिन मैं कह रहा था कि गरीबों की हमदर्द, बेजुबानों की जुबान...

एक माननीय सदस्य : आप तो शुरू हो गये।

श्री मूलचन्द डागा : इन्दिरा गांधीजी की जीत इस बात का सबूत देती है कि मोरारजी देसाई ये जनता पार्टी के सब लोग आज चुनाव करा दें तो कांग्रेस की जीत होगी। इन लोगों के इस प्रकार जो चुनाव हुए हैं यह ...

(व्यवधान)

उन्होंने कहा है मैंने नहीं कहा...

श्री नवनीत पालीवाल : यह निष्पक्षता का प्रमाण है।

श्री मूलचन्द डागा : 2–4 महीने की और बात है। चार महीने के लिये शांत रहे शरीर खराब कर लेंगे, ज्यादा दिन नहीं हैं, इने गिने दिन हैं। जनता पार्टी में जनता का विश्वास उठ गया है इसलिये इनको सत्ता में नहीं रहना चाहिये।

श्री नवनीत पालीवाल : आप प्रदूषण पर बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इस प्रकार समय खराब कर रहे हैं। मेरी जानकारी में आया है कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्वीकृति दे दी है इस पोइन्ट पर बोलने के लिये।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान, मुझे मालूम नहीं था कि माननीय राष्ट्रपति जी ने हुक्म दिया था और गृह मन्त्री चरणसिंह ने हुक्म दिलवाया था कि विधान सभा के सुनिन्दा लोगों को एक झटके से खत्म कर दिया जाय। मैं आज नैतिकता के आधार पर, मानवता के आधार पर, इन्सानियत के आधार पर आपसे कहना चाहता हूं कि चिकमंगलूर में कांग्रेस की जीत हुई है, हमारे आदर्शों की जीत हुई है। इन्दिरा गांधी ने कहा था, मैंने इमर्जेन्सी लागू की थी। मैं

(श्री मूलचंद डागा)

इसको जस्टिफाई करती हूं। इस बात को साबित कर दिया चिकमंगलूर के लोगों ने बरसात के दिनों में, जहां बरसात हो रही थी वहां 77 हजार वोट से जीत हुई है। मैं कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

आप लोगों को तकलीफ होगी। कल भी आप लोगों ने दवाई ली है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

इसलिये मैं कहता हूं कि अभी अवसर हैं 5-4 महीनों का

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : जो जार्ज फर्नाण्डीस ने मुद्दा उठाया है वह आज भी खड़ा है।

श्री मूलचंद डागा : शर्म करो, गर्दन नीची करो, अपनी कमजोरियों को मानो--

(व्यवधान)

(समय-समाप्ति सूचक-घंटी)

श्री मदनसिंह दांता : चिकमंगलूर में इन्दिरा गांधी का चुनाव महत्वपूर्ण यों था कि सारे देश को समय दिया था। वे चैलेन्ज करके अगर जीत जाती हैं फिर तो--

श्री खेतसिंह राठोड़ : वे नाराज क्यों होते हैं, वे तो जीत गई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी, चर्चा समाप्त करें।

श्री हनवंतसिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर।

श्री उपाध्यक्ष : आप पाइन्ट आफ आर्डर रेज करते हैं वह नहीं किया जा सकता।

श्री मूलचन्द डागा ; दीपावली के रोज भारत के उद्योग मन्त्री ने भाषण दिया ने मैं वहां मौजूद था, उन्होंने यह बात कही थी कि अगर इंदिरा गांधी जीत गई तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। यह मैंने सुना है। आज फर्नांडीस ने यह भाषण दिया। सारे अखबार, सारे कटिंग्स, हिन्दुस्तान के सारे अखबार मौजूद हैं। सी. आर. पी. की फोर्स के लिये जब मना कर दिया अर्स ने...

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

अर्स ने कहा कि यहां पर फोर्स न लगावे लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन शांत है। इन्होंने हमारी कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स को कुचला।

श्री मदनसिंह दांता : हम तो सोच रहे थे आप पुरानी कांग्रेस में है, आप रातों रात बदल गये।

श्री मूलचन्द डागा : लेकिन उस पर भी जनता का यह निर्णय हुआ। मैं इसलिये आपके द्वारा जनता पार्टी से नैतिकता के आधार पर यह मांग कर रहा हूं कि भैरोंसिंह जी और उनकी कैबिनेट इस्तीफा दे दे और वापस विधान सभा के चुनाव करावें तो पूरा कांग्रेस का शासन होगा और जनता पार्टी का शासन नहीं होगा।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय मैंने अध्यक्ष महोदय को एक प्रस्ताव दिया था उस प्रस्ताव में है कि चिकमंगलूर में जो चुनाव हुए उसमें आल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी और देश का मास कम्यूनिकेशन मीडिया को किस तरीके से जनता पार्टी की सरकार ने टेम्पर विद किया। मान्यवर, यह कोई नया प्रस्ताव नहीं था 1972 की प्रोसिडिंग्स भी उठा कर देख लीजिये। जनता पार्टी के नेताओं ने इसी प्रकार प्रस्ताव दिया था।

Page No 78

(78)

श्री मदनसिंह दांता : उस समय जनता पार्टी थी ही नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, मैं अपनी ओर से, मेरे दल की ओर से और राजस्थान की जनता की तरफ से चिकमंगलूर के मतदाता को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने देश के अन्दर

एक माननीय सदस्य : धिक्कार है।

श्री रामनारायण चौधरी : निर्णायक मोड़ दिया है। देश की राजनीति में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का संकेत दिया है।

देश में जो तानाशाही ताकतें गिद्ध की तरह से अपनी नजर गड़ा कर देखने लग गई हैं उन ताकतों को कमजोरी की तरफ ले जाने में, यह चिकमंगलूर का चुनाव, मददगार होगा। मान्यवर, यह चुनाव एक साधारण चुनाव नहीं था यह ऐतिहासिक चुनाव था। जनता पार्टी की सरकार और जनता पार्टी ने इसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया था। लोकतन्त्र और अधिनायकवाद के बीच यह सीधा प्रश्न बताया था। तो लोकतन्त्र में विश्वास श्रीमती इन्दिरा गांधी का है या आपकी इस जनता पार्टी का जनता पार्टी का तथा कथित लोकतन्त्र है जिसके लिए आप कहते हैं कि हमारी सरकार लोकतन्त्रवादी है। इन्दिरा गांधी के लोकतन्त्र को देश की जनता ने पसन्द किया है। मैं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी और जनता पार्टी से कहूंगा कि वह शासन जनता के हाथों में सौंप दें। यह एक ऐतिहासिक चुनाव था। यह मैं नहीं कहता बल्कि दुनिया के कई प्रधान मंत्रियों ने कहा था। हमारे देश के प्रधान मंत्री भी जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। आप इंगलैण्ड के प्रधान मंत्री श्री कालधन ने कहा था, हमारे प्रधान मंत्री से कि मि० प्राईम मिनिस्टर, जिस लोकतन्त्र की पुनर्स्थापना की आप बात कहते हैं यह भी देखिये कि यदि श्रीमती इन्दिरा गांधी चुनाव कराना स्वीकार नहीं करती तो आपका शासन कहां से होता? यह मैं नहीं कहता। श्रीमती इन्दिरागांधी ने रायबरेली की जनता के फैसले को स्वीकार किया और शासन आपको दिया। उन्होंने जनता के फैसले को स्वीकार किया लेकिन जनता पार्टी के शासक चिकमंगलूर की जनता ने जो निर्णय दिया है उसको अस्वीकार कर रहे हैं। आप लोगों को सत्ता से हट जाना चाहिए। आप कह दें अपने मोरारजी भाई से कि वह त्याग पत्र दे दें और सता जनता को सौंप दें। दुबारा चुनाव करवायें और देखें कि देश की 65 करोड़ जनता श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व का समर्थन करती है या आपके नेतृत्व का समर्थन करती है।

श्री मदनसिंह दांता : अगर ऐसा मौका आ गया तो दिक्कत क्या है? क्यों घबराते हैं?

श्री रामनारायण चौधरी : इस चुनाव में सब प्रकार के हथकण्डे जनता पार्टी की सरकार ने और जनता पार्टी ने अख्तियार किये थे जिनका जिक्र मैं यहाँ पर नहीं करूंगा। आप सी0 आर0 पी0 और बी0 एस0 एफ0 को वहां ले गये, लेकिन, मान्यवर, सारी दुनियां की आंखें और सारी दुनियां के कान चिकमंगलूर के चुनाव के निर्णय की तरफ लगे हुए थे। बी. बी. सी. ने 65 हजार तक आगे होने के समाचार प्रसारित किये लेकिन यहां की आकाशवाणी 18 हजार के बाद बन्द हो गई।

श्री ईश्वरचन्द्र : बी0 बी0 सी0 ने तो यह भी प्रसारित किया था कि वहां पर एक लड़की का खून करवाया है....

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब इन्दिरा गांधी जा रही हैं लन्दन और देखिए कि कितने आदमी उनका स्वागत करते हैं। मोरारजी भाई जाय तो 15 आदमी भी शुमार नहीं होंगे।

श्री मदन सिंह दांता : खेतसिंह साहब ठीक कह रहे हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : खेतसिंह जी तशरीफ ले गये थे तो आपके स्वागत में कितने लोग आये थे। खेतसिंहजी के साथ जो आदमी थे उनके सिवाय नहीं थे यह मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : जिस प्रकार के हथकण्डे इस चुनाव में अपनाये इस प्रकार के घिनौने, हलके, निकम्मे तरीके हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी के इतिहास में नहीं अपनाये गये। इसके बाद भी चिकमंगलूर की जनता ने 77 हजार अधिक मतों से श्रीमती इन्दिरा गांधी को जिताया।

श्री बालचन्द आर्य : सफेद झूठ है।

श्री मूलचन्द डागा : कुछ तो शर्म करो। बिल्कुल बेशर्म हो।

श्री रामनारायण चौधरी : आपमें और आपके दल में, और आपकी सरकार में, इन तीनों के अन्दर आज जनता का विश्वास नहीं है। जनता का विश्वास आप में से टूट गया है।

श्रीमन्, मैं कल बोल रहा था तो मुख्य मंत्रीजी ने यह फर्माया था कि रामनारायण जो कुछ कह रहा है वह कहने में उसको पसीना आ रहा है। मैं आज पूछता हूं मुख्य मंत्रीजी से, आज चिकमंगलूर के चुनाव के निर्णय के सुनने के बाद उनको बुखार क्यों हो गया? यहां आकर वह क्यों नहीं बैठे?

श्री मूलचन्द डागा : ब्लड प्रेशर हो गया।

श्री रामनारायण चौधरी : चिकमंगलूर के माध्यम से भारत की जनता ने आखरी घोषणा कर दी, लेकिन मान्यवर, उनको शर्म नहीं है। जनता पार्टी की सरकार और जनता पार्टी ने मार्च, 1977 के अन्दर जो लोकसभा के चुनाव हुए'''

श्री एच. एन. शर्मा : चोकू...

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, इनको समझाइये।

श्री रामनारायण चौधरी : तो कांग्रेस के हार जाने के बाद यह रवैया अख्तियार किया था कि लोकसभा का चुनाव कांग्रेस हार चुकी है तो हर प्रान्त में जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वह इस्तीफा दे। यह चुनाव भी ऐसा निर्णायक प्रश्न बन गया था। यह केवल चिकमंगलूर का चुनाव नहीं था यह देश की भावना का चुनाव था कि देश क्या चाहता है? आप जनता से दुबारा विश्वास प्राप्त करें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिए।

श्री मूलचन्द डागा : कहां गये भैरोंसिंह जी?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिए ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रवचन यहां पर किये हैं उनके सम्बन्ध में मैं कहूंगा । ग्रापने श्रीमती इन्दिरा गांधी के जनतन्त्र के सम्बन्ध में जो नेक इरादे हैं उनके बाबत इस सदन के ग्रन्दर काफी प्रकाश डालने की कोशिश की है । जो सर्टिफिकेट कालधन साहब दे गये थे उसको भी यहां पर प्रस्तुत किया गया . .

श्री मूलचन्द डागा : भारत की जनता ने दिया है सर्टिफिकेट ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती इन्दिरा गांधी को अपने जीवन में जो सबसे बड़ा पछतावा है वह यह है कि सी. बी. ग्राई. ग्रौर ग्रार. ए. डब्ल्यू. की इन रिपोर्टस, की कांग्रेस के पक्ष में मार्च, 1977 में ग्रच्छा वातावरण देश के ग्रन्दर विद्यमान था, के ग्राधारपर चुनाव कराने का प्रस्ताव किया था । जिसके बारे में ग्रनेक बार वह सार्वजनिक रूप से घोषित कर चुकी हैं ग्रौर समाचारों में छपा है । माननीय रामनारायणजी ने भी उसको पढ़ा होगा । यह उनका खुद का ग्रधिकार है कि वह श्रीमती इन्दिरा गांधी को देवता समझें, हिन्दुस्तान के बराबर समझें, हिन्दुस्तान की माता के बराबर समझे भारत माता समझे, मेरे को उसके ग्रन्दर एतराज नहीं है । लेकिन निश्चित रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस बात को दोहराया कि यह चुनाव का निर्णय लेने में मैंने गलती की, ग्रौर बार बार इस बात को दोहराती हैं कि ईमर्जेन्सी को लागू किया जाना मेरा जस्टीफाइड एक्ट था, उचित था । उससे उनकी कितनी ग्रास्था जनतन्त्र में है इसके बाबत, मैं इस सदन से निवेदन करना चाहूंगा, ग्राप ग्रन्दाजा लगा सकते हैं ग्राज के बाद में जब श्रीमती इन्दिरा गांधी . . .

श्री मूलचन्द डागा चिकमंगलूर ने फैसला दे दिया है ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सुन लीजिये । ग्रपने पिताजी के शासन काल में जब वे कांग्रेस की ग्रध्यक्ष थीं उस समय उन्होंने देश को संदेश दिया था कि यह तो मेरे पिता की मेहरबानी है कि इस देश के ग्रन्दर लोकतन्त्र की प्रक्रिया के ग्राधार पर चुनाव कराते हैं । ग्रगर नहीं कराते हैं ग्रौर शासन पर बने रहे तो उनका कोई क्या बिगाड़ता है ....

श्री मूलचन्द डागा : कब कहा ?

(व्यवधान)

It is vague reply . It is totally vague and false allegation. What are you talking ? You cannot tell like this. यह बात बता दे कि किस किताब में ...

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सोच लिया मैंने....

(व्यवधान)

मुश्किल यह है ...

श्री मूलचन्द डागा : चिकमंगलूर में ग्रापके नेताग्रों ने बहुत कह दिया, ग्राप क्या हैं ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह कोई बहस का विषय नहीं, जवाब देना जरूरी नहीं है जीत गई तो जीत गई ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जीत गई लेकिन यह लोकतन्त्र थोड़े ही है। उसको देखा है, चुनाव के कारण ......

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : अब जवाब क्या दे रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : श्रीमान्, जवाब देना बहुत जरूरी है।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता...

श्री मदनसिंह दांता : जनता ने उसको जीता दिया। जनता से चुने हुए के बारे में आप क्या कह रहे हैं ? यह जनता की तौहीन है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं कब कह रहा हूं, मैं तो उनके मानस के अन्दर से जो चीज निकलती है वह बता रहा हूं....

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : आपको खुशी होनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्र शब्दों के साथ अनुरोध करूंगा जब विरोधी दल के माननीय नेता बोल रहे थे और विषयान्तर हो रहे थे तो आपने उनको इजाजत दी। हमने उनको शान्तिपूर्वक सुना। अब उनके बगल में बैठे हुए माननीय सदस्य बार-बार इण्टरप्शन करें, यह उचित नहीं है।

श्री जय कृष्ण शर्मा: मंत्रीजी झूठे स्टेटमेन्ट देते हैं, इन्दिराजी के लिए और उनके पिता के लिए, क्या यह अच्छी बात है। झूठी बात कहकर आप सदन को उत्तेजित करते हैं। इन्दिराजी जीत गई हैं। आप चुनाव के बारे में कुछ भी कहें हम शान्ति से सुनेंगे, लेकिन आप झूठे रेफरेन्स देना चाहते हैं....

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : वह जीत कर आई है...

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपकी क्या आस्था है ? आप राजनारायण से मिलना नहीं चाहते हैं ...

श्री दुलाराम : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

(व्यवधान)

श्री हनुवंत सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने पाइंट आफ आर्डर उठाया था तब आपने इजाजत नहीं दी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दुलारामजी, कृपया विराजिये। डिबेट के दौरान पाइन्ट आफ आर्डर रेज करके उसको कर्टेल नहीं किया जा सकता, जब तक कि कोई इमिजिएट सिचुएशन अराइज नहीं हो।

(व्यवधान)

मैं यह मानता हूं कि अभी कोई ऐसी सिचुएशन अराइज नहीं हुई है।

श्री राम नारायण चौधरी : मिनिस्टर साहब ने एक बात कही, उससे एक चीज उठी · · ·

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कौन से रूल के तहत बोलना चाहते हैं ?

श्री बजरंग लाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, क्या बिना सुने हुए ही आप निर्णय दे सकते हैं कि इमिजिएट सिचुएशन है या नहीं। एक सदस्य के लिए जो व्यवस्था आपने दी वह दूसरे के लिए नहीं दी तो इस तरह से हाउस चल नहीं सकता। आपका रवैया सब सदस्यों के प्रति एक होना चाहिए। माननीय हनवंतसिंह जी पाइंट आफ आर्डर उठाते तब आप सुन कर देखते कि इमिजिएट हैं या नहीं। वह सुना नहीं और आपने दुलाराम जी को इजाजत दे दी?

श्री उपाध्यक्ष : हनुवन्तसिंह जी को भी बोलने की इजाजत दूंगा, इसमें कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : पहले मैंने पाइन्ट ऑफ आर्डर उठाया है···

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : इस प्रकार का व्यवहार विरोधी दल के माननीय नेता को शोभा नहीं देता।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह था···

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा मानता हूं कि विरोधी दल के नेता को शोभा नहीं देता। अपने सदस्य को इस प्रकार से गला पकड़ कर नीचे बिठा दिया तो आपका दूसरे अन्य साथियों के लिये क्या व्यवहार होगा? इसकी भर्त्सना करनी चाहिए और इनको ताड़ना दी जानी चाहिए नहीं तो ये अन्य सदस्यों के साथ भी ऐसा व्यवहार करेंगे। इससे सदन की गरिमा का अपमान होगा।

श्री दामोदयाल जोशी : यह व्यवहार तो इनके साथियों के साथ है · · ·

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : यह क्वेश्चन तो मेरा व मेरे नेता का है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : दुलारामजी को बिठाकर खुद बोलना चाहते है।

श्री दुलाराम : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि सदन के अन्दर एक वरिष्ठ मन्त्री.

श्री ईश्वरचन्द्र : वरिष्ठ साफ तो बोलो।

श्री दुलाराम : वरिष्ठ भाई, वरिष्ठ मन्त्री, सीनीयर मन्त्री, बुड्ढा मन्त्री। जवाहरलाल नेहरु के खिलाफ और इन्दिरा गांधी के खिलाफ कोई स्टेटमेन्ट दें और बगैर रिकार्ड के दें, क्या वे ऐसा वक्तव्य दे सकते है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दुलारामजी, क्या आप बता सकते है कि उन्होंने कौन से नियमों का उल्लंघन किया ?

श्री मदनसिंह दाता : यह पाइन्ट आफ आर्डर इस बात का है कि इन्दिराजी और पंडितजी के लिए ऐसी बातें कहीं हैं जो किताबों में नहीं हैं।

श्री मूलचन्द डागा : रूल 273 के अन्तर्गत ये किसी प्रकार का एलिगेशन नहीं लगा सकते।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय डागाजी सदन का समय खराब करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने देख लिया है। पाइन्ट ऑफ आर्डर के लिए कोई ऐसा रूल नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी क्या व्यवस्था है, सरकार का मन्त्री अपने वक्तव्य में इस प्रकार रेफरेन्स दे सकता है, मनगढन्त बात कह सकता है जो कहीं भी रिकार्ड पर नहीं है ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं किताब का हवाला दे रहा हू · · ·

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आज इन्दिरा गांधी भारत की संसद सदस्या है।

श्री किशनसिंह भाटी : शपथ नहीं ली है।

एक माननीय सदस्य : शपथ तो पहले भंरोंसिहजी ने भी नहीं ली थी।

श्री मूलचन्द डागा : वह मेम्बर हो गई हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर। माननीय दांताजी ने एक बात कहीं और · · ·

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा: He can.

श्री बजरंगलाल शर्मा मैं आपको सैटिस्फाई करूंगा कि पाइंट आफ आर्डर है। ठाकुर साहब कहते हैं कि इतना तो मैंने कर दिया, बाकी कामगार करेंगे। क्या आप यहां कामगारी करने आते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply:"

श्री ईश्वरचन्द्र : जब जार्ज फर्नान्डीस पर आरोप लगाया तब यह नियम नहीं बना था ?

श्री कौशल किशोर जैन : जो कहा है वह ऐतिहासिक तथ्य है।

श्री मूलचन्द डागा: I will quote every word.

श्री उपाध्यक्ष: माननीय डागाजी, बिराजिए।

श्री ईश्वर चन्द्र: वह लोकतंत्र की हत्यारी है, यह ऐतिहासिक तथ्य है।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी: इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। माननीय राम नारायण जी ने वह पुस्तक नहीं पढ़ी है, मैंने पढ़ी है "Rupees 25.000 a day by Dr. Ram Manohar Lohia."

श्री रामनारायण चौधरी: पढ़ कर सुनाइए। इस तरह आप नहीं कह सकते।

श्री सूर्यनारायण चौधरी: मैं पुस्तक लाकर आपको दूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी: जब तक आपके पास सबूत नहीं हैं गलत उत्तर नहीं दे सकते, आप टेबल पर रखिए।

श्री सूर्यनारायण चौधरी: वह चुनाव जीत गई, जनता का निर्णय है लेकिन चिकमंगलूर में चुनाव जीतने का मतलब यह नहीं है कि श्रीमती गांधी लोकतंत्र में विश्वास रखती हैं। हम सब जानते हैं कि उन्होंने क्या किया? रामनारायण जी, आप जब इधर बैठे हुए थे, इमर्जेंसी क्यों लगाई, यह शाह कमीशन ने बता दिया। लोगों को जेल क्यों भेजा, लोकतंत्र का गला क्यों घोंट दिया गया? जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, इस सदन की जो हालत उन्होंने की, सारी दुनिया जानती है। तीर चूक गया है, वह पछता रही है या आप पछता रहे हैं लेकिन लोकतंत्र में न आपका विश्वास था न है, न श्रीमती गांधी का था, न है। [1-B]

उपाध्यक्ष : आधा घन्टे की चर्चा

(व्यवधान)

मैं इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्रीमती नारंगो देवी (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय दुलाराम से कहें कि वे अपने स्थान पर जाकर बोलें।

श्री दुलाराम : मैं विपक्ष का डिप्टी लीडर हूं। आपको ध्यान नहीं, मेरा यह स्थान है जहां बैठा हूं।

श्री कौशलकिशोर जैन : आपका स्थान पीछे है।

श्री दुलाराम : आगे है, आपकी तरह पिछलग्गू बनकर नहीं आया, सबसे आगे आया हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम।

आधे घन्टे की चर्चा
वन सम्पदा जिला बांसवाड़ा

(तारांकित प्रश्न संख्या 165)

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व उदयपुर डिवीजन में आजादी से पूर्व करोड़ों की वन सम्पदा थी जो नष्ट कर दी। पांच पंचवर्षीय योजनायें बनीं लेकिन वन सम्पदा नष्ट होने से हमारी योजनायें असफल रहीं। आज भी वही हालत है गरीबी दिन व दिन बढ़ती जा रही है। बांसवाड़ा जिला वन सम्पदा का घर था। 1,17,817 हैक्टेयर जमीन में आजादी से पूर्व घने जंगल थे। पिछली सरकार ने ठेकेदारी प्रथा प्रारंभ की और इन वनों को नष्ट कराया। उस समय वनों का जो क्षेत्रफल था वह 28400 हैक्टेयर बांसवाड़ा में जंगल है और 89,400 हैक्टेयर में नंगी पहाड़ियां खड़ी हैं। आज कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं तो जब तक हमारी वन संपदा आबाद न हो तब तक कोई योजना सफल नहीं होती है। इसी तरह 2 अरब रुपयों का माही प्रोजेक्ट बन रहा है और कई छोटे-मोटे बांध बने हैं लेकिन वह वन संपदा नष्ट हो गई इसलिए हमारी योजनायें असफल रहेंगी। 1976-77 में 11556 हैक्टेयर्स में वन विभाग के अधिकारियों ने प्लांटेशन किया। माही क्षेत्र में जहां जंगल

(श्री नाथूराम)

ये नष्ट हुए मैदानी इलाका है। वहां 4000 बीघा भूमि में वन विभाग के अधिकारियों ने प्लांटेशन किया है। तीन साल में माही का पानी फिरने वाला है। कडाना और माही के लोगों के पुनर्वास में हजारों एकड़ जंगल को नष्ट किया और मैदानी इलाके में जहां माही की कैनाल फिरने वाली है, आज भी 400 आदिवासी पुनर्वास के पट्टे लेकर फिर रहे हैं, कडाणा का पानी गुजरात सरकार ने रोक लिया है और कडाणा में माही के विस्थापितों को बसाने के लिए व्यवस्था नहीं की है। 4 हजार बीघा में जो मैदानी इलाका है, जो काबिले काश्त जमीन है, वहां प्लांटेशन किया है।

राष्ट्रीय वन नीति जो है उसमें आजादी के 32 साल बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब तक वन नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तब तक जो उजड़े हुए जंगल हैं वे आबाद नहीं होंगे। जो जंगल लगाये हैं उनमें 18 लाख पौधे बांसवाड़ा जिले में लगे दो तीन करोड़ रुपये खर्च किए, अधिकारियों ने पौधे नष्ट कराए, आज भी पौधे जीवित नहीं हैं और लाखों रुपयों का घोटाला इसमें है। इसी तरह पिछली सरकार के समय से लेकर मौजूदा सरकार तक अधिकारियों के विरुद्ध जितनी शिकायतें हुई हैं उनकी कोई जांच नहीं हुई और उसका परिणाम भी मालूम नहीं हुआ। तेंदू पत्ते में लाखों रुपये का घोटाला है। मैंने पिछले सालों में तेंदू पत्ते के राष्ट्रीयकरण की मांग की थी, पिछली सरकार ने राष्ट्रीयकरण जरूर कराया लेकिन इसकी खरीद में अधिकारियों ने लाखों रुपये का घोटाला किया। सरकार ने जांच नहीं की इसलिए जिन जिन अधिकारियों के खिलाफ जनता की शिकायत है उसकी जांच करके उन अधिकारियों को दंड देना चाहिये। इसी तरह से इस वर्ष और पिछले वर्ष में वन विभाग के द्वारा राहत कार्य खोले गये। राहत कार्यों में कई घोटाले हैं। इन घोटालों की जांच करनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि हमारी करोड़ों रुपये की वन सम्पदा को नष्ट किया है इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये। जब तक जुडिशियल इन्क्वायरी नहीं होगी, तब तक दोषी अधिकारियों को दण्ड नहीं मिलेगा। मेरी मांग सरकार को माननी चाहिये। दो वर्षों में 18 लाख पौधे लगाये गये। मंत्री महोदय, अपने उत्तर में बतायें कि इतनी धन राशि खर्च की है, कितने पौधे जीवित हैं और कितने पौधे नष्ट हुए हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासी लोगों की अन्त्योदय परिवारों से भी गिरी हालत है। जो दो, अढ़ाई और पांच बीघा काबिले काश्त जमीन पर आबाद हैं, वन अधिकारियों ने उन पर मुकदमे चला रखे हैं। कई बार मुख्य मंत्री जी को भी निवेदन किया। पर अभी तक उन भूमिहीनों के केसेज का रेगुलेराइजेशन नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि जो आदिवासी ने दस दस साल से पांच-पांच बीघा जमीन पर, चाहे वन विभाग की हो, चाहे रेवेन्यू की हो, काबिज हैं उनको खातेदारी के हक मिल जाने चाहिये। वन विभाग के मुकदमे हटा दिये जाने चाहिये। ट्राइबल प्लान में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है लेकिन ट्राइब्स के लिये कुछ नहीं हो रहा है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर की जो पहाड़ियां

(श्री नाथूराम)

उजाड़ी गई है, वह उस फण्ड से आबाद करनी चाहिये। इस योजना को सफल बनाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह लाखों रुपयों के मस्टररोल आदि के घोटाले हैं। 11 हजार रुपयों की केश की चोरी की थी बांसवाड़ा के अधिकारियों ने, मैं आरोप लगाता हूं, इसकी जांच करके दोषी अधिकारियों को दण्डित करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से कई आदिवासियों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं...

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

आदिवासी वन विभाग से परेशान हैं। कई झूठे मुकदमे बना रखे हैं। आदिवासी जमीन खेड़ता है। मैंने मुख्य मंत्री जी को 7 पेज का नोट ट्राइबल सब प्लान का बनाकर दिया है। किस तरह से वनों को उजाड़ा है। 20-20 बीघा भूमि जहां जंगल नष्ट हुए हैं इन आदिवासियों को अलाट कर देनी चाहिये। तो सरकार को मालूम होगा कि जो वन अधिकारियों ने वन सम्पदा उजाड़ी है, वे वनों को लगायेंगे। सरकारी कर्मचारी किस तरह से रिजर्व जंगल रखते हैं और उजाड़े हुए जंगलों को आदिवासी किस तरह से आबाद करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा.....

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

निवेदन करना चाहता हूं उजड़े हुए जंगलों की 20-20 बीघा जमीन आदिवासियों को अलाट कर देनी चाहिये और वन विभाग और रेवेन्यू के और संबंधित जन प्रतिनिधि की राय से उसकी पुनः सर्वे करनी चाहिये। रेवेन्यू की जमीन फारेस्ट वाले अपने क्षेत्र में बताते हैं। आजादी के पूर्व हमारा सेंटलमेंट हुआ था। जब तक हमारा नया सेंटलमेंट नहीं होगा तब तक घोटाले मिटने वाले नहीं हैं। इसलिये सेंटलमेंट हो जाना चाहिये। रेवेन्यू, वन विभाग और जन प्रतिनिधियों की राय से सेंटलमेंट होगा तब सही स्थिति मालूम होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा एक यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां प्लांटेशन हुआ है गलत हुआ है वह हटा देना चाहिये। माही की केनालों से और छोटे छोटे बांधों से जो पानी मिलेगा, खेती से लोगों का पेट भरेगा।

आधे घंटे की चर्चा के प्रस्ताव का कई माननीय सदस्यों ने समर्थन किया है उनको भी थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिये। वन नीति के बारे में वे भी सुझाव देंगे। जब तक वन नीति में परिवर्तन नहीं होगा तब यह हमारी योजना सफल नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ, मैंने जो आरोप लगाये हैं, मंत्री महोदय जांच करायें और सही उत्तर दें।

आपने जो समय दिया उसके लिये हृदय से धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने हस्ताक्षर नहीं किये हैं।

श्री लालशंकर : मेरा नाम है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि 15 अगस्त, 1947 को जब भारत आजाद हुआ, उस समय जंगल हरे भरे थे। भूतपूर्व

(श्री लालशंकर)

कांग्रेस ने जंगलों को बरबाद किया । यह भूतपूर्व कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी है । कुछ प्लान्टेशन किया, वन पौधे लगाये । इसके साथ ही भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने जहां बड़े बड़े बांध बनाये, नहरों को बनाया वहां वन सम्पदा और जंगलों की बरबादी ही बरबादी हुई । जो कडाना बांध बना है, उससे प्रभावित लोगों को बसाने में ग्यारह हजार एकड़ भूमि रिलीज हुई । यह 11हजार एकड़ भूमि आदिवासियों व विस्थापित किसानों को अलाट करने की थी । इसके बदले भूतपूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा पक्षपात कर सिर्फ पांच हजार एकड़ भूमि कडाना पुनर्वास विस्थापितों को दी गई है । क्योंकि सागवाड़ा क्षेत्र जिला डूंगरपुर वन की रिलीज भूमि का राज्य सरकार राजस्थान को कडाना विभाग गुजरात राज्य ने सताईस लाख रुपया मुआवजा के रूप में भुगतान किया है । मेरा श्रीमान के माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से पुरजोर शब्दों में अनुरोध है कि शेष छः हजार एकड़ भूमि विस्थापित किसानों को अलाट की जाये ।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि तीस साल से आदिवासी जो जगल में नाजायज भूमि पर कृषि करते हैं व रहने वाले लोग हैं, और इन जमीनों पर काबिज है, वह लोग परेशान है । जनता सरकार से प्रार्थना है कि राजस्व अभियान के अन्तर्गत, जो आदिवासी जिन जमीनों पर काबिज हैं व जंगलों में खेती करते हैं, उनको भूमि अलॉट की जावे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सरकार से अनुरोध है कि इन लोगों के हित में यह करना चाहिये । हमारी जो वन सम्पदा है उसका अधिक विस्तार किया जाये । वनों में नये पेड़ लगाये जावें । वन विस्तार से अकाल की स्थिति पर काबू पा सकते हैं । वनों को महत्व देकर बनवासियों को अधिक खुशहाल बनाया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष: कटारिया साहब, आपसे निवेदन है कि जो माननीय सदस्य बहुत कम बोलते हैं उनको पहले समय दे दिया जाये । आपका भी दे दिया जायेगा ।

श्री मावजी भाई (सलूम्बर) : पहले जंगल बहुत भयंकर थे । ठेकेदारों ने सब नष्ट कर दिये । जो काश्तकार हैं उनके नाम पर जमीन अलाट की जाये । राजा-महाराजाओं के समय से आदिवासी जंगलों की सुरक्षा करते थे । जंगल आदिवासियों को सौंप दिये जायें । जैसा भाई नाथूराम ने कहा है उसी के मुताबिक जंगल दे दिये जायें । ये लोग तो सब खा जावेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भूरा राम । कटारिया साहब आपको भी समय दे दूंगा ।

श्री भूरालाल (गोगुन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कई दिनों से मेरी तहसील के बारे में कहता आया हूं । पिछले दिनों मैंने कई बार लिखा भी है कि पूरी तहसील गोगुन्दा में सारे वनों को साफ कर दिया गया है, आज कहीं भी लकड़ी नहीं मिलती है । हमने मुख्यमंत्री जी को कहा है, उसके बाद भी जंगल कटवाये जा रहे हैं । जंगल काटने से गोगुन्दा के आस-पास में कहीं भी लकड़ी नहीं मिलती है । इसलिए मैं राज्य सरकार से मांग करूगा कि जंगलों का काटना तत्काल रोका जाय और नही रोका गया तो हड़ताल होने वाली है । अभी मेरे पास एक तार भी आया है इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री भूरालाल)

गोगुन्दा और कोटड़ा में जितनी जमीन है और जो अभी अभियान चल रहा है उसमें यह आदेश दिये जायं जितने नाजायज कब्जे हैं और जिन्होंने मकान बनवा लिये हैं, कुएं खुदवा लिये हैं उनकी जमीनों को रेगुलराइज किया जाय, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री कौशल किशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आध घंटे की चर्चा है, इसका उत्तर देने के लिए यहां कोई मंत्री महोदय नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठे है।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री) : मैं बैठा तो हूं यहां।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्राचीन काल में मेवाड़ वन सम्पदा के लिए धनी रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों इस स्वतंत्र भारत में भूतपूर्व सरकार ने मेवाड़ के वनों को उजाड़ दिया है और हरे-भरे वनों को उजाड़ने के साथ पानरवा का सघन जंगल कटवा कर साफ कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने गलती की, यह समझ में आता है लेकिन आज भी मुझे जानकारी है उसके हिसाब से हमारी सरकार को पांच करोड़ की आमदनी राजस्थान को जंगलों से है। और पांच करोड़ ही उसके मेन्टीनेन्स में खर्च हो जाते हैं। जहां आमदनी और खर्च का हिसाब बराबर हो वहां जो आदिवासी है जिनकी रोजी-रोटी उन जंगलों पर आधारित है उनको उसका हक देने में कौनसी दिक्कत है? इस पर सरकार विचार करे। यदि वास्तव में वन सम्पदा को पनपाना है वन सम्पदा में बढ़ोत्तरी करनी है तो उसमें और कोई व्यक्ति कामयाब नहीं होगा, कामयाब होगा राजस्थान का आदिवासी। जिस तरह जमीन का अलाटमेंट किया जाता है उसी तरह यदि वन भूमि का अलाटमेंट किसी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता है तो सहकारिता के आधार पर उस वन भूमि का अलाटमेंट करें तो निश्चित रूप से वन सम्पदा का उद्धार होगा।

इतना ही नहीं, श्रीमान, एक निगम की स्थापना की बात आती है। आदिवासी निमोली बीनकर अपना पेट भरते थे। उसका भी सारा हक निगम को दे दिया। जो आदिवासी वन सम्पदा का एक एक कण इकट्ठा करके लाता था और कौड़ियों में बनिये को सौंपता था। यदि वास्तव में हमारी सरकार आदिवासियों का अहित सोचती है तो ये अधिकार निगम को देने चाहिये। पहले उसको बनिये से कुछ कीमत तो प्राप्त होती थी, अब वह कीमत भी उसको प्राप्त नहीं होगी और आपका निगम हड़प जायगा। यह तो सही है कि आप उसको बनिये से बचाना चाहते हैं लेकिन आपका यह निगम उस बनिये से भी ज्यादा शोषण करेगा।

इसके साथ ही उदयपुर के जंगलों में एक और अभियान चला है। आपका विभाग जंगल काट कर बेचता है और अधिकारी यह सोचता है कि ज्यादा काम करके बताऊंगा तो शायद मुझे तोहफा मिलेगा। पहले तो आपका ठेकेदार जंगलों को बेरहमी से काटता ही था और अब उससे ज्यादा बेरहमी से आपका कर्मचारी काटेगा। यदि आपको 5 करोड़ का लाभ नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, आपका कर्मचारी तो उससे ज्यादा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपको नुकसान में पहुंचा देगा। अभी तक लकड़ी किसानों और गरीब मजदूरों के काम में तो आती है किन्तु अब वह लकड़ी अच्छे अच्छे बंगलों में लगाई जायगी और आदिवासी का पूरा शोषण किया जायगा। इस तरह लकड़ी का दुरुपयोग किया जायगा। वन सम्पदा जो इस तरह नष्ट की जा रही है मेरा निवेदन है कि हमारे देश की इस बहुमूल्य वन सम्पदा की रक्षा की जाय।

आपने समय दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री जीथिंग (कुशलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हम छोटे छोटे थे, जंगलों के बीच में रहते थे, हम दो माइल अकेले में नहीं निकल पाते थे। इतना घना जंगल हमने देखा है। कई वन्य जीव हमने देखे हैं लेकिन आजादी के बाद ठेकेदारी प्रथा से कांग्रेस के राज्य में पूरे के पूरे जंगल को नंगा कर दिया गया। आज नंगी पहाड़ियां जगह जगह मिलेंगी। मैं आज इस बात को कहने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करूंगा कि इन्होंने जंगलों को काट कर साफ ही नहीं किया बल्कि राज्य के धन को भी बरबाद किया है। लाखों करोड़ों रुपये इन्होंने अलाटमेंट के नाम पर या और किसी नाम पर खर्च कर दिये और आज भी . . .

एक माननीय सदस्य : सब डागा जी खा गये।

श्री जीथिंग : आज खेद इस बात का है कि हमारी सरकार भी इस वन नीति में कोई आमूल-चूल परिवर्तन नहीं कर रही है। जिस नीति पर कांग्रेस सरकार चल रही थी, उसी नीति पर यह सरकार चल रही है।

श्री मूलचन्द डागा : ये भी बेशर्मी से उसी नीति पर चल रहे हैं।

(व्यवधान)

गलती हुई, गलती हुई, पाप किया लेकिन आप तो अब मत करो . . .

(व्यवधान)

श्री जीथिंग : आप, डागाजी, सुनिये। अगर सही बात कहनी होगी तो कहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया जल्दी समाप्त करें वरना मंत्री महोदय उत्तर भी नहीं दे सकेंगे और चर्चा समाप्त हो जायगी।

श्री जीथिंग : बड़ा इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आध घण्टे से ज्यादा नहीं दे सकूंगा।

(व्यवधान)

श्री जीथिंग : उपाध्यक्ष महोदय, चिकमंगलूर के प्रश्न पर तो सदन में इतना समय बिता दिया। लाखों आदिवासी लोग परेशान हो रहे हैं। उसके लिए हम नहीं बोलेंगे तो हमारा यहां आने का औचित्य क्या है?

मैं यह कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैं मुख्य मंत्री महोदय से भी मिला हूं और उनसे कहा है कि आज हमारी वन सम्पदा को नष्ट किया जा रहा है। वन नीति के बारे में हम उनसे मिले हैं। हमने ठोस सुझाव दिये हैं कि वन संपदा को आप अपने अधिकारियों द्वारा सुरक्षित नहीं

(श्री जीथिंग)

रख सकते हैं। जब तक आप वनों का बेनिफिट आदिवासियों को नहीं देंगे तब तक इन्हें कभी भी सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को निवेदन करूंगा कि आज हजारों लोग वन भूमि पर आबाद हैं, जैसा अभी हमारे नाथूराम भाई ने कहा है। मैंने पिछले सत्र में भी एक वक्तव्य किया था, "16 हजार एकड़ जमीन पर आदिवासियों का कब्जा है। पिछली सरकार ने 1971 क कब्जों को रेगुलेराइज करने के लिए आदेश दिये थे। बड़ी मुश्किल से 100-50 एकड़ जमीन रेगुलराइज हुई होगी। इस सदन में यह प्रश्न कई बार आ चुका है कि एक रेन्ज में 16 हजार एकड़ जमीन पर काश्तकारों का कब्जा है। यह 1972 का प्रश्न है। आज वन मन्त्री कह रहे हैं 1971 के पहले की जमीन रेगुलराइज होगी, यह कहना बिलकुल झूठ है इसलिए मैं मन्त्री महोदय को निवेदन करूंगा कि आप इस मामले का स्पष्टीकरण करें और घोषणा करें कि कम से कम जिनका 10-20 वर्ष से कब्जा है और जायज कब्जा है, जिन्होंने मेहनत की है, जो जगलों में सदियों से पल रहे है और जंगलों के सुःख-दुख सहने वाले हैं उनको जमीन दी जायगी। आपकी नीति कोई भी हो लेकिन जमीन देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन: माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं अपना समय इनको देना चाहता हूं ··

श्री उपाध्यक्ष : अब मैं इस चर्चा के लिये अधिक समय नहीं दूंगा। अगर माननीय मंत्री महोदय का उत्तर सुनने को उत्सुक नहीं हो तो कह दीजिए।

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष जी, जब अन इम्पार्टेंट प्रश्नों पर सदन में चर्चा होती है तो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर चर्चा की आप इजाजत क्यों नहीं देते हैं। करोड़ों की वन सम्पदा नष्ट हो रही है, इस पर चर्चा के लिए समय नहीं है····

श्री उपाध्यक्ष : फिर मैं माननीय मंत्री महोदय को उत्तर देने को नहीं कहूंगा।

(व्यवधान)

माननीय मन्त्री महोदय।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (वन मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने यहां पर जो बांसवाड़ा की वन सम्पदा नष्ट होने के विषय में चिन्ता प्रकट की है, उनकी चिंता से किसी हद तक मैं भी सहमत हूं।

श्री जीथिंग : सारे उदयपुर डिविजन का सवाल है।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : उदयपुर का होगा लेकिन यहां पर बांसवाड़ा का प्रश्न उठाया है।

(व्यवधान)

मुझे बोलने तो दो, भाई। आप बीच में मत रोको।

श्री अब्दुल अजीज : आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : यह प्रश्न केवल बांसवाड़ा के विषय में है। एक वन नीति के बारे में प्रश्न उठाया है उसका भी उत्तर दे दूंगा।

श्री अब्दुल अजीज : आप चेयर को एड्रेस करें।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : बांसवाड़ा जिले में वन सम्पदा अच्छी थी। स्टेट मर्जर पश्चात कई कारणों जैसे कन्सेशन्स, बढ़ती

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

हुई आबादी व उद्योग के लिये वन क्षेत्र रिलीज, माही, बजाज व कडाना पुनर्वास आदि के कारण वन सम्पदा में कमी हुई है। कडाना बांध के विस्थापितों के पुनर्वास हेतु 19656.89 एकड़ एवं माहीं बांध के विस्थापितों के पुनर्वास हेतु 4307.78 एकड़ भूमि मुक्त की गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 76-77 में भी अनुमानतः 5000 एकड़ क्षेत्र माही विस्थापितों के पुनर्वास के लिए मुक्त किया गया है जो मुख्यतः वृक्षहीन वन क्षेत्र था। चूंकि इस समय समय नहीं है इसलिये अलग अलग गांवों के नाम नहीं बता सकूंगा। आधा घन्टा नाम बताने में खतम हो जाएगा।

(व्यवधान)

नियम है, भाई, आधा घंटे से अधिक चर्चा नहीं कर सकते।

श्री नाथूराम : इस हाउस में पांच-पांच घंटे तक चर्चा हुई है।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : यह सारा क्षेत्र काफी अच्छी वन सम्पदा का क्षेत्र था इस समय यह निर्देश थे कि विस्थापितों को भूमि वृक्षों सहित आवंटित की जावे तथा बनके द्वारा अच्छे जंगल ही मुक्त करवाये गये। इस सारे क्षेत्र में केवल 5000 एकड़ में ही विस्थापितों को बसाया गया है और बाकी सारा वन क्षेत्र बरबाद हो गया है। वन सम्पदा के नष्ट करने में अधिकारियों बाबत मई 1978 से अगस्त, 1978 के मध्य जिन स्रोतों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनमें मुख्यतः वर्तमान में पदस्थापित मण्डल वन अधिकारी बांसवाड़ा के स्थानान्तर की मांग के साथ साथ वनों में क्षति की जांच की भी पेशकश की गई है।

मैं यहां पर माननीय सदस्यों को यह सूचना देना उचित समझता हूं कि मण्डल वन अधिकारी बांसवाड़ा के स्थानान्तरण आदेश जारी कर दिये गए हैं।

श्री नाथूराम : उससे क्या फर्क पड़ता है।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : आप पूरी बात तो सुनिये। आपका प्रश्न है उसी का उत्तर दे रहा हूं।

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि अपोजिशन ने इस सदन में यह तो किया कि कम से कम उनकी पार्टी के सदस्यों को लड़ने की हिम्मत तो दे दी।

श्री जीथिंग : आपको अपोजिशन का तरीका मालूम नहीं है। हम अपोजिशन से ही सत्ता में आए हैं।

श्री मदनसिंह दांता : अभी तो यह हालत है कि पीछे मुड़ मुड़ कर बोल रहे हैं।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : वन संरक्षक पश्चिमी वृत उदयपुर ने उक्त शिकायतों के सम्बन्ध में अपनी प्रारम्भिक जांच पूर्ण करली है और जो सतर्कता विभाग के डायरेक्टर हैं वे भी अपनी जांच पूरी करने वाले हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जाएगी।

सन् 1968-69 के बाद जंगलों के ठेके देने की प्रथा बन्द कर दी गई है। अवैध रूप से जंगलों की कटाई होने की जानकारी प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(श्री पुरुषोतम मंत्री)

गत दो वर्षों में जंगलों में अवैध रूप से कटाई होने की जानकारी होने पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच कराई गई एवं बाद जांच शिकायत सही पाने पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध राजस्थान प्रशैनिक सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है। ये लोग हैं श्री मनोहरलाल क्षेत्रिय, श्री पुरुषोतम लाल वनपाल, श्री लक्ष्मणलाल वन रक्षक, श्री मोरगुलखां वनपाल, श्री मथुरालाल शर्मा क्षेत्रीय, श्री गणपतसिंह वनपाल, श्री मोहम्मद जून, वनरक्षक। यह शायद यूनूस होगा, गलत टाइप हो गया है और श्री मधु सहायक वनपाल पीपलखूंट रेंज। उपरोक्त मामलों के अलावा और कोई शिकायत प्राप्त होना प्रकट नहीं होता है।

बांसवाड़ा वन मण्डल में निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत वृक्षारोपण एवं परिभाषित वनों के पुनरुद्धार कार्य कराये गये हैं (1) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (2) जनजाति क्षेत्रों की उपयोजना (परिभाषित वनों का पुनर्वास) (3) कडाना पुनर्वास (4) बागान योजना (5) केयर योजना (6) अकाल राहत कार्य।

मुख्य वृक्षारोपण कार्य सूखाग्रस्त कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया है। यह सारा कार्य भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार अनुमोदित परियोजना के अन्तर्गत चयनित क्षेत्रों में हो किया गया है। एक क्षेत्र (तलीमाखिया) के अतिरिक्त बाकी सभी क्षेत्र नंगी पहाड़ियों एवं परिभाषित वनों के रूप में थे। वर्ष 1973 में आई बाढ़ पीड़ितों को राहत देने हेतु तलीमाखिया वन खण्ड से 10,000 डांडे विभागीय तौर पर कटवाये, अतः इस वन खण्ड में वृक्षारोपण करना आवश्यक हो जाने से वर्ष 1976-77 में वृक्षारोपण स्वीकृत योजना के अन्तर्गत किया गया। इस वन खण्ड के बचे हुऐ 273 हैक्टेयर में कडाना पुनर्वास के अन्तर्गत इसलिए कार्य करवाया गया कि वह वन काफी क्षतिग्रस्त हो चुके थे और वन विभाग के अन्तर्गत थे।

माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने बारा कटारा वन क्षेत्र में अकाल राहत एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत चराई से निषेध किये गये क्षेत्रों से उत्पन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया था। इस क्षेत्र में लगभग 11000 एकड़ वन क्षेत्र है जिनमें से केवल 376 एकड़ में ही वृक्षारोपण एवं अन्य विकास कार्य कराये हैं जो कुल वन क्षेत्र का लगभग एक तिहाई ही है। इस क्षेत्र में अत्यधिक चराई के कारण घास तक उत्पन्न नहीं हो पाती थी। इस संरक्षित क्षेत्र से गत वर्ष लगभग 10,000 माथा भार एवं 404 बैलगाड़ी घास उपलब्ध करायी गई है। एक अन्य 100 हैक्टेयर क्षेत्र में जन साधारण की मवेशियों की चराई समस्या को ध्यान में रखते हुए नया कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। और डेरिया पाणा क्लोजर चराई हेतु खोल दिया गया है।

राष्ट्रीय वन नीति के अन्तर्गत समस्त भू-भाग के एक तिहाई भाग पर वनों का होना जरूरी माना है। इसके विपरीत प्रदेश में मात्र 10.4 प्रतिशत क्षेत्र में ही वन हैं लेकिन मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर दूं कि कागजों में 10.4 प्रतिशत है लेकिन वास्तव में केवल 5 प्रति—

(श्री पुरुषोत्तम मन्त्री)

शत ही है। इस 10.4 प्रतिशत में भी अधिकांश क्षेत्र नंगी पहाड़ियों और बंजर भूमि ही है। बांसवाड़ा के पठार युक्त जहां अन्य भाग की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, वनों का होना और भी आवश्यक है। इसी उद्देश्य से विभिन्न वृक्षारोपण कार्यक्रम चालू किये गये हैं। गत दो वर्षों में अकेले बांसवाड़ा क्षेत्र में 17 लाख से अधिक पौधे लगाये गये।

सूखाग्रस्त कार्यक्रम के अन्तर्गत जो कार्य करवाये गये हैं उसका मूल्यांकन राजस्थान सरकार के मूल्यांकन विभाग द्वारा वर्ष 1977–78 में करवाया गया है। यद्यपि यह रिपोर्ट अभी प्रकाशित होनी है परन्तु मौखिक पूछताछ के आधार पर बांसवाड़ा जिले में जो पौधे मरना बताया गया है वह निम्न प्रकार है :

वर्ष 75–76	25 प्रतिशत
वर्ष 76–77	20 प्रतिशत।

यहां पर यह निवेदन करना भी अनुचित नहीं होगा कि मूल्यांकन में वह पौधे नहीं गिने हैं जो बीजों की बुवाई द्वारा उगे हैं। यदि इन पौधों को भी गिनती की जावे तो जीवित पौधों की संख्या शत प्रतिशत से भी ज्यादा होगी। वर्ष 1977–78 की मूल्यांकन विभाग की रिपोर्ट की अप्रकाशित आंशिक सूचना ही प्राप्त हुई है। वर्ष 1976–79 तक कराये गये वृक्षारोपण कार्य का विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय पर निरीक्षण किया गया है जिसके आधार पर 70–80 प्रतिशत पौधे अभी भी जीवित हैं।

बांसवाड़ा के अतिरिक्त भी वृक्षारोपण कार्य का समय समय पर मूल्यांकन किया गया है। जनवरी, 1977 में किए गए मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर विभाग द्वारा लगाये गये पौधों में से 79.9 प्रतिशत पौधे जीवित थे। इसके विपरीत अन्य विभागों में यह उपलब्धि 33 से 68.5 प्रतिशत ही रही। बांसवाड़ा क्षेत्र में गत दो वर्षों में लगाये गये पेड़ों का मूल्यांकन करने के लिए राज्य सरकार ने मूल्यांकन संगठन को निर्देश दिये हैं। इसी प्रकार अन्य वन मण्डलों में भी वृक्षारोपण कराया गया है। इन कार्यों का यद्यपि विधिवत् मूल्यांकन नहीं किया गया है तथापि कुछ मण्डलों से निरीक्षण उपरान्त जीवित पौधों की स्थिति को देखते हुए विभाग में जो वृक्षारोपण कार्य किये गये हैं उनमें से अधिकांश पौधे जीवित हैं और उनके संरक्षण के यथा सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां जलवायु एवं प्राकृतिक परिस्थितियां अत्यन्त प्रतिकूल है वहां वृक्षारोपण का शत प्रतिशत सफल होना सम्भव नहीं है। वैसे भी प्लान्टेशन के रख रखाव हेतु केवल तीन वर्ष के लिए ही राशि उपलब्ध होती है जब कि अन्य क्षेत्रों में जैसे होर्टीकल्चर आदि में कई वर्ष तक रख रखाव की राशि उपलब्ध होने पर भी शत प्रतिशत सफलता नहीं मिलती है। ऐसी परिस्थिति में····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो आधे घन्टे की चर्चा हो तो जो माननीय सदस्यगण भावना व्यक्त करते हैं उसके अनुरूप ही उसका उत्तर होना चाहिए।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मैंने जो तथ्य रखें हैं उनमें दो तीन वातें मुख्य है। एक वात यह कही है जनवरी 71 के पहले जो कब्जे थे उनका नियमन कर दिया जाएगा। यह कहा गया कि इसके अन्तर्गत केवल 100 200 एकड़ जमीन ही आएगी। वस्तुस्थिति मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो 200–300 एकड़ वताया गया है वह सही नहीं है। भूमि का नियमन कर दिया गया है। उन आदिवासियों का कब्जा है जिन्होंने दफा 91 की कार्यवाही से बचने के लिए सरकारी रिकार्ड के अन्दर कोई इन्द्राज नहीं कराया है......

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही का समय आज की कार्य सूची में समाविष्ट विषय पूरे होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री मूलचन्द डागा : यह सम्भव नहीं है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सदन में इस पर वोट करा लिया जाए।

श्री मूलचन्द डागा : तीन तीन विधेयक है। डिमान्ड्स हैं। रात के पांच बजे तक यह पूरा नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन की कार्यवाही का समय आज की कार्य सूची में समाविष्ट विषय पूरे होने तक बढ़ा दिया जाय?

(स्वीकृति)

सदन का समय आज की कार्य सूची में समाविष्ट विषय पूरे होने तक बढ़ाया गया है।

वन सम्पदा जिला बांसवाड़ा

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय नाथूराम जी ने यह सवाल रखा। आज से कुछ दिन पहले ही सरकार ने यह आदेश दे दिया है कि जिन्होंने दफा 91 की कार्यवाही से बचने के लिए सरकारी कागज में इन्द्राज नहीं कराया है लेकिन ऐसी कोई शहादत हो जिसके आधार पर सम्बन्धित जिलाधीश को यह इत्मीनान हो जाए कि 1971 से पहले का उनका कब्जा है तो उन आदिवासियों, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के कब्जे पूरी तरह से नियमित कर दिये जाय। यह आदेश एक महीने पहले जारी हो गये हैं। 1971 से पहले का नियमन किया जाएगा उसके वाद का नहीं। यह इस आधार पर किया जाएगा कि किसी ने मकान वना लिया हो, कुआ बना लिया हो। इसकी कलेक्टर जांच करेगे।

एक माननीय सदस्य : कलेक्टर के भरोसे यह काम होने वाला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री शंकरलाल : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि पहले मंत्री महोदय का पूरा जवाब आ जाए उसके वाद ही माननीय सदस्य प्रश्न करें। मंत्री महोदय के जवाब के बीच में माननीय सदस्य बार बार प्रश्न कर रहे हैं इससे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। ये इनकी पार्टी के सदस्य हैं। यह क्या व्यवस्था है? आप इनको ताड़ना दीजिये।

श्री गुल मोहम्मद (जोहरी बाजार, जयपुर): आप इस तरह से माननीय सदस्यों के अधिकार का हनन नहीं कर सकते।

श्री शंकरलाल : पहले मंत्री महोदय का जवाब हो जाए उसके बाद प्रश्न करिये। सदन की कार्यवाही में प्रत्येक माननीय सदस्य को भाग लेने का अधिकार है। जब कुछ भी सुनाई नहीं देगा तो क्या विचार करेंगे ? मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं उसको सुन लीजिए। आप बार बार खड़े हो जाते हैं इससे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप जो कुछ कह रहे हैं उससे मेरी सहमति है।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री: माननीय उपाध्यक्ष, मैंने निवेदन किया कि अगर सरकारी रिकार्ड के अन्दर कोई इन्द्राज नहीं है लेकिन दूसरी पक्की शहादत है, वजनदार शहादत है तो उसके आधार पर सन 1971 के पहले के जंगलात के कब्जे का नियमन कर दिया जाएगा। गोगुन्दा, कोटडा के बारे में जो माननीय सदस्य ने कहा है, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। फिर भी इसकी जांच करवा ली जाएगी।

एक बात यह कही गई कि आदिवासी विकास निगम द्वारा आदिवासियों का शोषण होता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो वन्न नीति है वह भारत सरकार और राजस्थान सरकार मिल कर तय करती है और इसमें जो भी परिवर्तन किया जाएगा वह भारत सरकार की स्वीकृति, कान्फरेन्स मिलने पर ही किया जा सकता हैं क्योंकि वन नीति एक राष्ट्रीय नीति है फिर भी जो शोषण की बात कही गयी है उसकी जांच करवा ली जाएगी। जुडिशियल इन्क्वायरी, कमीशन बिठाने की बात कही गयी है। इसके लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार का इस प्रकार से जांच करवाने का विचार नहीं है।

श्री नाथूराम : सारी वन सम्पदा को नष्ट कर दिया गया है। काफी घोटाले है। इसकी जुडिशियल जांच होगी तब ही यह साबित होगा।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करूंगा कि बहुत से माननीय सदस्य इस विषय में बहुत चिन्तित हैं। कृपया उनको विश्वास में लेकर, उनसे विचार विमर्श करके इस समस्या का समाधान कर लें।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय अध्यक्ष ने जैसा कहा वैसी कार्यवाही कर लूंगा।

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल मंत्री महोदय से तीन प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय आपसे मिल कर इस समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। मंत्री महोदय पूरी सुनवाई करेंगे।

श्री मदनसिंह दांता : यह क्या डेमोक्रेसी है ? हाथ पकड़ कर बिठा दिया।

सूचना
मन्त्रीगण के विभाग

श्री उपाध्यक्ष : सदन को एक आवश्यक सूचना देनी है। मन्त्री गणों को जो विभागों का बंटवारा किया गया है, उसकी जानकारी देना चाहता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : वे मन्त्री भी सदन में मौजूद होने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : अब मैं माननीय मन्त्री गण को जो विभाग दिये गये हैं ....

Page No 96

(96)

श्री मूलचन्द डागा : मैं उनके चेहरे देखना चाहता हूं, वे कौन से मन्त्री हैं। सदन में उनका परिचय होता है और वे खड़े होते हैं और सदन के सामने नम्रता-पूर्वक—

श्री मदनसिंह दांता : इसके लिए अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दे दिया।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्रीगण के विभाग इस प्रकार हैं —

(1) श्री भैरोंसिंह शेखावत, (मुख्य मन्त्री) : कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार, सामान्य प्रशासन, मन्त्रिमण्डल सचिवालय, राजनैतिक, जन अभियोग निराकरण, पर्यटन भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, अन्त्योदय।

(2) श्री आदित्येन्द्र वित्त मन्त्री : वित्त, करारोपण एवं आबकारी।

(3) श्री केदारनाथ, श्रम मन्त्री : श्रम रोजगार, राजस्थान नहर, उपनिवेशन।

(4) श्री सम्पत राम गृह मन्त्री : गृह विभाग (भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को छोड़ कर), नागरिक सुरक्षा, कारागृह, पुनर्वास।

(5) श्री त्रिलोकचन्द जैन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (परिवार कल्याण सहित) खादी एवं ग्रामोद्योग।

(6) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, सिंचाई मन्त्री : सिंचाई, विद्युत।

(7) श्री कैलाश मेघवाल, सहकारिता मन्त्री : सहकारिता, खनिज।

(8) श्री भंवरलाल शर्मा, शिक्षा मन्त्री : शिक्षा, भाषा, भाषाई अल्प संख्यक, स्वायत्त शासन एवं नगर आयोजन, आवासन।

(9) श्री सूर्यनारायण चौधरी, उद्योग मन्त्री : उद्योग एवं राजकीय उपक्रम, संसदीय मामलात।

(10) श्री दिग्विजय सिंह पंचायत राज मन्त्री : पंचायत राज एवं सामुदायिक विकास, मत्स्य, मुद्रण एवं लेखन सामग्री मोटर गैरेज।

(11) श्री पुरुषोत्तम मन्त्री, राजस्व मन्त्री : राजस्व एवं भूमि सुधार, देवस्थान।

(12) श्री जयनारायण पूनिया सार्वजनिक निर्माण मन्त्री : सार्वजनिक निर्माण विभाग, बाढ़ एवं अकाल राहत।

(13) श्री माणकचन्द सुराणा, आयोजना मन्त्री : आयोजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी—

(14) श्री कल्याणसिंह कालवी कृषि मंत्री : कृषि, पशुपालन एवं दुग्ध विकास।

(15) श्री हरिसिंह, यातायात मंत्री: यातायात, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, भू-जल विभाग।

(16) श्री विरदमल सिंघवी, खाद्य मंत्री : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, विधि एवं न्याय, चुनाव

राज्य मंत्रीगण

(17) श्रीमती विद्या पाठक, : समाज कल्याण (स्वतन्त्र चार्ज), सिंचाई एवं विद्युत पर्यटन।

(श्री उपाध्यक्ष)

(18) **श्री महबूब अली** : जन संपर्क (स्वतंत्र चार्ज) वक्फ (स्वतंत्र चार्ज) सैनिक कल्याण (स्वतंत्र चार्ज), शिक्षा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी।

(19) **श्री नन्दलाल** : भेड़ व ऊन (स्वतन्त्र चार्ज), जन जाति क्षेत्र विकास (स्वतन्त्र चार्ज), उद्योग एवं राजकीय उपक्रम।

(20) **श्री हरिसिंह यादव** : वन (स्वतन्त्र चार्ज), कृषि।

(21) **श्री भैरवलाल कालाबादल** : आयुर्वेद (स्वतंत्र चार्ज), स्वायत्त शासन एवं नगर आयोजना, आवासन विभाग।

यह सूची विभागों की आई है।

श्री मूलचन्द डागा : बहुत अच्छा साहब, आखिर कालाबादल आ ही गये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री डागाजी।

नियम 295 अन्तर्गत प्रश्न
भूतपूर्व राज्य मंत्रियों के वक्तव्य की मांग

श्री मूलचन्द डागा: उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पहले ही आज्ञा दे दी थी। वे दोनों भूतपूर्व मंत्री यहां नहीं हैं। मैं समझता हूं कि दोनों अब 8 नवम्बर के रोज का चुनाव परिणाम आने के बाद अपना स्टेटमेंट देंगे, मैं चाहता हूं वह स्टेटमेंट, जो सदन का समय है 15 नवम्बर का, उसको पहले दें। उन्होंने जो लेटर्स लिखे हैं मुख्य मंत्री जी को वे मुख्यमंत्री जी सदन की मेज पर रखवा दें और रखने की तारीख घोषित करवा दें। वे यहां है नहीं। मैं तो आपके मार्फत प्रार्थना करता हूं। उन्होंने मंत्री मंडल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं। उन्होंने नीतियों के बारे में बताया है कि ये नीतियां जनता पार्टी की नहीं है। मैं चाहता हूं कि युवा मंत्री जो सिद्धांतों की राजनीति पर जीने वाले हैं, जिन्हें कुर्सी का मोह नहीं है, जिनमें त्याग की भावना है वह सदन में स्टेटमेंट दें और उनके जो दस्तावेज हैं वे सदन की मेज पर रख दिये जायं ताकि हम उनको देख सकें।

श्री ईश्वरचन्द्र: मंत्रियों को बाध्य नहीं किया जाय। वे स्टेटमेंट नहीं देना चाहते।

श्री मूलचन्द डागा : आप कौन हैं इस बारे में कहने वाले। क्या आप मंत्रियों के पी. ए. हैं या उनकी आपको कोई आज्ञा है।

I am not compelling them. I am a simply requesting them.

श्री ईश्वरचन्द्र : वे नहीं देना चाहते।

श्री शंकरलाल : यह बात तो सही है कि किसी भी त्याग पत्र देने वाले मंत्री को वक्तव्य देने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता लेकिन रूल 295 के अन्तर्गत डागाजी ने जो प्रश्न उठाया है और साथ में जो कारण बताये हैं, जैसा डागा जी ने बताया कि वे वक्तव्य देना चाहते थे। उन्होंने जो त्याग पत्र दिया था उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे। उसमें कुछ आरोप लगाये वे आरोप सार्वजनिक दृष्टि से सदन के समक्ष आने चाहिये, यह आवश्यक है। वे वक्तव्य दें या न दें, हमें आपत्ति नहीं लेकिन उन्होंने जो त्याग पत्र दिया उसमें जो कारण दिये वह जानने के लिये सदन उत्सुक है।

(श्री शंकरलाल)

इसलिये डागाजी ने यह रूल 295 के तहत प्रश्न उठाया है उस त्याग पत्र की कोपी सदन की मेज पर आनी चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : वह सदन की प्रापर्टी हैं। उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री राजस्थान को पत्र लिखे हैं इसलिये वे पत्र सदन की मेज पर आने चाहिये।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय उपाध्यक्षजी, यह नियम 295 की परव्यू में नहीं आता। इसमें साफ लिखा हैं।

श्री मूलचन्द डागा : इसमें स्पीकर महोदय ने स्वयं कहा हैं।

श्री कौशलकिशोर जैन : जो सदस्य सदन की जानकारी में ऐसा विषय लाना चाहते हैं

श्री मूलचन्द डागा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर He cannot rise unless he raises the point of order The decision of the Speaker cannot be challenged. He allowed me and I had spoken.

श्री उपाध्यक्ष : आप कुछ कहना चाहते है ? माननीय शंकरलालजी और डागाजी ने यह प्रश्न उठाया हैं कि कोई भी भूतपूर्व मंत्री अपने इस्तीफे पर प्रकाश डालें। आपका यह अधिकार हैं और इसके लिये मैंने पहले भी निवेदन किया था। अगर वह मंत्री यहां उपस्थित होते तो हम पूछ लेते। आपका कार्य सूची में यह प्रस्ताव है यह रिफरेन्स दिया गया हैं। वे यहां उपस्थित नहीं हैं फिर भी मैं अपना निश्चित मत व्यक्त करता हूं कि सचिवालय से एक पत्र लिख दिया जायेगा। वे अगर निश्चित तारीख को देना चाहते हैं तो कह देंगे और निश्चित तारीख तक उत्तर नहीं आता है तो यही माना जाएगा कि वे कुछ कहना नहीं चाहते।

श्री शंकरलाल : उनका त्याग पत्र देना पर्याप्त है। वह सदन की मेज पर आना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : कोई भी पत्र अगर कोई भूतपूर्व मंत्री मुख्य मंत्री को लिखता है तो यह आवश्यक नहीं है कि उसको हाउस की टेबल पर रखवाया जाय। नियमों में यह स्पष्ट नहीं है। जब तक स्पष्ट नियमों के अन्तर्गत नहीं बता सके कि यह संबंधित नियम की परिधि में आता है इसलिये यह आवश्यक है तब तक कम्पेल नहीं कर सकते। अगर आप इस संबंध में नियम बता सकें तो ....

श्री मूलचन्द डागा : चरणसिंहजी ने जो इस्तीफा दिया था उस पर राज्य सभा में यह निर्णय लिया गया था और संसद में सारे डाक्यूमेन्ट रखवाये गये। अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं आपके चेम्बर में आकर सारे रूल और वह किताब पेश करूंगा जिस पर विचार कर आप आज्ञा दे सकते हैं पेश करने की। अगर आप कन्विन्स हो जाय।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर नियमों में स्पष्ट प्रावधान नहीं रहता है वहां पर कन्वेन्शन से चलना पड़ता है। यह आज ही की घटना है जिसकी ओर माननीय डागाजी ने आपका ध्यान आकर्षित किया है। जब चरणसिंह जी और राजनारायण जी ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा में आरोप लगाये थे तो उनके बारे में भयंकर

(श्री शंकरलाल)

विचार लोक सभा में हुआ था। चर्चा होने के बाद में लीडर ग्राफ दी पार्टीज को त्याग पत्र देने के लिए क्या आरोप लगाये थे वह बताये गये और उसके बाद में फिर चर्चा हुई। इसलिए प्रश्न यह है कि जो उन्होंने आरोप लगाये हैं वह पत्र सदन में चाहे न आये लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री जी या मन्त्री जी बता दें कि क्या आरोप लगाये या आपके चेम्बर में बता दें माननीय सदस्यों को कि यह आरोप लगाये थे। वह कहां तक सदन से सम्बन्धित हैं यह देख लें। यह सदन का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी, आप का जो प्रश्न है उसको आप माननीय अध्यक्ष जी के चेम्बर में उनके साथ सम्पर्क करके उनसे विचार विमर्श करके वहां पर उठा सकते हैं। फिलहाल आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि पार्लियामेंट में इस प्रकार का प्रोसीजर है तो पार्लियामेंट के नियम कुछ और हो सकते हैं। उसके बारे में माननीय अध्यक्ष जी को आश्वस्त कर सकेंगे तो वह निर्देश दे सकेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : मैं उनकी प्रतिलिपि पेश करूंगा, लेकिन मन्त्री महोदय को कह दें कि त्याग पत्र सदन में पेश करना चाहिए यदि वह सदन की गरिमा बढ़ाना चाहते है, लोकतन्त्र में विश्वास करते हैं और लोकतन्त्र के हामी हैं इसीलिए आज आए नहीं है।

व्यवस्था का प्रश्न

सदन पटल पर रखे जाने वाले पत्रों की प्रतियों की अग्रिम रूप से विधान सभा सचिवालय को उपलब्धि

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। श्री कैलाश मेघवाल।

श्री मूलचन्द डागा : पांईट ग्राफ आर्डर सर। मैंने कई बार निवेदन किया है कि पेपर्स कैसे ले डाउन किये जायं। पेपर्स ले डाउन करने का एक प्रोसीजर ले डाउन किया हुआ। "When the Minister wants to lay on the table any paper or document, the concerned Ministry forwards to the Secretariat twenty one copies of the paper complete in all respects, including one copy duly authenticated by the minister concerned, two clear days before the date on which the minister proposes to lay it on the table."

श्री उपाध्यक्ष : कौन सा है ?

श्री मूलचन्द डागा : यह पेज 883 है।

श्री उपाध्यक्ष : पार्लियामेंट प्रेक्टिस का पेज होगा।

श्री मूलचन्द डागा : यह मैं आपको पेश कर देता हूं।

श्रीमन, इसके दो पोर्शन हैं। अगर यह पेपर्स सैक्रेटेरियट के सामने आ गये होते तो वह देख लेते कि इसमें आब्जेक्शनेबल चीज तो नहीं है। वह सही रखे हैं या गलत रखे हैं। उनके कन्टेन्ट्स क्या हैं ? मुझे कुछ मालूम नहीं है जो पेपर्स रख रहे हैं उनके बारे में। यह प्रोसीजर है और माना हुआ प्रोसीजर है कि दो दिन पहले कापी भेजी जानी चाहिए।

श्री ईश्वरचन्द्र : यह आपका आब्जेक्शन 30 बार ओवर रूल कर दिया गया है। फिर इक्कतीसवीं बार आपने क्यों उठाया ?

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, यह हमारा अधिकार है हम विचार करेंगे। आपका जो निर्णय होगा वह मानेंगे। मेरा यह कहना है कि सदन में जो डाक्यूमेंट्स ले डाउन किये जायं, मुझे मालूम होना चाहिए कि वह क्या डाक्यूमेंट्स हैं। मैं आब्जेक्शन नहीं कर सकता हूं यह मुझे मालूम नहीं है। वह आज सदन की मेज पर आये भी नहीं। Still it is not on the table of the house. वह सदन की मेज पर नहीं लाये। मैं सदन की मेज पर ढूंढते ढूंढते थक गया। मेरे हाथ में दर्द होने लग गया। वह कहां से आये कागजात ? भैरोंसिंहजी तो हैं नहीं। भैरोंसिंहजी ने आपको आथोरिटी दी या नहीं, मैं नहीं जानता हूं। न आपको मालूम है, न कन्टेन्टस मुझे मालूम है। यह डाक्यूमेंट्स रख रहे हैं यह नियम के प्रतिकूल है। कल रख देते तो प्रस्ताव रख देता। आप पढ़ लें और फिर व्यवस्था दे दें। मैं प्रार्थना करूंगा कि नियमों के अनुकूल दो दिन पहले कापी आनी चाहिए तब सदन की मेज पर रखे जाने चाहिए। वह देख लें और अपनी प्रतिलिपि रख दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी आपने कोई स्पष्ट नियम बताया नहीं राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली का। जो किताब आपने दी है उसके आधार पर आप जो बात कहना चाहते हैं वह पूरी बात इसमें नहीं आती है। यह पुस्तक आपने दी है इसमें है :

"When the Minister wants to lay on the Table any paper or document, the concerned Ministry forwards to the Secretariat twenty one copies of the paper complete in all respects including one copy duly authenticated by the Minister concerned, two clear days before the date on which the minister proposed to lay on the table. In special circumstances, however, the Speaker may, on request, permit a minister to lay a paper at a short notice. A minister not of the ministry concerned cannot lay the paper without any prior intimation to the Speaker."

यह कागजात जो इस सदन की मेज पर ले डाउन कर रहे हैं वह सैक्रेटेरियेट के पास पहले आ चुके हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने रिक्वेस्ट कर दी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी, आप सुनिये। यह कोई आवश्यक नहीं है कि हाउस की टेबल पर ले डाउन किए जायं। दो दिन पहले केवल असेम्बली सेक्रेटेरियट में आने चाहिए। असेम्बली सेक्रेटेरियेट में आने का टाइम दो दिन पहले का है। अध्यक्ष महोदय रखने की इजाजत दे दें तो रखा जा सकता है। हाउस की टेबल पर दो दिन पहले रखने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मूलचंद डागा : मुझे क्या मालूम कि क्या रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप सैक्रेटेरियेट से कान्टेक्ट कर सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने कान्टेक्ट कर लिया। आप टेबल आफ दी हाउस पर रखवाइये ।

श्री उपाध्यक्ष : यह आवश्यक नहीं है कि टेबल पर रखें ।

श्री मूलचन्द डागा : सचिवालय से पूछ लें। मैं चुप हो जाऊंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : जो जानकारी मेरे पास है उसके आधार पर स्पीकर महोदय ने कार्यसूची में ले लिया है इसलिए मैं आवश्यक नहीं समझता और मैं आपके आब्जेक्शन से सहमत नहीं हूं ।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र
अधिसूचना

श्री कैलाश मेघवाल (सहकारी मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना संख्या प. (8) कार्मिक (क-11)/75, दिनांक 24 अगस्त 1978 को सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री मूलचन्द डागा : वह डाक्यूमेंट कहां रखा है ? विवरण दें। Is that the document which is being laid down on the table of the house ?

श्री ईश्वरचंद्र : It should be circulated.

समिति का प्रतिवेदन का दसवां प्रतिवेदन

श्री बिरदमल सिंघवी (विधि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के दसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं पाइन्ट आफ आर्डर रेज करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी, रिपोर्ट इन्ट्रोड्यूज करने के मौके पर कोई आब्जेक्शन नहीं किया जा सकता है।

श्री मूलचन्द डागा : आप इन्ट्रोड्यूज कराइये फिर कहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : सहमति के बारे में ।

श्री मूलचन्द डागा: मैं कहता हूं कि आप चल कैसे रहे हैं नियमों के प्रतिकूल । रूल 23 में यह लिखा है कि प्रत्येक एकांतरिक शुक्रवार को डाई घन्टे प्राइवेट मैम्बर्स डे के लिए है । प्राइवेट मैम्बर्स बिजीनैस डे के लिए रूल 23 के अन्दर रखा है। एक दिन का प्राइवेट मैम्बर्स डे का प्रावधान होते हुए भी शासन को दो महीनों से कह रहा हूं किन्तु प्राइवेट मैम्बर्स का आधा दिन भी नहीं रखा है । मुझे आश्वासन दिया गया। आपकी मिनट्स में मौजूद होगा कि एक फ्राइडे आपको देंगे । आपने कभी भी प्राइवेट मैम्बर्स वर्क को अलाउ नहीं किया। प्राइवेट मैम्बर्स बिल भी रखना चाहते हैं । मैम्बर्स से सारे डेज गवर्नमेंट का कार्य करवा रहे हैं। प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस डे रखना जरूरी है लेकिन We are deprived of this यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को सलाह देते हैं ।

एक माननीय सदस्य: आपकी पार्टी के लीडर वहां पर रहते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा: It is not the question of the party Leader. कोई प्राइवेट मैम्बर्स डे नहीं रखा है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई: उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि इस सत्र में बराबर इस पर विचार किया जाएगा। प्राइवेट मेम्बर्स डे का राइट है मेम्बर्स का। हर सत्र के आखिर में कम से कम एक दिन हमेशा होता है। पिछले पूरे सत्र में एक दिन भी नहीं हुआ।

श्री मूलचन्द डागा: आसन की व्यवस्था हो चुकी है, रूलिंग हो चुकी है। आसन ने आश्वासन दिया उस पर यह सरकार सोचती नहीं है। हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। मेरे तीन रिजोल्यूशन पेश किये हुए हैं···

[समय-समाप्ति-सूचक घंटी]

दूसरी बात, यह परम्परा रही है आप आठ घन्टे ले, दस घन्टे लें लेकिन सटर डे है तो वह हमारा कान्स्टीट्युएन्सी में जाने का दिन होता है। सटरडे के दिन कार्यवाही क्या होगी? एक जगह हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने भाषण दे दिया कि मैं साल भर सदन चलाना चाहता हूं। मैंने कहा ये बड़े आये हैं हिमायती लोक तंत्र के कि हाउस को साल भर चलायेंगे

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमान्, हमारे अधिकारों का—

श्री उपाध्यक्ष: माननीय डागा जी, आप संक्षेप में कह दीजिये—

श्री मूलचन्द डागा: मुझे यह आश्वाशन दिया कि पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट को टेकल करेंगे। कहां है वह रिपोर्ट? आपने कहा कि एण्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट की रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। कहां है वह रिपोर्ट? मुझे इतने आश्वासन देने के बाद रिपोर्ट नहीं रखी राजस्व मन्त्री जी ने कहा हम नया टीनेन्सी एक्ट लायेंगे और फर्स्ट डे लायेंगे। कहां है वह टीनेन्सी एक्ट? आपने कमिटमेन्ट किया है हाउस में। मैं कह सकता हूं कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि नया टीनेन्सी एक्ट ला रहे हैं, जोते जिसकी जमीन और बोए उसका खेत'

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्या आपने यह निर्णय ले लिया कि 11 घन्टे बिठाया? जाय मैं प्रार्थना करता हूं कि फ्राइडे, सटरडे को गवर्नमेंट का बिजनेस न रखें। दूसरे दिन बढ़ाये जायं, बीस दिन किये जायं, इसमें हमें एतराज नहीं। आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग फिर बुला लीजिये और उसके प्रतिवेदन में संशोधन करिये, उस पर पुनर्विचार करिये। यह नहीं कि ऐसा नहीं हो, उपाध्यक्ष महोदय, आप तो बड़े दिल वाले हैं।"

श्री उपाध्यक्ष: माननीय डागा जी, मुझे आपकी भावनाओं से सहानुभूति है। आपके दल के नेता उस मीटिंग में मौजूद थे। विशेष परिस्थितियों को देखते हुए ही शायद प्राइवेट मेम्बर्स डे नहीं रखा है। फिर भी मैं चाहूंगा कि ऐसा अवश्य होना चाहिए। आपने जो भावनाएं व्यक्त की हैं उनको देखते हुए बाद के सत्र में इसको रखने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: इस सत्र में नहीं होगा क्या?

श्री उपाध्यक्ष: अभी जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसको देखते मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट मेम्बर्स डे होगा। इसके बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। अब सदन की सहमति ले ली जाय।

श्री विरदमल सिंघवी (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के दसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति व्यक्त करता है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि कार्य सलाहकार समिति के दसवें प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त की जाय ?

(स्वीकृत)

सहमति प्रकट की गई।

विधायी कार्य। श्री माणकचन्द सुराणा।

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक 1978 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

एक माननीय सदस्य: वे हैं ही नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : Again I raise the point of order.

श्री शंकरलाल : बड़े अफसोस की बात है कि आज ही तो मन्त्री बनने का मौका मिला है और श्री गणेश में ही नहीं है। कैसे मन्त्री हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मन्त्री) : आ गये हैं।

श्री माणकचन्द सुराणा (आयोजना मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1978 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम तीन दिन तक के लिये बढ़ा दिया जाय ?

प्रवर समिति की व्यवस्था का प्रश्न

सभापति

श्री मूलचन्द डागा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर। सलेक्ट कमेटी बनी उस समय ये मेम्बर थे, 183 के तहत इनको चेयरमैन नियुक्त किया, उसके बाद ये गवर्नमेंट में आ गये। मुझे यह बताइये कि मिनिस्टर ने प्रस्ताव पेश किया है, इनका डाइरेक्ट इण्ट्रेस्ट है। यह किस प्रकार से अभी तक उसके अन्दर हैं, या कमेटी में बने हुए हैं। क्या कोई नया आर्डर निकला है ?

(व्यवधान)

अरे साहब, आप कौन हैं, मुझे कहने दीजिये पहले। रूल 183, में हैं।

The Chairman of a Committee shall be appointed by the Speaker from amongst the members of the Committee."

What is a Member What is the definition of a Member? The definition of the member is.

"Member" means a member of the Assembly.

Now what is the definition of a Minister ?

"Minister" means a member of the Council of Ministers.

मेम्बर कौन है और मिनिस्टर कौन है, यह डेफिनेशन है I have given you the definitions.

(श्री मूलचन्द डागा)

मैं यह बात कहना चाहता हूं कि 183 में है When he was appointed as Chairman of the Committee he was a member. He is an advocate and therefore he understands the law and it was the consideration of his being appointed as Chairman of the Committee. and discharge the duties faithfully. Now he is no longer a member but a minister. क्या इनको कह दिया कि आप कण्टीन्यू करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : Now he cannot be a member of the House ?

श्री मूलचन्द डागा : He is a Minister now. He is sitting here in the capacity of a minister. अगर ये कह दें कि मिनिस्टर नहीं बने तो ठीक है। गवर्नमेंट ने बिल पेश किया है। नीति बनाकर केबिनेट में जाती है और कहते हैं कि बिल पेश करते हैं। ये बिल पेश करते हैं So he has got a direct interest. गवर्नमेंट एडवोकेट की राय लेनी चाहिए। इनको यह प्रस्ताव नहीं लाना चाहिए क्योंकि इनका डायरेक्ट इण्ट्रेस्ट है। केबिनेट ने निर्णय ले लिया, इनको क्या अधिकार है ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या आपने कोई पार्लियामेंट की आथोरिटी कोट की है ?

श्री मूलचन्द डागा : वह भी मैं कोट करूंगा।

श्री किशनसिंह भाटी : 183 तो इनकी मदद नहीं कर रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : अब मैं कोल एण्ड शकधर की किताब में से पढ़ता हूं।

A member who cannot become a member of the Select Comittee—

"those who have a personal, pecunitary of direct interest."

मैं यह क्यों कह रहा हूं कि डाइरेक्ट इन्ट्रेस्ट है because he is in the cabinet वैसे तो ये सज्जन मंत्री हैं। ये चाहें तो पद छोड़ दें। इसलिए मैं चाहता हूं कि नियम 183 के तहत he is no more a member यह मेरी आपत्ति है।

श्री ईश्वर चन्द्र : नियम 219 से 226 तक प्रवर समितियों से संबंधित हैं। उनमें कहीं उल्लेख नहीं है कि कोई सदस्य मंत्री बनने के बाद उसमें न रहे।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने नियम सब पढ़ लिए हैं। मैं आपसे सहमत हूं। मैं डागाजी के तर्क से प्रभावित नहीं हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पहले वह सदस्य थे और सदस्य से ही मंत्री बनता है। परन्तु यहां विशेष परिस्थितियां आ गई हैं। एक सदस्य को सभापति बनाने का उद्देश्य होता है कि कमेटी निष्पक्ष रिपोर्ट पेश करे। पहले वह सदस्य थे अब मंत्री बन गये हैं,

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

इसलिए इस चीज को आपको व्यवस्था द्वारा स्पष्ट करना आवश्यक है। अब वह मिनिस्टर इन्चार्ज है। मंत्री बनते ही he is no more a member. He ceases to be a member of select Committee. इस बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण होना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : विधि मंत्री तो बने हैं विरदमलजी। इसमें कौन मेम्बर बन सकता है इसके लिए कहा है। Minister in-charge are dealing with the subject matter. अगर मिनिस्टर इन-चार्ज विरदमलजी होते तो मैं मानता कि वह विधि मंत्री हैं। अब सुराणाजी को प्रस्ताव नहीं लाना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक सभापति का प्रश्न है, सदन में परिपाटी रही है कि मिनिस्टर-इन-चार्ज ही पेश करता है। यहां मंत्री के अलावा दूसरा माननीय सदस्य सभापति बन गया। मै भी सदस्य हूं, मैंने एतराज किया कि गवर्नमेंट व्यू पाइन्ट इसमें नहीं आ रहा है। एडवोकेट जनरल को भी हमने बुलाया था। पिछली मीटिंग को जब एडजोर्न किया तो उस समय कमेटी ने निर्णय लिया था, इस अमेंडमेंट पर गवर्नमेंट व्यू पाइंट आना चाहिए, आई. जी. पी. को भी बुलाया जाए। कोइनसीडेंतली माननीय सदस्य, जो उसके सभापति थे। मंत्री बन गए लेकिन मंत्री बनने से माननीय सदस्य के जो अधिकार व प्रिविलेजेज हैं वह खतम नहीं हो जाते। कमेटी के सामने डिफिकल्टी थी कि गवर्नमेंट व्यू पांइट नहीं आ रहा हैं।

श्री उपाध्यक्ष : डागाजी, मैंने सभी नियमों को पढ़ा है उनमें कहीं भी डिसक्वालिफिकेशन या रोक नहीं है। कोई भी मंत्री किसी भी प्रवर समिति का सदस्य . .

श्री मूलचन्द डागा : प्रोप्राइटी का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : मिनिस्टर-इन-चार्ज प्रवर समिति का सदस्य हो सकता है तो दूसरा मिनिस्टर क्यों नहीं हो सकता है ?

श्री मूलचन्द डागा : सवाल यह है कि जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, गवर्नमेंट में जो लॉ मिनिस्टर है वह उस सब्जेक्ट मैटर से डील करते हैं, वही उसके सदस्य होने चाहिए। अब वह तो बने नहीं लेकिन यह तो लॉ मिनिस्टर नहीं है, यह तो हैं आयोजना मंत्री कागजों पर योजना बनाने वाले मंत्री। उपाध्यक्ष जी, यह तो आपके डिस्क्रिशन पर है, मेरी रिक्वेस्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : जो कुछ आपने कहा है उसको देखते हुए मैं आपके तर्क से बिलकुल सहमत नहीं हूं। और माणकचन्द सुराणा को पूरा अधिकार है प्रस्तुत करने का।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री मूलचन्द डागा : मेरी एक और आपत्ति है। मेरी पार्टी के नेता ने आपत्ति की थी आप 8 तारीख तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर सकेंगे . .

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रस्ताव वापस दुबारा पारित करवा सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : Has he given the reasons in writing ?

श्री उपाध्यक्ष : आप कारणों के लिए पूछ सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : रीजन्स सर्क्युलेट नहीं हुए कि रीजन्स क्या हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुराणाजी, कोई रीजन्स हैं आपके पास ?

श्री माणकचन्द सुराणा (आयोजना मन्त्री): सदन से 8 तारीख को इस पर रिपोर्ट पेश करने की अनुमति दी गई। उस के पश्चात् प्रवर समिति की मीटिंग हुई। कमेटी ने तय किया कि चाहे सरकार की तरफ से आया हुआ अध्यादेश लेप्स भी हो जाए, इसके बावजूद हमें इस पर विस्तृत चर्चा करनी है। आई.जी. को भी बुलाना है, सी.आर.पी.सी. में संशोधन हुए हैं, उनमें जो प्रावधान इन्सर्ट किए जा रहे हैं कि सीक्योरिटी ली जाय, कितने सीक्योरिटी के केसेज हैं, किस नेचर के हैं, डिटेल में एग्जामिन करने के लिए यह संशोधन विधेयक प्रवर समिति को पेश किया गया। सदन की मन्शा रहती है कि प्राविजन्स के डिटेल में जाएं और कर्सरी रिपोर्ट सदन में पेश न की जाय। इसलिए पूरा विचार करने के लिए सदन की अनुमति चाही जाती है कि आगामी सत्र के प्रथम तीन दिन के भीतर रिपोर्ट पेश की जाएगी। सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया है वह 14 तारीख को लेप्स हो जाएगा, इस बात की जानकारी होते हुए भी सरकार स्वयं इस अध्यादेश को लेप्स होने दे रही है और सदन की इजाजत चाहती है कि प्रवर समिति पूर्ण विचार करके सदन के सामने रिपोर्ट पेश करे।

श्री मूलचन्द डागा : 6 महीने हो चुके हैं, सिर्फ एक क्लाज है। 1973 में संसद ने इस एक्ट को पास किया और जनता को राहत मिली। आज लोकतन्त्र ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी, विराजिए। इस पर विवेचन नहीं होगा, हम मेरिट्स पर नहीं जा रहे है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मन्त्री महोदय, ने जो कारण दिए हैं उसमें बताया है कि एक ही बैठक बुलाई है।

श्री माणकचन्द सुराणा : उससे पहले भी हो चुकी हैं, तीन बार हो चुकी हैं, चौथी बैठक कल हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : अब सुराणाजी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया उस पर मतदान कराया जाएगा।

क्या सदन की अनुमति है कि जो प्रस्ताव श्री माणकचन्द सुराणा ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव बहुमत से पारित किया गया।

अब संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल महोदय का सन्देश सचिव महोदय पढ़कर सुनायेंगे।

संदेश

संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल का संदेश

संदेश

श्री सचिव (विधान सभा) : महोदय, राज्यपाल महोदय से संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत विधान सभा द्वारा पारित राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थाई प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978 के सम्बन्ध में निम्न संदेश प्राप्त हुआ है—

मैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

(श्री सचिव)

हुए विधान सभा द्वारा पारित (विधेयक सं. 31) राजस्थान विश्वविद्यालय (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978 को सदन के पुनर्विचार हेतु इस संस्तुति के साथ लौटा रहा हूं कि उपरोक्त विधेयक की धारा 8 को विलोपित करने हेतु संशोधन के पुरःस्थापन की वांछनीयता पर विचार कर लिया जावे। विधेयक की धारा 8 द्वारा धारा 4 के अंतर्गत गठित "अनुवीक्षण समिति की सिफारिशों के विरुद्ध अपील करने का प्रावधान रखा गया है और यह अपील कुलाधिपति द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित" अपील समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। अपील एवं अपील समिति के इस प्रावधान को सदन द्वारा पुनर्विचार कर विलोपित किया जाना निम्न कारणों से में उचित मानता हूं :—

एक ओर धारा 4 के अंतर्गत गठित 'अनुवीक्षण समिति' का अध्यक्ष कुलपति को बनाया गया है तो दूसरी ओर धारा 8 के अंतर्गत गठित 'अपील समिति' में केवल दो शिक्षाविद् (जिनमें से एक अध्यक्ष होगा) एवं एक विषय के विशेषज्ञ होंगे। इस अपील समिति' का प्रावधान किये जाने से विश्व विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में न कुलपति की प्रतिष्ठा एवं व्यक्तित्व में कमी करना होगा वरन् इस प्रावधान से उनमें निहित विश्वास पर सन्देह प्रकट करना होगा तथा इससे कुलपति की भूमिका एवं प्रभाव में भी कमी आये बिना नहीं रहेगी। कुलाधिपति की हैसियत से मेरी यह मान्यता है कि कुलपति से वरिष्ठ एवं अधिक योग्यता वाले शिक्षाविद् को अपील समिति का सदस्य बनाने के लिए चयन करना भी बहुत कठिन होगा।

मेरा विचार है कि 'अपील समिति' का प्रावधान विश्वविद्यालय की स्वायत्तता में भी हस्तक्षेप है क्योंकि 'अपील समिति' द्वारा अपील स्वीकार किये जाने के पश्चात् विश्वविद्यालय में 'अनुवीक्षण समिति' द्वारा अस्वीकार किये गये व्यक्तियों को अधिष्ठायी नियुक्ति देनी होगी जबकि समिति की कार्यवाही में विश्वविद्यालय अथवा कुलपति की कोई भूमिका नहीं रखी गयी है। इस प्रकार विश्वविद्यालय की स्वायत्तता में भारी कमी होने की सम्भावना पैदा हो गई है।

भविष्य के लिये भी धारा 8 के प्रावधान एक गलत उदाहरण प्रस्तुत करेंगे क्यों कि चयन प्रक्रिया में अंतिम निर्णय का जो स्वरूप निहित है, वह अंतिम न रह कर अपील के लिए खुला रह जायेगा जिसका लाभ उठाकर 'अनुवीक्षण समिति' द्वारा अस्वीकार किये गये व्यक्ति हाई कोर्ट अथवा अन्य न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर अपनी नियुक्ति को निरन्तर बढ़ाये रखने का भरसक प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त भविष्य में होने वाली चयन प्रक्रिया के लिए भी निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों द्वारा अन्य 'अपील समिति' भी गठित किये जाने हेतु मांग उठाई जावेगी।

(रघुकुल तिलक)
राज्यपाल राजस्थान
नवम्बर, 3, 1978

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्षजी, राजस्थान सरकार को आगाह किया था कि बिल आंख-मूंद कर पास कर रहे हैं। अब राज्यपाल ने वापस भेज दिया।

श्री मूलचन्द डागा : बार बार मैम्बरों ने कहा, यह कर क्या रहे हो ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्री महोदय।

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्व-विद्यालय....

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : आप पढ़ क्या रहे है?

श्री परसराम मदेरणा : राज्यपाल का सन्देश इस जनता सरकार, राजस्थान के शिक्षा मंत्री, उनके पूर विभाग की कार्य-प्रणाली के ऊपर सैड कमेन्टरी ही नहीं है बल्कि इसमें काम्पीटेन्स को रिफलेक्ट किया गया। इन्होंने जो इस प्रकार का कानून बनाया है और अमेंडमैंट जो लाये हैं, मुझे याद है जब सदन में विचार हो रहा था उस वक्त यह एबरप्टली अमेंडमैंट लाये थे बिना सोचे समझे, जो दलीलें दी हैं राज्यपाल महोदय ने कि आटोनामी में हस्तक्षेप हो जायेगा इस बात को मैं नहीं मानता। कुलाधिपति के मान की बात तो है। इसका मतलब यह है कि आटोनामी के नाम पर, उनकी मान प्रतिष्ठा के नाम पर शिक्षण संस्थाओं को वाटर टाइट कम्पार्टमेंट बनाया जा रहा है, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं। यह शिक्षा का मन्दिर है इस मन्दिर के अन्दर उनकी पोजीशन को कम्प्रोमाइज किया जा रहा है। सैक्शन 8 पढ़िये। इसमें जो कमेटी बनेगी, उसको मनोनीत कौन करेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहूंगा यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें कि सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाये उस पर आप आपत्ति कर सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : गवर्नर ने यह सन्देश नहीं भेजा है। The House should re-consider the matter in the sense that clause 8 should be deleted. मिनिस्टर ला रहे हैं सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव यह, इनकी काम्पीटेन्स का दूसरा उदाहरण है। यह अभी कुछ कर नहीं सकते।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपके इस अधिकार को चुनौती नहीं दे रहा हूं। आपका एतराज वाजिब हो सकता है। पहले प्रस्ताव तो प्रस्तुत करने दीजिये।

(व्यवस्था का प्रश्न)

विधेयक के पुरःस्थापन-प्रस्ताव के दो दिन पूर्व विधेयक की प्रतियों की सदस्यों को उपलब्धि।

श्री मूलचन्द डागा : जब दो दिन पहले हमारे पास बिल है नहीं तो रूल 66 के अन्दर अधिकार नहीं है ....

श्री उपाध्यक्ष : आप पान्इट आफ आर्डर उठाइये।

श्री मूलचन्द डागा : रूल 66 साफ कहता है। दो दिन पहले हमें बिल तो दीजिये। आप प्रस्ताव कर रहे हैं इन्ट्रोडक्शन का। आप रूल 66 पढ़ियेगा।

श्री परसराम मदेरणा। This matter is not before the House.

श्री मूलचन्द डागा : The Bill must be laid before the House two days in advance. अभी भी कहां हो रहा है। मैं तो देखकर आश्चर्य कर रहा हूं। आप कानून के पूरे पारंगत हैं।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मदेरणा जी ने निवेदन किया है कि राज्यपाल महोदय एक तरफ राज्यपाल हैं दूसरी तरफ कुलाधिपति भी हैं। जो उनको संदेश पढ़कर सुनाया है वह हाउस की प्रापर्टी है। मैं चाहूंगा कि उनके सन्देश की कापियां माननीय सदस्यों को भेजी जायें। जो बिल लाना चाहते हैं, वह सदस्यों के पास आये ताकि हम स्टडी करके आवें। उसके बाद मंत्री महोदय प्रस्ताव लावें। राज्यपाल महोदय ने जो सन्देश दिया है वह बहुत लम्बा चौड़ा सन्देश है उसमें कई कानूनी स्थितियां बनी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वे कुलाधिपति भी हैं, राज्यपाल हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि उनके सन्देश की प्रतियां माननीय सदस्यों के पास आयें और वे देखें, वास्तव में उनके जो विचार हैं वह रख सकें। प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव माननीय मंत्री महोदय नहीं ला सकते।

श्री माणक चन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान रूल 94 की ओर दिलाना चाहता हूं--

"When a bill, which has been passed by the House is returned by the Governor for re-consideration, point or points recommended shall be put before the House by the Speaker, and shall be discussed and voted upon in the same manner as amendment to a Bill or in such other way as the Speaker may consider most convenient for their consideration by the House."

श्री मूलचन्द डागा : बिल्कुल ठीक है, We admit it.

श्री माणक चन्द सुराणा : आर्टिकल 200 के तहत माननीय राज्यपाल महोदय ने जो भी विचार इस हाउस को कन्सीडरेशन के लिए भेजे हैं, जिन्हें अभी माननीय सचिव महोदय ने पढ़ा है, वे पाइन्ट हैं जिन पर हमें विचार करना है I don't say that we should do it immediately.

श्री मूलचन्द डागा : So you agree with us ?

श्री माणकचन्द सुराणा : आप अपनी वाल्यूम को अधिक करके दबा नहीं सकते हैं। आप आर्गूमेंट का जवाब आर्गूमेंट से दें। जो पाइन्ट उन्होंने रेफर किये हैं, यह सदन उन पर उसी तरह विचार करने में सक्षम है जिस तरह एक अमेण्डमेंट के लिये प्रावधान है। इसलिए उनके द्वारा बताये गये पाइन्ट्स को इस रूल के अनुसार संशोधन मानकर विचार करना चाहिये। और उन पर विचार करने की प्रक्रिया इन नियमों के अनुसार अध्यक्ष महोदय तय कर सकते हैं। एक तो यह है कि उन्होंने जो पाइन्ट्स भेजे हैं, उनको सर्कूलेट किया जाय और एक दिन के लिये डेफर कर दिया जाय। मैं इसके विरोध में नहीं हूं। यह पाइन्ट्स हमारे लिये सम्माननीय हैं और विचारणीय हैं। यह नहीं है कि हम उससे सहमत ही हों, हमारी असहमति भी हो सकती है। यह बिल हमारे सामने नहीं है.... As soon as this has been sent for re-consideration of the House, it is before us. जो पाइन्ट्स उन्होने बताये हैं उन पर विचार की प्रक्रिया अडाप्ट करनी

(श्री माणकचन्द सुराणा)

पड़ेगी जो एक बिल पर संशोधन करने की प्रक्रिया होती है। इसलिए इसमें कोई एतराज नहीं है कि इसको सर्क्यूलेट कर दें और अमेण्डमेंट की तरह कल या परसों ले लें।

श्री मथुरादास माथुर : यह अमेण्डमेंट मान लिया जाय, Let this amendment be circulated. After it is circulated, we can consider it.

श्री रघुनन्दन व्यास : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। मेरा निवेदन है कि 66··

(व्यवधान)

श्री माणक चन्द सुराणा : अमेण्डमेंट तो तब आयेगा जब कोई माननीय सदस्य राज्यपाल महोदय की राय मानकर उसके अनुकूल अमेण्डमेंट पेश करें। राज्य सरकार को स्वीकार करना जरूरी नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : एक माननीय सदस्य ने पाइण्ट आफ आर्डर रेज किया है।

श्री रघुनन्दन व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पाइन्ट आफ आर्डर रेज किया है। मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि राज्यपाल महोदय का सन्देश 200 के तहत आया हुआ है। इस सम्बन्ध में माननीय डागाजी ने जो पाइन्ट रेज किया है उसी के अनुसार यह सर्क्यूलेट होना चाहिये। इस सदन ने ही इस बिल को पारित किया था और पारित करके गवर्नर महोदय के यहां असेंट के लिये भेजा है। उसके बाद यह बिल वापस आया है धारा 200 के तहत। आज यह कहें कि बिल की जानकारी नहीं है और बिल को उसी रूप में सर्क्यूलेट करना चाहिये जब कि वह आज की कार्यवाही में है

(व्यवधान)

मेरी बात कहने दीजिये।

आज की कार्यवाही में यह चीज ली हुई है यह कल सर्क्यूलेट हुआ है। हम सबको इसकी जानकारी है कि गवर्नर के यहां से आया हुआ बिल यहां वापस प्रस्तुत होगा और समिति को सौंपा जाएगा।

श्री मदनसिंह दांता : ये फैक्ट्स आप दे रहे हैं?

श्री माणकचन्द सुराणा : माननीय सदस्य जो कह रहे हैं···

(व्यवधान)

मैं निवेदन कर रहा हूं जो पाइन्ट्स अमेंडमेंट के रूप में भेजे हैं, माननीय सदस्य जो उनकी राय से सहमत हैं वे अमेंडमेंट के रूप में पेश करेंगे। राज्य सरकार उससे इत्तफाक करे या नहीं करे, यह अलग बात है···

श्री शंकरलाल : पहले वाली बात से आप हट गये। पहले माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि राज्यपाल महोदय का जो सन्देश है, उसको सर्क्यूलेट किया जायगा और अब आप विथड्रा कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा वे स्वयं स्वीकार कर चुके हैं, राज्यपाल महोदय का जो सन्देश आया है, उसको प्रक्रिया के अनुसार सब माननीय सदस्यों को सर्क्यूलेट किया जाय। फिर जो उनकी राय है, उस पर विचार करें और विचार करने के बाद यह निर्णय करें कि बिल प्रवर समिति को सौंपा जाय या उनके सन्देश को

Page No 111

(111)

(श्री शंकरलाल)

मान लें। यह एक सीधा सादा सा प्रश्न है। इसमें ऐसी बात कौनसी है? एक तरफ तो आप लोकतन्त्र की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ राज्यपाल महोदय का सन्देश सदन में लाने नहीं देते हैं और कहते हैं जल्दी से पास कर दीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, हमें कम से कम समय तो दीजिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष जी, आधा सेकिण्ड चाहिये · · ·

(व्यवधान)

आपकी आज्ञा हो तो · · .

श्री मंजूर अली : माननीय डागा जी ने जो आपत्ति प्रस्तुत की है कि यह सक्यूलेट नहीं किया गया इसलिए इसका जिक्र यहां नहीं हो सकता है तो मैं रूल 66 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अगर बिल पहली बार इण्ट्रोड्यूज हो रहा है तो उसको दो दिन पहले सक्यूलेट किया जाना जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने दोनों रूल्स को पढ़ लिया है। आप क्या कहना चाहते हैं, कह दीजिये।

श्री मंजूर अली। यह इन्टरप्रिटेशन तब हो सकता है जब गवर्नमेंट की तरफ से नया बिल इन्ट्रोड्यूज किया जाता है। यह पहले पेश किया जा चुका है और यहां डिसकस भी हो चुका है। रूल 94 अप्लाई होता है उस हालत में जिसमें बिल आपत्ति के साथ राज्यपाल के यहां से रेफर किया गया है · · ·

श्री श्योपतसिंह मकासर : राज्यपाल महोदय ने क्या लिखा है, वह देखना चाहते हैं प्रवर समिति को सौंपने से पहले। उन्होंने क्या लिखा है आपको?

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष जी, सदन के सम्मुख जो बिल है वह अभी हमारे सामने है और उधर से ट्रेजरी बेंचेज से माननीय शिक्षा मन्त्री जी, प्रभारी मंत्री जी से यह प्रस्ताव आया है कि as passed by the house सिलेक्ट कमेटी को रेफर करें। इस पर चर्चा हो सकती है इस हाउस में, यह प्रोसीजर है। आर्टिकल 200 के तहत जो पाइन्ट्स उन्होंने उठाये हैं उसमें लिखा है 'as passed by the house'

माननीय सदस्य इससे सहमत हों वे हाउस में मूव कर दें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, यह रूल 66 है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। प्रक्रिया एवं कार्य संचालन का जो नियम 66 है और 94 है, वह 94 यहां पर अप्लाई करना चाहिए।

"When a Bill which has been passed by the House is returned by the Governor for re-consideration...."

राज्यपाल महोदय ने अपनी असेंट बिल पर नहीं दी और दुबारा रेफर कर दिया असेम्बली को?

"When a Bill is introduced, or on some subsequent occasion...."

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

मंत्री महोदय आज इसको सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने का प्रस्ताव लेकर आए हैं तो it demands that the procedure laid down in the rules should apply. And the rules demand that, श्रीमान्, रूल 94 में लिखा हुआ है।

"....and shall be discussed and voted upon in the same manner as amendment to a Bill or in such other way as the Speaker may consider most convenient for their consideration by the House."

यह जो स्पीकर महोदय ने केसेट दी है वह तो इसलिए दी कि पोइन्ट और पोइन्ट्स गवर्नर महोदय ने रेफर करे उसके बारे में माननीय सदस्य पहले से स्टडी करके आयें और अपनी कंसीडर्ड ओपीनियन हाउस में कह सकें। इसलिए माननीय सदस्यों का यह अधिकार है कि राज्यपाल महोदय ने पोइन्ट एण्ड पोइन्ट्स इस बिल पर भेजे हैं, जिसको कि असेम्बली ने पास करके भेजा है, we should have an opportunity to see those points सभी सदस्य इसकी कोम्पीटेंस को कंसीडर करके अपनी रीजनेबल राय हाऊस में दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने जो चर्चा उठाई है उसको मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। उन्होंने जो रिलेवेंट रूल्स कोटकिए हैं उनको भी पढ़ा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि...

श्री रामनारायण चौधरी : व्यवस्था दे रहे हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरी बात भी सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं व्यवस्था देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : मुझे क्या मालूम कि आप व्यवस्था दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : यह मैं पहले से कैसे इंडीकेशन दूं कि व्यवस्था दे रहा हूं। किसी भी माननीय सदस्य ने जब यह नहीं कहा कि मैं बोलना चाहता हूं तो फिर मैं क्या करूंगा।

मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि रेलेवेन्ट रूल 94 है। उस रूल 94 में यह व्यवस्था है कि जब वापस कंसीडरेशन के लिए कोई बिल भेजा जाता है तो हाउस उसको उसी तरीके से डिस्कस करेगा, वोट करेगा जिस तरीके से स्पीकर महोदय उपयुक्त समझें। इसके लिए हर माननीय सदस्य को सूचना इस बात की दी जानी चाहिए कि माननीय स्पीकर महोदय ने क्या प्रक्रिया तय की है, चर्चा करने की विधिवत प्रक्रिया क्या निश्चित की है ? मैंने इस बारे में सचिवालय से जानकारी की है। माननीय स्पीकर महोदय ने इस सम्बन्ध में कैसे चर्चा की जावे, क्या प्रक्रिया अपनाई जावे उसके बारे में केवल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने यह मसला रखा है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट अभी-अभी सदन द्वारा स्वीकार की

(श्री उपाध्यक्ष)

गई है लेकिन मेरी यह धारणा है कि कोई भी बिल अगर वापस लौट कर आता है तो माननीय सदस्यों को उसकी पूरी जानकारी दी जानी चाहिए कि किन प्रश्नों पर राज्यपाल महोदय ने उसे लौटाया है। उसके बारे में विचार करने का उसकी परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करने का, माननीय सदस्यों को पूरा अधिकार है। उसके बाद में गवर्नमेंट की तरफ से कोई अमेंडमेंट, कोई संशोधन आता है तो उस पर भी वे अपना अमेंडमेंट दे सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में चूंकि सभी माननीय सदस्यों को इसका अवसर नहीं मिला है इसलिए मैं चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय के संदेश की प्रतिलिपि सभी माननीय सदस्यों को दिलाई जावे। इसके बाद यह डिस्कस होगा और गवर्नमेंट अगर यह चाहें कि हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं, हाऊस के अन्दर डिस्कस करना चाहते हैं या सलेक्ट कमेटी में रेफर करना चाहते हैं, पब्लिक ओपिनियन के लिए सर्क्यूलेट करना चाहते हैं तो उस पर भी माननीय सदस्यों को संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार होना चाहिए। अब मैं चाहूंगा कि यह प्रक्रिया जो मैने बताई है उसकी पहले पालना की जावे और उसके बाद इसको लिया जावे।

श्री मदनसिंह दांता : तो यह बिल हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : पेंडिंग है। इस पर मैंने जो प्रक्रिया बताई है उसके अनुसार पहले कार्यवाही की जावेगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपका यह निर्णय स्वीकार हुआ साहब।

श्री मदनसिंह दांता : With all your majority, the bill has been dropped.

श्री किशनसिंह भाटी : The Bill has not been dropped, the idea is dropped.

विधायी कार्य

राजस्थान के विश्वविद्यालय, अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें (संशोधन) विधेयक, 1978

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : दूसरे विधेयक के संबंध में प्रस्ताव करें, मंत्री महोदय।

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1978 को एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक प्रस्तुत करें।

सदस्यों के नामों की सूची बाद में प्रस्तुत कर दी जाएगी।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने कल ही अपना मोशन दे दिया था। I have given a motion yesterday at 7 P.M. मेरा मोशन क्यों नहीं सर्क्यूलेट हुआ? My motion should have been circulated रूल 245 और 255 के अन्तर्गत। When I

(श्री मूलचन्द डागा)

have moved a motion, आप देख लीजिए अपने सैक्रेटेरियेट में। मैंने मोशन दिया था कि यह बिल जो आज रखा जाएगा उसे सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया जावे। वह क्यों नहीं आया?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय स्वयं ही यह प्रस्ताव कर रहे हैं। दोनों का प्रस्ताव एक ही है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं रूल 255 के तहत कह रहा हूं। आप सक्र्यूलेट क्यों नहीं कर रहे हैं?

श्री किशनसिंह भाटी : सक्र्यूलेशन का कन्वेंशन नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : I have given notice, मुझे अधिकार है

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि यह आपका भी अधिकार था। सभी माननीय सदस्यों को जानकारी होती कि इस तरह का प्रस्ताव आपने दिया है। वह होना चाहिए था लेकिन उन्होंने आपका प्रस्ताव पहले ही मान लिया है इसलिए आपकी हानि नहीं होगी।

(व्यवधान)

आपका जो भी प्रस्तुत मोशन है मैं उसका विरोध नहीं करता किन्तु वही मोशन हाउस के सामने आ गया है।

प्रश्न यह है कि शिक्षा मंत्री महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है और वैसा ही जो माननीय सदस्य श्री डागा साहब ने प्रस्ताव रखा है कि इसको सलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय, इसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया। बिल को सलेक्ट कमेटी को रेफर करने की स्वीकृति दी गई।

घोषणा

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, 1978-79 प्रथम (संकलन) पर विचार

अब जो कटौती प्रस्ताव आज विचारार्थ प्रस्तुत हुए हैं। अनुपूरक अनुदानों की मांगों के ऊपर इसके बारे में भी एक व्यवस्था माननीय सदस्यों को देनी है।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचना देनी है कि अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव विधिवत प्रस्तुत हुए हैं। इस संबंध में गत वर्षों से अपनाई जा रही पद्धति की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि आज केवल तीन ही अनुपूरक अनुदान की मांग पर वाद विवाद होगा। शेष मांगे सीधे मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेंगी। इसके अतिरिक्त विनियोग विधेयक एवं दो अन्य विधेयकों पर भी विचार किया जायगा। ऐसी स्थिति में समयाभाव के कारण यह सम्भव नहीं होगा कि कटौती प्रस्तावों की सूचना देने वाले सभी माननीय सदस्यों को विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जा सके।

पिछले कुछ वर्षों में अपनाई गई परिपाटी के अनुसार सभी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हुए मान लिये जायें और जिन माननीय सदस्यों के नाम पुकारे जायं वे अपने सभी कटौती प्रस्तावों पर बोलने की कृपा करें। मैं चाहूंगा कि अभी से आरम्भ होने वाली चर्चा में एक घन्टा डेन पर चर्चा

(श्री उपाध्यक्ष)

के लिए लिया जावेगा और उसके बाद में मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर विवरण में दी गई शेष सभी मांगें मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

श्री मदनसिंह दांता : जब बिल आप कंसीडर करें उस पर बोल सकते हैं। इस वक्त इनको पास कर लें।

श्री मूलचन्द डागा: उपाध्यक्ष महोदय, फिर गवर्नमेंट को आगाह करने की जरूरत है। मैंने पांइन्ट आफ आर्डर उठाया था और उस पर आपने भी मत व्यक्त किया था कि मांगों का डिटेल में ब्रेक अप देना चाहिए। इन्होंने तीन का तो दिया है लेकिन 11 का नहीं दिया है। आपने कहा था कि आगे से ध्यान रखेंगे लेकिन फिर वही बात। इन्होंने डिमाण्डों का ब्रेक अप नहीं दिया है। ये कुछ करना ही नहीं चाहते। श्रीमान्, पहले जो डिमाण्ड पेश की गई थी उस वक्त भी यह कहा था कि आगे से डिटेल देंगे। तीन का दे दिया, बाकी का नहीं दिया :

श्री रघुनाथ विश्नोई : तीन डिमाण्ड जो डिस्कस होने वाली हैं उसका तो दे दिया। वे तो यहां पर वैसे ही डिस्कश हो जायेंगी, उनका जवाब भी दे दिया जाएगा लेकिन जो डिमाण्ड्स मुखबन्द के द्वारा पास होनी है उनका ब्रेक अप तो देना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा: इनको रूल पेश कर दिया लेकिन यह शासन तो बिल्कुल निकम्मा शासन है।

श्री उपाध्यक्ष: जो माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे मैं उनसे यह अपेक्षा करूंगा, यह निवेदन करूंगा कि समय कम लें और संक्षेप में अपने विचार कह दें।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, 19-78-79

(प्रथम संकलन)

मांग संख्या 6, 11, 19 की प्रस्तुति

श्री विरदमल सिंघवी [विधि मंत्री]: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5, 70,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष: मांग प्रस्तुत हुई।

खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्री।

श्री जयनारायण पूनिया (खाद्य एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 11 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,85,000 रुपये तक की राशि और प्रदान का जाय।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 52, 05,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष: मांग प्रस्तुत हुई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6, 11, व 19 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 6 मुख्य शीर्षक न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

Page No 116

(116

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) :

1. मुन्सिफ और न्यायिक दण्डनायकों के नये सृजित पदों से विभागीय फिजुलखर्ची व अज्ञानता बढ़ने से उत्पन्न निराशा पर चर्चा के लिए।

श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा) :

2. दण्डनायकों के विभिन्न नये सृजित पदों के लिए अतिरिक्त स्वीकृत राशि की मांग के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशन पोल बाजार) :

श्रीमती उज्जला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण)

3. मुन्सिफ और न्यायिक दण्ड नायकों के कार्यालय में नये सृजित पदों के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद):

श्री बालचन्द आर्य (डग):

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी):

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) :

4. मुन्सिफ और न्यायिक दण्डनायकों के कार्यालयों में सृजित विभिन्न नये पदों के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही):

5. नए सृजित पद वांछनीय नहीं है। इस पर चर्चा के लिए।

श्री करतार सिंह (किशनगढ़) :

6. न्यायालयों में नये सृजित पदों के बावजूद भी वर्तमान में अजमेर के सब न्यायालय अतिरिक्त सब न्यायालय एवं अन्य मुन्सिफ कोर्टस में नकलें प्राप्त करने में हो रहे अप्रत्याशित विलम्ब के फल स्वरूप जनता को हो रही परेशानी

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

7. सांचौर में मुंसिफ न्यायालय के लम्बित केसेज को निपटाने हेतु अतिरिक्त पद सृजित नहीं कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री बन्सीलाल सारस्वत (नागौर) :

8. मुन्सिफ एवं दण्डनायकों के कार्यालयों में कुछ अतिरिक्त पदों के कटौती की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरु) :

9. नवीन सृजित पदों के सन्दर्भ में न्याय प्रशासन में सुधार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरीकृष्ण (नदबई) :

10. नवीन सृजित पदों के कारण हो रहे सरकारी पूंजी पर खुलकर दुरुपयोग के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत):

11. नये सृजित पदों के बावजूद न्याय प्राप्ति में होने वाली देरी पर चर्चा के लिए

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

12. मुन्सिफ और न्यायिक दण्डनायकों के लिए नये पदों के औचित्य पर चर्चा के लिए।

13. सृजित नये पदों पर पदास्थापन के संबंध में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) :

14. मुन्सिफ और न्यायिक दण्डनायकों के नये पद सृजित हो जाने के बाद भी न्यायालयों के कार्य की गति में कोई परिवर्तन नहीं होने पर चर्चा के लिये।

11. कार्य के बदले अनाज देने की योजना के साथ जब तक मजदूर को मजदूरी के एवज में आधा धान तथा आधी राशि रोकड़ के रूप में नहीं देने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हरीकृष्ण (नदवई) :

12. योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न की वितरण व्यवस्था ठीक न होने पर चर्चा के लिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) :

13. काम के बदले मजदूरों को अनाज पर्याप्त मात्रा में नहीं देने से उनमें व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

14. अतिरेक व्यय के बाद भी कार्य के बदले जो गेहूं दिया जाता है वह अपर्याप्त है उस पर चर्चा के लिये।

श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनूं) :

15. काम के बदले अनाज देने की योजना में सामग्री की व्यवस्था कराने पर चर्चा के लिये।

16. काम के बदले अनाज देने की योजना के संबंध में स्पष्ट निर्देश नहीं होने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) :

17. काम के बदले अनाज देने की योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले गेहूं के वितरण प्रबन्धों पर व्यय के संबंध में चर्चा के लिये।

मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक खाद्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) :

1. गेहूं के वितरण प्रबन्ध में फिजूल खर्ची पर चर्चा के लिये।

श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा) :

2. कार्य के बदले अनाज देने की योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले गेहूं के वितरण प्रबन्ध पर व्यय हेतु स्वीकृत होने वाली राशि के असंतुलन के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल जयपुर) :

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण) :

3. कार्य के बदले अनाज देने की योजना पर वितरण प्रबन्ध पर होने वाले व्यय के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) :

श्री बालचंद आर्य (डग) :

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी) :

4. कार्य के बदले अनाज की योजना के अन्तर्गत गेहूं वितरण प्रणाली के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही)

5. गेहूं के वितरण प्रवन्ध पर जो अधिक व्यय हो रहा है उसे कम किया जावे इस पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ विश्नाई (सांचोर) :

6. सरकार की कार्य के बदले अनाज योजना पर चर्चा के लिये।

7. राजस्थान में काम के बदले अनाज देने की योजना के अन्तर्गत अब तक किये गये व्यय पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

8. बाड़मेर जिले में कार्य के बदले अनाज देने की योजना के अन्तर्गत अभी तक कोई कार्य नहीं लिये जाने के कारण किसानों में घोर असन्तोष व्याप्त है जिस पर चर्चा के लिये।

9. कार्य के बदले अनाज देने की योजना के साथ जब तक आधी राशि रोकड़ में नहीं दी जाती है तब तक योजना की असफलता की सम्भावना है जिसपर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल चोधरी (रानीवाड़ा) :

10. जालौर जिले में कार्य के बदले में अनाज देने की योजना के अन्तर्गत अभी तक कोई कार्य नहीं लिया गया है जिससे किसान व मजदूरों में घोर असन्तोष व्याप्त है इस पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) :

1- अलवर और कोटा में महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण पर अन्य क्षेत्रों के अपेक्षा अधिक व्यय करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर) :

2. अलवर एवं कोटा महाविद्यालय भवनों के निर्माण पर व्यय होने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

श्री बालचन्द आर्य (डग) :

3. परिवार कल्याण पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत पोस्ट मारटम केन्द्रों के निर्माण के औचित्य के संबंध में चर्चा के लिये।

4. अलवर और कोटा में महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु अपेक्षित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

5. चम्बल मण्डियों के विकास कार्यों हेतु खर्च राशि के औचित्य के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) :

6. अलवर एवं कोटा के महाविद्यालयों के भवन निर्माण में कटौती व शेष राशि अन्यत्र लगाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

7. जिला जालौर में परिवार कल्याण योजना के अन्तर्गत पोस्ट मारटम केन्द्रों का निर्माण नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री औंकारलाल चौहान (अटरू) :

8. चम्बल क्षेत्र की ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में क्षेत्रीय विकास की योजना को क्रियान्विति हेतु तथा प्राथमिकता देने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) :

9. पोस्ट मारटम के लिये अलग भवन निर्माण न करवा कर वर्तमान चिकित्सा केन्द्रों की इमारत का विस्तार करने पर चर्चा के लिये।

10. कोटा व अलवर के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में महाविद्यालयों के लिये भवनों के लिये राशि उपलब्ध न किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

11. अलवर और कोटा में महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण पर अनावश्यक खर्चे पर चर्चा के लिये।

12. परिवार कल्याण पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत पोस्ट मारटम के भवनों के निर्माण में अनावश्यक खर्चे पर चर्चा के लिये

13. लघु सिंचाई भूमि संरक्षण और क्षेत्र के विकास पर जो पूंजी खर्च की गई है इसमें पक्षपात करने के कारणों पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

14. लाडनूं कालेज भवन के पुस्तकालय भवन को पूरा कराने पर चर्चा के लिये।

15. पोस्ट मारटम केन्द्रों के निर्माण में अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये।

16. चम्बल मण्डी विकास के नाम पर की जा रही अनियमितताएँ, पक्षपात व धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6, 11 व 19 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष: श्री ईश्वरचन्द्र।

श्री ईश्वर चन्द्र: क्या यह न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में है। कृपया थोड़ी मदद करें।

श्री उपाध्यक्ष: मांग संख्या 11 के बारे में कहना चाहते हैं।

श्री ईश्वरचन्द्र: उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 6 के बारे में कहना चाहूंगा। एक तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि न्याय प्रशासन का जो मौजूदा सैट अप है उसमें जुडिशियरी को पूरी तरह से डिमोरेलाइज किया जा रहा है। आर.जे.एस. के साथ आर.ए.एस. के मुकाबले भेदभाव किया जा रहा है। यह भेदभाव की नीति दूर की जानी चाहिए। आर. ए. एस. अधिकारी को बीस पर्सेन्ट प्रमोशन सीनियर स्केल में मिलता है और दस पर्सेन्ट सलेक्शन ग्रेड मिलने का प्रोवीजन है जबकि आर. जे. एस के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। आर. जे. एस सर्विसेज के लिये भी इस प्रकार का आरक्षण हो तो हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा न्याय हमें मिल सकेगा। उनको स्टेनोग्राफर नहीं मिलता है। उनके बैठने की कोई जगह नहीं है। रहने को कोई मकान नहीं है। सरकार को इस बारे में सम्यक नीति बनाकर जिस प्रकार आर. ए. एस. के लिये 20 पर्सेन्ट प्रमोशन सीनियर. स्केल अर 10 पर्सेन्ट सलेक्शन ग्रेड का प्रोविजन किया गया है, वे ही चान्सेज आर. जे. एस. को निश्चित रुप से मिलने चाहिए। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट जज को मकान की जरूरत है तो उसे एक आई. ए.

Page No 120

(120)

(श्री ईश्वरचन्द्र)

एस. के हाथ जोड़ने पड़ते हैं। वह उसको मकान अलॉट करता है। मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को वह मकान अलाट नहीं कर सकते उनको भी आई. ए. एस की मेहरबानी पर जिन्दा रहना पड़ता है। इस व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। इस विसंगति को दूर किया जाना चाहिए। उनको ही हाउस अलाटमेन्ट आथोरिटी बना देना चाहिए ताकि जुडिशियरी को जो हम सक्षम और इन्डिपेन्डेन्ट बनाना चाहते हैं, वह बना सकेंगे। 241 न्यायालय हैं। मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट है वहां पर चार लाख मुकदमे पेन्डिंग हैं। आप जो न्यायालय खोल रहे हैं, उसके लिए आपका जो मापदंड है, उसका केवल एक उदाहरण आपको यहां पर देना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र पिडावा में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट खोलने के बारे में निवेदन किया था। वहां से यह रिपोर्ट आई कि हर महीने 75 केसेज पिड़ावा में दर्ज होते हैं। उच्च न्यायालय और हमारी सरकार ने वहां पर न्यायालय खोलने के लिए यह कह कर मना कर दिया कि 75 मुकदमात बहुत कम हैं। यह एक तरह से उपेक्षित क्षेत्र हैं। मेरे क्षेत्र के लोगों को इस्तगासा पेश करने के लिए करीब 100 मील जाना पड़ता है। इसलिए मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि यह जो मापदंड है इस पर पुनर्विचार किया जाए।

मेरा यह भी निवेदन है आर. जे. एस. को गौरव, सम्मान दिया जाए तब जाकर न्याय प्रशासन की व्यवस्था सही हो सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष: श्री माणकलाल ठाकोर।

श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा):

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रश्न है, उनको स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपातकालीन स्थिति में सस्ता न्याय दिलाने का ढोल पीटा गया था। सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के सम्बन्ध में कई प्रकार की योजनाएं बनाई गई थीं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सस्ता न्याय दिलाने की जो घोषणा की गई थी वह थोथी साबित हुई। हमारे शासन में इसमें कुछ सुधार हुआ लेकिन जैसी प्रगति होनी चाहिए थी वह नहीं हुई है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक तरफ छोटे कस्बों में न्यायालय खोले जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि देहाती क्षेत्रों में न्याय सुलभ कराया जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? मेरे स्वयं के क्षेत्र नैनवा में एक मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हुई उसके लिए मैं विधि मन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। किन्तु वहां क्या हो रहा है? जो महत्वपूर्ण मुकदमे हैं धारा 336 आई. पी. सी. के, उन मुकदमों को वहां से उठा कर के हैड क्वार्टर बूंदी न्यायालय में ट्रांसफर किया जा रहा है, वहीं पर इनकी ट्रायल करना चाहते हैं। अभी हाल ही में 144 मुकदमे नैनवा मुन्सिफ मजिस्ट्रेट से हटाकर बूंदी की कोर्ट नम्बर एक में ट्रान्सफर किये गए है? किस कारण से ये किए गए हैं? हमारे यहां पर जो एक्साइज इन्स्पेक्टर होता है वह केवल एक ही है इसलिए वह नैनवा, बूंदी, कोटा, सब जगह कोर्ट अटेन्ड नहीं कर सकता है। कहावत है—जूता अगर छोटा है तो पैर को काट दिया जाय। यही हालत आज हमारे न्याय विभाग की है। एक्साइज इन्स्पेक्टर

(श्री माणकलाल ठाकोर)

एक है इसलिए ये मुकदमे, जो विशेषकर गरीब अनुसूचित जाति बैरवा के है, 60 किलोमीटर दूर ट्रान्सफर कर दिए गए हैं। वे लोग गरीब हैं। उनके पास आने – जाने का खर्चा नहीं है। उनको परेशानी हो रही है। इसी प्रकार 326 : 325 के जो बड़े मुकदमे हैं फूड अडल्ट्रेशन के उनको वहां से हटा कर के बूंदी भेजा जा रहा है। मैं विधि मन्त्री, जो आज ही मन्त्री बने हैं, से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे कृपया इस प्रकार की धांधली को बन्द करें। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज किस प्रकार का आर. जे. एस. के द्वारा पब्लिक के साथ व्यवहार किया जा रहा है? इसमें कोई शक नहीं है कि मुकदमों के फैसले क्या किये जाएं, इस बारे में वे स्वतन्त्र हैं परन्तु उनका पब्लिक के साथ किस प्रकार का व्यवहार है, वह बहुत ही खराब है। हमारे यहां मुन्सिफ मजिस्ट्रेट नैनवा है उनको यह तमन्ना है कि रोजाना एक को गिरफ्तार किया जाए, उनको पीटा जाए। जब तक यह नहीं होता उनकी भूख नहीं मिटती।

श्री मूलचन्द डागा : ऐसे मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को तत्काल सस्पेन्ड किया जाए।

श्री माणकलाल ठाकोर : इसी प्रकार बूंदी की एक अदालत में जो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट अग्रवाल है, उनकी हमारी विधायक महोदय से यह कहने की हिम्मत हो जाए कि तुम बाहर होओ तो इसमें कोई शंका नहीं है कि न्याय के मामले में आपका कन्ट्रोल नहीं है। न्याय प्रशासन के मामले में वह यह नहीं जानें कि जनता पार्टी की सरकार का कन्ट्रोल नहीं है इसलिए आप इसको कन्ट्रोल करने की कोशिश करें।

मांग नं. 11 के बारे में निवेदन है कि कहीं ऐसा न हो अकाल राहत कार्य में पैसा दिया जाय और पैसा बनाने के लिये अकाल राहत का नाटक किया जाय। इससे तो पहला राज जो करता था उससे भी खराब स्थिति होगी।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : हमारे नये विधि मंत्री जी को, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में हाजिर रहना चाहिये।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : हमारे नये विधि मंत्री।

(व्यवधान)

श्री माणकलाल ठाकोर : अकाल राहत कार्य से बेकारी दूर होने में मदद मिलेगी लेकिन अकाल राहत के लिये जो पैसा दिया जाय उसका सदुपयोग इस तरह से होना चाहिये कि जहां आपने अनाज देकर मजदूरी की व्यवस्था की है वहां आप कृपा करके थोड़े और पैसे की व्यवस्था कीजिये। माननीय मंत्री महोदय, जो मैटीरियल है, जो डामर है, जो चूना, पत्थर है उनके अलावा थोड़े पैसे की व्यवस्था आप करं दें तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की काया पलट होगी, और बेकारी दूर होगी और एक बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव। श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दोनों कटौती प्रस्तावों पर बोलना चाहूंगी। मेरा निवेदन है मान्य-

(122)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

वर, जो भी आज तक पद रिक्त पड़े हुए हैं, यदि उनको शीघ्र ही भर दिया जाय तो न्याय जल्दी मिलेगा ही। जब पद ही रिक्त पड़े है तो न्याय कहां से मिलेगा ? विधि मंत्री महोदय सर्वेक्षण करा कर जहां जहां पद रिक्त हैं उनको शीघ्र भरने की व्यवस्था करें जो पहले के पेंडिंग केस हैं उनको पहले फैसला किया जाय।

मांग संख्या 11 के बारे में कहना चाहूंगी, पहले भी सदन में मैंने निवेदन किया था कि जितना श्रम का मुआवजा सरकार देना चाहती है वह बहुत कम है। सेन्टर की गाइड लाइन्स और फेमिन कोड के हिसाब से काम के बदले अनाज का निर्णय बहुत अच्छा है लेकिन और चीजें खरीदने जाते हैं शहर में तो वे बहुत महंगी मिलती है। पिछले दिनों का इतिहास बताता है कि जो भी अकाल राहत कार्य हुए हैं जहां भी सड़क पर पैसा खर्च किया वहां रोड़ी तो बिछ गई लेकिन उस पर डामर नहीं हुआ। मैं समझती हूं कि यह पैसा बहुत कम है। हमारी राजस्थान सरकार पहल करे। इसमें थोड़ा पैसा बढ़ाया जाना जरूरी है। मजदूरों को केवल रोटी ही नहीं चाहिए। उनको इतना पैसा मिले कि वे अपना दवा-दारू, कपड़ा भी खरीद सकें। और साथ ही हमारा काम भी पूरा हो सके। गत वर्ष के बाद हमने काम के लिये मजदूर ढूंढने शुरू किये तो इतने पैसों में मजदूर नहीं मिले और बरसात आने के बाद 31 जून के बाद पैसा समाप्त करने की कोशिश की गई। दुबारा प्रयास किया गया इस काम के लिये सरकार ने अनुमति दी इसके लिये मैं धन्यवाद देती हूं मगर मुझे डर है कि अगले 4 महीनों में काम पूरा नहीं हुआ तो पैसा बरबाद हो जाएगा। अन्य कामों पर पैसा लगावे तो मजदूरों को पैसा ज्यादा मिलता है, दूसरे कामों में पैसा ज्यादा मिलता है। अकाल राहत कामों में पैसा कम मिलने के कारण मजदूर काम पूरा नहीं करते। इसके साथ-साथ जितना अनाज दिया जा रहा है उसके कुछ पैसे भी बढ़ाए जाएं और यह तय किया जावे कि आदमी की जितनी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं के अनुसार किस तरह से हम इतना पैसा दे सकें कि उनके बच्चे भी पढ़ लें और दवा दारू भी कर सके। साथ ही जहां काम शुरू किये हैं वहां ऐसे कैम्प भी रहने चाहिये जिससे अचानक कोई बीमार हो जाय तो उसकी दवा-दारू हो सके। मैंने पिछले दिनों भी कहा था लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। जहां लोग काम करते हैं वहां इतनी व्यवस्था तो उनके लिये होनी चाहिये। उनके दैनिक जीवन में जितनी जरूरत है दवा दारू की वह पूरी नहीं है। मैंने अपने क्षेत्र में देखा है। काम होता है वहां अगर कोई मजदूर चक्कर आने के कारण अचानक गिर पड़े तो उस को वहां से शहर तक लाने का कोई साधन नहीं, दवा-दारू का प्रबन्ध नहीं। अगर ऐसा किया जाय तो उनको भी महसूस हो कि जहां हम काम कर रहे है वहां हमारे लिये भी कुछ सुविधा है, हमारा भी ध्यान रखा जा रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मेरा इतना ही निवेदन है कि इन आवश्यक बातों का ध्यान रखा जाय।

श्रीमती श्यामकुमारी सेंगर (कपासन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी परमीशन हो तो एक अर्ज करना

(श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर)

चाहती हूं कि अभी दीदी ने दवा के साथ दारू का प्रयोग किया है। जनता पार्टी की सरकार हम लोग मद्य निषेध करने वाले है तो –

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : यह एक मुहावरा बन गया है, श्यामा बहन।

एक माननीय सदस्य : यह कोई सब्जी मण्डी नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप माननीय सदस्या कहें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य। दाऊदयाल जोशी। हरीश शर्मा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले आपका ध्यान दिलाया था कि हमारे नये विधि मंत्री महोदय मौजूद नहीं हैं हाउस में और हमारे पुराने विधि मंत्री हैं....

(व्यवधान)

नये विधि मंत्री की सदन में घोषणा हो चुकी है। पुराने विधि मंत्री को हम पसन्द करते हैं। सरकार ने पसन्द नहीं किया, मुख्य मंत्री ने पसन्द नहीं किया –

श्री उपाध्यक्ष : उन्हें अपने विभाग का पूरा अनुभव है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उन्हें अनुभव है तभी तो रखा है। हम चाहते हैं कि हम हमारे विचार नये विधि मंत्री जी के सामने रखें जिससे उन पर कुछ असर पड़े और समस्याओं का कुछ समाधान हो सदन का वेल्यूएबल टाइम है, वेल्यूएबल पैसा खर्च हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपतजी ने जो बात कही है, हो सकता है मंत्रीजी व्यस्त हों। उन्हें अपनी बात कहनी चाहिये। पुराने जो विधि मंत्री हैं वे जो कटौती प्रस्ताव हैं उनके बारे में जानकारी ....

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जवाब वे देंगे, मगर हमने जो मसला रखा है वह तो सामने आना चाहिये। इस महकमे के प्रति उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। इसलिये जिनकी जिम्मेवारी है, जिनको निभाना है, उनके सामने समस्या नहीं आएगी तो समाधान कैसे होगा। हम जो भी कर रहे हैं वह बड़ी गंभीरता से कर रहे हैं।

श्री ईश्वरचन्द्र : आपने जोइन्ट रेस्पान्सिबिलिटी शब्द सुना होगा। नियमों के अनुसार कोई भी मंत्री जवाब दे सकता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह बात अलग है।

श्री मूलचन्द डागा : आप भी XXX गये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह सदन की परम्पराओं के विपरीत है।

श्री मदनसिंह दांता : नये मंत्री महोदय को रगड़ा जाय यह अच्छी बात नहीं है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : विधान सभा के सारे सदस्यों की भावना को प्रतिबिम्बित किया है। यह सदन की परम्परा के प्रतिकूल है कि विधि मंत्री इस सदन में उनकी माग पर चर्चा होते हुऐ बाहर लाबी में बैठे रहें

XXX शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

और सदन में न आयें। हम अपने विचार रख रहे हैं उससे सरकार को ज्ञान मिलेगा और उनको मालूम पड़ेगा। ऐसा तो कांग्रेस के शासन में भी नहीं हुआ है। भूतपूर्व विधि मंत्री तो यहां कांग्रेस शासन के भी बैठे हुए हैं क्या उनको उत्तर देने का अधिकार है?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने पहले भी निवेदन किया कि यह प्रोपराइटी का प्रश्न है कि संबंधित मंत्री को यहां होना चाहिए क्योंकि कटौती प्रस्तावों के उत्तरों की उनसे अपेक्षा की जाती है। लेकिन वह मंत्री बहुत ही व्यस्त हो सकते हैं। जिम्मेदारी विभाग की मंत्री महोदय को दी गई है उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में वह सक्षम हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : छोड़ने वालों को हम सक्षम नहीं मानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह नहीं आ सकते।

श्री हरीश शर्मा।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : माननीय उपाध्यक्ष, यह जो कार्य के बदले अनाज की योजना बनाई है इस योजना को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह योजना फाइलों में रख कर आंकड़े बनाने की योजना है। गांवों के लोग इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए चन्दा इकट्ठा करके जन सहयोग लेना चाहते हैं। चिकित्सा भवनों के लिए जन सहयोग का फैसला करते। इस योजना को चालू करने के लिए, इसको जन्म देने के लिए, इसको सफल बनाने के लिए गांव के आदमी चन्दा करके देंगे, यह सम्भव नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस योजना को सफल करने के लिए सरकार पूरा ध्यान दे। वे मजदूरी का कार्य करना चाहते हैं। उनकी रोजी रोटी के लिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना पारिश्रमिक दें ताकि वह रुचि लेकर कार्य कर सकें। तब तो यह योजना सफल होगी अन्यथा यह योजना असफल हो जायगी।

जहां तक मांग संख्या 6 का सम्बन्ध है न्याय कार्यालय स्थापित करने चाहिए। मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों के लिए भवनों और कार्यालयों की व्यवस्था नहीं होने से रामगंज मंडी जैसे महत्वपूर्ण नगर में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के लिए जगह नहीं होने से वह तारीखें बदलते रहते हैं। किसान आते हैं और लौट जाते हैं लेकिन आज तक उनके कार्यालय का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। उनको भवन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हों, जिससे उनका जीवन आराम से चल सके और वे ईमानदारी से कार्य कर सकें। जनता में यह भावना फैल रही है कि न्यायालयों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इस भावना को खतम करना है और न्याय के प्रति विश्वास पैदा करना है तो निश्चित तौर से मजिस्ट्रेटों का वेतन बढ़ाया जाय, उनको सुविधाएं दी जायं, रहने को भवन दिये जायं और वाहन दिये जायं। यह सारी सुविधायें नहीं हैं। थानेदारों को ज्यादा सुविधाएं दी जाती हैं। थानेदारों के पास जीपें हैं।

मैं निवेदन करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष जी, हम इस योजना जिसका सम्बन्ध ग्रामीणों से है, के द्वारा आज न्याय प्राप्त कराना चाहते हैं। आज की जो व्यवस्था

(श्री हरीश शर्मा)

है उसको देखते हुए राजस्थान की न्याय व्यवस्था दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है यह जरूरी है कि हमारी न्याय-व्यवस्था मजबूत रहे और उस पर अंकुश लग सके। माननीय उपाध्यक्ष जी, ग्रामीणों को सुलभ न्याय मिल सके इसके लिए वहां पर भवन और कार्यालय स्थापित किये जायं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ओमप्रकाश शर्मा (अनुपस्थित)

श्री रघुनन्दन व्यास

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज एप्रोप्रियेशन बिल के तहत जो मांगें हैं उनमें 6, 11 और 19 के ऊपर मुझे कुछ बातें कहनी हैं। आपने मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के नये पद बनाये हैं और उनके साथ स्टेनो लगाये गये हैं लेकिन उनके लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है और काम करने की व्यवस्था नहीं है। केवल पद बनाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, न न्याय सुलभता से होने वाला है और न जल्दी से जल्दी मुकदमों का निपटारा होने वाला है?

यह आज की व्यवस्था है इसका हिसाब होता होगा और इसमें बड़ा पैसा खर्च होता है फिर भी व्यवस्था नहीं है। यह सारे का सारा एप्रोप्रियेशन बिल जितनी जल्दी और जिस व्यवस्था से माननीय वित्त मंत्री जी लाये हैं इसके उपर कटौती प्रस्तावों पर बोल कर अपनी राय सदन के माननीय सदस्य पूरे रूप में दे सकें, इसका उचित अवसर न देना इस मामले में कंजूसी बरतने का प्रयास है। मैं समझता हूं यह प्रयास भी अच्छा नहीं है।

गेहूं का प्रश्न है तो आपने दो किलो नाज गांव की योजना में रखा है और डेढ़ रुपया मजदूरी का रखा है। आज 5 रुपया आपने मजदूरी कर दी। इतनी मजदूरी से पेट नहीं भरता है। इसलिए 3 किलो गेहूं करना चाहिये और दो रुपया कम से कम उसको एक्स्ट्रा मजदूरी देनी चाहिए। सारे राजस्थान में हमने गांवों में काम खोलने के लिए पंचायतों को 5 हजार रुपये तक के काम कराने के अधिकार दिये हैं। लेकिन उसमें जो सरकारी मशीनरी है वह रोड़ा बनी हुई है। इसको ठीक करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी ठीक व्यवस्था नहीं होगी तो पंचायतें कैसे काम करेंगी?

इतनी बड़ी राशि दी उससे कुछ काम नहीं हुआ। अब 4 करोड़ रुपये और मांगे हैं। मुझे यह कहते हुए दुःख है माननीय उपाध्यक्ष जी, शायद वह सीमा को और बढ़ायें। 10-15 करोड़ मांगना पड़ेगा। इसलिये इसके बजाय व्यवस्थित रूप से विचार करके यह सारी बातें सदन के सामने आतीं और कटौती प्रस्तावों पर विचार करने का पूरा अवसर मिलता तो सरकार को सदस्यों के विचार सुनकर निर्णय लेने के बारे में मानस बनता।

शिक्षा के सम्बन्ध में 50 लाख रुपये रखे गये हैं। प्राइमरी स्कूल लड़कियों के हैं उनके मामले में एक पैसा भी नया अलाट नहीं हुआ है। प्राइमरी स्कूल लड़कियों के नहीं हैं, इसका मतलब है कि हम लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते? राजस्थान की मौजूदा सरकार की शिक्षा नीति गांवों में स्त्री-शिक्षा, बालिका-शिक्षा पनपाने के बारे में मौन है। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में जो नीति है वह भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए मेरा

(श्री रघुनन्दन व्यास)

निवेदन है कि जब माननीय मंत्री जी को समय होगा तब हम इसके बारे में अपने विचार पेश करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष, आपके माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि हम इस मांगों को स्वीकार करेंगे, निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे, लेकिन सरकार, जो जनता की सरकार है, को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनता की भलाई के जो काम हैं, जिन कामों के लिए धन की मांग है, जिसके लिए सप्लीमेंट्री बजट हैं उसका पूरा पूरा रूप यदि हमारे सामने नहीं आता है तो हम अपने मूल दायित्व के प्रति, जनता के प्रति जो हमारा कर्त्तव्य है उनका निर्वहन करने में असमर्थ होते हैं, और सरकार हमको हमारे कर्त्तव्य पालन से महरूम रखती है। क्षमा कर, इन मांगों पर अपने कटौती प्रस्तावों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के साथ साथ राज्य सरकार से और माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो 4 करोड़ की मांगें हैं इनका स्पष्ट रूप से स्पष्ट विवरण हमें देना चाहिये था। उसके साथ ही अकाल के कारण और धन चाहा है इसका सारा विवरण हमारे सामने रख देते तो मैं समझता हूं कि सदन का हित होता, प्रांत का हित होता, और हम इन मांगों पर खुले दिमाग व स्वतन्त्र रूप से विचार करते, तो जनहित होता ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री करतार सिंह।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : ये आत्म दाह कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकृष्णदास जी, आपको बाद में समय दूंगा।

श्री करतार सिंह (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्तावों के द्वारा अजमेर में जो न्याय प्रशासन की व्यवस्था है उसकी ओर माननीय मन्त्री महोदय और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। जनता सरकार ने कहा कि हम सस्ता और जल्दी न्याय दिलायेंगे लेकिन अजमेर में न्याय प्रशासन विभाग में स्टाफ कम होने के कारण न्याय प्राप्ति में बहुत विलम्ब हो रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अजमेर में आज भी किसी गरीब व्यक्ति और अभिभावक को कोई अर्जेन्ट नकल लेनी हो तो दो तीन महीने तक नहीं मिलती है, इस स्थिति से जहां एक ओर जनता परेशान होती है दूसरी ओर वकीलों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अजमेर में स्टाफ बढ़ाया जाय ताकि वहां पर नकलें आसानी से और शीघ्र मिल सकें।

इसके साथ ही मेरा निवेदन यह है कि अजमेर में कोर्ट्स तीन चार जगह पर बिखरे हुए हैं। इससे वकीलों को बहुत परेशानी होती है वे एक ही जगह होने चाहिए। कोर्ट नम्बर 2 और 3 को एक ही जगह लाया जाना चाहिए। वकीलों ने इसकी मांग भी की है और समय समय पर हमने भी इसकी मांग उठाई है।

इसके साथ यह भी निवेदन है कि अजमेर में जो ए.डी.जे. का कोर्ट है उसमें क्रिमिनल केसेज ही ले रहे हैं और सिविल केसेज दस-बीस साल से पैण्डिग हैं उनका निबटारा नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा

(श्री करतार सिंह)

निवेदन है कि एक अतिरिक्त सत्र न्यायालय की स्थापना की जाय जिससे सिविल केसेज का निपटारा हो सके।

इसके साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी निवेदन है कि किशनगढ़ में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की एक कोर्ट है उसमें ढ़ाई हजार मुकद्दमे पण्डिग हैं। ऐसी स्थिति में हमने पहले भी निवेदन किया था वहां पर एक एडीशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाय पहले वहां पर एक सिविल जज था उसको वहां से हटा दिया गया। इसी प्रकार से नसीराबाद में भी मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की बहुत दयनीय दशा है उनको हाथ से फैसले लिखने पड़ते हैं इसलिए उनको स्टेनोग्राफर उपलब्ध कराया जाय ताकि उनको लिखाने में सुविधा हो सके। जिस प्रकार अन्य अधिकारी हैं आर.ए.एस. अधिकारी हैं उनको रहने और भत्ते की सुविधायें उपलब्ध की जाती हैं उसी प्रकार से उनको भी उपलब्ध की जायं ताकि वे ईमानदारी से स्वच्छ न्याय दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सप्लीमेण्ट्री डिमाण्ड है उनमें से पहले तो मै न्याय प्रशासन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मुन्सिफ मजिस्ट्रेट सांचोर की जो बिल्डिग है अदालत की वह गिरने की स्थिति में है। पहले इसके लिए हाई कोर्ट ने बजट भी मन्जूर किया था। शायद न्याय मन्त्रीजी को पता भी है, वह पैसा समय पर खर्च नहीं हो सका किन्हीं कारणों से और लेप्स हो गया। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि शीघ्र ही उसकी रिपेयर के लिए प्रोविजन किया जाय नहीं तो वह बिल्डिग गिर सकती है।

दूसरा मेरा निवेदन है, मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय में कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक और कॉपीस्ट का प्रावधान नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इतने मुकदमे आते हैं फिर भी क्लर्क पूरे नहीं हैं। इसलिए कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक और कापीस्ट का प्रावधान किया जाना चाहिए।

इसके अलावा काम के बदले अनाज की योजना के सम्बन्ध में निवेदन है कि मजदूर बीड़ी भी पीता है, उसको चाय के लिए भी पैसा चाहिए। आप उसको पैसा नहीं देंगे तो क्या वह अनाज बेचने के लिये जायगा? कौन खरीदेगा उसका अनाज, कौड़ियों के भाव बिकेगा। यह दो किलो अनाज की क्या योजना है? इसको पहले सदन में रखना चाहिए था। सदन के माननीय सदस्यों के सुझाव लेकर आप इसको लागू करते तो कोई बात थी। सतीशजी ने बार बार कह दिया कि हमने काम के बदले अनाज दिया है, इससे कोई काम होने वाला नहीं है। उनको दो रुपया केश और तीन किलो अनाज देना चाहिए। पांच रुपया तो मिनिमम वेजेज हैं। यह बिल्कुल ऐसी योजना है जिससे काम होने वाला नहीं है, इसलिए आप इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके निर्णय लें।

इसके अलावा दूसरा कटौती प्रस्ताव, मेरा स्कूलों के बारे में है। प्राइमरी स्कूलों का खर्चा 50% गांव वाले देते हैं। मेरे यहां पर बिल्डिंग बनाकर लोगों ने दी, दो सौ

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

लड़के भी वहां पढ़ रहे हैं । फिर भी आपने जो जवाब दिया कि हम सहानुभूति से विचार करेंगे । इस तरह की कठिनाई है । गर्ल्स स्कूल तो खोले ही नहीं हैं, गर्ल्स के प्राइमरी स्कूल के लिए तो कोई प्रावधान ही नहीं किया है । यह नई सरकार आई है, इस जनता सरकार से लोगों को बड़ी बड़ी आशायें थीं, इसने जिन गांव वालों से वोट लिये हैं, उनकी भावनाओं को नहीं समझा और उनको नाराज कर दिया तो***

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दुबारा आपको बड़ा खतरा है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जाना ही नहीं है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जाना नहीं है, सब तो ठीक है । जनता आपके खिलाफ है, इससे कोई काम चलेगा नहीं । इस पर आप गंभीरतापूर्वक विचार करें और इसका जवाब दें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बंशीलाल सारस्वत ।

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव यह है कि न्याय सुलभ और गतिशील तथा जल्दी हो । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि कुछ पद स्वीकृत किये जायं । कुछ पद स्वीकृत किये गये हैं लेकिन उनका पोस्टिंग कहां होगा ? इनकी पूर्णतया ठीक जगहों पर पोस्टिंग हो । इसके बारे में कोई प्रतिवेदन या कोई विचार नहीं रखा गया । यह बात जरूर है कि न्यायपालिका और उसकी हालत किस प्रकार की होनी चाहिए, किस प्रकार की उनकी सेवायें हों, उनकी विसंगतियां क्या हैं ? इस मांग पर इस समय कोई लम्बी चौड़ी बात कहने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन यह एक स्तुत्य कदम है कि कुछ पद सृजित किये गये हैं । इनकी मांग आंशिक रूप से पूरी नहीं की जानी चाहिए, पूरी मांग स्वीकार की जानी चाहिए ।

सारे राजस्थान में चाहे चूरू में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट लगा हुआ हो या अलवर में लगा हुआ हो या जोधपुर में हो या और किसी क्षेत्र में लगा हुआ हो, उनको स्टेनोग्राफर दिये जाने चाहिए ताकि उनका काम ठीक तरह से और सुचारु रूप से चल सके और लोगों को सुविधा हो सके ।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मुन्सिफ अदालत में बहुत सी जगह, सब जगहों का तो मुझे मालूम नहीं हैं लेकिन कुछ जगह का मुझे मालूम है, क्रिमिनल केसेज के लिए क्लर्क्स नहीं हैं और जो सिविल क्लर्क्स हैं उन्हीं से काम लिया जा रहा है । उनसे फौजदारी मुकदमों का निपटारा नहीं होता इस कारण केसेज में विलम्ब भी होता है । सरकार से मेरा निवेदन है कि इन सारे हालात को देखते हुए इन सभी बातों का इसमें समावेश किया जाना चाहिए ।

अन्य मांगों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है शिक्षा और कला के सम्बन्ध में आपने दस लाख रु. का प्रावधान किया है, जब अन्य जगहों पर हैडक्वार्टर या अन्य क्षेत्रों में इस तरह का प्रावधान नहीं है तो केवल जयपुर में ही इतनी बड़ी राशि का दिया जाना उचित नहीं है । एक ही जगह पर प्रावधान करने से असन्तुलन हो जायगा जो उचित नहीं है । इसी तरह से जो कोटा

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

और अलवर के लिए इतनी बड़ी राशि दी जा रही है वह भी इसी आधार पर न तो न्यायोचित है और न ठीक प्रतीत होती है। बहुत सी जगह, बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां शिक्षा के भी भवन नहीं हैं। मैं निवेदन करूंगा कि प्राइमरी के एजुकेशन और सैकण्डरी एजुकेशन के लिए ज्यादा पैसा देना चाहिए था और भवन निर्माण के लिए पैसा देना चाहिए। गांवों में जो हमारे कार्यक्रम हैं उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नागौर में बालिका विद्यालय की हालत घोड़ों के अस्तबल से भी खराब है। आधा पैसा जनता देने को तैयार है। शिक्षा मन्त्री ने आदेश दिया, कागजात कमिश्नर साहब को भेजे गए लेकिन बजट में कोई प्रावधान नहीं है। इतनी बड़ी राशि अलवर व कोटा के लिए दी जा सकती है तो और क्षेत्रों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। यह विचार करना चाहिए कि प्राथमिकता किसको देनी है किसको नहीं ताकि असंन्तुलन व क्षेत्रीय भावना न हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरि कृष्ण।

एक माननीय सदस्य : कितना समय है ?

श्री उपाध्यक्ष : 4-5 सदस्य और हैं।

श्री मथुरादास माथुर : गुलेटीन कब लगेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : मैने सुझाव दिया था लेकिन माननीय सदस्यों ने कहा कि जल्दी चर्चा समाप्त करेंगे, मैं तो तैयार हूं। माननीय सदस्यों ने कहा, गुलेटीन लगाना उचित नहीं होगा।

श्री मथुरादास माथुर : बिल्स और बाकी हैं, कन्सीडरेशन स्टेज पर कई माननीय सदस्य बोलेंगे, यह आपको ध्यान रहे।

श्री उपाध्यक्ष : बिलों से पहले मांगें पास करवा लेंगे।

श्री हरिकृष्ण (नदबई) : उपाध्यक्ष महोदय, न्यायालय न्याय के मन्दिर हैं। जैसा आर. जे. एस. का पद है उसी के अनुसार आर. ए. एस का पद है लेकिन आर. ए. एस. के अधिकारियों को जो वेतन मिलता है वह आर. जे. एस. को नहीं मिलता है। जब भर पेट खाना नहीं मिलता है तो वे सच्चा न्याय देने में असमर्थ रहेंगे। न्यायालयों में जो सरकारी गवाह जाते हैं उनको भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है ऐसी हालत में क्या वे सही गवाही दे सकेंगे ? न्यायालयों में बहुत से मुकदमे ऐसे हैं जो 5-5 7-7 साल के पुराने हैं, उनमें तारीखें पड़ती रहती हैं। देर होने पर न्याय के स्थान पर अन्याय हो जाता है।

मांग संख्या 11 के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जो खाद्यान्न है उसका बंटवारा शहरों में किया गया है, गांवों में नहीं किया गया है। गांवों में भूखे आदमी रहते हैं, यह दुर्भाग्य का विषय है। गांवों में यह अन्न शहरों मुताबिक मिलना चाहिये लेकिन नहीं मिल रहा है।

जहां तक सड़कों के बनाने का सवाल है, आप पक्की सड़क बनायें। इतना धन उपलब्ध कराया यह तो खुशी की बात है सरकार इस पर विचार करें। किन्तु जब तक कच्चा काम सड़कों का आप नहीं करवायेंगे तब तक गांवों के जो रास्ते रुके हुए हैं, जिन पर नाजायज कब्जे किये हुए हैं, वे

(श्री हरिकृष्ण)

साफ नहीं होंगे। कच्ची सड़कें जल्दी बन कर तैयार हो जायेंगी। कच्चा काम करने से रास्ते साफ हो जायेंगे जो रुके हुए हैं।

मांग संख्या 19 के संबंध में...

श्री उपाध्यक्ष : आपका मांग संख्या 19 पर कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है। फिर भी कह दें।

श्री हरिकृष्ण : परिवार कल्याण के लिए नसबंदी रखी गई है। नसबंदी क्या उपाय है? एलोपैथिक आयुर्वेदिक गोलियां या दवाइयों का निर्माण नहीं हुआ है। जिससे परिवार कल्याण हो सके। इस काम के लिए आयुर्वेद विभाग को ज्यादा काम में लिया जाए बजाय इसके कि हम नसबंदी के लिए पैसे देकर लोगों को लायें। नसबन्दी जरूरी है लेकिन प्रक्रिया को बदला जाए।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आयुर्वेद में कौन सी गोलियां हैं?

कुछ माननीय सदस्य : आयुर्वेद मन्त्री से पूछिए।

श्री हरिकृष्ण : जहां शिक्षा का सवाल है, शहरों में जो पैसा खर्च किया जा रहा है वह गांवों में किया जाए तो सैकड़ों पाठशालायें बनकर तैयार हो जायं लेकिन इस बात के लिए सरकार का पैसा खर्च नहीं होता। शहरों में कालेजों के लिये खर्च नहीं होता है, इस पर पाबन्दी लगाई जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकृष्ण दास गुप्ता।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष जी, न्याय सुन्दर और सही तौर से मिले सत्यम् शिवम् सुन्दरम्, न्याय प्रणाली में इन तीनों का समावेश नहीं है तो उसको न्याय की परिभाषा में न्याय नहीं कहेंगे। सरकार खुद न्याय बेचती है, विधि मंत्री जी जब आप न विधायक थे न मन्त्री थे आपकी पुरजोर शब्दों में मांग हुआ करती थी कि कोर्ट फीस खतम कर देनी चाहिए। यह कितनी विचित्र बात है कि कोई गरीब व्यक्ति, गांव का किसान या मजदूर कोर्ट फीस नहीं देने के कारण से न्याय प्राप्त नहीं कर सकता उसे भगवान के न्याय पर विश्वास कर मूक बैठ कर अपने दिल को मसोसना पड़ता है (250) रु. की आय वाला ही मुफ्त कानूनी सहायता में आता है। राजस्थान में 250) रुपये की झोंपड़ी उसके पास है, पहनने को कपड़ा नहीं, वह उस सीमा के अंदर है। तो जब तक राजस्थान सरकार कोर्ट फीस एक्ट में कोर्ट फीस का प्रावधान नहीं हटायेगी, सस्ते न्याय की बात केवल मात्र ढोंग रहेगी, मगरमच्छ के आंसू रहेंगे और जनता दूसरी क्रांति का इंतजार करेगी।

आप जो कोर्ट के पी.पीज. नियुक्त कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार अधिकतर पी.पीज को इस बात का लाइसेंस नहीं देती कि वे मुस्तगीस से ऊपर ही ऊपर पैसा लें? कम तनख्वाह में किसी भी स्थानीय बार का अच्छा वकील सरकारी वकील बने ऐसा मेरी नजर में नहीं आता। उसकी जो पगार है वह तो उसके बीड़ी, सिगरेट व पान में चली जाती है। न मालूम मुल्जिमान को कितना धन खर्च करना पड़ता है जिससे मुकदमे आपके खिलाफ जाते हैं, दोषी छूट जाता है और निर्दोष फंस जाता है। जब तक आप किसी वकील को न्यायाधीश बनाते वक्त,

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

किसी वकील को राजकीय अधिवक्ता बनाते वक्त, पी.पी. बनाते वक्त उसको प्राप्त हो रही आमदनी के बराबर तनख्वाह नहीं देंगे, आप उनको भ्रष्टाचार का रास्ता दिखाते रहेंगे ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पहले उनकी प्रेक्टिस नहीं थी....

श्री मदनसिंह दांता : छोटी झोंपड़ी वालों से वकील क्या लेते हैं ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जब तक आप बाहर के वकील, जिसको आप रखना चाहते हैं, को उचित पगार नहीं देंगे तब तक वह भ्रष्टाचार से लिप्त रहेगा । राजस्थान के 90 प्रतिशत व्यक्ति इसमें लिप्त हैं । चोटी से ऐड़ी तक लिप्त हैं । यह नाटक हो रहा है । न्यायालयों के अन्दर सुधार चाहते हैं तो आप वकील को न्यायाधीश बनाते वक्त, वकील को एडीशनल सेशन जज का पद देते वक्त उचित वेतन नहीं देंगे, सुविधाएं नहीं देंगे तो न्याय सस्ता नहीं होगा...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : आपकी काबलियत की, कैपेसिटी को जानता हूं । आप तीन दिन तक चर्चा कर सकते हैं ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : शिक्षा मन्त्री जी, आबादी के नाम पर स्कूल खोलने का पैमाना आपके दिमागी दिवालियेपन की निशानी है । भारत सरकार 800 करोड़ रुपया पांच सालों में परिवार नियोजन पर खर्च करना चाहती है । दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान में कम पढ़े लिखे लोगों के लिए स्कूल नहीं खोले गये ।

श्री दाऊदयाल जोशी : कल भी यही बोल रहे थे ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : 100 बार बोलूंगा जब तक शिक्षा मन्त्री जी नहीं सुनेंगे ।

बाड़मेर, जोधपुर में 10, 10 मील तक प्राइमरी स्कूल नहीं हैं । श्रीमान, आप देखिये जयपुर के अन्दर रवीन्द्रमंच बना हुआ है 20 लाख का किन्तु गांव में स्कूल की इमारत के लिए पैसा नहीं । कोलायत तहसील में सिर्फ एक स्कूल खोला गया । एक ओर कहते हैं पैसों का अभाव है और दूसरी तरफ इस भ्रष्टाचार में लिप्त जयपुर के कुछ लोगों के एशोआराम के लिए ओपन थियेटर हाल बनाया जा रहा है, 10½ लाख की लागत से । यह कहां का न्याय है ? एक तरफ बीकानेर में डूंगर कालेज के स्टूडेन्ट्स के लिये होस्टल नहीं है और दूसरी तरफ जयपुर में पैसे की बरबादी कर रहे हैं । राजस्थान सरकार दिखाना चाहती है कि उसके पास पैसा है परन्तु पैसा उन जगहों के लिए है जहां कालाबाजारी होती है, जहां भ्रष्टाचार होता है ..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तीसरा, श्रीमान, मैं फूड फार वर्क के लिये कहूंगा । कांग्रेस सरकार ने 1500 करोड़ रुपया फेमिन के नाम पर खर्च कर दिया और राजस्थान के जंगलों में फेमिन रोड के नाम पर कुछ रेखायें खींच दीं । यह फूड फार वर्क है इसका भी वही हाल होगा । अमरीका से मंगाया गया गेहूं सरकारी गोदामों के अन्दर सड़ गया .

एक माननीय सदस्य : अमरीका का कोई गेहूं नहीं है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आप किस ढंग से देखना चाहते हैं ? यह ध्यान रखिये मन्त्री महोदय, आपकी सरकार बहरी है, गूंगी है, दिमाग से दिवालिया है....

श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मुख बन्द का प्रयोग कब करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : मुख बन्द का प्रयोग नहीं करूंगा। कुछ माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री नवनीत पालीवाल : 7 बजे तक बोलना था ...

श्री रामनारायण चौधरी : बोलने दो सुबह चार बजे तक।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय ने समयानुकूल अपनी रूलिंग दी। आप हमारी बात सुनिये, मुख्य सचेतक साहब।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ताजी, समय का ध्यान रखें।

श्री नवनीत पालीवाल : समय की सीमा भी होनी चाहिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं जयपुर के राजमन्दिर के सामने कपड़े नहीं बेच रहा हूं........

श्री दाऊदयाल जोशी : जिस प्रकार से माननीय गुप्ताजी बोलते हैं वह बिल्कुल असंसदीय है ···

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : साइलेंसर लगा दीजिये दाऊदयालजी को।

श्री नवनीत पालीवाल : समय के लिये अर्ज कर रहा था।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, आपका अगर निर्णय हो कि एक वर्ड भी गलत कहा हो तो एक मिनट नहीं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप आराम से बोलिये संक्षेप में कह दीजिये।

श्री ईश्वर चन्द्र : राज मन्दिर के बजाय मान प्रकाश के आगे बेचिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : हमारी सरकार को चाहिये कि जहां 30 करोड़ रुपये का अनाज आने वाला है वहां फैमिन रोड्स को बी. टी. रोड्स करने के लिये आपको पी.डब्ल्यू.डी. को धनराशि दे देनी चाहिये ···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वरना फेमिन रोड्स को पक्का करने का जिम्मा ले लीजिये·······

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ताजी, कृपया जल्दी समाप्त कीजिये। मैंने सोचा था कि जिस रूप में आपने भाषण प्रारम्भ किया सत्यं शिवं सुन्दरं, शायद उसी रूप से समाप्त करेंगे।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : राज्य सरकार फेमिन रोड्स को दो साल में पूरा कर ले अन्यथा दो साल बाद वह पानी में बह जायेगी। मैं चाहूंगा कि हमारी जनता सरकार, दो करोड़ जनता की आकांक्षाओं की प्रतीक, जय प्रकाश नारायण और लोहिया की क्रांति लाने वाली सरकार इस काम को करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : केवल दो शब्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माथुर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : बाद में बोलूंगा।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट के लिए मैं बोल देता हूं। काम के बदले अनाज योजना के बारे में मैं कुछ विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं। काम के बदले अनाज की योजना के बारे में सरपंचों को एक परिपत्र जारी किया गया है। उसमें यह बात बता दी है पंचायतों द्वारा निर्माण कार्य में लोगों को पूरी मजदूरी अनाज के रूप में दी जाय। इस परिपत्र को मैंने पढ़ा है, इसमें यह बिलकुल नहीं बताया गया है कितना अनाज दिया जायगा परिपत्र में यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। फेमिन के अन्तर्गत जो वर्क्स पहले चले थे उसमें दो किलोग्राम गेहूं था और 1-50 पैसे राशि के रूप में दिये जाते थे। परन्तु इस परिपत्र में यह कतई नहीं है कि कितना अनाज दिया जायगा। अनाज के बारे में गवर्नमेंट को स्पष्ट करना चाहिए कि कितना अनाज दिया जायगा? अनाज के बारे में मेरा यह कहना है कि भारतीय खाद्य निगम की ओर से फेमिन पर्पजेज के लिए जो गेहूं दिया गया था वह बिल्कुल सड़ा-गला दिया गया था। सड़ा-गला होने के कारण फेमिन वर्क्स में वह काम में भी नहीं आया क्योंकि ऐसा सड़ा-गला अनाज लेकर मजदूर क्या करें? इसलिए अच्छा होना चाहिए। अगर गेहूं के रूप में मजदूरी देना चाहते हैं तो 5 रु. मिनीमम वेज होती है वह देनी चाहिए।

अब प्रश्न यह है कि जो कार्य अब चालू करेंगे उनके लिए यह उल्लेख है कि ऐसे काम हाथ में लिए जायेंगे जिनके अन्दर मजदूरी श्रमिक को अधिक देनी पड़े और पैसा खर्च नहीं करना पड़े। इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि ये वर्क्स जो परिपत्र में हैं उनके अनुसार स्कूल भवन नहीं बन सकता है। स्कूल भवन के अन्दर 70 पर्सेन्ट मैटीरियल लगेगा जिसमें चूना, पत्थर आदि होगा और 30 पर्सेन्ट की लेबर लगेगी। तो जिस कार्य में 70 पर्सेन्ट पंचायत को कन्ट्रीब्यूट करना है वह काम पंचायत की शक्ति के बाहर की चीज है। इस प्रकार स्कूल के निर्माण का कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता है।

दूसरा जो चिकित्सालयों का निर्माण कार्य है वह भी इस परिपत्र के अनुसार सम्पन्न नहीं हो सकता है। जैसे स्कूल का निर्माण कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता है वैसे ही इसका भी कार्य सम्पन्न नहीं हो सकेगा।

तीसरे पक्की सड़कें नहीं बन सकती हैं क्योंकि सड़क निर्माण के कार्य में लेबर बहुत कम लगती है, सीमेंट या डामर ज्यादा लगती है इसी तरह कुएं का काम भी नहीं हो सकता है। यह बिलकुल इम-प्रेक्टिकेबल है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं इसी के बारे में, काम के बदले अनाज के बारे में ही प्रकाश डालूंगा। यह इम्पार्टेन्ट स्कीम है। मैं बाड़मेर जिले के बारे में कहना चाहता हूं, अभी किसी पंचायत ने यह जिम्मेदारी नहीं ली है। मैं समझता हूं मंत्री महोदय जवाब देना चाहें तो बतायें कि बाड़मेर जिले के किन-किन गांवों में इस स्कीम को चालू किया है, किन-किन ग्राम पंचायतों ने इस योजना को हाथ में लिया है? उपाध्यक्ष जी, योजना का जो

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

टर्म बताया गया है वह मार्च, 1979 तक ही है, इस योजना में स्पष्ट कर दिया गया है। अब इससे केवल यह हो सकता है कि हमारे यहां नाड़ियां बन सकती है, तालाब बन सकते हैं, खेल के मैदान हो सकते हैं परन्तु जो पर्मानेन्ट नेचर का काम है वह ग्राम पंचायतें नहीं कर सकती हैं। ठीक है, जो ग्राम पंचायतें सुदृढ़ है और 70 पर्सेन्ट कंट्रीब्यूट करने की शक्ति रखती हैं वह कर सकती है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से पांच हजार के कार्य कराने के अधिकार दिये गये हैं इसके मस्टर रोल रजिस्टर मेन्टेन करने के लिए ग्रुप सचिव, सहायक सचिव आदि कहां से प्राप्त होंगे? आज तीन पंचायतों के बीच में एक ग्रुप सचिव हैं। अब इन परिस्थितियों में पंचायतें काम करेंगी तो कैसे करेंगी? इस स्कीम में मिनिमम वेजेज देनी चाहिए। यह फेमिन के अंतर्गत योजना नहीं है बल्कि दूसरे क्षेत्र में जहां फेमिन नहीं है वहां भी है इसलिए मिनिमम वेजेज 5) रु. मिलनी चाहिए। साथ ही रजिस्टर आदि मेन्टेन करने के लिए ग्रुप सचिव की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिये जो प्रावधान हैं जैसा पी0 डब्ल्यू0 डी0 के कोआपरेशन से पंचायतें काम कर सकती हैं, जैसा कि अभी कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि पी.डब्ल्यू.डी. का अमाउन्ट लगे और पंचायतें अन्य विभागों से भी को-आपरेशन लें तो कुछ काम हो सकता हैं। अगर इस स्कीम के ऊपर वास्तव में आप इस प्रकार काम करना चाहते हैं तो कहीं ऐसा न हो जो 15 करोड़ मिले हैं वह लैप्स हो जाये और उसका लाभ हमको नहीं मिले।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

(अनुपस्थित)

मन्त्री महोदय कृपया उत्तर दें, बहुत संक्षेप में।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : श्रीमान, आपके आदेश की उपेक्षा हो रही है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उनकी मौजूदगी में आप नहीं दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी (मन्त्री संसदीय कार्य): आपकी तो आदत पड़ गई है

श्री श्योपतसिंह मकासर : सवाल आदत का नहीं है। सवाल यह है, हम किसी को कहें और उत्तर दूसरा दे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंह जी, अभी ये नये मन्त्री हैं। आप इनको ही सुन लीजिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : ये दो ही शब्द कह दें। लेकिन यह नहीं चलेगा।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता: हमारे मंत्री काम्पीटेन्ट है, वे जवाब दे सकते हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय सदस्य, आज शाम को ही विभागों का वितरण हुआ है। मेरे माननीय साथी, जो नये विधि मन्त्री हैं, कार्य भार भी औपचारिक रूप से नहीं सम्भाला है। माननीय

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

सदस्यों ने एक ऐसा प्रश्न उठाया है जो कभी वाजिब भी नहीं लगता है जिसको मैं डील करता आया हूं . .

(व्यवधान)

आप कह चुके हैं, मुझे भी कुछ कहने का अधिकार है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय मन्त्री जी, यह क्षमता का सवाल नहीं है। ठीक है, आप पिछली बातों का उत्तर तो दे दें लेकिन भविष्य का भी तो सवाल है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जब नए मन्त्री आए हैं, उनको विभाग दिया है मुख्य मन्त्री महोदय ने विभाग सम्भलाया है तो आपके सामने रहेंगे, कल भी रहेंगे, आन्यदा सेशन में भी रहेंगे। आपको उनको सुनने का शौक है तो आपका शौक पूरा होगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : वह तो काबिल हैं इसीलिए बनाया है। इनका तो हमें भरोसा है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं इन विशेष परिस्थितियों में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो बातें उठाई गई हैं . .

(व्यवधान)

मैं आपकी बात को कोई अहमियत नहीं देता। जिस तरह से आप बोलते हैं कुछ समझ में ही नहीं आता कि आप क्या बोल रहे हैं ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : समझने की कोशिश करते ही नहीं हैं। इसमें मेरा क्या दोष है ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सबसे पहले तो मैं ईश्वरचंद्रजी द्वारा उठाए गए प्रश्नों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। और भी माननीय सदस्यों ने इसी तरह से प्रश्न उठाये हैं कि आर.ए.एस. और आर.जे.एस. इन दोनों की वेतन शृंखला समान हो। आर.ए.एस. और आर.जे.एस. की सुविधायें भी एक सी हों। इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने विचार किया है और मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि विगत छः सात महीनों के अन्दर हम लोगों ने जो न्यायिक अधिकारी हैं उनको अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने की चेष्टा की है।

कई माननीय सदस्यों ने आवासीय समस्या का प्रश्न उठाया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि हमने सभी डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स पर जो डिस्ट्रिक्ट जजेज के रेजीडेंशियल हाउसेज हैं उनका एलोकेशन फाइनली इर्रिवोकेबल तरीके से कर दिया है वह उनको स्वतः ही मिल जाया करेगा। इसी प्रकार से जहां जहां राजकीय भवन हैं वहां सी.जे.एम.एस. के लिए व्यवस्था की गई है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह सरकार निश्चित रूप से न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखना चाहती है। न्यायपालिका को वही साधन देना चाहती है जो वास्तविक रूप से संविधान के अन्दर निर्धारित हैं। हम किसी प्रकार से न्यायपालिका का हनन नहीं करना चाहते, उसकी गरिमा को गिराना नहीं चाहते। न्यायपालिका की प्रतिष्ठा रखना चाहते हैं। चाहे आर्थिक पक्ष हो, चाहे सामाजिक पक्ष हो, जितना अधिक से अधिक न्यायपालिका के लिए किया जा सकता है किया जाएगा।

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

अभी आठ नये पद ए. डी. जेज. और डी. डी. जेज के कायम किए हैं। पांच नए न्यायालय खोले हैं जिनमें लेबर एण्टी करप्शन और मोटर एक्सीडेन्ट के क्लेम्स इत्यादि के केसेज सुने जा सकेंगे। सभी डिवीजनल हैड क्वार्टर्स पर सुन सकेंगे। जैसे-जैसे वित्तीय साधन मिलते जा रहे हैं न्यायपालिका का एक्सटेंशन किया जा रहा है।

कुछ माननीय सदस्यों ने यहां प्रश्न उठाया स्टेनोज प्रोवाइड करने का। यह अतिरिक्त मांग है। अभी हम पचास स्टेनो प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारी स्कीम है कि प्रत्येक मुंसिफ मजिस्ट्रेट को स्टेनो मिले। इसी प्रकार से जैसे-जैसे वित्तीय साधन परमिट करेंगे हम साधन प्रोवाइड करेंगे। हमारी योजना 111 जगहों पर नए मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट कायम करने की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कई माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया कि कई पद खाली पड़े हुए हैं। ये पद बहुत दिनों से खाली पड़े आ रहे हैं। हम लोगों ने रिक्रुटमेंट की जो प्रक्रिया है, उसको अपना रखा है। जैसे ही नए लोग उसमें विधिवत तरीके से चुन लिए जावेंगे, ये सारे के सारे पद भर लिये जावेंगे।

एक बात और है कि सस्ते न्याय के सम्बन्ध में कई प्रश्न उठाए गए। माननीय श्री रामकृष्णदास गुप्ता ने न्याय बेचने की बात कही कि कोर्ट फीस लगाकर न्याय बेचा जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह इस देश का दुर्भाग्य है कि यहां पर न्याय मांगने के लिए पैसा देना पड़ता है। यह दुर्भाग्य आज से नहीं है, अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। आज के दिन अगर वित्तीय साधन हों तो मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार सदन में करें। सरकार की कोई मन्शा न्याय के मामले में पैसा कमाने की नहीं है, कम से कम इस सरकार की तो नहीं है। लेकिन इतना आप जानते हैं कि सरकार के वित्तीय साधन कितने हैं उसके अन्दर किसी प्रकार से अधिक से अधिक पैसा निकाल कर, सेव करके किसी प्रकार से उस बोझ को हल्का किया जाता है तो राजस्थान सरकार को इसमें बहुत अधिक खुशी होगी। मैं आपके द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार के कांक्रिट प्रपोजल आयेंगे आपकी तरफ से तो सरकार उस पर निश्चित रूप से विचार करेगी हमारी कतई इच्छा नहीं है कि इस प्रकार से न्याय स्थायी रूप से बेचा जावे।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आप सदन की कमेटी बनाएं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं आपकी इस तरह की बातों का नोट लेने को तैयार नहीं हूं....।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपने कहा है कि आप बतायें कांक्रीट प्रपोजल, तो मैं कह रहा हूं कि इस सदन की कमेटी का गठन किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : आप लिखित में सुझाव दे दीजिए।

श्री सूर्यनारायण चौधरी: आप लिखित में दे दें। कुछ सीखिये कि किस तरह से बोला करते हैं ?

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

कुछ माननीय सदस्यों ने न्यायिक अधिकारियों के व्यवहार के बावत अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसमें सरकार की सीमा है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक उनकी पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स और डिसिप्लीनरी एक्शन का सवाल है सरकार कहीं बीच में नहीं आती और राजस्थान हाई कोर्ट इस मामले में सम्पूर्ण रूप से सक्षम है। हम लोग किसी प्रकार से इण्टरफियरेन्स नहीं कर सकते। माननीय सदस्यों से अथवा जनता के माध्यम से इस प्रकार की जो भी शिकायतें आती हैं हम माननीय उच्च न्यायालय को भेज देते हैं। दो तीन न्यायिक अधिकारियों के सम्बन्ध में शिकायतें आई। उनके दुर्व्यवहार के बारे में, रिश्वत और भ्रष्टाचार इत्यादि के बारे में जो भी शिकायतें हैं उनको अधिक से अधिक तत्परता के साथ निपटाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन किया है। इसके सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से भी निवेदन किया है कि आप इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाई करें। सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि समय समय पर हमने शिकायतें भेजी हैं, हम माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन करते रहे हैं। अब यह माननीय उच्च न्यायालय के देखने का प्रश्न है कि वह किस हद तक सरकार को इस मामले में सहयोग देते हैं।

इसी प्रकार से माननीय ठाकुर साहब ने एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट के बारे में बताया था। मैंने भी इस बाबत उनसे बात की थी उन्होंने न्यायिक अधिकारी के खिलाफ शिकायत की थी, कुछ आरोप लगाए थे, उसके सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय के जो न्यायाधिपति हैं, मुख्य न्यायाधिपति हैं मैंने उनसे बातचीत की। उन्होंने इस बात का विश्वास दिलाया था कि इस प्रकार की शिकायतों पर तत्परता से कार्य करेंगे। उन्होंने विजिलेंस रजिस्ट्रार की नियुक्ति भी इसके सम्बन्ध में की है जो जगह–जगह पर जाकर शिकायतें सुनते हैं छानबीन करते हैं। सरकार इस मामले में खुद कोई कदम उठा सके ऐसा संविधान और कानून आज्ञा नहीं देता इसलिए...

श्री श्योपतसिंह मकासर, आपकी शिकायत थी उसकी जानकारी हाई कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस को दे दी ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : बिल्कुल दे दी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उस पर एक्शन क्या हुआ ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : एक्शन के बारे में जानकारी अपेक्षित है। हमने जानकारी जरूर दे दी है, बिल्कुल दे दी है, तत्काल दे दी है, उस का रिमाइण्डर दे दिया, व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया है। इस प्रकार की शिकायत आती है तो राज्य सरकार अपनी तरफ से तो निपटा नहीं सकती, निपटारा तो उन्हें ही है। ये सारे जो प्रश्न है इसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनके ऊपर सरकार काफी जागरूक है और सीमा में रहते हुए सब कुछ करना चाहती है।

कुछ मुकदमों के ट्रांसफर्स के सम्बन्ध में और कैम्प कोर्ट्स के सम्बन्ध में सुझाव आए। जैसा माननीय ठाकोर साहब ने

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

फर्माया कि कुछ मुकदमे मुसिफ मजिस्ट्रेट नैनवा से बूंदी में ट्रांसफर कर दिये जावें। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि इसके भी हमारे पास अधिकार नहीं हैं। यह भी उच्च न्यायालय ही तय करता है कि अमुक प्रकार की श्रेणी के मुकदमे किन जगह पर सुने जावें। अगर सरकार के पास कोंकरेंस के लिए प्रस्ताव आते हैं तो सरकार सोच समझ कर, काम के बंटवारे की सुविधा के अनुसार उस सम्बन्ध में कोंकरेंस देती है। कोई कार्य सरकार की तरफ से आर्बीट्रेरीली नहीं किया जाता है यह मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं ....

श्री मूलचन्द डागा: हाई कोर्ट जवाब नहीं देती है तो यह आपकी जिम्मेदारी है। आप हाउस के प्रति जिम्मेदार हैं। हाई कोर्ट का बहाना लेकर आप अपनी रेस्पांसिबिलिटी मत टालिए। आप यह बहानेबाजी कर रहे हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी: यह बहानेबाजी आपने जिन्दगी भर की है। हमने तो सत्य निष्ठा से कार्य किया है।

श्री मूलचन्द डागा: आप अपनी रेस्पांसिबिलिटी से मुकर रहे हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी: आप वकील हैं। यह सामान्य ज्ञान भी आपको नहीं है कि राज्य सरकार को कितना अधिकार है, कुछ माथुर साहब से सीख लो। पास ही बैठे हैं। वे कह देंगे कि कितने अधिकार हैं, हम मान लेंगे।

श्री मूलचन्द डागा: सरकार को अधिकार है। आप गलत कह रहे हैं।

श्री वृद्धि चन्द जैन: आप ठीक कह रहे हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कैम्प कोर्ट्स लगाने का सवाल है हमने हाई कोर्ट को निवेदन किया है और जितने ज्यादा से ज्यादा कैम्प कोर्ट्स लगाये जा सकते हैं, वह लगाये जायेंगे। जितनी भी वेकेन्ट पोस्ट हैं उनको भरा जाएगा। सरकार न्यायपालिका का सम्पूर्ण आदर करते हुए उसको प्रभावी बनाने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर है।

श्री उपाध्यक्ष: नये विधि मंत्री महोदय कहेंगे कुछ।

श्री मूलचन्द डागा: आज तो माला पहिनने का दिन है।

श्री विरदमल सिंघवी (विधि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सारी बातें माननीय सदस्यों को बता दी। जो माननीय सदस्यों की भावनाएं हैं सस्ते और सुलभ न्याय के सम्बन्ध में, उसके लिए मैं भरसक प्रयत्न करूंगा। न्याय पालिका की गरिमा बराबर बढ़े और साथ ही लोगों को सुगम, सुलभ न्याय प्राप्त हो, यह सपना हमारा वास्तविक रूप में साकार हो, इसके लिए मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। आप लोग इस विषय में जो सलाह देंगे उसको भी मानने का प्रयत्न करूंगा।

श्री मूलचन्द डागा: समय बता दीजिए कितने समय में कर देंगे?

श्री सूर्यनारायण चौधरी: आपके जीवन काल में हो जाएगा।

श्री मथुरादास माथुर: हमारे जो नये विधि मंत्री आए हैं, हम उनका स्वागत करते है। साथ में यह भी कह दें कि जोधपुर में हाई कोर्ट की बेंच वापस ले जानी है, इसके लिए भी वे प्रयत्न करेंगे।

श्री मदनसिंह दांता: यह आपकी प्रान्तीयता का द्योतक है।

श्री नवरंग सिंह: नए मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वे माथुर साहब के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करें।

श्री मदनसिंह दांता: जयपुर की जनता में ताकत है तो नहीं जाने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : खाद्य मंत्री महोदय।

श्री जयनारायण पूनिया (खाद्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, काम के बदले अनाज योजना में विकास के काम लिए जाएंगे। ग्राम पंचायत को मदद जनसहयोग तथा अनाज, इन तीनों की मदद से विकास के काम शुरू करवाए जाएंगे। यह नई योजना है। इसके अन्दर कठिनाई आएगी लेकिन उनको समय समय पर आवश्यकतानुसार दूर करते जाएंगे जैसे कि अकाउन्ट्स रखना, मस्टर रोल की समस्या का समाधान करना सर्वे आदि कराना, ये सारी बातें करनी पड़ेंगी। मास्टर रोल छप रहे हैं। अकाउन्ट्स भी इसके रखे जाएंगे। सर्वे के लिये जिलाधीशों की मीटिंग हुई थी उसमें भी यह बात आई थी। इसके लिए कुछ टैक्निशियन की मदद की जरूरत पड़ेगी। इस चीज को महत्व देते हुए सरकार यह चाहती है कि टैक्निशियन की मदद उनको दी जाए। सरकार का यह विचार है कि जिलाधीशों को जितने भी ओवरसियर, ए. आई. एन. जैसे टैक्निशियन की जरूरत है, उनको वह नियुक्ति करें अस्थायी तौर पर। इसलिए इस प्रकार की कठिनाई कोई होगी तो वह दूर करते जाएंगे। इसमें कोई शक करने की जरूरत नहीं है।

बहुत से गांवों में आदमी मिल चुके हैं। जिलाधीश, विकास अधिकारी इस योजना पर मुस्तैदी से लगे हुए हैं। काफी अनाज भी पंचायत के सरपंच को भेजा जा रहा है। ये सारी चीजें क्रियान्वित होने वाली हैं। ज्यों ज्यों ये नई बातें समझते जाएंगे, काम करते जाएंगे। यह कोई ऐसी योजना नहीं है जो कागज में रह जाएंगे या इसके द्वारा विकास के काम नहीं कर सकेंगे। जल्दी से विकास कार्य हों इसलिये पांच हजार रुपये तक के कार्य स्वयं पंचायत पर छोड़ दिये गये हैं। वे शुरू करवा सकती हैं। इसकी कोई सैंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी ताकि जल्दी से काम हो सके। बाकी कार्य के लिए जिलाधीश की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। अगर एक महीने में स्वीकृति नहीं है, जिलाधीश स्वीकृति नहीं देते है तो स्वीकृति मान ली जायेगी। यह योजना 1979 तक चलेगी इसलिए हम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा काम करवाना चाहते हैं।

एक मजदूरी का प्रश्न भी उठाया गया फैमिन कार्य के लिए मजदूरी निश्चित है बाकी कार्यों के लिए मजदूरी निश्चित नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो मजदूरी है वह दी जाएगी। जहां जितने मजदूर मिलते हैं, उन लोगों को उसी प्रकार से मजदूरी दी जाएगी। इसके अन्दर ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। इस पुस्तिका में इसका हवाला नहीं दिया गया है कि मजदूरी हम किस प्रकार से देंगे ? राहत कार्यों में जो अनाज दिया जाएगा, उसमें जो मजदूरी निश्चित है उसका चुकारा किया जायगा। यह एक

(श्री जयनारायण पूनिया)

अच्छे योजना है। इसको अच्छे ढंग से चला कर हम विकास कार्य कर सकते हैं। लोगों ने कार्य करने की इच्छा रखते हुए दिलचस्पी दिखाई है। लोगों ने छोटे छोटे महत्वपूर्ण कार्य करवाना शुरू कर दिया है। इसके अन्दर कोई बड़ी स्कीम नहीं ली जाएगी। प्रत्येक गांव के अन्दर जन सहयोग लेते हुए स्कूल की बिल्डिंग, दवाखाने की बिल्डिंग बनायी जा सकती है। पहले गांव के अन्दर बिल्डिंग के लिए सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं दी जाती थी। अब सभी प्रकार की बिल्डिंग इस योजना के अन्तर्गत बनाने का काम हाथ में लिया जा सकता है। हायर सैकण्डरी की बिल्डिंग, औषधालय पर भी काम हो सकता है....

श्री मदनसिंह दांता : पंचायत स्कूल पर ही यह खर्च होना चाहिए। हाई स्कूल तो गवर्नमेन्ट के अण्डर में है।

श्री जयनारायण पूनिया : यह निर्णय करना पंचायत पर छोड़ दिया गया है कि वे क्या काम करें और क्या न करें।

श्री माधोसिंह कछवाह : आपने फर्माया कि निश्चित मजदूरी दी जाएगी। क्या फेमिन कोड के अन्तर्गत मजदूरी दी जाएगी या जो मिनिमम मजदूरी है वह दी जायगी। इसके बारे में कृपया मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें....

श्री जयनारायण पूनिया : जो राहत कार्य खोले जाएंगे उनको मजदूरी फेमिन कोड से कन्ट्रोल होगी ...

श्री माधोसिंह कछवाह : जो मजदूरी दी जाएगी वह फेमिन कोड के अन्तर्गत दी जाएगी या सरकार की जो अलग से नीति है मिनिमम वेजेज को, उसके तहत देंगे।

श्री जयनारायण पूनिया : फेमिन कार्य के लिए फेमिन कोड के तहत मजदूरी दी जाएगी बाकी कार्यों के लिए जो निश्चित मजदूरी है वह दी जाएगी। जो कार्य फेमिन में नहीं लिए जाएंगे वे इस योजना के अन्तर्गत काम करेंगे। जहां फेमिन कार्य नहीं है वहां दूसरे कार्य भी चलाए जाएंगे।

श्री माधोसिंह कछवाह : इसका मतलब यह हुआ कि उनको मिनिमम मजदूरी मिले, इससे यह पर्पज सर्व नहीं होता है।

श्री जयनारायण पूनिया : जिस हिसाब से मजदूरी तय होगी उस हिसाब से दी जाएगी। फेमिन से इसका कोई मतलब नहीं है। अनुदान की जो राशि रखी है, वह मालूम है और इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी।

एक माननीय सदस्य : कच्चे काम के लिए प्रावधान रखा है।

श्री जयनारायण पूनिया - वह भी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा मंत्री महोदय।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप इन्ट्रोडक्टरी शब्द से शुरू कीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मंत्री) : 30 वर्ष होता है इंट्रोडक्टरी शब्द में कहना चाहता हूं पिछले 30 वर्षों में इन स्कूल भवनों का जो हाल रहा है इसकी चर्चा आपने की इसके लिये चिन्ता व्यक्त की। जनता पार्टी का शासन बनने के बाद किसी भवन की हालत खराब नहीं हुई .....

श्री रामनारायण चौधरी : आमेर में हुआ।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह प्राइवेट स्कूल है ।

श्री मूलचन्द डागा : 5–5 हजार में स्कूल भवन बनेंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय डागाजी, 5 हजार तो एक बार में खर्च किये जा सकते हैं । आपको यह समझना होगा कि जनता पार्टी किस दिशा में काम करना चाहती है । अभी हमारे माननीय सदस्य श्री गुप्ता जी ने कहा कि यहां के रवीन्द्र मंच का विस्तार हो रहा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं–जैसे चिकित्सा, शिक्षा इन चीजों की आवश्यकता है उसी प्रकार से कुछ और भी आवश्यकताएं हैं ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आप उदयपुर जोधपुर में भी बनवाइये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह आपको मानना होगा । मैं यह कहता हूं कि इसकी भी आवश्यकता है । समाज के लोग सामूहिक रूप से विचार गोष्ठी कर सकें इसके लिये भी कुछ स्थान की आवश्यकता होगी । जयपुर आप सभी के सहयोग से, आपके आशीर्वाद से राजधानी है ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जिसका दण्ड हम भुगत रहे हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह दण्ड नहीं है आपका सौभाग्य है, आप भाग्य शाली है-

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : हमें तो खुशी है कि शिक्षा मंत्री भी आप जैसे मिले हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह भी जयपुर का ही है ।

श्री मूलचन्द डागा : जयपुर के लोगों के चेहरों पर खूबसूरती नहीं है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप विरोध करें, यह आपका अधिकार है लेकिन यह उचित नहीं है ।

जितने कालेजों की आप बात करते हैं उनमें विद्यार्थियों की संख्या 5–5 हजार हो गई है अगर वहां बैठने की व्यवस्था नहीं की गई तो कैसे काम चलेगा । इसलिये कालेजों से लेकर स्कूलों तक यह व्यवस्था की है । अगर आपका सहयोग रहे तो जो व्यवस्था सरकार ने की है उसके आधार पर निश्चित रूप से आने वाले समय में आपकी जो चिंता है बिल्डिंगों के बारे में वह निश्चित रूप से दूर हो जाएगी । इस योजना के अन्तर्गत जितने स्कूल भवन बना सकते है, वे बनाएंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : अब अनुपूरक अनुदान की मांगों पर मतदान होगा ।

अनुपूरक अनुदान की मांग सं० 6, 11, 19 का पारण

मांग सं. 6

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,70,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग सर्व सम्मति से स्वीकार की गई ।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग स. 11

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 11 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,85,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग सर्व सम्मति से स्वीकार की गई।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो शब्द सर्व सम्मति से आता है, यहां यह सिस्टम है नहीं इसलिए मांग सिर्फ स्वीकार की गई कहा जाय तो—

मांग स. 19

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19 के संबंध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 52,05,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

शेष अनुपूरक अनुदान की मांगों का पारण

मांग सं० 3

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 3 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 80,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग सं० 4

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 4 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,34,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग सं० 5

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 5 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 30,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग सं० 16

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 16 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,75,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग बहुमत से स्वीकार की गई।

मांग सं० 17

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 17 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,78,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग बहुमत से स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग सं. 23

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 23 के संबंध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,30,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग बहुमत से स्वीकार की गई

मांग सं. 24

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 24 के संबंध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,152,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग बहुमत से स्वीकार की गई।

मांग सं. 25

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 25 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,10,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग बहुमत से स्वीकार की गई।

मांग सं. 26

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 26 के संबंध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,75,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग बहुमत से स्वीकार की गई।

मांग सं. 28

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 28 के संबंध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 40,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग सं. 29

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 29 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 4,4,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग बहुमत से स्वीकार की गई।

मांग सं. 30

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 30 के संबंध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,10,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग बहुमत से स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग सं. 31

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 31 के संबंध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 35,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग बहुमत से स्वीकार की गई।

मांग संख्या 33

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33 के संबंध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 92,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग बहुमत से स्वीकार की गई।

मांग संख्या 34

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34 के संबंध में 31 मार्च, 1979, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,90,000 .तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग बहुमत से स्वीकार की गई।

मांग संख्या 36

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36 के संबंध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12,00,00 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग बहुमत से स्वीकार की गई।

मांग संख्या 37

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37 के संबंध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 30,12,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग बहुमत से स्वीकार की गई।

मांग संख्या 38

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 38 के संबंध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,90,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग बहुमत से स्वीकार की गई।

मांग संख्या 39

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39 के संबंध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,33,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग बहुमत से स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या 40

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 40 के संबंध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 16,10,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग बहुमत से स्वीकार की गई।

मांग संख्या 42

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42 के संबंध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,11,68,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग बहुमत से स्वीकार की गई।

मांग संख्या 46

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46 के संबंध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 70,68,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग बहुमत से स्वीकार की गई।

श्री मूलचन्द डागा : I have given in writing Sir.

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मन्त्री महोदय का प्रस्ताव।

श्री मूलचन्द डागा : जिन्होंने लिख कर दे दिया है वह बोलेंगे Those members who want to have participation they must give in writing what they want to say. Rules are very clear in this connection. I had given in writing long before as I wanted to participate.

विधायी कार्य : विधेयक का पुरस्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक 1978

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग संख्या 4 विधेयक, 1978 को पुरस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की आज्ञा है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री आदित्येन्द्र: उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (सं० 4) विधेयक, 1978 को पुरस्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या 6) विधेयक 1978

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (सं. 4) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्रीजी ने अपने बजट भाषण में जो इस साल 1978-79 का तखमीना पेश करते हुए 6 मार्च के अन्त में यह बात कही थी कि 1978-79 के अन्त में जो बजट उन्होंने प्रस्तुत किया था उसमें 34 करोड़ 22 लाख का घाटा रहने की संभावना है। उन्होंने अपने बजट भाषण में हमको यह भी कहा था कि इस घाटे की पूर्ति इकोनामी के जरिये से, कुछ विद्युतिकरण से धन जुटाई करेंगे। साथ ही आवास व अन्य ग्रामीण कार्यक्रम के लिये ग्रामीण ऋण पत्र प्रचलित करेंगे, म्युनिसिपल कौंसिल व कार्पोरेशन, पंचायत समिति और राजकीय निगमों के कर्मचारियों के लिए राज्य बीमा योजना लागू करने का प्रयास करेंगे। जब वित्त-मन्त्रीजी ने 34 करोड़ 22 लाख के घाटे का बजट पेश किया था उस वक्त हम यह उम्मीद लेकर चलते थे कि वित्त मंत्रीजी आने वाले साल में कुछ ऐसी योजना बनायेंगे जिससे खर्च कम हो, शासन में खर्च कम हो, कुछ जो उन्होंने सुझाव दिये थे उन के जरिये से यह बजट घाटे का नहीं रहेगा। उन्होंने हमें इस तरह का आश्वासन भी दिया था। अगर आज वित्त मंत्रीजी हमारे सामने इस विधेयक के जरिये 4,4,43,000 रुपये की धनराशि कंसोलिडेटेड फण्ड आफ दी स्टेट में से और मांगने के लिये आये हैं, उन्होने जो हमारे सामने भूमिका अदा की है उसमें उन्होंने यही कहा कि इतना ही नहीं मुझे और जरूरत पड़ेगी तो सप्लीमेंट्री ग्राण्ट के जरिये सदन के सामने और धन-राशि लेने के लिए आऊंगा। इसके मायने यह है कि वित्त मंत्री जी जो कुछ भी अभी सप्लीमेंट्री डिमाण्ड रख रहे हैं उससे ज्यादा खर्च करने की सम्भावना नजर आती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे जरूरत पड़ेगी तो और सप्लीमेंट्री ग्राण्ट के लिए यह जो हमारा साल 31 मार्च तक खतम होगा उससे पहले मैं पुन: आ सकता हूं। मैं, वित्त मंत्रीजी, आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इस सदन के सामने जो वायदे किये थे वह आप पूरे नहीं कर सके। आपने इकोनामी करने का वायदा किया था। उसके बजाय आज आप सुपरटाइम स्केल ले आये। राजस्थान के इतिहास में इतनी पोस्टें सुपरटाइम स्केल की कभी कन्वर्ट नहीं हुई आई. ए एस. की।

श्री मूलचन्द डागा: भैरोंसिंह जी ने की है।

श्री मथुरादास माथुर: उसमें प्रशासनिक कोई कारण हो ऐसा नजर नहीं आता है। आपने फिजूल खर्ची कर दी उसकी फहरिस्त मैं आपके सामने नहीं रखूंगा। कुछ बातें आपके सामने रखना पसन्द करूंगा।

आपने अपने शासन के अन्दर जो नान-प्लान एक्सपेन्डीचर है, जो एक्सपेन्डीचर अमूमन इनफ्लेशन पैदा करता है, जो चीजों के भाव बढ़ाने में सहायक होता है, वह नान-प्लान एक्सपेन्डीचर आपने बढ़ाने की कोशिश की हैं। आप इसको रोक नहीं सके। पेट्रोल पर खर्चा आप नहीं रोक सके। जीपों पर खर्चा आप नहीं रोक सके। माननीय मुख्य मंत्री जी ने शुरुआत में जब वह गद्दी पर आसीन हुए थे, वह सीट पर नहीं हैं, तब उन्होंने बताया था कि जीपों का यूज बन्द कर दूंगा। कोई व्यक्तिगत रूप से उसको काम में नहीं ले सकेगा। मैं वित्त मंत्रीजी, और मुख्य मंत्रीजी आप से पूछना चाहता हूं कि जीपें और गाड़ियां, एम्बेसेडर गाड़ियां आफिसर जो मीटिंग में आते हैं वह सब लेकर आते

(श्री मथुरादास माथुर)

है वह आपके सेक्रेटेरियेट के बाहर छाया के अन्दर खड़ी रहती हैं। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स हैं उनके घरों पर जाकर देख लें। वह जीपें मिलेंगी, गाड़ियां खड़ी मिलेंगी। बात छोटी है मगर छोटी बात ही बड़ी बात बनती है। किस जगह पर आपने इकानामी की है? आपने डिमाण्ड रखी हैं तो यह तो बताते कि इकानामी कहां की है ताकि आपका घाटे का बजट घाटे का नहीं रहेगा। और इन्फ्लेशन पैदा नहीं करेगा, वह बात भी आपने नहीं बतलाई।

इसके साथ-साथ मैं प्रोहिबिशन के मामले में यह सिद्ध कर दिया कि सरकार का दिमाग साफ नहीं है। एक्साइज में जो आंकड़े रेवेन्यू के दिये थे, उसके बाद में आपने ड्राई डेज को बढ़ा दिया। ठेकेदार मुकदमेबाजी कर रहे हैं, आपको नोटिस दे रहे हैं। आपने ठेका दिया उस वक्त कहा था कि 20-21 दिन दुकानें बन्द रहेंगी और अब 60-70 दिन और 100 दिन से भी ज्यादा बन्द करने का फैसला कर दिया। जब वहां से पार नहीं पड़ी तो गंगानगर शुगर मिल के पास गये। लेकिन कोई फायदा नहीं। या तो आप आमदनी बढ़ा लीजिये या प्रोहिबिशन कर लीजिये। लोग मरेंगे, और आप आगे कदम नहीं बढ़ा सकेंगे। नतीजा यह होगा कि एक्साईज के अन्दर जो रेवेन्यू बतायी थी उससे बहुत बड़ा डेफिशिट आयगा।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं, वित्त मन्त्रीजी, अब पहले वाला जमाना नहीं रहा। आपने भारत सरकार की ओवर ड्राफट की स्कीम भी देख ली होगी, जो एक अक्टूबर से लागू हो गई है। वेज एण्ड मीन्स को जो रिजर्व बैंक से लोन लेने का अधिकार था उसमे भी अड़चन डाल दी। 75 पर्सेंट खर्च करने के बाद रिजर्व बैंक के अधिकारी यहां पहुंचेंगे और अध्ययन करके रिपोर्ट देंगे। उनकी रिपोर्ट होगी तो आपको ओवर ड्राफट मिलेगा और एक सप्ताह के अन्दर अगर आप उसको क्लियर नहीं करोगे तो रिजर्व बैंक आपका पेमेंट रोक देगा। राजस्थान सरकार के चैक बैंकों के अन्दर नहीं माने जायेंगे। फाइनेन्सियल प्रोब्लम के नाम से कहो, फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट के नाम से कहो, भारत सरकार ने ओवर ड्राफ्ट की योजना आपके ऊपर डाल दी है। आपको बहुत ही समझदारी और होशियारी से काम करना पड़ेगा। 28 जून के अन्त तक कुल इस साल का ओवर ड्राफ्ट करीब 21 करोड़ और 19 लाख का था जो आपने 29 तारीख को भारत सरकार से मदद लेकर या किसी भी तरह से क्लियर करवा लिया। आपको भारत सरकार योजना भेज देती है। हम भारत सरकार के गुलाम नहीं हैं, उसका मातहत नहीं है। उसके साथ बड़ी बहन का जैसा रिश्ता है। वह भी जनता के द्वारा चुनी गई है और हम भी जनता के द्वारा चुने गये हैं। भारत का संविधान उनके हमारे साथ रिश्ता कायम करता है। भारत सरकार का सड़ा गला धान था उसको तुम्हारे पर थोप दिया गया। भारत सरकार मुफ्त में दान नहीं दे रही है, पैसा ले रही है सड़े गले धान का और वह हमारे मजदूरों को बांटा जा रहा है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि गांव वालों को धान दो तीन किलो दीजिये, जितना भी धान दीजिये, लेकिन उसको जीवन का आधार तो मिलना चाहिए। घर मे केवल धान से ही काम नहीं चलता, तेल भी चाहिए, मसाला भी चाहिए। बाजार में उसको बेच नहीं सकता और बेचेगा भी तो

(श्री मथुरादास माथुर)

कौन उसको खरीदेगा ? उसको बेचना भी पड़ेगा क्योंकि तेल और मसाले चाहिए। कौन खरीदेगा उसको ? और खरीदेगा तो कोड़ियों के भाव लेगा। सवा रुपया किलो का भाव है तो कोई आने किलो में भी नहीं लेगा। मेहनत तो आपने पूरी ले ली, अब गल्ले की पोट बांधकर बेचता फिरे। गल्ला बिकता नहीं है तो वह और भी भूखों मरेगा। यह शोषण नहीं तो और क्या है ? बार बार ताली बजाई जाती है, समाजवाद ला रहे हैं मैं आप से कहना चाहता हूं, हमारे यहां मारवाड़ी में कहावत है, "बूढ़ी गाय ब्राह्मण को दीजे", यह वह गाय है। जो धान सड़ रहा है वह धान बूढ़े ब्राह्मण राजस्थान सरकार के नाम लिखा जा रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, कोई बात नहीं आप धान लीजिये कोई सस्ता नहीं दे रहे हैं।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : धान अच्छा मिलेगा।

श्री मथुरादास माथुर : आप तो अच्छा कह रहे हैं लेकिन धान तो वही मिलेगा।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन कर दूं कि धान अच्छे से अच्छा मिल रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : मन्त्री लोग वही ले रहे हैं ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : वही ले रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मन्त्रियों को तनख्वाह की जगह धान की बोरियां भिजवा दी जायं।

मेरा अन्दाज यह है कि वह धान जो मिल रहा है, चार पांच करोड़ का इससे भारत सरकार को परेशानी नहीं है, उसने तो तुम्हारे खाते में डेबिट कर दिया। वह इस प्लान सीलिंग से बाहर है या प्लान सीलिंग के अन्दर है ? बाहर है तब तो ठीक है, बूढ़ी गाय ब्राह्मण को देंगे, चरती फिरेगी और मर जायगी तो उसका चमड़ा काम आ जायगा। मगर प्लान सीलिंग के अन्दर इफेक्ट करता है तो आप इसको मन्जूर मत कीजिये। पैसा तो आपके नाम मांगेंगे। सीलिंग के ऊपर होता है तो काम करने का मौका मिलेगा। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि कभी भी क्या आपने इस बात को सोचा है ?

हमारे यहां पर सदन के माननीय सदस्यों और खास तौर से सरकार के दो तकिया कलाम हैं। एक बात तो कहेंगे कि तीस साल में आपने क्या किया ? तीस साल में हमने आपको पैदा करके बिठा दिया। अब क्या करना चाहते हो ? दूसरा तकिया कलाम है जहां भी योजना है वहां कहेंगे वर्ल्ड बैंक से रुपया ला रहे हैं, यह हो जायगा और वह हो जायगा। अन्त्योदय के बारे में कहें कि पैसा कहां से लाओगे तो कहेंगे कि वर्ल्ड बैंक से ला रहे हैं। हम कहें कि राजस्थान कैनाल के लिये पैसा कहां से लाओगे तो कहेंगे कि वर्ल्ड बैंक से ला रहे हैं। हम कहें कि चम्बल के लिये रुपया कहां से ला रहे हो तो कहेंगे कि वर्ल्ड बैंक से ला रहे हैं। रूरल वाटर सप्लाई और अर्बन वाटर सप्लाई की स्कीम के लिये पूछें कि पैसा कहां से ला रहे हो तो कहेंगे कि वर्ल्ड बैंक से ला रहे हैं। आपने कहा कि राजस्थान कैनाल के सेकिण्ड राउन्ड के लिये पैसा शायद ईरान से लाया जायगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा: वर्ल्ड बैंक से लेना कोई गुनाह नहीं है

श्री मथुरादास माथुर: सुनिये मैडम ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने तो, माथुर साहब, राजस्थान को कर्ज में डुबो दिया था । वर्ल्ड बैंक से काम के लिये रुपया लिया जाना बुरा नहीं । काम हो इसलिये काम के लिये रुपया ला तो रहे हैं । डागा साहब ने यह बात कही कि काम के बदले अनाज जो मिल रहा है वह चोरी मन्त्रियों के घर भेजी जाय । मेरा ऐसा ही अनुभव है । वजट सत्र में मैंने कहा था यह वेज कम है तो मुख्य मन्त्री जी बोले कि माननीय सदस्या इतना कम लेके दिखावें, मैं जरूर मजदूरों की वेज बढ़ा दूंगा । मैंने तो तब से अब तक वेतन भत्ता नहीं लिया है परन्तु मुख्य मन्त्रीजी ने अब तक वेज बढ़ाने की घोषणा नहीं की । मैंने कहा था कि यदि फिजिकल लेबर करने वाले को आप दो किलो अनाज व एक रुपया या चार रुपया देते हैं तो फिर एम. एल. ए. को 5 रुपया रोज क्यों ? ये तो फिजिकल लेवर नहीं करते, इस बात पर यह रिमार्क्स हुए सो डागा साहब ये गेहूं वेतन के बदले आपके घर पहुंचने वाला हैं ।

श्री मथुरादास माथुर: आप मालिक हैं जो पल्ले में डालेंगे हम ले लेंगे, मैडम । मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सपोर्ट दिया ।

आप हर बात में वर्ल्ड बैंक और शाह आफ ईरान की बात करते हैं । इस सदन में मुख्य मन्त्री ने वायदा किया था कि सदन को विश्वास में लूंगा । अगर विश्वास में नहीं लिया तो संविधान की धारा 292 व 293 के तहत हमें मजबूर होकर प्रस्ताव लाना पड़ेगा । आप कुर्सी पर मेख लगा कर नहीं बैठे हैं । हम तो 30 साल तक कुर्सी पर मेख लगाकर बैठे तो भी मेख निकल गई । आपके लिए तो 5 वर्ष भी निकलना नामुमकिन बात है । आप विश्व बैंक का कर्जा नहीं चुका सकेंगे । विकास के लिए कर्जा लेना बुरी बात नहीं है । वाटर सप्लाई स्कीम्स के लिए 150 करोड़ विश्व बैंक से ले रहे हैं । छठी योजना में अन्त्योदय योजना विश्व बैंक वाले देखने आए हैं । मैं अमरीका था तो मुझसे कुछ लोग मिले और पूछा कि राजस्थान में यह कौनसा मौंकी पैदा हुआ है ? मैंने कहा यह अन्त्योदय है । तो आप इसके लिए कितना रुपया लेंगे ? अन्त्योदय राम रसोड़ा है किसी को बकरी दे देना, किसी को भेड़ दे देना, किसी को गाय दे देना । गाय का दूध आएगा तो ठीक नहीं तो काट कर खा जायेंगे ।

हमने कहा था बोर्ड बनाइए । अन्त्योदय का विचार अच्छा है मगर इसके लिए नान पोलिटिकल तरीके से बोर्ड बनायें । दो बातों में पोलिटिक्स नहीं आये एक अन्त्योदय और दूसरे ला एण्ड आर्डर में । आप हमारा सहयोग लें । हरएक पंचायत स्कीम को वाच करें, कहीं नमक का काम हो सकता है, कहीं सूत का तो कहीं कपड़े का काम हो सकता है । कोई बाहर का नेता आया फोटो खिंचवा दी, अन्त्योदय हो गया ।

एक माननीय सदस्य : आपने क्या किया ?

श्री मथुरादास माथुर : हमने तो बहुत कुछ किया 30 साल में, तुमको 3 महीने निकालना मुश्किल हो जायेगा । आज होवा आ गया है । जैसे मातायें बच्चों को रात

(श्री मथुरादास माथुर)

को जब वह चुप नहीं करता है तो डराती हैं कि हौवा आ जाएगा और वह मां से चिपक जाता है। तो वह हौवा कल चिकमंगलूर से चल पड़ा है। चिपक जाओ एक दूसरे को, वरना बोरी बिस्तर बन्द करो, मकान खाली कराओ, जिसको किराए पर देकर आए हो।

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए कर्जे की लिमिट बढ़ा दी। हर बात में विश्व बैंक व शाह आफ ईरान। अपने देश का कर्जा तो समझ में आ सकता है लेकिन दूसरे देशों से कर्जा लें जो चुकाने की क्षमता से बाहर हो ...

श्री सूर्य नारायण चौधरी : मैं एक जानकारी लेना चाहता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : जानकारी दूंगा, लेकिन आपकी समझ में नहीं आएगी।

श्री सूर्यनारायण चौधरी: आपने अपने शासनकाल में कितना कर्जा लिया ?

श्री मथुरादास माथुर : यह वित्त का मामला है, मैमोरी से नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं जो निवेदन करता हूं वह आपकी समझ में नहीं आता। कर्जा भारत सरकार का हो, प्लान का हो, जनता का हो, मगर विश्व बैंक और शाह आफ ईरान और दूसरे देशों से कर्जा लेने में पोलिटिकल कन्टेंट होता है, इसको नहीं भूलना चाहिये। देश की आजादी खतरे में पड़ती है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आपके शासन काल में विदेशों से कितना कर्जा आया ?

श्री मथुरादास माथुर : राजस्थान नहर के अलावा और कर्जा नहीं। बाकी आल इंडिया बेसिस पर 500 करोड़ से कुछ ज्यादा है।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : 18000 करोड़।

श्री मथुरादास माथुर: आफ हैंड मैं नहीं कह सकता।

श्री राम कृष्णदास गुप्ता : भारत के हर नागरिक पर 150) रु. कर्जा है।

श्री मथुरादास माथुर: आप क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा आपकी क्षमता क्या है ? आपने जो शाह आफ ईरान से एग्रीमेंट किया है, वह बताइए। मुख्य मन्त्री ने कहा था कि सदन को विश्वास में लूंगा। शाह आफ ईरान कहता है कि क्रापिंग पैटर्न जैसा मैं कहूंगा वही होगा, तो उस गल्ले को खरीद कर अपने देश में लाऊंगा। वित्त मन्त्री जी, आपको ध्यान देना चाहिए। आप इस कर्जे के बारे में जरा सोचें। आप नहीं सोचेंगे तो धारा 293 के तहत लिमिट लगानी पड़ेगी। भूतपूर्व विधि मन्त्री कहेंगे कि आपके राज्य में नहीं लगाई। सवाल यह नहीं है। कर्जा न लिया जाए मैं ऐसा नहीं मानता, कर्जा विकास के लिए लिया जाता है। आपकी वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं ये कामर्शियल नहीं होने वाली हैं। वेलफेयर स्टेट का फर्ज है कि जनता को पीने का पानी दे। विश्व बैंक से रुपया लेकर निगम बनाना चाहेंगे तो यह नहीं होने वाला है। जहां पानी गहरा है, जहां फ्लोराइड है, जहां सेलिनिटी ज्यादा है, वहां दूर दूर से पानी लाना पड़ेगा। गांव के गरीब लोगों को 7 रुपये में दो घड़े देंगे?

(श्री मथुरादास माथुर)

यह कहां से 7 रुपये दे सकेगा ? आज उस को मुफ्त में मिल रहा है।

(8.17 रात्रि)

(श्री लक्षमणसिंह अध्यक्ष, पीठासीन)

इसलिए आपका तकिया कलाम है शाह आफ ईरान और विश्व बैंक उसको भूल जाइए।

वित्त मंत्री महोदय, पहली दीवाली के बाद दूसरी दीवाली आई। आप फिर सप्लीमेंट्री डिमांड लेकर आयेंगे। आपने कभी सोचा है कि पहली दीवाली और इस दीवाली के बीच में क्या इनफ्लेशनरी ट्रेन्ड हुआ है? यह हमारी नीतियां करती हैं। मार्केट में रुपया इकानामी में ज्यादा डाल देते हैं वह नान-प्रोडक्टिव होता है रुपया सस्ता होता है चीजे महंगी होती हैं। दीवाली टू दीवाली तेल तिलहन व दालें सब महंगी हो गई। गेहूं सस्ता हुआ। चीनी सस्ती नहीं हुई है। इस पर विचार किया जाए, चीनी पहले हम निर्यात करते थे और विदेशी मुद्रा कमाते थे, निर्यात में सस्ती बेचनी पड़ती थी। राजस्थान का कोटा अलग था, बाकी चीनी बाहर भेजते थे। हम एडजस्ट करते थे इसलिए महंगी होती थी। अब बाहर निर्यात करने से जावा, सुमात्रा काम्पटीशन में आ गया ...

श्रीमती उजला अरोड़ा। 46 पैसे प्रति किलो में बाहर भेजने थे और हमको 7) प्रति किलो में देते थे।

श्री दाऊ दयाल जोशी 46 पैसे किलो में बाहर भेजते थे और हमको 7।।) रु० किलो में देते थे।

श्री मथुरादास माथुर : जरा गंभीरता से सोचें। उस समय चीनी महंगी क्यों थी ? उत्पादन बढ़ गया हो ऐसी बात नहीं है। गन्ना पैदा करने वालों को पूरा भाव मिलता है यह सही है। सरकार सोचती है चीनी मिलों को लिया जाए, यह सही है। काम्पटीशन था दूसरे देशों से। इसलिये उनको यह इजाजत दी कि 50 प्रतिशत राशन से दें और बाकी मर्जी आये भावों से बेचे और उसको जो लास होता है उसको पूरा करें। चीनी सस्ती इसलिये है कि हमने एक्सपोर्ट करना बन्द कर दिया। मास्टर आदित्येन्द्र जी, वित्त मंत्री जी, हमको बतायें पट्रोल दो दिनों से नहीं मिल रहा है। आपका कैरोसिन नहीं मिल रहा है लोहा महंगा और तिलहन महंगा, तेल महंगा अरे भाई मेरे पास पूरा चार्ट है दीवाली टू दीवाली।

श्रीमती उजला अरोड़ा : चीनी की बात करते हैं। आपकी वितरण व्यवस्था गलत थी। चन्दा लिया जाता था, इसलिये महंगी थी।

श्री मथुरादास माथुर : आप, मैडम, चन्दा मत लेना कभी।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि दीवाली टू दीवाली के भावों को देख लीजिये। मार्केट में जो रूपया आया है 6 महीने में, जून के एण्ड में पहले से 10 प्रतिशत इन्क्रीज हो गया है मार्केट में और ज्यादा आ रहा है। इन्फ्लेशनरी ट्रेन्ड है। डवलपमेंट एक्टीविटीज में रुपया खर्च नहीं हो रहा है। इन सब बातों को देखते हुए भी वित्त मंत्री जी, आप बड़े जोर से यहां पर कहते हैं कि पहले इतना रुपया खर्च करते थे अब इतना रुपया खर्च करते हैं। पहले के भावों का मुकाबला कर लीजिये। फिजीकल परफार्मेन्स को देखना पड़ेगा। आप लोगों को गुमराह नहीं

(श्री मथुरादास माथुर)

कर सकते। पांच साल पहले जिस आदमी को 100) रुपया मिलता था उसको आज 150 दे दें तो थोड़ा है।

जनता पार्टी ने गोल्ड के मामले में हिन्दुस्तान के लोगों का खून चूस लिया है। क्यों बेचा? किसने खरीदा? लोगों ने होर्ड कर लिया। 1500 करोड़ रुपये का सोना स्मगल हो कर आया है। आपने आक्शन कर दिया। सोना बाहर नहीं निकला। 1000 रुपये तोला हो गया। ऐसे भाव आज तक नहीं हुए। मेरा आपसे निवेदन है हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जो अपना सोना बेचता है, समझ लेना चाहिये घर का दिवाला निकलने वाला है। आपने सोना बेचा। आपने स्मगलर्स से चिकमंगलूर के लिये चन्दा लिया. मैं नहीं कहता। आपके पास चुनाव लड़ने के लिये रेवेन्यू का कोई आइटम है? सब चन्दे से आता है। इस गोल्ड के मामले में बहुत बड़ा प्राफिट हुआ है। मोरारजी भाई को मजबूरन बन्द करना पड़ा। जो सरकार इन्फ्लेकशन को नहीं रोक सकती है वह सरकार आज हमारे सामने बिल लेकर आयी है कि हमको चार करोड़ रुपया और दीजिये। आपको एक पैसा भी दिया जाये इसके लिये आप डिजर्व नहीं करते।

श्री अध्यक्ष : जिस किसी माननीय सदस्य को बोलना होगा, उनको मौका दूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी, श्री मूलचन्द जी डागा फिर आपको।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो एप्रोप्रियेशन बिल विचारार्थ प्रस्तुत किया है उस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। वित्त मंत्री महोदय, गृह मंत्रालय, उद्योग, कृषि शिक्षा और पी. एच. डी., इन विभागों के लिए सप्लीमेंट्री बजट लेने जा रहे हैं। जो पहले आप ओरिजिनल बजट लाये थे उससे काम नहीं चला और अतिरिक्त धन-राशि देने जा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अतिरिक्त धन देने के कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिये। गृह मंत्रालय को आप अतिरिक्त धन दे रहे हैं। गृह मंत्रालय से आपको पूछना चाहिये था कि आपका परफार्मेन्स लॉ एण्ड आर्डर की दृष्टि से कैसा रहा? क्या आपने किया? आप, मान्यवर मन्त्री महोदय, अपने भरतपुर को देख लीजिये। लॉ एण्ड आर्डर की क्या स्थिति है? सरे आम लोगों के कत्ल हो रहे हैं। रास्ते चलते हुए पशुओं को उड़ा लिया जाता है। आज आपके भरतपुर की यह स्थिति है। भरतपुर से आगरा तक बिना पुलिस के एस्कोर्ट के बसें नहीं जा सकती। इस मंत्रालय को आप अतिरिक्त मांगें किस आधार पर देने जा रहे हैं। गृह मंत्रालय का परफार्मेन्स ऐसा रहा है कि एक पैसे का भी हकदार नहीं है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, आर. ए. सी. और आर्म्ड पुलिस सभी यहां पर है उसके बाद भी यहां डाका पड़ा, आज तक उनका पता नहीं चल सका। गिरफ्तारी नहीं हुई। यहां का बैंक लूटा गया। सारे राजस्थान का जिक्र नहीं कर रहा, कुछ जिलों का इन्सटांस देना चाहता हूं। जिस राजधानी में आप बैठते हैं वहां डाका पड़ा। झुन्झुनूं को ले लीजिये, अलवर को ले लीजिये, जहां गृह मन्त्री जी रहते हैं। अलवर में पशुओं को उड़ा ले गये। धौलपुर की स्थिति ले लीजिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं किस बात के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट दे रहे है? आप इस पर विचार करें।

(श्री रामनारायण चौधरी)

उद्योग मंत्री जी को आप अतिरिक्त धन दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, मार्च 77 के अन्दर जब आपको शासन मिला था और उद्योग मंत्री जी को जब उद्योग मंत्रालय दिया गया था तब देश की इण्डस्ट्रियल ग्रोथ 10.5 प्रतिशत थी, एक साल के अन्दर इण्डस्ट्रियल ग्रोथ गिर कर 3.5 प्रतिशत हो गई। इण्डस्ट्रियल ग्रोथ 3.5 प्रतिशत आपके राजस्थान की हो गई, मार्च 78 तक जबकि इस साल का लक्ष्य भारत के उद्योग मंत्री ने 8 प्रतिशत का रखा था। आप राजस्थान के अन्दर और सारे देश में 8 प्रतिशत इण्डस्ट्रियल ग्रोथ नहीं ला सके। पिछले दिनों जब दिल्ली में जनता पार्टी की मीटिंग हुई तब देश के उद्योग मंत्री जार्ज फर्नाडीज साहब ने जो नोट सबमिट किया था उसमें कहा था कि पांच प्रतिशत इण्डस्ट्रियल ग्रोथ अब तक कर पाये हैं जब कि 8 प्रतिशत हो जानी चाहिये थी। अब यह इससे भी अधिक गिरने वाली है। अब तक चीनी का बड़ा भारी प्रोडक्शन दिखाया उसमें भी गिरावट होगी, सीमेंट में भी गिरावट होगी। जो 5 प्रतिशत ग्रोथ लाये हैं वह तीन पर्सेन्ट से भी नीचे आ जायेगी। तो आपने कौन-सा परफोर्मेन्स, वित्त मंत्री जी, देखा कि आप सप्लीमेंट्री ग्रांट देने जा रहे हो, जिसको फाइनेन्स डिपार्टमेंट कन्ट्रोल करता है। आपको पूछना चाहिये कि जो नेशनल टार्गेट रखे गये थे, उनको क्यों नहीं अचीव किया गया? इनका अतिरिक्त धन नहीं दें।

शिक्षा के बारे में मैं अधिक नहीं कहूंगा, माननीय सदस्यों ने कहा है कि स्कूल खाली पड़े है। आज स्कूल खाली इसलिए पड़े हैं कि आप उनको भी एडीशनल ग्रांट और अतिरिक्त ग्रांट दे रहे हैं। मुख्य मंत्री ने फर्मा दिया, कांग्रेस शासन जो 30 साल में नहीं कर सका और जितने स्कूल 30 साल में नहीं खोल सका वह हमने डेढ़ साल में दुगुने कर दिये। मैं पूछना चाहता हूं 30 साल में जो मिडिल स्कूल खोले हैं, वे आपने कितने खोले हैं, यह जरा बता दें। सारा इनफ्रास्ट्रेक्चर कांग्रेस ने तैयार किया था। हायर सैकेण्डरी स्कूल के लिए 8 वर्ष का समय मिलता है। ये प्रति वर्ष चलें तब भी 9 वर्ष में खोलने पड़ेंगे। यह सारा स्ट्रक्चर कांग्रेस ने तैयार किया था। आपने 500 के बजाय 800 स्कूल खोल दिये तो कौनसा कार्य किया है। यह तो नहीं बताया कि कांग्रेस शासन ने कितने स्कूल खोले हैं? जो आज इनफ्रास्ट्रक्चर है और जो पापूलेशन ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से आपको स्कूल खोलने पड़ेंगे और यदि नहीं खोलेंगे तो काम नहीं चला सकते। लेकिन स्कूल तमाम खाली पड़े है। स्कूलों में जहां लड़के खेलते थे, फुटबाल, बालीबाल और जो इनडोर गेम होते है वहां अब आर. एस. एस. की शाखाये लगती हैं। आज सरकारी मैदानों में सब जगह आर. एस. एस. शाखायें लग रही हैं। तमाम टीचर्स जो आर. एस. एस. में काम करते थे जो महसूस करते थे कि कि आर. एस. एस. अलग काम है शिक्षा से आज भूल कर उनका मुख्य उद्देश्य आर. एस. एस. का प्रशिक्षण देना बन गया है। आज कहीं तीन की आवश्यकता है तो पांच बैठे हैं..

श्री कौशलकिशोर जैन : आप झूंठ तो बोलिये लेकिन सफेद झूंठ मत बोलिये।

श्री रामनारायण चौधरी : आज स्थिति यह है कि ओवर एन्ड अबवस ट्रेन्थ आफ दी स्कूल दो अध्यापक काम कर रहे

(श्री रामनारायण चौधरी)

हैं। अध्यापक नहीं है, स्कूलों में काम नहीं है। आज बच्चों के खेलने के लिये स्कूलों में सामान नहीं है।

श्री कौशलकिशोर जैन : क्या, राम नारायण जी, आप बता सकते हैं, कितने स्कूल ऐसे हैं जिनमें आर. एस. एस. की शाखायें लग रही हैं ? आप तो केवल झूंठ का पुलन्दा खोल रहे हैं। राजस्थान में कितने स्कूल हैं जिनमें संघ की शाखा लग रही है।

श्री राम नारायण चौधरी : झुंझनू में नगरपालिका के बगीचे में शाखा लग रही है।

श्री कौशलकिशोर जैन : अभी तो आप स्कूलों में बता रहे थे और अभी आप नगर-पालिका के बगीचे पर आ गये पहले कह रहे थे स्कूलों में है और अब नगर पालिका पर आ गये और नगरपालिका के बाद ग्रामों पर आ जायेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी: झुंझनू में है, डाबरी में है, गंगानगर में है, मण्डावा में है, रतननगर में है। हर शहर में सरकारी मैदानों में, खेल के मैदानों में शाखायें लग रही हैं।

श्री कौशलकिशोर जैन : कहीं भी आर. एस. एस. की शाखायें नहीं लग रही हैं।

श्री दुलाराम : आप मेम्बर हैं क्या ?

श्री कौशलकिशोर जैन : हां हूं और गर्व के साथ हूं।

श्री राम नारायण चौधरी : क्या आप वित्त मंत्री के नाते यह नियंत्रण करना पसन्द नहीं करेंगे ? आप कृपा करके थोड़ा ध्यान दीजिये।

मान्यवर, आप कृषि मंत्रीजी को भी एडीशनल ग्रान्ट देने जा रहे हैं मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपने किसानों की स्माल फार्मर्स की स्कीम खत्म कर दी, मार्जिनल फार्मर्स स्कीम थी, वह खतम कर कर दी और एक अन्त्योदय की भूल भुलैया, जाल डाल दिया जिसका कोई अर्थ समझ में नहीं आता है न जिसका कोई रिजल्ट आता है। मुख्य मंत्री जी अन्त्योदय का कार्यक्रम कर रहे हैं, गाजे बाजे के साथ ढोल बजा रहे है। आज प्लानिंग कमीशन आपके अन्त्योदय को स्वीकृति नहीं दे रहा है। आप डेढ़ साल में प्लानिंग कमीशन से अन्त्योदय को स्वीकृति नहीं दिलवा सके। अब प्लानिंग कमीशन की जो टीम आई हैं उसको कन-विन्स करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आज तक नहीं कर सके कि क्या अन्त्योदय भी देश की स्कीम का पार्ट हो सकता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं स्माल फार्मर्स के लिये जो योजनायें थीं, आपने खतम कर दी। उनके नाम से जितना पैसा मिलता था, सारा अन्त्योदय में बहाना शुरू कर दिया। आप अन्त्योदय के नाम पर वर्ल्ड बैंक से पैसा ले रहे है, आप अन्त्योदय के नाम पर फोर्ड फाउन्डेशन के पास पहुँच गये लेकिन जैसा माननीय माथुर साहब कह रहे थे इसमें देश और प्रदेश के स्वाभिमान को भी ध्यान रखें। कल मुख्य मंत्रीजी उत्तेजित हो गये कि देश के लोकहितकारी कामों के लिये हम उधार लेते हैं तो आपको क्या आपत्ति है। मान्यवर, उधार लेने का भी

(श्री रामनारायण चौधरी)

एक सिद्धान्त है। आज एक जरूरतमन्द व्यक्ति से वह व्यक्ति जो मनी लेन्डर के रूप में है, ज्यादा नहीं है। आज कोई भी गांव का व्यक्ति अपने लड़के या लड़की की शादी के लिये बारह आने सैकड़ा में उधार लेता है तो क्या मनी लैण्डर यह हस्तक्षेप करेगा कि पहले हम तेरे लड़के और लड़की को देखेंगे तभी पैसा देंगे अन्यथा नहीं देंगे। अगर ऐसा कहेंगे तो कभी भी स्वाभिमानी व्यक्ति उधार नहीं लेगा। आज जो आपके मनी लैण्डर हैं, वे आपके डोमीनेटर है क्यों कि उनको आप इजाजत देते हैं कि राजस्थान में आये और गांव गांव में घूम घूम कर देखें गांव वाले भी यह देखें कि अमेरिका के सेठ आये हैं और ये हमें पानी दे रहे हैं। राजस्थान के स्वाभिमान को खो कर यह करना चाहते हैं तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है....

श्री कौशलकिशोर जैन: वर्ल्ड बैंक से अनुदान नहीं लिया जा रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी: मुख्य मंत्री महोदय ने खुद फरमाया है कि राजस्थान सरकार कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार नहीं कर रही है, वर्ल्ड बैंक की टीम आई हुई है, राजस्थान सरकार उसको असिस्ट कर रही है। मुझे इसी बात पर आक्षेप है। मैं कह रहा हूं कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें, ताकि फिजेबिलिटी को देखें और उसके बाद में अगर आप संतुष्ट हो, राजस्थान सरकार संतुष्ट हो देश का प्लानिंग कमीशन संतुष्ट हो, भारत सरकार आपकी संतुष्ट हो तो आप वर्ल्ड बैंक से सहायता लें या और किसी ऐजेंसी से सहायता लें, मुझे इसमें आपत्ति नहीं हैं। आपत्ति इस बात की है, जैसा मैंने अभी कहा कि मनी लैंडर यह कहे कि मै पहले लड़का लड़की को देखूंगा और उसके बाद में पैसा दूंगा, इस बात को कोई भी देश का स्वाभिमानी नागरिक स्वीकार नहीं करेगा मैं यह कह रहा हूं कि आपके मुख्य मंत्री से कि प्रदेश के तीन करोड़ लोगो ने अपने भाग्य को, अपने जीवन को और प्रदेश की बहबूदी और विकास का कार्यक्रम आपको सौंपा है। आप उनको इस तरह से अपमानित मत कीजिए। मैंने थोड़े दिनों पहले यहां पर वर्ल्ड बैंक के मैकनमारा और फोर्ड फाउन्डेशन का जिक्र किया था, उसका जिक्र अभी यहां पर नहीं करूंगा। मैं यह कह रहा था कि यह आपकी अन्त्योदय की योजना, मान्यवर, कुछ नहीं है। अध्यक्ष महोदय; आप स्वयं जानते हैं कि इसकी इकानामी क्या है? मैं इसकी इकोनोमी में ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें बड़ा टाइम लगेगा। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हू। यदि भेड़ और बकरी, ऊंट, गाय और बैल से ही विकास हो गया होता तो आज कोई भी काश्तकार, कोई भी व्यक्ति जो गरीबी की रेखा से नीचे है गरीब नहीं रह पाता। अधिकांश जो सत्तर प्रतिशत तबका है या तो लैंडलैस लेबर है जो कि खेती का काम करता है तथा पशुपालक हैं। आज देश का लेबर गरीबी की रेखा से नीचे नहीं है। आज एक पीयोन, जो चपरासी गवर्नमेंट का है गरीबी की रेखा से नीचे नहीं है। गरीबी की रेखा से नीचे जो हैं वह है स्माल फारमर, मार्जिनल फार्मर, लैंड लैस लेबर है, विलेज आर्टीजन है। ये लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। उनको आप इस योजना के अन्दर भेड़ बकरी देकर ऊपर लाना चाहते हैं। एक बकरी की क्या इकानामी है, क्या वित्त मंत्री महोदय बता सकते हैं? एक बकरी की क्या इकानामी है। कितनी उम्र है उसकी....

श्री मूलचन्द डागा : इन्होंने तो पहले ही कह दिया कि मुझे अन्त्योदय का पता नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : कितनी उम्र में बकरी ब्यायेगी, कितनी उसकी उम्र है, आप नहीं बता सकते। आज इतनी एपडैमिक जानवरों में आ रही है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : विरोधी दल के माननीय नेता महोदय....

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा: आप डाक्टर नहीं हैं इनकी, आप नहीं समझती हैं। आप शहर की डाक्टर हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा: मैं केवल यह पूछना चाहती हूं कि आपको अन्त्योदय के बारे में तो पता नहीं लेकिन जो आपके बीस सूत्र थे, 25 सूत्री कार्यक्रम था उसके बारे में पता है। आप उन्हें ही समझा दें। अन्त्योदय ऐसी सीधी सादी स्कीम है जिसको कोई भी समझ सकता है, वह इनकी समझ में नहीं आ रही है। अगर कोई समझना ही नहीं चाहें तो क्या करें ?

श्री मूलचन्द डागा: आप तो समझ गई कि 25 सूत्र क्या है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा: आप ही 25 सूत्र समझा दें तो मैं मान लूं कि कुछ आपने समझा था। आप ही, डागाजी, बताईये कौन कौन से 25 सूत्र थे, जरा बताइये तो सही। नहीं तो हम बताने के लिए तैयार हैं।

श्री मूलचन्द डागा: मैं तो आपको रात के एक बजे बता सकता हूं।

श्री कौशल किशोर जैन: आपकी परीक्षा थोड़े ही ले रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा: मैं चैलेंज करती हूं। कौन कौन से सूत्र हैं बताइये।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने गाय और भैंस के लिए कर्जा देकर उनको गरीबी की रेखा से ऊपर लाने की चेष्टा की। उनको रोजगार दिया था उसके जरिये, अपने जीवन को पालने के लिए आपने प्रोग्राम दिया, गाय और भैंस कितने अर्से तक जिन्दा रहेगी, कौन कह सकता है। उनके चराने की क्या व्यवस्था होगी ? आज घर में गाय और भैंस बांध कर कोई भी गरीब आदमी उनको नहीं चरा सकता। जब उसका ड्राई पीरियड होगा तब क्या हालत होगी ? उसका दूध कहां बिकेगा ? कहीं कोई व्यवस्था नहीं की। आपने डेयरी डवलपमेंट कोर्पोरेशन बनाया। डेयरीज के अन्दर गांवों के अन्दर जो दूध लिया जा रहा है, जहां जहां आपने दूध लेने के सेंटर कायम किए थे वे सब उठाए जा रहे हैं क्योंकि जिस रेट पर आप दूध ले रहे हैं उस रेट पर कोई काश्तकार, कोई पशु पालक दूध देने को तैयार नहीं है। इस रेट पर दूध देने की स्थिति में नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मान्यवर, आप सारे प्रोग्राम के पीछे की इकानामी को वर्क आउट कीजिए और यह देखिए कि लोंग रन के अन्दर यह मदद करने वाली है या नहीं। इसके बाद क्या होगा ? तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये सारी बातें हैं जिनको देखियेगा।

(श्री रामनारायण चौधरी)

मैं न्याय व्यवस्था के संबंध में अधिक जिक्र नहीं करूंगा । मान्यवर, माननीय चौधरी साहब के पास न्याय विभाग था, आज तो उनके पास नहीं है लेकिन आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी यह कौन सी न्याय प्रक्रिया है कि जितने भी जिलों के अन्दर पी. पीज. लगे हुए थे, आपने उनको बिना उनका काम देखे, बिना किसी अधिकारी से रिपोर्ट लिए, एक ही आदेश के अन्दर टर्मिनेट कर दिया । माननीय वित्त मंत्री महोदय का जो जिला है, आपको पूछ लिया, आपके घटक के लोगों को वहां लगवा दिया । झुंझनूं में बी.एल.डी. लगा दिया, सीकर में आर.एस.एस. का बिठा दिया । क्या आप घटकवाद के आधार पर न्याय दिलाने का कार्यक्रम बना रहे हैं । जितने भी आर.एस.एस. के लोग पी.पीज थे और उम्र के हिसाब से हट गये थे उनको एक साथ एक्सटेंशन देकर तीन 2 साल के लिए री-अपाइन्ट कर दिया । मैं निवेदन कर रहा हूं कि इससे न्याय प्रक्रिया के अन्दर कोई मदद नहीं मिलने वाली है । यह सारी राशि जो आपने सप्लीमेंट्री ग्राण्ट के रूप में ली है, कोई उपयोग राजस्थान के विकास, राजस्थान की समृद्धि, राजस्थानकी कानून और व्यवस्था प्रदेश के इण्डस्ट्रियलाईजेशन और प्रोडक्शन में नहीं हो रहा है, अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं । तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, वित्त मंत्री महोदय, मेहरबानी करके आप स्वयं इसको रिफ्यूज कर दें यदि आप रिफ्यूज नहीं करेंगे तो आपने जो प्रस्ताव रखा है एप्रोप्रियेशन बिल के विचारार्थ है उसका हम विरोध करते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, दिवाली के दिन वित्त मंत्री जो उपहार लेकर आये थे....

श्री अध्यक्ष : अब कितने सूत्र लायेंगे । भेड़ सूत्र हो गया, गाय सूत्र बता दिया, देवी देवता सूत्र हो गया, अब तो समाप्त करिए ।

श्री मूलचन्द डागा : चार करोड़ का उपहार दिया और चार करोड़ का यह बिल लाए, आपने वित्त मंत्रीजी, बजट के समय भाषण दिया था कि मैं 34 करोड़ का घाटा मितव्ययता के आधार पर पूरा कर दूंगा दूसरी बात यह कही थी कि 3 लाख 42 हजार लोगों को काम में लगा दूंगा तीसरी बात यह कही थी कि इस सरकार के जो अधिकारी हैं, नौकरशाह हैं, ये आपके ही शब्द हैं, उनको खतम कर के नॉन-एक्सपेंडीचरको कम कर दूंगा । मैंनेआज देखा कि Government is the servant of the people. The servants should not get more protection than masters. यह बड़े दुःख की बात है कि आज नौकरशाही हम पर हावी हो गई है । दिल्ली में लाइजन आफिस खोल दिया है उस पर अस्सी हजार रुपया खर्च होगा । लाइजन आफिसर दिल्ली में क्या करेगा । वह दिल्ली में इण्डिया गेट पर शाम को कार लेकर अपनी धर्मपत्नी के साथ घूमेगा । अस्सी हजार का बिल बना दिया, वित्त मंत्री को मालूम ही नहीं है । इसके अलावा सचिवों को आयुक्त बना दिया । अखबार में छपा है कि यह भैंरोंसिंहजी है ना, तो भैरूं बाबा की कृपा हो गई, मैंने कहा यह क्या हुआ ? यह घुमक्कड़ ने छापा है । भैरूं बाबा भगवान हो गए और सारे सचिवों को आयुक्त बना दिया । वित्त मंत्रीजी, आप सच्ची सच्ची बात बताइये, क्योंकि इनमें आप ही सच्चे हैं, आप ही भगवान के पास पहुंचे हुए हैं, आप बिल्कुल मस्जिद की तरह से पाक और गंगाजल की तरह से पवित्र व्यक्ति हैं । मैं कहता हूं कि यह जो आपके

Page No 158

(158)

(श्री मूलचन्द डागा)

मुख्य मंत्री हैं, इनको आप पूछें कि ये किस प्रकार से आयुक्त मुकर्रर करते हैं। इन्होंने क्या किया ? श्रम विभाग के अन्दर 2 लाख 30 हजार रुपये श्रम न्यायालय के लिए रखे। परन्तु मुकदमे पड़े रहते हैं और वे मुफ्त की तनख्वाह उठाते रहते हैं। एक कलेक्टर के नीचे सुपरिन्टेन्डेन्ट और एक आफिसर आपने मुकर्रर कर दिया है जनरल असिस्टेन्स के लिए वह क्या करता है ? जिले में अधिकारियों की मीटिंग होती है। एम. एल. ए जाते हैं तो कहते हैं मीटिंग चल रही है। ये मीटिंग ही मीटिंग करते हैं। श्रीमान्, मैं यह कहना चाहता हूं कि क्यों जनता के हाथों से क्रय शक्ति खोंस कर नौकरशाही को देना चाहते हो ? 67 पर्सेन्ट आफ दी बजट नौकरशाही पर खर्च होता है। इन्होंने अपना जाल बिछा दिया है. यह तो नौकरशाही का हाल है। मैं आपको बताऊंगा आने वाले बजट में आप इनके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान और करके आएंगे। यहां पर चार मंत्री और आ गए। मोरारजी भाई आए, अटल जी आए। इन एक एक मंत्री पर आपने चार लाख रुपया खर्च कर दिया। मैंने एक बात और देखी : आपने सबने पढ़ा होगा, एक साल की उपलब्धि भैरोंसिंह जी की एक साल को उपलब्धि इस पर कितना रुपया खर्च किया ? 11 लाख रुपया इसके प्रकाशन पर आपने खर्च किया।

श्रीमती उज्ज्वला अरोड़ा : यह भैरोंसिंह जी की उपलब्धि नहीं है। यह जनता पार्टी की उपलब्धि है जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धि है।

श्री मूलचन्द डागा : जनता पार्टी उपलब्धि है। माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत उसके नेता हैं और उसमें सदस्या श्रीमती उजला अरोड़ा भी सम्मिलित हैं। इसमें इन्होंने 30 हजार रुपया हिन्दू अखबार को दिया। 26,000 इंडियन एक्सप्रेस को दिया। कोई अखबार हिन्दुस्तान का नहीं बचा है। उपलब्धि का इतने जोर से ढोल पीटा गया। समय की कमी है। ये बड़ी अच्छी बातें हैं। मैंने इन उपलब्धियों को पढ़ा। कोई अखबार वाला अभागा होगा जिसने इस उपलब्धि का फायदा नहीं उठाया हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कोई तुलनात्मक बात कहें तो अच्छा होगा। दीवारों पर प्रचार के लिए तो खर्च नहीं किया।

श्री मूलचन्द डागा : हमने गलती की, पाप किए परन्तु आप यह पाप नहीं करें। हमारी गलतियों से हम इधर आ गये। हमने गुनाह किया हमारा मुंह काला हो गया। परन्तु अब आप अपना मुंह क्यों काला कर रहे हो ? यह जनता सरकार पैसे को पानी की तरह बहा रही है। आज मंत्रियों की टीम बढ़ गई।....

श्री कौशल किशोर जैन : सुखाड़िया जी के 42 मन्त्री थे। आज 21 ही हैं।

श्री मूलचन्द डागा : सुखाड़िया जी ने भूल की। पाप किए। दस और ले लीजिए। एक और लाइन में खड़े हैं। इसलिए आप ज्यादा जोर से बोलते हैं। नेता के चरण छुओ, चरण चूमो, तुमको भी प्रसाद मिल जायेगा।

श्री कौशल किशोर जैन : हरिदेव जोशी ने तो संजय गांधी के जूते उठाये थे।

श्री मूलचन्द डागा : इसीलिए तो हम गए।

यह टीम क्यों बढ़ाई जाती है। इसका पर्पज क्या है। आप दूसरी ओर यह कहते हैं कि हम नान प्लान एक्सपेन्डीचर को घटाना चाहते हैं. अनएम्पलायमेंट को कम करना चाहते है . . . .

श्री मनोहर सिंह मेहता : आपके लिए टेलीफोन आया है भाभीजो ने कहा है जल्दी भेजिए।

श्री मूलचन्द डागा : अब आप कहते हैं ग्रामोन्मुख विकास। अध्यक्ष महोदय भी उचित ढंग से बात कहते हैं यह ग्रामोन्मुख विकास क्या है? इन्होंने जयपुर में एक करोड़ के नए बंगले बनाये हैं। नये मन्त्रियों और आफिसरों के लिए एक करोड़ को बिल्डिंग्स बनायी हैं। रंगमंच के लिए दस लाख रुपये ओपन थियेटर के नाम से खर्च करेंगे। जनता पार्टी के नए मेम्बर, जो क्रांति में विश्वास रखते हैं, और यहां के लोग इस दस लाख के रंगमंच में सिगरेट पीते हुए, अपने नये जवान, अपने नये साथी के साथ इसको देखेंगे। क्यों यह रुपया खर्च हो रहा है ? वित्त मन्त्री महोदय बता दें। कोटा जैसे शहर में हमारे शिक्षा मन्त्री ने 40 लाख रुपया खर्च किया। कोटा में कई भरतराम चरतराम रहते हैं। कोई राम कालेज की बिल्डिंग बना देता लेकिन हमारे शिक्षा मन्त्री, जो थोड़े दिन के लिए शिक्षा मन्त्री बने, ने 40 लाख रुपया कोटा में लगा दिया। यह रिकार्ड है। 40 लाख रुपया कालेज भवन में कोटा में खर्च कर दिया। उन्होंने देखा मौका आया है पहले अपने घर को ठीक करो। पहले अपने को सुधारो। जो अपने को सुधार नहीं सकता वह दूसरों को नहीं सुधार सकता। यह सिद्धान्त उन्होंने अपना लिया।

श्री दाऊदयाल जोशी : कांग्रेस के शासन में एक फूटी कौड़ी भी कोटा में नहीं लगी है। मेरा आपको चेलेंज है। आप चल कर देख सकते हैं। आपके यहां तो धन्ना सेठ रहते हैं। हमको तो बड़ी मुश्किल से मौका मिला है।

श्री मूलचन्द डागा : आपके यहां लगता तो मुझे खुशी होती। आपका च्यवनप्राश का डिब्बा ज्यादा बिकता। वह ताकत देता। परन्तु सवाल यह नहीं है। आपके वित्त मन्त्री और नेता महोदय से एक सवाल करना चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं, वे यह बात कहते हैं कि बजट का 80 प्रतिशत ग्रामीण जनता और गांवों के लिए खर्च होगा। पैसा जनता के लिए व्यय होगा। काफी अच्छा स्लोगन है। यह नारा लुभावना है। मन को अच्छा लगता है। मैंने कहा, आपके स्लोगन के अनुसार यह 80 प्रतिशत पैसा गांव में जाना चाहिये था। परन्तु आप कोटा में बिल्डिंग बनाते हैं। एक साल का यह बजट का पैसा आपने खर्च किया है। बजट कैसे बनता है ? पहले इसकी प्लानिंग होती है। वित्त मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे, आपके सहयोगी यहां पर बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिये क्या कोटा के लिए 40 लाख का बजट पहले बना था यह कोटा में लगेगा ? लेकिन शिक्षा मन्त्री जी कोटा के आए इसलिए उन्होने यह पैसा कोटा में लगा दिया जब कि बजट के अन्दर यह अनुमान नहीं लगाया था। इसका कोई एस्टीमेट नहीं था . . . .

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, आंखों के आगे अंधेरा हो रहा है। आंखे बन्द हो रही हैं। सुबह नौ बजे भागते भागते खाना खाया था . . . .

श्री मूलचन्द डागा : आंखों के आगे अन्धेरा होते ही अन्दर का ज्ञान जाग जायगा।

अब इन्होंने जो बातें कही हैं इन्होंने जो कुछ किया इस पर आप गौर फर्माएं, इसके अन्दर न्याय और श्रम और रोजगार की बात है। कोई भी माननीय सदस्य चले जायं और श्रम विभाग देख कर यह निर्णय कर ले कि मजदूरों को कैसे न्याय सस्ता मिलता है। बड़ा अच्छा भाषण दे दिया। सारी जुडिशियरी करप्ट कर दी।

एक माननीय सदस्य : आपने भी –

श्री मूलचन्द डागा : हमने भी की और जनता को धोखा दिया। और आपने क्या किया? एक चीफ जस्टिस को कह दिया कि तुम चले जाओ। यह क्या हालत है? रिटायरमेंट हो गया। करप्ट करने का यह एक नया तरीका निकाला है। रिटायर आदमी कितने लगे हुए हैं? आप बराबर जानते हैं। 33 लाख का घाटा खा रहे हैं सारा चेयरमैन पर। उसने देश विदेश में पूरा कर दिया।

श्री कौशलकिशोर जैन : चेयरमेन की नियुक्ति किसने की?

श्री मूलचन्द डागा : कांग्रेस ने की थी।

श्री कौशलकिशोर जैन : हाउसिंग बोर्ड का चेयरमेन किसने बनाया?

श्री मूलचन्द डागा : हमने चोरियां की हैं। अब आप इसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं।

मैं कह रहा था कांग्रेस ने की है एक टेनेरीज के अन्दर, मैंने उस समय माननीय सुखाड़िया का मुकाबला किया, इन्दिरा गांधी का किया।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जब तक मिनिस्टर नहीं बन जाते, करेंगे ही।

श्री मूलचन्द डागा : मैं कभी नहीं बनूंगा। मैं चाहता भी नहीं। टौंक में टेनेरी है। चमड़े में दुनियां आगे बढ़ गई, लेकिन उस टेनेरी की हालत क्या है? हम लोगों ने एग्जामिन किया। डीडवाना में केमिकल प्रोसेसिंग है उसको हमने एग्जामिन किया। सुगर मिल्स का किया। सारे राजकीय उपक्रम हैं, सभी में घाटा। तो आपने कर भाषण दिया था कि हम इसमें सुधार करेंगे। भ्रष्टाचार का उन्मूलन देंगे। 24 मार्च को भाषण दिया था। माणक चौक चौपड़ पर भाषण दिया था। यहां यही कहा, ए अखबार वालो! छाप दो कि राजस्थान में भ्रष्टाचार मिट गया है। तो मैंने कहा, कितना अच्छा काम? माणक चौक चौपड़ से उठ कर सीधे जाकर बंगले में ठहरे। यह हालत है, यह हालत है, श्रीमान 9 बजे तक बैठते हैं। मैं कहना चाहता हूं जितने घन्टे आप बैठते हैं उतने घन्टे सरकार बैठे। यह रूल है। नियमों को मखौल समझ रखा है। ये सारे मंत्रीगण, इनकी खुद की बुद्धि, मायुर साहब कहते हैं, दिमाग साफ नहीं है। दिमाग हो तो साफ हो। यह हालत कर दी देश की। कांग्रेस ने क्या किया? अच्छा नहीं किया। समाजवाद नहीं ला सकी, गरीबी नहीं मिटा सकी।

चलो, अब यह अन्त्योदय योजना है। क्यों की शुरू? यह आखरी बात–

एक माननीय सदस्य : परसों बोल लेना।

श्री मूलचन्द डागा : इन्होंने सामन्तवाद और पूंजीवाद को पनपाया। लोगों को धोखा देने के लिए यह योजना है जैसे कबूतर का शिकार करने के लिए दाना डालते हैं फिर उसका शिकार करते हैं। इन्होंने गरीबों को स्वावलम्बी नहीं बनाया, स्वाभिमानी नहीं बनाया। अगर आप समाजवाद लाना चाहते हैं, विषमता कम करना चाहते हैं तो जिनके पास ज्यादा पूंजी है उनसे ले लो। अगर आप नहीं ले सकते हैं तो आपका समाजवाद केवल स्वप्नों का समाजवाद है।

माननीय मन्त्री जी बड़े मौके पर पधारे बड़ी हिम्मत के साथ कहते हैं--पीलिंग एक्ट लागू करेंगे, जो जमीन बोयेगा उसी का अधिकार होगा मैं कहता हूं, माननीय पुरुषोत्तम मन्त्री, या तो भगवान रामचन्द्र हुए या आप हुए। कानून होता तो यहां बैठे-बैठे इतने लोग खाते, शोषण करते ? काम मजदूर करते हैं और खाते हैं हम लोग। यह नौकरशाही खाती है। गरीब और मजदूर पिसते हैं वे खून पसीना एक करते हैं।

श्री कौशलकिशोर जैन : व्यापक मन्थन हो रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : गहरे कुए, 200 फीट कुएं में बैठे हो।

आप रिकार्ड में हम गरीबों का भला कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि जो गरीबों से वायदे किये, जो बजट भाषण दिया उसके आधार पर इनका प्लानिंग और खर्च होता, देश में सम्पत्ति बढ़ाने वाला व्यय होता तो मैं उसका स्वागत करता लेकिन, श्रीमान, यह सारा खर्चा किया इन्होंने यह नान प्लान एक्सपेंडीचर है इससे देश में गरीबी ही पैदा होगी। मेरे को समय नहीं है। कभी अवसर मिलेगा फिर आपसे अर्ज करूंगा। आपको यह बता दिया है। आम अपना डिस्क्रिशन यूज करिये। मन्त्री को इंडिपेडेन्ट होना चाहिए, अगर सी. एम. भी कह दे ता he should say "No I don't agree with your proposal."

(विद्युत व्यवस्था भंग)

आप हिम्मत रखिए। नहीं तो अन्धेरा हो जाएगा। इसलिये आपके यह जो फाइनेंस कमिश्नर कह दें, जो सरकारी आदमी बैठे हैं उनसे बजट न बनवा कर आप अपने दिमाग से बजट बनाइये। झोंपड़ी में बैठ कर बजट बनाइये। बंगले में बैठने वाले लोग झोंपड़ी वालों का बजट नहीं बनाते हैं। जब आप खुद गरीबों को देख कर बजट बनायेंगे तो ऐसा नहीं बनायेंगे कि जो यहां पर वित्त निगम है इसमें तनख्वाह 2800) है मैनेजर की और किराये का मकान 1800) में है। बताइये किस प्रकार से धन का अपव्यय हो रहा है। मन में मुझे दु:ख हो रहा है। एक एक अधिकारी की तनख्वाह साढ़े चार-चार हजार रुपया है। जनता के साथ न्याय करिए 8 हजार पर दिल्ली में लाइजन आफिसर रखा गया है। क्या अब मन्त्री वहां नहीं जायेंगे ? क्या वह सारा काम करा लेगा ? क्या उसके द्वारा सारा काम हो जायेगा ? एक क्वेश्चन पूछा था, श्री ईश्वरचन्द्र भटनागर ने कि 31 जनवरी से आज तक आपने कितने दौरे किये और किस-किस काम के लिए किये, और कितना खर्च आया। उस प्रश्न का उत्तर अधूरा आया उसके बारे में चर्चा आगे मैं हाफ एन आवर डिस्कशन के वक्त करूंगा। 18½ लाख

(श्री मूलचन्द डागा)

रुपया खर्च किया गया है । मुख्य मंत्रीजी महीने में 12 दिन दिल्ली जाते हैं। वह दो जगह रहते हैं, सिविल लाइन्स में और एम. एल. एज. क्वार्टर्स में। वह ठीक हो सकता है। दो जगह बहुत सारे लोगों की होती हैं। दो घर होने चाहिए बड़े आदमियों के, चार हों तो भी चल जाय। इस प्रकार से मंत्रियों पर खर्चा करते हैं, यह क्या है? यह ठीक है कि बहुमत के आधार पर आप कुछ भी कर सकते हैं। पहले वाले मन्त्रियों ने गलती की है, लेकिन आप तो मत करिये। मैं तो जानता था कि जनतापार्टी एक समग्र क्रांति लाकर हमने जो भूलें की हैं उनको सुधार कर देश को आगे बढ़ायेगी। मैं आपके चरणों में सिर रखूंगा अगर आप आगे बढ़ जावेंगे। देश की जनता आपका उपकार मानेगी, नहीं तो मैं दोषी होऊंगा अगर मैं अपनी बात नहीं कहूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं वित्त मंत्रीजी से एक बात कहूंगा कि आप बताइये कि आपने पिछले सत्र में इन प्रहरियों के लिए ओवरटाइम की बात कही थी तो क्या पेमेन्ट किया गया? उस सिद्धान्त को आपने माना है। इन गरीबों को आज तक वह पे नहीं किया गया 10-11 बजे रात तक इनको बैठाए रखें, हम लोग 51 रु. रोज के लें और इनको ओवरटाइम भी नहीं दें। यह बहुत बड़ी भयंकर गलती कर रहे हैं। कम से कम जो बात हाउस में कही गई है, उसको लागू करें। आपने ओवरटाइम नहीं दिया आज तक। क्यों नहीं दिया? वह बोलते नहीं हैं, इनके जबान नहीं है, वह हाउस में नहीं बोल सकते। आप महरबानी करके पूछिये आई. जी. पी. से कि क्यों नहीं दिया गया? एक बात।

दूसरी बात यह है कि सन् 57 से इस हाउस में मुझे आने का इत्तफाक रहा है। मैंने विरोधी पक्ष में बैठ कर जो अभी सत्ता पक्ष में है उनके कुछ नेताओं के यहां पर भाषण सुने हैं। उनके भाषण बिल्कुल एक से हैं। जब वह विरोध पक्ष में बैठते थे बिल्कुल डागा साहब की तरह से बोलते थे। अब वह सत्ता पक्ष में आ गये तो सब मामले ही अलग हो गये। इधर जो आज विरोधी पक्ष के नेता हैं वह जब सत्ता पक्ष में थे तब बिल्कुल इनसे दो कदम आगे चले गये थे। अभी जनता पार्टी नई है क्या करेगी, कितना खायेगी, यह अलग बात है, मगर यह चार कदम आगे थे। अभी विरोधी दल के नेता माननीय रामनारायणजी मैंकनमारा की बात कह रहे थे कि राजस्थान कैनाल पर ले जाकर टीका निकाला गया। जब हुकूमत चली गई तो बात दूसरी हो गई। अब टीका किसको निकालते हैं। हमारा रिवाज अलग है। कांग्रेस के टाइम में क्या रिवाज था? हम किसी अजीज मेहमान को टीका करते हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास : अबाई।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं यह भी बात कहना चाहता हूं कि माथुर साहब बड़ी लच्छेदार भाषा जानते हैं और लच्छेदार भाषा की वजह से कामयाब होते हैं वरना कोई उनको असेम्बली में चढ़ने न दें क्योंकि उनके कारनामे ही ऐसे हैं। हमारी जनता हमारे कारनामों को नहीं देखती है, हम पर भरोसा नहीं करती है। वह अभी कह रहे थे कि सड़ा हुआ गेहूं खिला रहे हैं तो मुझे हंसी आ गई। मुझे याद है कि हमारे यहां गंगा-

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

नगर में 74 के अन्दर धतूरा मिली हुई ज्वार इन्होंने खिलाई थी ।

श्री कोशल किशोर जैन : 73 में ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमारे यहां 74-75 में खिलाई थी । 73 में खिलाई होगी उदयपुर में । गंगानगर जिले में 74-75 में धतूरा मिली ज्वार खिलाई थी । कम से कम शर्म महसूस करो । भाषण किस को सुना रहे हैं, किस को भाषण दे रहे है आप? फूड फार वर्क की एक अच्छी स्कीम है। इसकी आवश्यकता भी है लेकिन राजस्थान सरकार ने इसको यूज नहीं किया है । पिछले साल बंगाल सरकार ने फूड फार वर्क में कितना नाज यूज किया । आप प्रेरणा लें वहां समाजवाद नहीं आ गया, लेकिन वह ट्राई कर रहे है ईमानदारी के साथ । आप भी उसी तरह से कोशिश करें । आप हमें चुनौती देते हैं कि फूड फार वर्क योजना में सड़ा हुआ गेहूं देते हैं, यह कह कर आप लोगों को धोखा दे रहे हैं । यह जनतन्त्र है, यह प्रजातन्त्र है, आपकी तरह डंडे का राज नहीं है कि धतूरा मिली हुई ज्वार दे और बोलने भी न दें । लोगों से कहें कि बोलोगे तो खैरियत नहीं होगी । वह जमाना आपका अब गुजर गया। आपकी महरबानी कितनी थी? लोगों को बोलने नहीं देते थे । मेकनमारा कौन है पता है? वह कौन आया था? जिसने वियतनाम के अन्दर खून से हाथ रंगे थे वह मेकनमारा आया था । इसको आपने हमें सौंपा है फिर कहते हैं कि गलती की है । खराबी क्या है ? हम 30 साल से बैठे हैं । आपने हुकूमत नहीं की, डागाजी, लेकिन अगर आप जनता के साथ रहते होते तो कांग्रेस में से आ जाना चाहिए । आप फिर घुसने की कोशिश कर रहे हो । इस तरह की बात कह कर हम राजस्थान का भला नहीं कर सकते हैं राजस्थान का भला करना चाहते है अगर इस बात में आपकी सच्चाई है तो फिर दुबारा क्यों जा रहे हैं उस कचरे में, आप यह कह कर उधर जाने का प्रयास कर रहे हैं कि चिकमंगलूर में जिताकर लाये हैं । उन लोगों को प्रजातन्त्र की बात नहीं करनी चाहिए । उन लोगों को शिक्षा की बात नहीं करनी चाहिए जो हुकूमत के अन्दर शामिल रहे । वह मिनिस्टर न बने तो कोई बात नहीं । आप विरोध कर रहे थे तो विरोध का मतलब क्या है ? अगर आपने महसूस किया और थोड़ी बहुत भी आप मैं ईमानदारी थी तो आपको उस कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए और जनता के साथ रहना चाहिए ।

सवाल यह है कि कुछ मुद्दे हैं जो कि हुकूमत में आते ही हम भूल जाते हैं । 30 साल तक किसी ने नहीं सुना । घटनाएं बताते हैं कि लॉ एण्ड आर्डर बिगड़ गया । आप बताइये कि आपने कितने मजदूर मारे हैं भरतपुर और कोटा में कितने मारे हैं ? गंगानगर में कितने किसान मरवाये ? आपको इस असैम्बली के अन्दर घुसने का अधिकार नहीं है । यह आप जाकर कहें अगर सुबह से परेशानी हो रही है तो बाहर जलसा होना चाहिए, हम रोकेंगे नहीं । इंदिरा गांधी जीती है तो ठीक है । सुबह से आप को बदहजमी हो रही थी । चिकमंगलूर से जीती है। वहां आप क्यों गये ? जीती है तो कोई बात नहीं इन्दिरागांधी जीती है तो हमारी गलतियों से । कांग्रेस पार्टी के लोगों यह तो जनता पार्टी की बड़ी गलती है या मेहरबानी है कि आप यहां पर बैठे हो वरना आपके कर्म तो ऐसे थे कि आपको काल कोठरी में रख देते । आपने जयप्रकाश नारायण जो कि आजादी के शिरोमणी थे, को काल कोठरी दी । इंदिरा गांधी को वहां जाना था ? वह क्यों नहीं

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

जायगी ? अब भी जनता पार्टी के नेताओं को विवेचन करना चाहिए । वह वक्त भी जल्दी आ रहा है । आपकी नीतियों में लोगों ने भरोसा किया, आपसे उम्मीद लगाई है, मत लीजिये मैकनमारा से, राजस्थान में पैसे की कमी नहीं है । राजस्थान में भवनों की कमी नहीं है । लोग हमेशा ताकत को सलाम करते हैं । यह रुख होना चाहिये था जनता पार्टी का। आज जनता पार्टी से जनता का विश्वास उठ रहा है और वह इसलिए कि आपने इन्दिरा गांधी को सजा नहीं दी । उसने देखा और इन लोगों ने देखा कि अपन भी मारो हाथ । दुनिया में हर कोई ताकतवर का साथ देता है । मारवाड़ी में चोदू कहते हैं, चूतिया आदमी का कोई साथ नहीं देता है । आपको साबित करना चाहिये कि हम ईमानदार हैं और काम करेंगे । इन्दिरा गांधी हो या कोई भी हो, उसको सजा देंगे । अब ये गलतियां कर रहे हैं हम भी भुगतेंगे इनके साथ ।

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मन्त्री) : जेलों में साथ दिया है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमको अहसास है, देश के अन्दर डेमोक्रेसी के लिए लड़ेंगे और तानाशाही का विरोध करेंगे चाहे उसके नतीजे कुछ भी हों । हमको नन्दा जी ने जेल भेजा था फिर भी सन् 1966 में जीत कर आये। 1957 में डेमोक्रेसी को तोड़ा है। शायद आपको तो अब मालूम हुआ हो, बंगाल में हमारी पार्टी ने कहा, चुनाव नहीं होने चाहिए । ऐसी बात नहीं है, आपने इस बात को पकड़ा है, आप सोचिये । आज कितने लोग हैं, खासतौर से कांग्रेस (आई) के, इनका फैसला है कि काम नहीं करने देंगे । इन्दिरा गांधी का मुकाबला गरीबों की सेवा करके किया जा सकता है और कोई तरीका नहीं है । अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि स्कूलों में आर. एस. एस. के लोग हैं । किसी खास वर्ग का सवाल नहीं है, आप लगाइये, उनको स्कूलों में रोकेंगे तो चौगान में आ जायेंगे । अगर नीति गलत हो तो विचारों के आधार पर लड़ना चाहिए । पाबन्दी लगाकर कोई भी किसी भी संस्था को, किसी भी विचारों को दबा नहीं सकता । आपके पास विचार हैं तो आप आगे बढ़ेंगे । इन्दिराजी को इमर्जेंसी की क्या जरूरत थी ? क्या सारे रास्ते बन्द हो गये थे ? उनका 1972 में बहुत बड़ा बहुमत था, किसने तोड़ा प्रजातन्त्र ? हमको इन्दिरा गांधी के सवाल पर विचार करना चाहिए और उसका एक ही रास्ता है ।

अन्त्योदय के बारे में बाद में कहूंगा । आप कह रहे हैं महंगाई नहीं बढ़ी । दाल खरीदने जाइये, सिर्फ दाल की बात करूं, क्या रेट है पांच रुपये और सवा पांच रुपया किलो दाल है ।

श्री कौशलकिशोर जैन : दाल ही महंगी है ।

श्री श्योपतसिंहमकासर : मैं किसी दुकान में गया, पूछा गुड़ है, कहा गुड़ नहीं और सब है, पूछा मिर्ची है, मिर्ची नहीं और बाकी सब है । मेरा कहने का मतलब है कि दाल महंगी क्यों ? आपने सस्ती चीजें देने का वायदा किया है लोगों को । आज सीमेन्ट नहीं मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, इसकी आप व्यवस्था कीजिये ।

आखिर में एक बात और, 'काम के बदले अनाज' बहुत बढ़िया स्कीम है, इसे गांवों में

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

लागू कीजिये, बहुत अच्छी बात पहली दफा आपने की है। कोई गुरेज नहीं है इस बात से। लेकिन जनता पार्टी कोई भी अच्छा काम करे इनको उससे कोई मतलब नहीं है। ये तो यह चाहते हैं कि लोग यह कहें कि इससे तो इमर्जेंसी बढ़िया थी। जब हम जेलों में थे तो यह इल्जाम लगाया गया था कि विरोधी पक्ष के लोग विधान सभाओं में और संसद के अन्दर सत्ताधारी पक्ष को काम नहीं करने देते। अब आप क्या कर रहे है ? ये इन्दिराजी के लाड़ले अब क्या कर रहे हैं ? इनकी हालत देखिये। ये सब सोच-समझ कर कर रहे हैं। इनको जाना चाहिए कहां, इनको बिठा दिया आपने यहां।

अन्त में एक ही बात कहता हूं कि आपको दो बातों में से एक तय करनी पड़ेगी। दस फीसदी वे लोग हैं जिनके पास सारा पैसा है। ये गरीबों की बात कर रहे हैं, तीस सालों में 75 सेठों को ये आधी दौलत बांटते रहे। यह बदनसीबी है मेरे मुल्क की कि 80 फीसदी लोग अनपढ़ हैं, पढ़ना जानते ही नहीं। उनको पढ़ाने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, ऐसे ही रखा। आप डूंगरपुर–बांसवाड़ा चले जाइये आपको गरीबी का आभास मिलेगा। तीस साल में आपने सत्ता तमन्ना नहीं छोड़ी। आदमी जानते नहीं कि जिन्दगी क्या होती है ? इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए। सेठों से दोस्ती रखोगे तो जनता दूर हो जायगी और लोगों की सेवा करोगे तो लोग नाराज नहीं होंगे। इसलिए मैं यह निवेदन करता हूं, वित्त मन्त्री जी, आपको हिम्मत से काम करना पड़ेगा। यह अचम्भा होता है, जनता पार्टी के मन्त्रियों और नेताओं से कह रहा हूं, पचास लाख रुपये आपने कमरे के लगा दिये। हमने तो कभी ऐसी जिन्दगी देखी नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने आपके सिर पर पाप का घड़ा फोड़ा है। बगीचों पर आपने लाखों रुपया खर्च कर दिया, सेक्रेटेरियेट के सामने घास लगाने के लिए। आपको क्या घोड़े चराने थे, बढ़िया और शानदार फूलों के लिये आपने रुपया खर्च कर दिया। क्या फर्क है आपमें और कांग्रेस में। आपको सारे मोड ऑफ लाइफ को बदलना पड़ेगा और नहीं बदलेंगे तो लोग समझदार हैं, उनको पता लग गया है कि कितने साल रहने दें, किसको रहने दें। ये सारी बाते हैं इन पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिये। पैसा आप कितना ही लेवें, यूटिलाइज जनता के हित में हो, यही मुझे कहना हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब वित्त मन्त्री महोदय, उत्तर देंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक दो मिनट के लिये अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता: मुझे भी इजाजत दें, एक दो मिनट के लिए।

श्री भंवरलाल शर्मा: अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता, जो चले गए हैं, ने अपने भाषण के दौरान कहा कि स्कूलों में जितने अध्यापक चाहिए उससे अधिक अध्यापक इसलिए हैं कि वहां आर० एस० एस० के लोग हैं और उनको ठहराना चाहते हैं इस प्रकार का आरोप लगाया था। सुबह भी बात आई थी। मैं इस बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं कि पिछले दिनों में अध्यापकों के

(श्री भंवरलाल शर्मा)

लिए यह व्यवस्था थी कि जितने अध्यापक थे उनके लिए जिला पूल था उनको पूल से तनख्वाह मिलती थी। वे किसी भी स्कूल में जितनी संख्या अध्यापकों की है उससे अधिक रहने के लिए स्वतंत्र थे। जिस व्यक्ति का शहर से बाहर स्थानान्तरण होता था वह तो नहीं जाता था और जिसका शहर में स्थानान्तरण होता था वह चला जाता था। इस कारण आवश्यकता से अधिक अध्यापक थे, यह व्यवस्था कांग्रेस सरकार की थी। हमने व्यवस्था की है कि पूल को समाप्त किया और स्कूल में जितनी अध्यापकों की संख्या है उतने अध्यापक ही वहां रखे जायेंगे। उससे अधिक रहेंगे तो उनको वेतन नहीं मिलेगा। इसलिए यह कहना कि आवश्यकता से अधिक अध्यापक स्कूलों में हैं बिल्कुल गलत है, झूठा प्रचार है, भ्रामक है—

श्री दुलाराम: अब कौनसा चुनाव हो रहा है कि हम प्रचार कर रहे हैं?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता: आपको गलत सूचना दी गई है।

श्री भंवर लाल शर्मा : आप यह कह सकते हैं कि इसका इम्पलीमेंटेशन जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हुआ है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : नहीं हुआ है।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो बताइए। हमने उस व्यवस्था को रखा है। अब यह सही है कि जिस व्यक्ति का शहर से ट्रांसफर होता है वह आपकी शरण में आता है। और आपकी मदद लेता है, कहता है मुझे जाने मत दीजिये, वह कुछ दिन रहता होगा लेकिन अंततोगत्वा उसको जाना पड़ेगा नहीं तो वेतन नहीं मिलेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अनर्गल आरोप नहीं लगाने चाहिए। आज ट्रांसफर्स की स्थिति इस प्रकार की है।

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह आशा नहीं थी कि इस विधेयक पर इतने लम्बे भाषण होंगे परन्तु जो माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाए हैं वे वास्तव में महत्त्वपूर्ण है हमारे सदन के जो अच्छे से अच्छे वक्ता हैं पार्लियामेंटेरियन्स हैं उनमें से चार अच्छे अच्छे माननीय सदस्यों ने भाषण दिए हैं। सबसे पहले मैं यह बताना अपना कर्तव्य समझता हूं कि लोकतन्त्र के सफल संचालन के लिए विरोधी पक्ष का होना आवश्यक है। जितना विरोधी पक्ष मजबूत होगा उतना ही लोकतंत्र सफल होगा। मैं ऐसा भी मानता हूं कि जो विचार रखे गए वे विचार सत्ता पक्ष को सचेत करने के लिए या सतर्क करने के लिए रखे गए।

सबसे पहले मैं माननीय मथुरादास माथुर ने जो प्रश्न उठाए हैं, उनका उत्तर दूंगा। यद्यपि मैं उन सब प्रश्नों के जवाब देना आवश्यक नहीं समझता, सब प्रश्नों के जवाब दे भी नहीं सकता लेकिन उनमें से जो मुख्य मुख्य प्रश्न है उनके बारे में जरूर कुछ कहना चाहता हूं आपको स्मरण होगा कि इसी वर्ष मार्च में जब 1978-79 का बजट रखा गया था, उस समय लगभग 642 करोड़ की मांगें और 264 करोड़ रुपये का चार्जेबल विनियोग मंजूर कराया था और योजना पर 233 करोड़ का व्यय मंजूर कराया था। उससे एक वर्ष पहले

(श्री आदित्येन्द्र)

1977 के मार्च महीने में पिछली सरकार ने जो बजट पेश किया था उसमें योजना व्यय 168 करोड़ रुपये रखा गया था और 1978-79 में 235 करोड़ रुपये रखा गया था। इस प्रकार योजना व्यय में 67 करोड़ की वृद्धि की गई। आप जानते हैं कि इन 15 महीनों में कोई नया कर नहीं लगाया गया। वही आमदनी रखी गई, वही आमदनी के स्रोत थे लेकिन उसके बावजूद योजना व्यय में 67 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई। यह जो योजना व्यय 235 करोड़ का रखा गया था उस समय आपको स्मरण होगा, यह भी बताया गया था कि हम कुछ अतिरिक्त आय करना चाहते हैं। वह अतिरिक्त आय उस समय तक नहीं हो सकती जब तक भारत सरकार हमारी सहायता न करे। उन 17 करोड़ को हम दो मदों में बांटे तो 10 करोड़ तो हमने इसलिए रखा था कि हम चाहते थे यह कम्पलसरी स्टेट इन्श्योरेन्स की योजना का स्वायत्त शासी संस्थाओं तक विस्तार कर दिया जाए और 7 करोड़ रुपये रूरल डिबेंचर्स के जरिए प्राप्त किए जायं। इसमें हमें आंशिक सफलता मिली है। अभी तक हम निरंतर प्रयास में हैं कि यह हमारी बीमा योजना का स्वायत्त शासी संस्थाओं या निगमों तक विस्तार कर दिया जाए तो हम 10 करोड़ की आमदनी कर सकते हैं। यद्यपि हमें इसमें सफलता नहीं मिली है तब भी हमको आश्वासन जरूर मिला है और हमें आशा है कि 10 करोड़ रुपये की आमदनी के अगर आश्वासन की पूर्ति हो जाती है तो मैं पूरे 10 करोड़ की तो नहीं कह सकता क्योंकि 7 महीने बीत गए हैं तब भी इस मद में आमदनी काफी हो सकती है।

आपने यह बताया कि मितव्ययता की ओर कोई कदम नहीं बढ़ाया। मैं मानता हूं कि मितव्ययता हम प्रारंभ में जितनी करना चाहते थे उतनी नहीं कर सके लेकिन गत वर्ष 1977-78 में 6 करोड़ की मितव्ययता की। अब की बार हम और करना चाहते हैं लेकिन कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां आ गई। आज की जो परिस्थितियां हैं, जो एक प्रकार से स्ट्रेसेज एण्ड स्ट्रेन्स का युग कहा जाता है जिसमें सब जगह मांग ही मांग है, उस दबाव के कारण कई ऐसे खर्च थे जो और करने पड़े। तो एक तरफ खर्चा बढ़ा साथ साथ हमारी यह भी इच्छा थी कि कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में हमें ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए। मैं कोई तुलनात्मक आंकड़े नहीं देना चाहता लेकिन इतना आप अवश्य मानेंगे कि इन 15-16 महीनों में प्राइमरी स्कूल सैकण्डरी स्कूल, हायर सैकण्डरी स्कूल, मिडिल स्कूल काफी संख्या में खुले और पिछले सालों की उपेक्षा ज्यादा खुले। कालेज भी खुले। अब इस एजूकेशन को और ज्यादा सफल बनाने के लिए, कन्सोलिडेट करने के लिए व्यवस्था की जरूरत थी जिससे प्रशासन और ज्यादा मजबूत हो इसलिए प्रशासन पर भी और ज्यादा खर्च करना पड़ा। इसी प्रकार न्याय ज्यादा सुलभ हो, ज्यादा ठीक तरह से मिले इसके लिए भी यह सोचा गया कि इस बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए और जो हालात हैं उन हालात को देखते हुए इसमें भी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। इसलिए इस ओर भी खर्चे से कुछ ज्यादा धन राशि और खर्च करनी पड़ी। इसीलिए यह 4 करोड़ 18 लाख की रकम, जो अनुपूरक मांगों की शक्ल में आपके सामने रखी जा रही है, भी रखनी पड़ी। जैसे ही बजट मन्जूर हुआ, उसके तुरन्त बाद कुछ ऐसी बातें थीं जिनकी पूर्ति

(श्री आदित्येन्द्र)

करना आवश्यक था और उनकी पूर्ति भी की गई। यह 4 करोड़ 18 लाख की यह मांगें हैं। यह इसलिए है कि विभिन्न विभागों के सामने इस प्रकार की कठिनाइयां आईं, इस प्रकार के खर्चे आये कि जिन खर्चों को हमें करना पड़ा और आकस्मिक निधि से रुपया लेना पड़ा। यह जो एप्रोप्रियेशन बिल आ रहा है यह इसीलिए आ रहा है कि आकस्मिक निधि, कन्टीन्जेन्सी फण्ड से जो रुपया लिया गया था उसमें उसकी पूर्ति को जाये जिससे कान्टिनजेन्सी फण्ड उतना ही बन जाये।

मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं जहां तक ओवर ड्राफ्ट का सवाल है उसकी ओर निरन्तर ध्यान दिया गया है और आज कोई ओवर ड्राफ्ट नहीं है। यह जरूर है कि आगे चल कर कुछ और परेशानियां आ सकती हैं। जो सुझाव दिये गये हैं वे सुझाव काफी महत्वपूर्ण हैं।

आपने कुछ बातों की ओर ध्यान दिलाया है और यह कहा है कि नान प्लान में खर्चा बढ़ा दिया गया है। यह नान प्लान का जो खर्चा है, हम नहीं चाहते थे कि नान प्लान खर्चा बढ़े लेकिन फिर भी आज को जो मांग है उन मांगों को ध्यान में रखते हुए यह खर्चा बढ़ा।

साथ साथ दो बातें हैं, एक तो अन्त्योदय योजना है जिसके बारे में चर्चा बहुत काफी हो चुकी है। आपने भी यह स्वीकार किया है कि यह योजना तो अच्छी है लेकिन इसके इम्पलीमेंटेशन में कमियां है। मैं यह मानता हूं कि इम्पलीमेंटेशन में कमियां है। अगर हम यह कहें कि हम बहुत ही अच्छे ढंग से इम्पलीमेंट कर रहे हैं तो मैं समझता हूं ठीक नहीं होगा आपका जो यह सुझाव है कि इसके लिए बोर्ड बने। आपने यह भी विश्वास दिलाया है कि आप पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं, हर रचनात्मक कामों में। मैं भी ऐसा मानता हूं कि आपके ऐसे इरादे हैं तो सरकार इसमें पीछे नहीं रहेगी। सरकार शायद कई और बातों में भी पीछे नहीं रही है।

जहां तक उद्योग नीति का सवाल है उस उद्योग नीति को निर्धारित करने में माननीय सदस्यों, माननीय श्री मथुरादास जी और दूसरे यहां के काफी अनुभवी सदस्य हैं उनसे काफी मदद ली गई। बोर्ड के बनने के बाद में ऐसा मानता हूं कि हम केवल सरकारी कर्मचारियों के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे बल्कि इसमें आम जनता का इन्वाल्वमेंट होगा। जब तक जनता का इन्वाल्वमेंट नहीं होगा तब तक यह योजना पूरी तरह से सफल भी नहीं हो सकेगी।

यह अन्त्योदय योजना है, मेरा यह कहना है कि इस योजना के पीछे एक विचार है और वह विचार गांधी जी का विचार है। अन्त्योदय शब्द भी कोई नया नहीं है। यह अन्त्योदय शब्द का प्रयोग आज से बहुत पहले गांधी जी ने किया था। इस प्रयोग के के पीछे, इस विचार के पीछे आर्थिक समानता का सिद्धांत है। मैं ऐसा मानता हूं कि कभी इस सम्बन्ध में अगर संगोष्ठी हो और अच्छे अच्छे विचारक एक जगह मिलें, एक दिन नहीं बल्कि कई दिनों, तब जाकर इस विचार के बारे में ज्यादा स्पष्टीकरण हो सकता है। हम सभी लोग इस बात को ज्यादा समझ सकते हैं। इतना मेरा कहना है कि इस विचार के पीछे आर्थिक समानता

(श्री आदित्येन्द्र)

का सिद्धांत है। आर्थिक समानता का मार्क्स का जो सिद्धांत है वह सिद्धांत यह है कि योग्यता के अनुसार प्रत्येक से काम लिया जाना चाहिये और आवश्यकता के अनुसार देना चाहिये। यही एक सिद्धांत इस अन्त्योदय योजना के पीछे है। केवल अन्तर इतना है कि गांधी जी ने एक मुख्य बात यह कही है और सभी के सामने कही है, जहां पर उन्होंने साध्य की पवित्रता के ऊपर जोर दिया है वहां साधन की पवित्रता पर भी जोर दिया है। मैं ऐसा मानता हूं कि केवल यही एक महान पुरुष इस युग में और इससे पहले भी ऐसे हुए कि जिन्होंने साधन और साध्य पर जोर दिया है। और उन्होंने यही कहा कि जो साध्य सफल हो जाये वही साध्य सबसे अच्छा है। महात्मा जी का कहना यह है कि साध्य कितना ही पवित्र हो किन्तु सफल सिद्ध तब तक नहीं हो सकता जब तक साधन उतना ही पवित्र न हो। मेरा यह कहना है कि यह योजना पूरी सफल होनी चाहिये। यह योजना अगर कोई दावा करे कि मैंने सफल कर दी हो तो गलत होगा, मैं नहीं कहता हम इसमें सफल हो गये हैं। हम सभी 200 सदस्य, लाखों हजारों कार्यकर्ता, पूरी जनता इसमें सच्चे अर्थों में मिल कर सहयोग दें तभी सफलता मिलेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना को पूरा सफल बनाना चाहिये।

साथ ही साथ मैं कभी कभी जब मद्य निषेध की बात कहता हूं तो मद्य निषेध के बारे में शायद माननीय सदस्य उतनी गम्भीरता से उसका चिन्तन नहीं करते। वे यह सोचते हैं कि मद्य निषेध तो केवल एक नैतिक योजना है। मद्य निषेध से कोई गरीबी मिटने की नहीं है। हमारे माननीय सदस्य श्री श्योपतसिंह जी ने भी एक दिन यह कहा था कि इसका समय नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरे देशों में मद्य निषेध चाहे इतना ज्यादा जरूरी न हो, लेकिन कम से कम हमारे जैसे गरीब देश में मद्य निषेध बहुत ही आवश्यक है क्योंकि शराब की आदत भी आम तौर से ज्यादातर गरीबों में है, संख्या गरीबों की ज्यादा है। मजदूर जो 5) रु. 10) रु. कमाता है उनका ज्यादा पैसा शराब पीने में चला जाता है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : चीन ने अफीम छोड़ दी। बदल गई व्यवस्था वहां की।

श्री आदित्येन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है वह ठीक है, चीन ने जब अफीम को छोड़ दिया तो हिन्दुस्तान, जो उससे शायद आगे है, को भी मद्य निषेध के मामले में पूरा प्रयत्न करना चाहिये। मेरी मान्यता यह है कि अन्त्योदय को सफल बनाने के लिये जहां और बातों की जरूरत है वहां मद्य निषेध भी जरूरी है। माननीय सदस्य इसमें पूरा पूरा सहयोग दें और मद्य निषेध राजस्थान में जल्दी से जल्दी कराने का प्रयास करें।

माननीय सदस्य हमारे विरोधी दल के नेता राम नारायण ने एक बात महत्वपूर्ण कहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम पैसा देते हैं अलग अलग विभागों के लिये, लेकिन पैसा हमें यह देखकर देना चाहिये कि उस विभाग की उपलब्धि कितनी है? ठीक है, इसका

(श्री आदित्येन्द्र)

मतलब इम्पलीमेन्टेशन से है। इसी बात को ध्यान में रख कर पैसा खर्च करना चाहिये। इसके लिये पिछले 5-6 महीने से कई मीटिंग माननीय मंत्री महोदय ने भी की है अपने अपने डिपार्टमेंट्स की और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भी अलग अलग डिपार्टमेंट को बुला कर मीटिंग की है और यह सुझाया है कि कितनी उपलब्धि है। और यह भी प्रोत्साहन दिया है कि ज्यादा से ज्यादा उपलब्धि होनी चाहिये। इसका प्रभाव यह हुआ है कि सेल्स टैक्स, जिससे ज्यादा से ज्यादा आमदनी होती है, से अब की साल उम्मीद यह है कि शायद 115 करोड़ तक की आमदनी हो जाय। पिछले 4-5 महीने में पहले के 4-5 महीने की अपेक्षा ज्यादा आमदनी हुई है और लोगों में उत्साह है। यह भी उम्मीद की जाती है कि शायद इसके लिये जो बजट अनुमान थे, उनकी पूर्ति हो जायगी साल के आखिर में ...

श्री मूलचन्द डागा : सेल्स टैक्स को खतम नहीं कर रहे है ?

श्री आदित्येन्द्र : यह ठीक है कि सेल्स टैक्स के बारे में मैं कुछ कहूं या नहीं कहूं लेकिन सैन्टर के मिनिस्टर है, फाइनेन्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि यह बात नहीं है कि जो कुछ भी घोषित नीति है जनता पार्टी की उससे मुकरते हों लेकिन इस बात के प्रयास में है कि इस का विकल्प क्या हो सकता है। जब तक विकल्प नहीं होता है तब तक इस बात की कोशिस की जायगी कि इसको सरल किया जाय। इसीलिये एक कमेटी गठित की गई है इसका सरलीकरण करने के लिये या और जो कठिनाइयां है उनको दूर करने के लिये, इसकी पहली मीटिंग इसी महीने की 29 तारीख को रखी गई है।

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान सरकार ने क्या विकल्प दिया है?

श्री आदित्येन्द्र : एक सवाल यह उठाया गया है कि वर्ल्ड बैंक से जो कुछ हम मदद लेते है। यह ठीक है कि हम मदद जरूर लेते है लेकिन यह मदद किसी तरह का बन्धन नहीं है। साथ में हमें इस बात का भी ध्यान है कि हमारी अर्थ व्यवस्था स्वावलम्बी हो, क्योंकि स्वावलम्बन नहीं होगा तब तक हम विकास भी नहीं कर सकेंगे।

और भी जो इस तरह की बातें कही गई है, वैसे तो आपने बहुत सी बात कही है 3 लाख 42 हजार लोगों को रोजगार देंगे। साथ में यह भी कहा है कि जितना उद्योगों में विकास होना चाहिये था या जो इसके विकास की दर होनी चाहिये थी, वह नहीं हुई है। मैं ऐसा मानता हूं कि राजस्थान में उद्योगों के विकास पर काफी विचार हुआ है। जो नीति बनाई गई है उस को यदि ठीक प्रकार से इम्पलीमेंट किया गया तो उससे निश्चित रूप से पहले सालों को अपेक्षा ज्यादा लोगों को काम दे सकेंगे। अन्त्योदय की योजना में 1 लाख 60 हजार परिवारों को छांटा था। अब 1 लाख 60 हजार जो राजस्व अभियान प्रारम्भ होने वाला है, उसमें छांटे जायेंगे। तो इस तरह 3 लाख 20 हजार की यह एम्बीशियस योजना है आप सब लोगों की सहायता से मैं समझता हूं यह काम कर सकेंगे और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

(श्री आदित्येन्द्र)

एक बात और कही गई है, खास तौर से माननीय सदस्य, जो हनुमानगढ़ से आते हैं, हमारी आवाज में शामिल हो जाते हैं। जब सता पक्ष की दूसरी आवाज होती है तो उनका मतलब यही है कि शायद कहने में और करने में अन्तर है। आज इसी बात की जरूरत है। आज जितना ध्यान इस ओर देंगे उतने ज्यादा कामयाब हो सकेंगे। मै समझता हूं बहस तो बहुत हो सकती है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : प्रहरियों के भत्ते के लिये।

श्री आदित्येन्द्र : एक सवाल उठाया गया था कि इनको भी विशेष भता मिलना चाहिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : ओवर टाइम की बात है।

श्री आदित्येन्द्र : ओवर टाइम का प्रश्न तो आपने सबसे पहले उठाया है ...

श्री श्योपतसिंह मकासर: ओवर टाइम की घोषणा तो हो गई, मन्जूरी निकलनी है।

श्री आदित्येन्द्र : एक बात जरूर है 10-10, 11-11 बजे तक बैठते हैं तो इस पर विचार होना चाहिये। मैं मानता हूं इसके बारे में विचार जरूर करेंगे। असेम्बली तो ढाई-तीन महीने चलती है इसलिये जो भी ओवर टाइम का भत्ता होगा वह दो ढाई महीने के लिये हो सकता है, पूरे साल का तो नहीं हो सकता है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : पिछले साल घोषणा हो गई, उसका इम्पलीमेंटेशन नहीं हो रहा है।

श्री आदित्येन्द्र : और अधिक न कहते हुए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह 4 करोड 18 लाख 42 हजार की अतिरिक्त धन राशि है इस संबंध में जो विनियोग (संख्या 4) विधेयक रखा गया है, इसको सभी लोग स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : अब तो पास करवाइये साहब।

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1978 को पारित किया जावे।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1978 को पारित किया जावे ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1978 परिनियत संकल्प

श्री अध्यक्ष : अब तो राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1978 लेना है। श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन श्रीमन राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 18 सितम्बर, 1978 को प्रख्यापित राजस्थान विश्व-

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

विद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 16 सन् 1978) को अस्वीकार करता है :"

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : हम तो सुबह के चार बजायेंगे।

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह आर्डिनेन्स 18 सितम्बर, 1978 को जारी किया गया था और 4 अक्टूबर को विधान सभा का अधिवेशन बुलाया गया। विधान सभा का अधिवेशन 4 अक्टूबर को था और अधिवेशन जो बुलाया गया वह 16 सितम्बर को बुलाया गया। जब 16 सितम्बर को विधान सभा का अधिवेशन बुलाने के लिए सम्मन जारी कर दिए गए तो फिर बाद में इस आर्डिनेन्स की क्या आवश्यकता थी ? यह जो आर्डिनेन्स आया है, इसमें जो प्रोवीजन सन् 1946 से लेकर सन् 78 तक रह गया और सन् 1946 से लेकर 78 तक कोई अमेंडमेंट नहीं लाया गया। 32 ईयर्स तक उसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसकी आवश्यकता भी हुई तो आर्डिनेन्स के जरिये इस प्रकार का प्रोवीजन किया गया, यह बड़ी हास्यास्पद चीज है और डेमोक्रेसी का बिल्कुल अपमान करना है। विधान सभा का बिल्कुल अपमान करना है। इसलिये आर्डिनेन्स के जरिये इस प्रकार के प्रोवीजन को लाना किसी भी तरीके से सराहा नहीं जा सकता। अब जो आर्डिनेन्स जारी किया गया है और जिसमें विशेष प्रोवीजन है, वह है कि वाईस चांसलर अगर बीमार हो जाते हैं, छुट्टी पर चले जाते हैं तो प्रो–वाइस चांसलर उनके स्थान पर कार्य करेंगे। यह पहला प्रोवीजन जो है यह सेक्शन 12 (7) के अन्दर भी नहीं था परन्तु यह प्रोवीजन तो था :

"(7) When a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of leave, illness or otherwise, the Syndicate shall forthwith report the same to the Chancellor who shall make such arrangement for carrying on the office of Vice Chancellor, as he may deem fit."

ऐसी स्थिति तो नहीं थी। अगर वाइस चांसलर बीमार हो जाये तो यह प्रोवीजन था कि सिण्डीकेट इन्फार्मेशन चांसलर को दे दें और चांसलर अरेन्जमेंट कर सकता था, वाइस चांसलर के आफिस का काम चलाने के लिए। ऐसी स्थिति नहीं थी कि अगर कोई वाइस चांसलर नहीं हो तो उसकी जगह किसी दूसरे का इन्तजाम हो नहीं पाये। अब यह प्रो वाइस चांसलर का प्रोवीजन किया गया है, जो पहले 32 वर्ष तक प्रोवीजन नहीं था। आर्डिनेन्स के जरिये इसको लाने की क्या आवश्यकता थी, क्या इमर्जेन्सी थी, क्या इस प्रकार की स्थिति बनी कि इसके बिना काम नहीं चल सकता था ? क्या गवर्नमेंट का कार्य रुक गया था ? इस प्रकार की कौन सी स्थिति थी ? आर्डिनेन्स के बारे में जो भी स्पीकर्स रहे हैं या जो भी प्रिसाइडिंग आथोरिटीज हुई हैं उन्होंने हर समय इस बात पर जोर दिया है ..

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप भोजन करके आये हैं शायद।

श्री वृद्धिचंद जैन : मावलंकर साहब ने कहा है :

"All I can say is that I do not approve of an ordinance just at the time when the House is about to meet."

यह हाउस 4 अक्टूबर को मीट कर रहा था तो 18 सितम्बर को आर्डिनेन्स जारी करने की क्या आवश्यकता थी ? इसलिए मैं आर्डिनेन्स का विरोध करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री ग्राऊदयाल जोशी : डागाजी, आपको तो रात को नींद नहीं आती, परन्तु हम जवानों पर तो रहम करो।

श्री मथुरादास माथुर: आगे से नहीं कहोगे कि टाइम बढ़ाओ । नहीं तो चार बजे तक चलायेंगे ।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, आप कृपा करके आठ, साढ़े आठ बजे तक कर दें । मैं भी चाहता हूं कि .

श्री अध्यक्ष: बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में निर्णय किया है । इसको पारित करने में सहयोग दीजिए । यह मनी बिल है, इस पर आपको खुल कर चर्चा करने का अधिकार है, मैं आपको नहीं रोक सकता ।

श्री मूलचन्द डागा: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 18 सितम्बर, 1978 को प्रख्यापित राजस्थान विश्व विद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 16 सन् 1978) को अस्वीकार करता है :" मैंने यह आर्डिनेंस देखा है । आर्डिनेंस जब पेश किया, यह निर्णय हो गया ..

श्री अध्यक्ष: यह तो विश्वविद्यालय विधेयक है । मनी बिल नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा: मनी बिल है, उसके बारे में तो उसकी स्टेज आयेगी तब हम ऑब्जेक्शन करेंगे this cannot be entertained इसको रिजेक्ट कर दिया जाय । रूल 66 के अन्दर प्रोवीजन है । प्रो वाइस चांसलर की पोस्ट क्रियेट की है जिसमें खर्चा होगा । साथ ही उन्होंने प्रेस्क्राइब्ड रूल्स का वायोलेशन किया है । इसलिए यह दोनों चीजें....

श्री अध्यक्ष: यह मनी बिल की कैटेगरी में नहीं आता, माननीय सदस्य ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता: यों तो किसी बिल को ले लें, एक्स चेकर पर खर्चा पड़ेगा । लेकिन यह मनी बिल नहीं है इसलिए इसकी जरूरत नहीं है । आप कानून बतायें, डागाजी ।

श्री मथुरादास माथुर: यूनिवर्सिटी आटोनोमस बोडी है, फाइनेंशियल बोडी है या नहीं, इस पर बहस हो जाएगी ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता: I have to say that it is an autonomous body. इसलिए इसकी जरूरत नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा: आपका बजट आता है, उस बजट के अन्दर यूनिवर्सिटी के लिए आप हमसे मंजूरी लेते हैं ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता: जरूरी नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा: नहीं लेते तो मैं नहीं कहता । इस पर डिस्कशन बाद में करेंगे ।

श्री मथुरादास माथुर: सुबह के चार बजायेंगे।

श्री मूलचन्द डागा: एक बात कहना चाहता हूं कि यह प्रो वाइस चांसलर के लिए बिल है। मैंने पहले ही कह दिया कि यह जनता पार्टी की सरकार सभी में राज-नीति घुसेड़ना चाहती है। मेरी सूचना है....

श्री भंवरलाल शर्मा: आपकी यह कोई नई बात नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा: इन्होंने भी स्वीकार किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा: आप पोइन्ट वाइज बोल दें मैं जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: यह तो प्योरली एडमिनि-स्ट्रेटिव मैटर है।

श्री मूलचन्द डागा: वह प्रोवीजन यह कहता है, मैं एस्टेब्लिश करूंगा कि यह एनेबलिंग प्रोवीजन है श्रीमन, इसमें प्रो वाइस चांसलर की एक नई पोस्ट क्रिएट की है। इस पर कितना खर्चा होगा? क्या क्वालिफिकेशन होगी। कब सिन्डीकेट ने इसको पास किया या सीनेट ने कब रिजोल्यूशन पास किया कि इस प्रकार से प्रो वाइस चांसलर की जरूरत है। श्रम मंत्री जी, आप बैठे-बैठे ही कह रहे हैं। एक पोर्टफोलियो तो छिन गया है। कल और खोस लेंगे।

श्री अध्यक्ष: कृपया ब्रीफ में कहें।

श्री मूलचन्द डागा: प्रो वाइस चांस-लर के लिए आपने जो रीजन्स दिए हैं उनमें कहा है काम बहुत बढ़ गया है यूनिवर्सिटी में। प्रो वाइस चांसलर इसलिए जरूरी है कि वाइस चांसलर सारा काम नहीं कर सकता। He has to preside over so many meetings, मैं पहले ही यह बात कह चुका हूं आप रिटा-यर्ड आदमी को वाइस चांसलर बनाते हैं। रिटायर्ड आदमी में ज्यादा काम करने की शक्ति नहीं होती हैं। हाई कोर्ट के जज थे वे रिटायर हो गये। कितनी आयु के बाद वे रिटायर हुए? उस आयु के बाद कितनी क्षमता होती है? प्रो वाइस चांसलर बनाने की जरूरत पैदा हुई। इसके लिए इसमें आपने यह बताया है कि वाइस चांसलर को कई मीटिंग प्रिसाइड करनी पड़ती हैं, और फंकशन करने पड़ते हैं इसलिए प्रो वाइस चांसलर की जरूरत है। इसके लिए आप बिल ला सकते थे। It was not necessary to issue this Ordinance. आपने इतने साल इन्तजार किया तो थोड़े दिन में हाउस मीट करने वाला था। आप हाउस में बिल ले आते। यूनिवर्सिटी एक्ट के अन्दर बहुत से संशोधन की आव-श्यकता है। आज यूनिवर्सिटी की क्या हालत है? वाइस चांसलर का घेराव होता है। पुलिस इन मन्दिरों में जाती है। विद्यार्थी नाराज हैं। हिन्दुस्तान की सरकार ने इस बात को सोच लिया है कि जो धन-राशि हमारी इन बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज पर खर्च हो रही है उसका लाभ हमें नहीं मिल रहा है। इससे देश के अन्दर बेकारों की एक और सेना खड़ी हो रही है। यह मान लिया है और यह निर्णय ले लिया है कि हमें यूनिवर्सिटीज को नहीं बढ़ाना है। कालेज ज्यादा नहीं खोलने हैं। यह नीति मानी है कि हमें अब जाब ओरियेन्टेड एजुकेशन देना है। इसका मतलब यह था कि वह शिक्षा दी जाए जिससे आदमी रोटी कमा सके। जब आप कालेज एजुकेशन कम

(श्री मूलचन्द डागा)

करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट आफ इंडिया की नीति के खिलाफ प्रो वाइस चांसलर का पद क्रिएट कर रहे हैं और एक लाख रुपये का खर्चा और बढ़ाना चाहते हैं। उसकी तनख्वाह, उसका पी.ए., पीओन इसका जो खर्चा होगा वह डिस्टिंगवस नहीं किया गया है। प्रो वाइस चांसलर की क्या ड्यूटीज होगी ? इन्होंने यह लिख दिया कि वाइस चांसलर जो कह देगा, वह होगी। इससे आप एक नया झगड़ा पैदा करेंगे। आप बड़े शिक्षा शास्त्री हैं, बड़े धुरन्धर है परन्तु आपने कभी सोचा नहीं कि वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर बनाकर उनमें कंपिलक्ट पैदा करेंगे। वाइस चांसलर राजस्थान यूनिवर्सिटी में रहता है। प्रो वाइस चांसलर भी वहां पर रहेगा। उनकी ड्यूटीज में क्या फर्क है? क्या क्वालि-फिकेशन होगी ? एक दूसरे का क्या काम होगा। परन्तु जनता पर 4-5 लाख का भार बढ़ा दिया क्योंकि किसी न किसी को प्रो वाइस चान्सलर बनाना है What will be his duties. इस आर्डिनेन्स में यह कुछ नहीं है। यह नहीं लिखा है और आर्डि-नेन्स ले आये। प्रो वाइस चान्सलर होगा। He will be appointed by the Chancellor in consultation with the Vice-Chancellor. उसके क्या गुण होंगे, यह कुछ इसमें नहीं है। हमारे वित्त मन्त्री वयोवृद्ध है, ये राजनीति से सन्यास लेना चाहते हैं तो आप इनको प्रो वाइस चांसलर बना देंगे। सोचिए, श्रम मंत्री जी, आपने ढांड पटेलाई की है। भीड़ में रहने वाला व्यक्ति पढ़ता नहीं है। बंटा ढार कर देगा। आज सारी यूनिवर्सिटीज देश के सामने प्रश्न-चिन्ह बन कर खड़ी है। इन पर लाखों रुपया खर्च होता है लेकिन इनमें क्या शिक्षा मिलती है। फिर प्रो वाइस चांसलर की क्या जरूरत थी। मैं इसके रीजन्स पढ़ रहा था। आपने प्रो वाइस्स चांसलर इसलिए बनाया कि अपाइन्टमेन्ट आफ क्लर्क एण्ड दी स्टाफ आफ दी यूनिवर्सिटी करे। यह तो रजिस्ट्रार की ड्यूटी है। अपाइन्टमेन्ट आफ स्टाफ एण्ड क्लर्क्स का काम प्रो वाइस चांसलर को दिया जा रहा है। प्रो वाइस चांसलर को तो अकेडेमिक क्वालिफिकेशन होती है। क्लर्क की भर्ती के लिए वह नहीं होता। He is not meant for appointment of clerks. लेकिन आपने इसके लिए प्रो वाइस चान्सलर को रखा है। आप बड़े विद्वान हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका लाजिक बड़ा अजीब है।

श्री मूलचंद डागा : क्लेरीकल स्टाफ की भर्ती रजिस्ट्रार करता है परन्तु मैंने इसमें पढ़ा तो appointment of clerical staff. की प्रो वाइस चान्स-लर को पावर दी गई है।

श्री अध्यक्ष : इसमें अनयूजुअल क्या है?

श्री मूलचन्द डागा : इसमें अनयूजुअल यह है कि क्लेरीकल स्टाफ का अपाइन्ट-मेन्ट करना प्रो वाइस चांसलर का काम नहीं होता है ? यह अनयूजुअल बात है कि अकेडेमिक लोगों को यह काम दिया जा रहा है।

इसके अलावा रखा है : "Disci-plinary powers in respect of above staff:" जो स्टाफ होगा उस

(श्री मूलचन्द डागा)

स्टाफ पर डिसीप्लीनरी एक्शन लेने की पावर होगी। अकेडेमिशियन का यह काम नहीं होता है। उनका काम अध्ययन करने का है। यह सारे फंक्शन आपने दिए हैं इनके आधार पर तो वह सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ दी आफिस हो गया। बनारस यूनिवर्सिटी के मैंने प्रो वाइस चांसलर को देखा है। वे इन चीजों से दूर रहते हैं। इसलिए, श्रीमन् यह जो आर्डिनेन्स है न तो यह आर्डिनेन्स के परव्यू में आता है, न इसको लाना चाहिए। आगे जो बिल विचारार्थ पेश करने जा रहे हैं वह भी अननेसेसरी है, अनावश्यक है। इस सारे एक्ट में अमेन्डमेन्ट की जरूरत है। वे आपने इसमें लिये नहीं इसलिये हम इसको अस्वीकार करते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : I endorse the views of Shri Dagaji cent percent

श्री अध्यक्ष : That is good.

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : मैं एक ओर थोड़ा सा अर्ज करूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अभी एक क्लाज प्रो वाइस चांसलर का इसमें रखा और अभी गुल खिला दिया। अभी जो भिड़न्त हुई इसके कारण जो एडमिशन दिये वे सारे एडमिशन कैंसल किये। अगर यही काम है यही इजाफा हुआ है तो मेहरबानी करके न ही करें तो अच्छा होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो सर्वविदित है कि राजस्थान विश्वविद्यालय का बड़ा आकार है इस कारण से इसका काम अकेला वाइस चांसलर नहीं चला सकता। उसको निश्चित रूप से प्रशासनिक कार्य में किसी के सहयोग की आवश्यकता है। यह बात यहां के वाइस चांसलर ने कई बार लिखी और यह चिट्ठी दी कि उनकी मदद की जाय। यह जो प्रो-वाइस चांसलर की थीम है यह नई नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : नो, नो, गलत कह रहे है। V. C. cannot take a decision. It is either the Syndicate or Senate.

क्या पढ़ रहे हैं ? पढ़िये वह लैटर जो सिन्डीकेट ने लिखा है।

V. C. cannot write letters to you. He has no right to write any letter. एक्ट के अनुसार वाइस चांसलर को लैटर लिखने का अधिकार नहीं है। क्यों ये गलत बातें बता रहे हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : आप तसल्ली से सुनिये —

श्री मूलचन्द डागा : मुझे बताइये। I want to see the resolution.

श्री भंवरलाल शर्मा : कल मेरे चेम्बर में आ जावें।

श्री मूलचन्द डागा : We want here and just now. कारीगर आ गये और औजार पास में नहीं है। आप कहते हैं, वाइस चांसलर ने लैटर लिख दिया। How he has written letter to you ? एक्ट तो पढ़ते नहीं। बिना एक्ट पढ़े बात कहते हैं। मैं कहता हूं एक्ट इनके पास अभी भी नहीं है।

Page No 177

(177)

श्री भंवरलाल शर्मा : मुझे अपनी बात कहने की अनुमति और आपका प्रोटेक्शन चाहिये। मुझे मौका दिया है वह स्वतंत्र रूप से, अनइन्ट्रप्टेड अपनी बात कहने का दिया है। इसके लिये जितना प्रोटेक्शन देना हो वह दीजिये।

मेरा निवेदन यह है कि यह प्रो-वाइस चांसलर की कल्पना नई नहीं है। हमारे देश में ये प्रो-वाइस चांसलर 4 यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं। दिल्ली और कलकत्ता में एक नहीं दो-दो काम कर रहे हैं। सवाल यह है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। काम अधिक होगा तो निश्चित रूप से काम के बंटवारे की आवश्यकता पड़ती है। वाइस चांसलर ने कई बार मदद के लिये लिखा—

श्री मथुरादास माथुर : उनको रिटायर कर दो।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसलिए अनुभव किया गया कि प्रो-वाइस चांसलर होना चाहिये। आपको आपत्ति न हो तो—

श्री मूलचन्द डागा : आपत्ति तो है ही।

श्री मथुरादास माथुर : वह तो बिल में आयेगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसके लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान विश्व-विद्यालय के जो वाइस चांसलर है वे 2-9-78 को हृदय रोग से पीड़ित हो गये और वे हास्पिटल में चले गये। उनकी मांग पहले ही थी और आवश्यकता भी अनुभव की जा रही थी। इसलिये विश्वविद्यालय में उनकी अनुपस्थिति में कार्यभार सम्भालने वाला कोई नहीं रहा। जब सारा काम अस्त-व्यस्त होने लगा तो आर्डिनेन्स के जरिये यह व्यवस्था की गई।

श्री मूलचंद डागा : अगर आप ये रीजन दे रहे हैं तो यह रीजन आर्डिनेन्स में नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी मैं अर्ज करता हूं। आर्डिनेन्स क्यों लाया गया यह स्पष्ट कर दिया। प्रो-वाइस चांसलर की आवश्यकता क्यों हुई यह भी बता दिया। आप इसे अनावश्यक लम्बा कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करूंगा। इसमें लिखा है—

> "....shall exercise the powers and perform the functions as specified below:—"

इसमें जो क्लाज(e)है वह महत्व का है-

> "(e) Attending to all matters relating to students welfare etc."

श्री मूलचंद डागा : बहुत बड़ा काम है।

श्री भंवरलाल शर्मा : इस प्रकार की व्यवस्था अब तक नहीं थी इसलिये यह व्यवस्था की गई। आपने इसका समर्थन किया हैं, इसकी आवश्यकता मानी है। यह जो कानून है इसमें व्यवस्था है कि छात्रों के कल्याण के लिये विचार करेंगे। यह कोई छोटा फंक्शन नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सर्वश्री वृद्धिचन्द जैन व मूलचन्द डागा ने जो परि-

(श्री अध्यक्ष:)

नियत संकल्प प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

परिनियम संकल्प अस्वीकार किया गया।

मन्त्री महोदय।

व्यवस्था का प्रश्न

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1978 के साथ वित्तीय ज्ञापन

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय

श्री मथुरादास माथुर : मेरा एक निवेदन है। पाइंट आफ आर्डर है··

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, पाइंट आफ आर्डर है।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय मेरा एतराज यह है कि इस बिल के साथ में फाईनेंसियल मेमोरेण्डम नहीं है इसलिए यह बिल विचारार्थ नहीं लिया जा सकता है। मेरी बात आप सुन लें। आप का आफिस भी मुझ से एग्री नहीं करता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी दलील खुली है। तकनीकी गलती के कारण आगे जाकर नुकसान न हो इसलिये फाईनेंसियल मेमोरेन्डम पहले इसके साथ रखना चाहिये। अगर नहीं रखेंगे और प्रो वाइस चान्सलर मुकर्रर कर देंगे तो वह कुर्सी पर भी बैठ जायेगा। उसके लिए हम से अंगूठा लगवाना है तो लगा देंगे।

मैंने सुना है कि यूनिवर्सिटी के लिए आटोनामस वोडी की दलील दी जाती है और उसकी आटोनामी में एक्जीक्यूटिज का, गवर्नमेंट का इन्टरफियरेन्स नहीं हो सकता है। इन्टरफियरेन्स अकेडेमिक बात में नहीं हो सकता है। अगर फाइनेन्स में एक्सचेकर से पैसा मिलता है। ग्रान्ट से यूनिवर्सिटी चलती है, उसके पास कोई सोर्स नहीं है। उसको सेन्ट पर्सेन्ट ग्रान्ट सरकार देती है। यू. जी. सी से जो पैसा मिलता है वह स्पेशल स्कीमों के अन्दर मिलता है। स्टेट के कन्सोलिडेटेड फण्ड से आप प्रो-वाइस चान्सलर का आफिस क्रियेट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी एक्ट में सभी यूनिवर्सिटीज के एक्ट के अन्दर चाहे वह जोधपुर की हो या उदयपुर की हो हमें सावधान रहना पड़ेगा। यह प्रो-वाइस चान्सलर का आफिस पहले हमारे यहां पर नहीं था। अब आप एक नया आफिस क्रियेट कर रहे हैं। आप एक आदमी अपाइंट नहीं कर रहे है you are not apponting Assistant Vice Chanclor or a Senior Registrar. आप यह नहीं कर रहे हैं। पहले भी वाइस चान्सलर साहब बीमार हुए हैं, छुट्टियों पर गये हैं। उस समय जो भी सीनियर मोस्ट आदमी अवेलेबल था उसने वाइस चांसलर को आफिसियेट किया है। अब बीमार आदमी को क्यों बैठा रखा है? आज आप यहां यह कर रहे है तो कल जोधपुर में करना होगा। मैं निवेदन करूंगा कि यह तो वही बात हुई कि एक ब्यूरोक्रेट को पैदा कर दो कहीं तो वह अंडे दे देता है। हम जनता के चुने हुए आदमी न जाने क्या सोचते हैं कि हम उनकी बातों में आ जाते हैं। वाइस चान्सलर बीमार हैं तो दूसरा आदमी आयेगा पहले प्रो वाइस-चान्सलर अस्पताल में थे तो दूसरा आदमी आ गया। आप एक आदमी

(श्री मथुरादास माथुर)

मुकर्रर नहीं कर रहे हैं, आप एक आफिस क्रियेट कर रहे हैं। आप सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज का मुकाबला चाहते हैं। आप कहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रो-वाइस-चान्सलर है लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी की पापुलेशन स्टूडेन्ट्स की पापुलेशन कितनी है, कलकत्ता यूनीवर्सिटी की कितनी है, बम्बई यूनिवर्सिटी की कितनी है? रेजिडेन्सियल यूनिवर्सिटीज में कहीं यह आफिस है और कही नहीं है। मध्यप्रदेश में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, पंजाब में नहीं है और भी स्टेट्स है जो हमारे हिसाब से आगे हैं उनके यहां पर नहीं है तो राजस्थान में ही क्या आसमान गिर गया कि आपको वाइस-चान्सलर की पोस्ट क्रियेट करनी पड़ी? मैं निवेदन करूंगा कि इस पर गौर किया जाय। एक एम. एल. ए. की एक दिन की तनख्वाह बढ़ाने का प्रस्ताव आता है तो यहां पर इतना हो हल्ला करते हैं। उनकी आवाज सुनी नहीं जाती है, लेकिन स्टूडेंटस के वेलफेयर के लिए आप यह प्रपोजल लाते हैं। पहले यह काम एक प्रोफेसर जिम्मे था जो कि स्टूडेन्ट वेलफेयर के काम को देखता था कौन सा स्टूडेन्ट्स के वेलफेयर का काम यूनिवर्सिटी में होता है, मुझे मालूम नहीं है। वह स्टूडेंटस कौन हैं? आप किसी आदमी को अकोमोडेट करने के लिए, आप ईमानदारी से कहें, पोस्ट क्रियेट करने को तैयार है, लेकिन यूनिवर्सिटी की फाइनेंसियल पोजीशन ऐसी है कि उस पर बैंक का ओवर-ड्राफ्ट है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कई बार आकर मुझ से रुपये लिए है जब मैं फाई-नेन्स मिनिस्टर था और तनख्वाह बांटी है।

ऐसी दीवालिया यूनिवर्सिटी के अन्दर एक और पोस्ट क्रियेट कर दें तो उसका पैसा कौन देगा? मेरा आपसे निवेदन है कि इस आफिस के लिए जो 3 लाख रुपया खर्च होगा इसका बोझ आपको उठाना होगा। एक आदमी को कम से कम दो हजार की तनख्वाह तो देंगे। आपने लिखा है यह शिड्यूल में तय हो जायेगी। दो हजार रुपये उसको तनख्वाह का देंगे, फिर उसको बंगला देना पड़ेगा, स्टेनो देना पड़ेगा, क्लास फोर सर्वेन्ट्स देने पड़ेंगे, बंगले के लिए चौकीदार देना पड़ेगा। उसके लिए एक आफिस क्रियेट करना पड़ेगा उसमें बाबू भी होगा, सैक्शन आफिसर भी होगा, टाइपिस्ट भी होगा। तो यह कैपिटल एक्स-पैण्डीचर 3-4 लाख का अपने सिर पर क्यों ले रहे हो? इतने प्राफेसर्स और डीन्स बैठे हुए है, हमारे वाइस-चान्सलर साहब बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट बैठी हुई है और वाइस–चान्सलर साहब के ऊपर चान्सलर साहब बैठे हुए हैं। इस सब के बावजूद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई क्या होती है? आपकी यह यूनिवर्सिटी 12 महीनों में 6 महीने भी नहीं चलती है। हमने तो निकाल दिये 30वर्ष उसके बगैर लेकिन आपने उसके लिए पोस्ट क्रियेट कर दी। आप को बड़ी परेशानी हो गई है इसलिए आप प्रो-वाइस चान्सलर नाम का व्हाइट एलीफेन्ट लाकर बांधना चाहते हैं इसके लिए आपने आर्डिनेंस भी जारी किया हैं और बिल के वास्ते नोटिस दिया है। इतनी जल्दी की क्या जरूरत है? इसकी क्या स्योरिटी है कि जोधपुर वाले नहीं मांगेंगे? वहां के भी वाइस चान्सलर साहब बीमार रहते हैं। उदयपुर वाले भी मांगेंगे प्रो वाइस–चान्सलर। तीनों जगह का राजस्थान में कुल मिलाकर 10–12 लाख का खर्चा होगा। यूनिवर्सिटीज यह कह सकती हैं क्या कि सरकार इतना रुपया खर्च कर रही है तो ग्रान्ट में बढ़ोत्तरी की मांग नहीं करेंगे? आप तो यह कह सकते हैं। लेकिन एक सब्जेक्ट खोला जाय, यूनिवर्सिटी

(श्री मथुरादास माथुर)

के अन्दर एक विषय खोला जाय और उस विषय के अन्दर अगर एक लाख की जरूरत है तो यूनिवर्सिटी कहती है कि गवर्नमेंट ग्रान्ट देगी तो खोलेंगे वरना नहीं खोलेंगे। एक सक्शन खोलना है, लॉ के अन्दर एक सेक्शन खोलना है तो यूनिवर्सिटी का यह जवाब होता है कि गवर्नमेंट से जाकर कहो। वह एक सेक्शन का खर्चा बढ़ायेगी तो हम खोलेंगे। इसके बावजूद आप प्रो वाइस-चान्सलर की पोस्ट क्रियेट करना चाहते हैं। उसके ऊपर 7-8 लाख खर्च होगा। तो पैसा कहां से आयेगा ? उसका पैसा हमको देना पड़ेगा स्टेट के कंसोलिडेटेड फण्ड से को देना पड़ेगा। इसके अन्दर फाइनेन्शियल लायबिलिटी है तो फाइनेन्स-मेमोरेण्डम इसके साथ में आना चाहिए। वह नहीं आया है। यह पता है। इसके बगैर इसको पास कर देंगे तो यह विशियेट होगा, यह खतरा रह जायगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी आटोनामी क्लेम कर सकती है लेकिन वह अकेडेमिक फील्ड में We are fathers and parents of the University हमने एक्ट बनाया है। जो एक्ट हमने बना दिया उस एक्ट के अन्दर आप ग्रान्ट देते है तो खर्च में बढ़ोत्तरी करने के लिए कन्सोलिडेटेड फण्ड से पैसा जायगा। इसलिये यह बिल फाइनेन्स मेमोरेण्डम के साथ में आना चाहिए ताकि मैम्बर्स यह समझ सकें कि क्या खर्चा है ? उसको लेजिस्लेचर वहन करने को तैयार है कि नहीं। इसका मतलब यह है कि यूनिवर्सिटी की ग्रान्ट को आप बढ़ायेंगे। तो मेरा यह निवेदन है कि फाइनेन्सियल मेमोरेण्डम इसके साथ होना चाहिए। यह लेकुना है। In absence of this यह बिल विशियेट हो सकता है लॉ कोर्ट में। इसको आपने आर्डिनेन्स के तौर पर ले लिया है।

दूसरा यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रो-वाइस चान्सलर की पोस्ट का जिक्र कर दिया। मैं रिपीट नहीं करना चाहता समय को देखते हुए लेकिन उसके फंक्शन क्या है। यह फंक्शन बताये है आपने यह तो रजिस्ट्रार के फंक्शन हैं। स्टूडेन्ट्स वेलफेयर का क्या फंक्शन है ? यह कहां पर डिफाइन किया है ? स्टुडेन्ट्स वेलफेयर में उनके स्पोर्टस, गेम्स और दूसरी एक्टीविटीज यह सब चीजें आती हैं तो इनके लिए वहां पर स्टूडेन्ट्स की यूनियन मौजूद हैं। स्टूडेन्ट्स वेलफेयर का पोर्टफोलियो किसी को भी दिया जा सकता है। एक आदमी वहां पर पहले ही मुकर्रर किया हुआ है। उसको 200 रुपया अलाउन्स मिलता है। वह इसको देखता है कि फण्ड्स किस तरह से खर्च करें। यूनियन के पेट्रिन्स है वह काम करते हैं। स्टूडेन्ट्स वेलफेयर आप छोड़ दें स्टुडेन्ट्स में डिसिप्लिन आप लायें। कोई स्टूडेन्ट्स वेलफेयर की मांग नहीं करता है। स्टूडेन्ट्स में डिसिप्लिन नहीं है। यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नही होती है, इम्तिहान पोस्टपोन होते हैं। वाइस चान्सलर इफेक्टिव कन्ट्रोल नहीं रखते हैं। कभी एडमिशन दे देते हैं और कभी कैन्सिल कर देते हैं। मैने आपसे नम्र निवेदन किया है। आपकी सरकार है। आपके पास में पैसा है जैसे चाहे खर्च करें लेकिन मेरा यही नम्र निवेदन है कि आप खुदा के वास्ते यूनिवर्सिटीज को ठीक से सम्भालिये। एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि सदन के माननीय

(181)

(श्री मथुरादास माथुर)

सदस्य मजबूर होकर यह कहें कि हमारे यहां के जो यूनिवर्सिटीज एक्ट हैं उन तीनों एक्ट को रिपील कर दिया जाय। आखिर हम जनता से टैक्स लेकर पैसा लाते हैं वह इसलिए नहीं लाते है कि कत्ल हों, या कोई हंगामा हो, कोई दो तीन महीने तक आफिस में नहीं आवे। मेरा किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं है। आटोनोमी की आप बात करते हैं, पुलिस और आर. ए सी. के कैम्प पड़ हुए हैं। आपको क्या करना है, उसके बारे में सोचिये। कोई भी यूनिवर्सिटी फाइनेन्शियल मेटर्स में आटोनोमस नहीं है। इसलिए इसको भी आपको इण्टप्रेट करना पड़ेगा। हम यूनिवर्सिटीज के पेरेन्ट्स है, प्रो-वाइस चांसलर की पोस्ट क्रियेट तो हम करेंगे। वह पैसा कहां से लायेंगे? हमारी ग्रान्ट में से ही खर्च करना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा ग्रान्ट नहीं देंगे? फाइनेन्शियल मेमोरेण्डम का मतलब यह होता है कि इस पोस्ट को क्रियेट करने के लिये जितना खर्चा होगा वह आपको यूनिवर्सिटी को देना पड़ेगा। इसलिए आप फाइनेंसियल मेमोरेण्डम पेश कीजिये। यह बीमारी मत फैलाइए नहीं तो जोधपुर में भी प्रो-वाइस चांसलर मांगेंगे, उदयपुर में भी मांगेंगे। यह नहीं कि दिल्ली में है और बनारस में है। आप इससे तो एक फैकल्टी या डिपार्टमेन्ट खोल देते तो लोगों को फायदा होता। इतना ही मेरा नम्र निवेदन हैं। आप यह समझते हैं कि आपने जो सोचा है वह ठीक है तो आप जानें। आप एक एडीशनल प्रो-वाइस चांसलर की पोस्ट और कर दीजिये, दो पोस्ट कर दीजिये। कलकत्ता यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वहां की पापूलेशन राजस्थान यूनिवर्सिटी से दस गुना ज्यादा है। इसलिए मैं ज्यादा लम्बा कुछ नहीं कहना चाहता, आप चीफ मिनिस्टर से बात कर लीजिये और इसको आज पोस्टपोन कर दीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने फाइनेंसियल मेमोरण्डम के लिए रूल 61 कोट किया था यह उसमें प्रेस्क्राइब भी किया जाय कि कितना खर्चा होगा। मैं कह रहा था कि रूल्स के अनुसार प्रेस्क्राइब कहां किया है? आप बिल ले आये, आपको मालूम नहीं है कितना खर्चा होगा और पैसा कहाँ से आयेगा? It requires Financial Memorandum.

श्री नवनीत पालीवाल : यह तो माथुर साहब ने कह दिया।

श्री मूलचन्द डागा : आप क्या कह रहे हैं, गाल पर हाथ रखे बैठे हैं। कभी इस पर पार्टी में विचार नहीं किया और दस बजे इसको पास करते हैं।

श्री केदारनाथ (श्रम मन्त्री) : इसका एफिलिएशन 80 कालेजों के साथ है। इस पर काम का लोड ज्यादा है। वाइस चांसलर के काफी फंक्शन्स हैं, मैं मानता हूं कि डिसिप्लिन भी होना चाहिए। तीनों यूनिवर्सिटीज में पोस्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। टीचर्स और स्टूडेण्ट्स दोनों ने मिल कर माँग की है।

श्री मूलचंद डागा : कोठारी कमीशन ने क्या रिपोर्ट दी है?

श्री केदारनाथ : पढ़ी नहीं है। उसने यूनिवर्सिटी सेंटर कायम करने का प्रपोजल पेश किया है ताकि उनको आटोनोमी दी जाय। अपने आप एग्जामिनेशन लें और अपना सिलेबस तय कर लें।

श्री मूलचंद डागा : कोठारी कमीशन की रिपोर्ट पर आप कल ही विचार रख लीजिये। मैं कोटेशन बता दूंगा कि उसमें क्या निर्णय लिये।

श्री केदारनाथ : एफिलिएटेड कालेजेज का कण्ट्रोल करने के लिये यह पोस्ट क्रिएट की जा रही है। यूनिवर्सिटी का अपना बजट है, सिण्डीकेट बजट पास करती है।

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माथुर साहब ने जो टेक्निकल आब्जेक्शन किया है उसके बारे में मेरा निवेदन यह है कि यूनिवर्सिटीज के एक्सपेण्डीचर के लिये अलग से अधिनियम है, उसके तहत विश्वविद्यालय का संचालन होता है। उसके आय के अपने श्रोत होते हैं, फीस होती है, सरकार से अनुदान मिलता है और यू. जी. सी. से भी पैसा मिलता है। इसलिए सारा पैसा हम ही नहीं देते, उनका खुद का बजट है, खुद का पैसा खर्च करते हैं—

श्री मूलचंद डागा : कितना आप देते हैं कन्सोलिडेटेड फण्ड से ?

श्री भंवरलाल शर्मा : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सुन तो लीजिये। यही कहना चाहते हैं कि फाइनेंसियल मेमोरेण्डम है या नहीं। माथुर साहब ने यही आब्जेक्शन किया था उसी पर प्रकाश डाल रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : वे अपना बजट खुद पास करते हैं, इसलिए फाइनेंसियल मेमोरेण्डम की आवश्यकता नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : आप यह एस्योरेन्स दे सकते हैं कि इस आफिस के लिए प्रो-वाइस चांसलर के लिये ग्रान्ट में एक पैसा भी इन्क्रीज नहीं करेंगे ? Can you give this assurance to us ?

दे दीजिये यह एश्योरेन्स कि जो 78-79 की ग्रान्ट है उसमें एक पैसा भी इन्क्रीज नहीं करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री): यह कैसे आप पाबन्द कर सकते हैं ? आज क्या खर्च कर रहे हैं इसके लिए तो गारन्टी दे सकते हैं, कल के लिए नहीं दे सकते।

श्री मथुरादास माथुर : इसलिए कह रहा हूं भैरोंसिंह जी, आप एश्योरेन्स दे दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह एश्योरेन्स दे सकते हैं कि यूनिवर्सिटी को जितना पैसा दिया जाता है उससे ज्यादा नहीं देंगे। यूनिवर्सिटी के लिए जितना राज्य सरकार खर्च कर रही है उससे ज्यादा नहीं करेगी।

श्री मथुरादास माथुर : यह सवाल नहीं है। सवाल प्रो-वाइस चांसलर का है। यह लायबिलिटी हमारी नहीं है। आप प्रूव कर दें। What is the expenditure likely to be incurred ? फाइनेंसियल मेमोरेण्डम निल लिख कर भी आपको देना पड़ेगा। किसी ने चैलेन्ज कर दिया तो यह एक्ट विशियेट हो जायगा। Lack of Financial Memorandum will vitiate the Bill. तो सदन की हल्की लगेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह नहीं होगा।

Page No 183

(183)

श्री मथुरादास माथुर : आप यह समझते हैं कि ठीक कर रहे हैं तो फिर आप जायें।

आपने तो बिल पढ़ा नहीं, बैठे बैठे कह रहे हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : (मंत्री, संसदीय कार्य): गलत कह रहे हैं। मैंने बिल पढ़ा है। विधान सभा की प्रोसीडिंग्स होती हैं, उन प्रोसीडिंग्स को किसी आधार पर किसी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष: शिक्षा मंत्रीजी, मैं इस संबंध में आपसे आश्वासन चाहूंगा कि विश्वविद्यालयों को लम्प सम ग्रांट मिलती है उसमें से ये एक्स्ट्रा पोस्ट्स प्रोवाइड की जायगी, कोई अतिरिक्त खर्चा इन्वाल्वड नहीं होगा तब तो मैं मानने को तैयार हूं कि फाइनेन्शियल मेमोरेंडम और फाइनेन्सियल स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं। मथुरादास जी ने कहा आपत्ति की है उसको ओवर रूल करने में मुझे आपत्ति नहीं किंतु अगर कोई अतिरिक्त मनी की आवश्यकता है तो मेरी सलाह यह है कि आप विधि विभाग से कन्सल्ट करें और इसके कन्सीडरेशन को पोस्टपोन कर दें। नहीं तो अगर यह सदन बहुमत से पारित भी करता है तो यह परम्परा ठीक नहीं है। इसमें लेकुना भी है और आगे जाकर इसकी लीगल वेलिडिटी चैलेंज हो तो ऐसा क्यों करते हैं ? टेक्निकल एडवाइस लेनी हो तो ले सकते हैं। आप इस संबंध में जो भी परामर्श देंगे उसी ढंग से आगे बढ़ा जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: इसके लिए अतिरिक्त ग्रांट नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष: इन्ट्रोडक्शन हो गया, अब कन्सीडरेशन स्टेज है।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1978

श्री भंवरलाल शर्मा: मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा: मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1978 को....

श्री अध्यक्ष : यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहे तो मैं अनुमति देने को तैयार हूं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता: यह प्रो-वाइस चांसलर का पद इस एक्ट द्वारा क्रियेट किया जा रहा है क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी का कार्य भार बढ़ गया है। मैं समझता हूं कि यह पद क्रियेट करने से समस्या का हल नहीं होगा। यह ऐसा है जैसे to put the cart before the horse.. पिछले दिनों तीनो वाइस चांसलर्स ने अपना स्टेटमेंट जारी किया है कि कार्य भार इतना बढ़ चुका है कि वे उठा नहीं सकते, इसलिए अन्य यूनिवर्सिटी का निर्माण भी किया जाए। श्रीमाली कमेटी बिठाई थी उसकी भी यही राय है और कोठारी कमीशन की भी

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

राय है। 8-9 कालेजों को मिलाकर जगह-जगह क्लस्टर टाइप यूनिवर्सिटीज बनाई जाए। आज 90 हजार विद्यार्थी राजस्थान विश्वविद्यालय से एफिलियेटेड हैं और उसका परिणाम है कि 6 महीने व्यतीत होने के बाद में लॉ परीक्षाओं के परिणाम अब आउट हो रहे हैं। जहां हम 6 महीने पीछे हैं, परीक्षाएं समय पर नहीं होती, न विद्यार्थियों पर वाइस चांसलर कन्ट्रोल कर सकता है, जहां उनके सिलेबस के बारे में स्क्रीनिंग नहीं किया जा सकता, जहां राजस्थान विश्वविद्यालय अपने एफिलएटेड कालेजेज का फंक्शनिंग के बारे में प्रापर चेक नहीं कर सकता, वहां यह उचित होगा कि जहां हमारी सरकार ने शिक्षा का इतना बड़ा प्रसार किया वहां बीकानेर शहर में विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाय। ऐसा मुझे बताया गया है 12।। लाख रुपये खर्च करने से वहां विश्वविद्यालय का निर्माण हो सकता है। वहां मेडिकल कालेज है, पोलीटेक्निक है और वेटेरिनरी कालेज है। इनको मिलाकर बिना कोई नई फैकल्टी खोले 12।। लाख रुपये खर्च करके चांसलर, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और बाबुओं के पद क्रियेट करके यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा सकता है। जब जोधपुर विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था तो वहां पर शुरू-शुरू में 10 लाख रुपये खर्च करके विश्वविद्यालय का निर्माण कर दिया गया था और समय की गति के साथ उसका विस्तार हुआ था। मुख्य मंत्री बैठे हुए हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि बीकानेर की जनता को जनता पार्टी से यह आशा है कि बीकानेर में यूनिवर्सिटी खोलेगी। वहां यूनिवर्सिटी खोलने से विद्यार्थी डाक्टोरेट कर सकेंगे। अब यू.जी.सी. ने बंधन लगाया है, नए लेक्चरर्स वहीं होंगे जिनके पास पी०एच०डी० की डिग्री होगी। इसलिए पहले बीकानेर में यूनिवर्सिटी बनायें फिर अजमेर व कोटा में बनाई जाएं तो क्या आपत्ति है? पिलानी इन्सटीट्यूट है, वहां छोटे से एरिया में दो तीन कालेजों को मिलाकर एक यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती है। सरकार का क्या दृष्टिकोण है? जब तीन वाइस चांसलर्स मांग कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी का फंक्शनिंग इतना फैल गया है कि हम कन्ट्रोल नहीं कर सकते तो जयपुर यूनिवर्सिटी को तोड़कर बीकानेर डिवीजन में एक रेजीडेन्सियल-कम-एफिलियेटेड यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाए तो समस्या का समाधान होगा वरना पुलिस की मदद से जयपुर व उदयपुर में विद्यार्थियों का जैसा इनडिसिप्लिन है उसको कन्ट्रोल नहीं किया जा सकता। जब तक विद्यार्थियों और लेक्चरर्स की दूरी कम नहीं होगी, सौहार्द का वातावरण नहीं होगा तब तक छात्रों की समस्या हल नहीं हो सकेगी। प्रो-वाइस चांसलर का पद अच्छाई है। एक्ट बन जाएगा परन्तु अच्छाई इस यह है कि जल्दी से जल्दी बीकानेर में और बाद में कोटा में नई यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाए। जब 10 लाख रुपये का रवीन्द्र आडीटोरियम बना रहे हैं तो इतना ही पैसा खर्च करके बीकानेर में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना रहे हैं?

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : आपको, मुख्यमंत्री जी, याद होगा आंदोलन के समय कोटा व बीकानेर में आपने लम्बे चौड़े भाषण दिये थे। उस समय आपको ख्याल नहीं था?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : याद है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह आपकी जिम्मेवारी है, दुबारा वोट मांगने गए तो विद्यार्थी आपसे पूछेंगे। आंदोलन के मुकदमे चल रहे हैं व आपने उठाए नहीं। जोश में आपने भाषण दिए।

श्री केदारनाथ : सब वापस ले लिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सरदारशहर में नहीं उठाए।

विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री अध्यक्ष : खण्डशः विचार। खण्ड 2 व 3 में कोई संशोधन नहीं है। खण्ड 4 में है। मैं जानना चाहूंगा बोलना चाहेंगे या नहीं? नहीं बोलना चाहें तो खण्ड 2, 3 व 4 से 8 तक सीधे ही लेकर मतदान करा दूं। खण्ड 2 और 3 में संशोधन नहीं है।

क्या सदन की सहमति है खण्ड 2 और 3 पारित किये जावे ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 व तीन पारित किये गये।

खण्ड 4। श्री बंशीलाल ! आप अपने संशोधन प्रस्ताव को वापस लेना चाहते हों तो संकेत करें।

श्री बंशीलाल सारस्वत : अध्यक्ष महोदय, खण्ड 4 में मेरा यह संशोधन प्रस्ताव है।

In section 13 A sought to be substituted replace sub-section (1) by the following :-

(1) The Pro-Vice-Chancellor may be a whole time or part-time officer of the University and shall be appointed by the Chancellor in consultation with the Selection Committee constituted under Rajasthan Universitie's Teachers and Officer (Special Conditions of Service) Act, 1974 and the person be so appointed shall be the one-

(i) who has not attained age of sixty at the initial appointment.

(ii who is qualified to be Professor of the University.

(2) second proviso of sub-section (2) be deleted.

हमारे शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो कुलपति मानसिक रूप से पीड़ित हो और शारीरिक रूप से 2|3 हो ....

एक माननीय सदस्य : कुलपति या उपकुलपति ?

श्री बंशीलाल सारस्वत : उपकुलपति।

वह यह चाहे कि मैं तो बंगले में बैठा रहूं। मेरे पास ऐसा कवच हो जो तमाम लोगों को, आने वाली तमाम गंभीर स्थितियों को झेलता रहे। इसलिए प्रो-वाइस चांसलर की आवश्यकता है। जनता की जो गाढ़ी कमाई खून व पसीने से की गई कमाई ....

श्री मूलचन्द डागा : आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या अच्छी बात है रीदर अनचेरीटेबल।

श्री बंशीलाल सारस्वत : बहुत भार उन पर है, इसलिए उन्हें कवच चाहिए। मेरा यह निवेदन है कि इस सदन में बैठ कर जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को केवल मात्र उनकी स्वीट विल पर स्वीकृत न किया जाय। मैं निवेदन करूं कि जिस व्यक्ति की एक टांग कब्र के अन्दर पड़ी हो वह साथ ही साथ में यह कोशिश करे कि ऐसा ही एक व्यक्ति और ला दो जो मेरे साथ बैठ जाये। मैं उसका हाल पूछता रहूं वह मुझे पूछता रहे। मेरा यह निवेदन है यह यूनिवर्सिटी के हित में नहीं है अभी जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ उस समय माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने कहा कि उपकुलपति के लिए कोई योग्यता प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। उसके लिए कोई उम्र निर्धारित नहीं है। यह बात ठीक है जो कानून बना हुआ है, जो हमारे इन बड़े बड़े योद्धा लोगों ने कानून बनाया है उसमें यह प्रावधान नहीं किया है।

मेरा यह निवेदन है कि आज उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि उम्र निर्धारित होती, यदि वास्तव में योग्यता का आधार होता तो जो हमारे सामने दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों का मुकाबला करने के लिए जो उपकुलपति होता है वह कवच देने के लिये नहीं कहता और सारी परिस्थितियों का, गम्भीर मसलों का मुकाबला करता। हो सकता है आज वे हृदय रोग से पीड़ित हैं, वे सोचते हैं कि मेरे सिवाय इस दुनियां में कोई और नहीं है जो काम चला सके। वह बहुत धन अर्जित कर चुके हैं। अगर वे आनरेरी काम करने को तैयार हों तो कहें कि प्रो वाइस चांसलर की नियुक्ति होनी चाहिये। वाइस चान्सलर पर पैसा खर्च नहीं हो रहा है इसलिये प्रो वाइस चांसलर लगा दीजिये। परन्तु वह स्थिति नहीं है। यह प्रो वाइस चांसलर नियुक्त करवाना चाहते हैं इसकी इस में कोई उम्र निर्धारित नहीं है कि कितने वर्ष की उम्र हो। क्लाज 4 में यह है कि कुलपति महोदय नियुक्त करेंगे और उपकुलपति की मंत्रणा पर नियुक्त करेंगे। अपने से कम क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति को क्यों करेंगे। उपकुलपति यदि हृदय रोग से पीड़ित हैं और रोग से पीड़त है तो वह यह चाहेगा कि मेरे से ज्यादा अनुभव का नहीं होना चाहिये। मैं यह निवेदन कर रहा था कि कम से कम उम्र का उल्लेख इसमें होना चाहिये कि 60 वर्ष की उम्र जो कम्पलीट कर चुका है। उससे अधिक उम्र के व्यक्ति को नियुक्त नहीं करना चाहिये। उम्र का तकाजा होता है। तो एक तो मैंने निवेदन किया है इस धारा में यह संशोधन करना चाहिये, उम्र प्रेस्क्राइब की जानी चाहिये। यह न हो कि काम करने की उनमें क्षमता नहीं हो। दूसरा मेरा यह निवेदन है कि इसमें योग्यता भी निर्धारित की जानी चाहिये। कम से कम प्रोफेसर की योग्यता वाला व्यक्ति तो जरूर होना चाहिये। जब आप लेक्चरर की योग्यता निर्धारित करते हैं, रीडर की योग्यता निर्धारित करते हैं, एमीनेंट पी. एच. डी. है कि नहीं, यह देख लिया जाता है मगर वाइस चांसलर जब आप नियुक्त करते हैं तब आप यह नहीं देखते। आप प्रो वाइस चांसलर नियुक्त करने जा रहे हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? हट्टा कट्टा मजबूत आदमी हो जो कम से कम

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

लड़कों का मुकाबला कर सके, मुसीबतों को ज्यादा अच्छी तरह झेल सके ···

श्री मूलचन्द डागा: मुख्य मंत्री चले गये क्या? नेता महोदय सदन से वापिस चले गये। 15 मिनट भी नहीं बैठते सदन में।

श्री भंवरलाल शर्मा: आप क्यों परेशान हैं।

श्री मूलचन्द डागा: चमचागिरी क्यों करते हैं? वे चले क्यों गये? उनकी भी जिम्मेदारी है। सदन की उपेक्षा कर रहे हैं।

श्री बन्सीलाल सारस्वत: यह जो नियुक्ति है यह कुलपति महोदय की रिकमन्डेशन के अनुसार नहीं होनी चाहिये अन्यथा विवाद होगा। वह हमेशा कोशिश करेगा कि उसके साथ में रहे। इस बारे में एक बाडी हो जो कुलपति महोदय को सुझाव दे। जो प्रोफेसरों और प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिये पहले से बॉडी है. वह बॉडी होनी चाहिये। उसकी जो सिफारिश हो वह मानी जानी चाहिये। वह बताये कौन व्यक्ति योग्य है, कौन व्यक्ति योग्य नहीं है यह मेरा निवेदन है। तीन महत्वपूर्ण मैंने सुझाव दिये हैं······

श्री स्योपतसिंह मकासर: वजन वाला जरूर रखें। क्वालिफिकेशन कुछ भी प्रेस्क्राइब करें, विवटल का जरूर होना चाहिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मन्त्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो संशोधन दिया है उसके बारे में मेरा इतना ही निवेदन करना है कि जब प्रो-वाइस चांसलर का अपाइन्टमेंट हो तो वाइस चांसलर के बजाय कमेटी से राय न ली जाय। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह कोई विधान सभा नहीं है कि एक तो विरोधी दल हो और दूसरा सत्ता दल हो। वाइस चांसलर के साथ इसलिए लगा रहे हैं कि उसकी मदद करे, एक टीम के साथ काम करे। दोनों में अन्तर है। इसलिए यह आवश्यक है और इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

जो अधिकार दिये हैं वे चांसलर के द्वारा दिये गये हैं, जो कि गवर्नर महोदय होते है। वह इतनी बड़ी हस्ती है। आप समझते हैं कि चाहे जिसको वे अपाइन्ट कर देंगे।

(व्यवधान)

श्री मूलचंद डागा: जो रिटायर्ड जज थे उनको आपने वाइस चांसलर बना दिया। यह तो आपने बंटाढार कर दिया था। हमको पापों का फल भुगतना पड़ रहा है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता: राज्यपाल महोदय सरकार के इशारे पर काम करते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा: यह जो प्रो-वाइस चांसलर होगा यह उनके द्वारा होगा। दूसरा आपका संशोधन है वह यह है कि सैकिण्ड प्रोविजो सब सेक्शन (2) है उसको डिलीट किया जाय।

"Provided further that notwithstanding the expiry of his term, the Pro-Vice-Chancellor shall continue to hold his office until his successor is appointed and enters upon his office."

(श्री भंवरलाल शर्मा)

इसको डिलीट करने के लिये सुझाव दिया है। यदि किसी प्रो-वाइस चांसलर को पद से मुक्ति चाहिए तो दो महीने के बाद मुक्त समझा जायगा। अगर मान लीजिये यह व्यवस्था कर दी जाय कि इस्तीफा दे और चला जाय तो वह चार्ज किसको सम्भलायेगा। इसलिए यह व्यवस्था की गई है कि जब तक व्यवस्था न हो तब तक रहेगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इसलिये रखा है कि वाइस चांसलर बीमार हो गया तो ....

श्री भंवरलाल शर्मा : बीमार हो जाय, इसलिए ही नहीं रखा है केवल। इसलिये रखा है कि काम में असिस्ट करे। प्रो-वाइस चांसलर के लिये यह व्यवस्था की है कि जब तक दूसरा व्यक्ति आकर चार्ज नहीं ले ले, वह व्यक्ति बिना किसी को चार्ज सम्भलाये नहीं जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : जो संशोधन दिया है, उसे आप स्वीकार करते हैं क्या ?

प्रश्न यह है कि खण्ड 4........

श्री मूलचंद डागा : वापस लेने को तो कहें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य वापस लेना चाहे तो प्रश्न रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।

श्री बंशीलाल सारस्वत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आशा तो यह थी कि इसे माननीय मन्त्री जी स्वीकार करेंगे, क्योंकि यह संशोधन काफी वजनी है। अब नहीं स्वीकार करते हैं तो मैं वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 4 से खण्ड 8 तक .... ..

श्री मूलचंद डागा : सदन से वापस लेने की अनुमति तो लें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य बंशीलाल जी ने जो संशोधन प्रस्ताव पेश किया है, उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

वापीस लेने की अनुमति दी गई।

श्री बंशीलाल सारस्वत : मैं संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 4 पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 4 पारित किया गया।

खण्ड 5, 6, 7, 8 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 से 8 तक पारित किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 5 से खण्ड 8 तक पारित किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम, प्रस्तावना आदि पारित किये जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, प्रस्तावना आदि पारित किये गये।

विधेयक को पारित करने के लिये मंत्री महोदय प्रस्ताव रखेंगे।

विधेयक का पारण

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मन्त्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन विधेयक, 1978 पारित किया जाय।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे एक पाइन्ट अर्ज करना है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान थर्ड स्टेज पर इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री जी ने और जितने भी मंत्री गण ने इस डिबेट में पार्ट लिया उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी का काम बहुत बढ़ा है और प्रो-वाइस चांसलर की पोस्ट क्रियेट करना बड़ा आवश्यक है और इसके बिना काम नहीं चल सकता है, यूनिवर्सिटी डूब जायगी। मैं समझता हूं आपने 13 ए में लिखा है:

"The Pro Vice-Chancellor may be a whole-time or part-time officer of the University ...."

आपने यही तो कहा है : खोदा पहाड़ और निकला चूहा इस पोस्ट का जस्टीफिकेशन नहीं है। पोस्ट भरी जाती है तो क्या पार्ट टाइम भरी जाती है? आज तक कोई ऐसा पद अगर है तो बता दीजिये। आपने यह दलीलें दी हैं, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और एग्जामिनिंग बाडी है और आखिर में जाकर खुद ने कह दिया "The Pro-Vice-Chancellor may be a whole-time or part-time officer of the University......"

यह कौन डिसाइड करेगा? इस एक्ट में आपने यही कहा है, पार्ट टाइम हो या होल टाइम....

(व्यवधान)

मेरी भी सुन लीजिये। (व्यवधान)

इसमें लिखा है, 13 (ए) में "The Pro Vice-Chancellor may be a whole-time or part-time officer of the University and shall be appointed by the Chancellor in consultation with the Vice Chancellor."

कन्सल्टेशन करेंगे मगर यह फैसला कौन करेगा कि यह प्रो-वाइस चान्सलर पार्ट टाइम हो या होल टाइम? मैं हमेशा सदन में यह कहता रहा हूं हरिड लेजिस्लेशन जो कराये जाते हैं वह मत करिये। अभी उदाहरण मौजूद है पहली दफा राजस्थान की हिस्ट्री में बिल लौट कर आया है जिसमें कहा गया है कि री-कन्सीडर करें। हम सबको मुंह की खानी पड़ी। मेरा यह निवेदन है कि इस बिल पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी प्रदम मौजूदगी में ट्रेजरी बैन्चेज ने यह तूफान उठा दिया कि अगर प्रो-वाइस चान्सलर अपाइन्ट नहीं किया तो यूनिवर्सिटी भंग हो जायगी। फिर यह आखिर में लिखा है, पार्ट टाइम हो या होल टाइम। आप खुद ही नहीं समझते हैं तो फैसला कौन करेगा? अपाइन्टमेंट करेगा चांसलर in consultation with the Vice-Chancellor. But who will decide whether it should be full-time or part-time? यही आपकी सीरियसनेस है।

दूसरा मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि कि रात के बारह बजने में थोड़ा ही टाइम बाकी है, मैं बारह बजा दूंगा बोलते बोलते। मेरा निवेदन है कि अब यह तो हो सकता है कि लेजिस्लेचर की अथोरिटी है. आपने पावर डेलीगेट कर दी कि अपोइन्टमेंट कर दो, लेकिन प्रोवाइस चांसलर की क्वालिफिकेशन

(श्री मथुरादास माथुर)

क्या होगी ? श्राप किसी भी श्रधिकारी को श्रपोइन्ट करते हो, किसी हाई कोर्ट के जज को श्रपाइन्ट करते हो तो क्वालिफिकेशन वगैरह रखते हो, उसका दस साल का एक्सपीरियंस हो, इतनी प्रेक्टिस हो हाई कोर्ट की। इसमें भी यह रखें कि कम से कम दस साल प्रोफेसर रहा हो, या कम से कम किसी प्रकार की डिग्री हो, कालेज के प्रिंसिपल का पांच साल तक का एक्सपीरियेंस हो, या एजूकेशनिस्ट हो, किसी में रिसर्च की हो। कम से कम क्वालिफिकेशन तो प्रेस्क्राइब कर दो After all, Vice Chancellors are institutions which need guidauce from the legislators हमने उनको अधिकार दिया है लेकिन मुकर्रर किसे करेंगे, इस सम्बन्ध में हमारा दिमाग तो साफ होना चाहिए। उसकी क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब नहीं करना चाहते। श्रनसाउण्ड माइण्ड के किसी भी व्यक्ति को बुला कर प्रो-वाइस चांसलर श्रपाइन्ट कर दिया तो क्या हालत होगी ? हमेशा हुश्रा है, होता रहा है कि कोई भी सिफारिशी श्रा गया श्रौर टिक गया। मेरे कहने का मतलब है कि फिजिकल फिटनेस तो होनी चाहिए। उसके बाद पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो किस को करोगे ? कोई भी स्टिक लेकर लान में घूम कर चला जायगा श्रौर दो हजार रुपये तनख्वाह ले जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इस बिल के अन्दर गवर्नमेंट की सीरियसनेस कतई मालूम नहीं होती है। हरिडली काम करोगे तो ऐसा ही करोगे। कोई क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब नहीं की। मेरा निवेदन है कि श्राप हरिडली लेजिस्लेशन मत कीजिए श्रौर गंभीरता से सोचिये। स्पीकर की रूलिंग हो गई कि फाईनेंसियल मेमोरेंडम की आवश्यकता नहीं है लेकिन मैं कहता हूं कि जल्दी क्या है ? कल परसों फिर पास करवा लो, गौर से फिर देख लो।

श्री मूलचंद डागा : श्रीमान, यह बहुत बड़ा सवाल है। लेजिस्लेशन पास हो जाने के बाद इसका निर्णय होता है कि लेजिस्लेशन कैसा है। यह दुनिया निर्णय करती है कि किस प्रकार के विधायक थे जिन्होंने ऐसा बिल पास किया है। यह सवाल छोटा नहीं है। श्राप भी श्रच्छे वकील रहे हुए हैं, श्राप भी बड़े एक्सपीरियेंस्ड वकील हैं, श्राप जानते हैं, इस प्रकार का लेजिस्लेशन बनने के बाद हमको तकलीफ देता है......

श्री श्योपतसिंह मक्सर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें खाने की छुट्टी दे दी जाय तो हम भोजन करके वापस श्रा जायं।

श्री मूलचंद डागा : यह तो करना पड़ेगा।

श्री गुलमोहम्मद : यह छुट्टी की क्या श्रावश्यकता पड़ गई, श्राप तो वैसे ही जा सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : जवाबदारी होती है।

श्री मूलचंद डागा: "The recent indisposition of the Vice Chancellor.... "

बात रिकार्ड तो हो जाएगी कि हमने तो कह दिया था, हमारी आवाज नहीं सुनी गई।

श्री केदारनाथ : वकालात तो बहुत की लेकिन कभी जीते नहीं।

श्री मूलचंद डागा : मुख्य मंत्री चले गए और भाटा पकड़ा गए।

"The recent indisposition of the Vice-Chancellor also added a dimension to this problem and necessitated an immediate action."

मैने बिल को पढा कि इसके ओब्जेक्ट्स क्या हैं। हमारे जो वाइस चांसलर है वे अभी अस्वस्थ हैं...

श्री रघुनन्दन व्यास : मरने वाले हैं।

श्री मूलचंद डागा : मरने वाले मैंने नहीं कहा।

श्री उगमराज मेहता : रिपीटिशन है।

श्री मूलचंद डागा : इनको बड़ी तकलीफ हुई कि रिपीटिशन होता है।

आप बेकार आदमियों को काम में लगायें। हिन्दुस्तान में बेकार बहुत हैं। आज भी सात करोड़ पढ़े लिखे बेकार हैं। जिनकी काम करने की क्षमता हो उनको लगायें लेकिन आप तो पालिटिकल प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। प्रोटेक्शन देने के लिए आप अपने आदमियों को लाना चाहते हैं।

श्री उगमराज मेहता : Don't repeat.

श्री मूलचंद डागा : We will repeat hundred times. We have a right to repeat.

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इनको गुस्सा क्यों आ रहा है ?

श्री मूलचंद डागा : यह इन डिस्पोजीशन लिखने की क्या बात है। मैंने कहा कि प्रो-वाइस चांसलर कौन होगा, तो पहले प्रोफेसर केदार हमारे श्रम मंत्री बोले, फिर एक मंत्री और बोले, दूसरे मंत्री बोले, अब सूर्यनारायण जी बोले। चार मंत्रियों की फौज पैदा हुई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा था कि हम प्रो-वाइस चांसलर को इसलिए रखना चाहते हैं कि काम बहुत बढ़ गया है। क्या काम बढ़ गया ? हमने बार बार पूछा था तो भी उन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि क्या काम बढ़ गया है। यह कहा कि वैलफेयर आफ स्टूडेंट्स का काम है तो हम हंसने लगे। फिर कहा क्लेरीकल स्टाफ अपोइन्ट करना है, तो हम फिर हंसने लगे। बात की गहराई कुछ भी नहीं। कुछ भी सीरियसनेस नहीं है। आखिर में हमारे माननीय नेता ने कहा कि होल टाइम और पार्ट टाइम क्यों रखा है ? इससे सारा बंटाढार हो गया। जो महल बनाया था वह ढह गया।

(व्यवधान)

दिमाग बिल्कुल खाली है, कौन आदमी आएगा यह पता नहीं है। जनता पार्टी की सरकार की कमजोरियों पर एक चपत तो आज सुबह ही लगी है, गवर्नर ने बिल वापस लौटा दिया है। आज सुबह ही आपकी गर्दन नीची हुई है कि आप ऐसा लेजिस्लेशन पास करते हैं। अब तो कुछ शर्म खाओ।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : इसकी सजा तो मिल गई। पहले वाले ला मिनिस्टर को इसीलिए हटाया है।

श्री मूलचन्द डागा: आपने पहले ही फालतू का एक बिल पास कर दिया अब फिर प्रो-वाइस चांसलर कैसा हो इसका इस बिल के अन्दर विचार नहीं किया गया है। यही कारण है कि जो वहां के टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं उनमें अशांति पैदा होती है। हम यह कहते हैं कि जो लोग टीचर्स और प्रोफेसर्स हैं, कालेज के लेक्चरर हैं, उनमें इस प्रकार की अशांति और असंतोष क्यों है ? वे कहते हैं कि हम लोगों ने अपनी जिन्दगी इसमें दी है, हमने अध्ययन किया है, हमने डिग्री हासिल की है, लेकिन हमारे ऊपर वह आता है जो कुछ भी नहीं जानता। शिक्षा मंत्री कौन ? जिसने कभी किताब का अध्ययन नहीं किया। हिन्दी की एक लाइन नहीं लिख सकता है, वह शिक्षा शास्त्री। प्रो-वाइस चांसलर और वाइस चांसलर कौन हो, हमारी जनता पार्टी की सरकार ने उनकी कोई क्वालिफिकेशन, उनकी कोई विशेषता एक्ट में नहीं रखी है। ये कौन है दयाराम.....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय डागाजी, आप बहुत लम्बा कर रहे हैं। जल्दी समाप्त करें।

श्री मूलचन्द डागा: आपको बहुत जल्दी है लेकिन हम तो डिस्कस करेंगे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। आप कह रहे हैं कि हम रिपीट करेंगे और लम्बी चर्चा करेंगे तो इस तरह से सदन का समय खराब नहीं कर सकते। रेलेवेंट चर्चा कर सकते हैं। इस तरह से सारे सदन का समय बरबाद नहीं कर सकते हैं। इन पर काबू करना पड़ेगा।

श्री मूलचन्द डागा: मैं लम्बी चर्चा नहीं कर रहा हूं। अगर ये शांत रहेंगे तो दो मिनट में कह दूंगा। यह कौन हैं दयाराम जिनके लिए आर्डिनेंस लाये हैं.....

(व्यवधान)

श्री अयूब खां: आयाराम गयाराम तो हरियाणा में थे, उनका राजस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप चर्चा तो सीरियसली करें।

श्री मूलचंद डागा : हमारे शिक्षा मंत्री जी जवाब देते समय यह बतावें. आप जिस को प्रो-वाइस चांसलर बना रहे हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या हैं ? उसकी क्या योग्यता आपने रखी है ? उसका क्या क्राइटेरिया हैं ? अगर यह क्राइटेरिया इवोल्व नहीं किया है तो हम न्याय नहीं कर पायेंगे। यह बिल अच्छा नहीं रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष, यह जो माननीय डागाजी ने आर्गुमेंट दिया है, प्रारम्भ में भी वही कहा और फिर वही कहा।

श्री मूलचंद डागा : आप गलत कह रहे हैं।

I have not repeated this argument. You can read the proceedings. You cannot say wrong things. I have never repeated things.

श्री केदारनाथ : जो एब्सेन्ट माइन्ड हो उसको क्या जवाब दिया जाए।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं यह निवेदन कर रहा था कि दुबारा जो डिबेट हुई है उसमें कोई नई बात नहीं कही गयी है। आपकी एक यह प्राब्लम थी कि कौन यह तय करेगा कि पार्ट टाइम हो या फुल टाइम ...

(3) "The emoluments and other conditions of service of the Pro-Vice-Chancellor shall be such as may be prescribed by the Statutes."

श्री मथुरादास माथुर : Conditions of Service is a different matter. They do not cover the 'full-time' or 'part-time'.

श्री भंवरलाल शर्मा : It covers all these things.

श्री मथुरादास माथुर : पार्ट टाइम या फुल टाइम जो अपाइन्टमेंट आप करेंगे, तो पार्ट टाइम की क्या कन्डीशन होगी। Conditions of service is quite a different matter from the character of service.

श्री भंवरलाल शर्मा : जो अपाइन्टमेंट करेगा वही तय करेगा।

श्री मथुरादास माथुर : आपने किसी को आथोरिटी नहीं दी है। कौन तो अपाइन्टिग आथोरिटी होगा।

Appointing authority is the Chancellor, in consultation with the Vice-Chancellor, but the authority to decide whether it should be part-time or full-time does not vest in him.

श्री भंवरलाल शर्मा : It is with Chancellor,

श्री मथुरादास माथुर : No. The appointment of the man is with the Chancellor, in consultation with the Vice-Chancellor, but the character of the post, whether it should be full-time or part-time, is not in the scheme in the Act.

श्री भंवरलाल शर्मा : It is with the Chancellor.

श्री मथुरादास माथुर : एक्ट में, बिल में जो लैंग्वेज है उसको देख लीजिए। उसमें नहीं है। मेरे घर की बात नहीं है। Who will determine whether it should be a full-time or part-time for Vice-Chancellor. It is not given in the Act.

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह बेसिक चीज है। माथुर साहब आप जैसे पारंगत सदस्य को तो यह मालूम होना चाहिए। जो अपाइन्टिग आथोरिटी है जिस व्यक्ति को वह अपाइन्ट करेगी, वही उसकी टर्म्स एण्ड कन्डीशन तय करेगी, उसको पार्ट टाइम या फुल टाइम लगाना है।

श्री मथुरादास माथुर : मेरी बात को सुनिए। आप भी बहुत अक्ल वाले हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर वाइस चांसलर बैठा हुआ है। वह कैसे डिटरमिन करेगा कि फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो। उसकी क्या कन्डीशन होंगी, वह एक्ट में आना चाहिए। पब्लिक सर्विस कमीशन सलेक्शन करता है। उसमें क्वालि-

(श्री मथुरादास माथुर)

फिकेशन प्रेस्क्राइब्ड होती है। पार्ट टाइम लिया जाएगा तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी ? क्या इसको एडवर्टाइज किया जाएगा ? पार्ट टाइम लेने के लिए कौन डिटरमिन करेगा। पहले डिटरमिन करेंगे उसके बाद ही आप एडवर्टाइज करेंगे। फुल टाइम की नेसेसिटी है और सरकम्सटान्सेज उस वक्त यूनिवर्सिटी के अन्दर पार्ट टाइम की है या फुल टाइम की हैं—यह वाइस चांसलर कैसे तय करेगा ? Appointment of the man will be done by the Chancellor in consultation with the Vice-Chancellor, but the character of the post will be decided by whom ? करेक्टर आफ पोस्ट पार्ट टाइम या फुल टाइम हो, इसको डिटरमिन कौन करेगा ? यह एक्ट इस पर साइलेन्ट है।

श्री भंवरलाल शर्मा : जो भी रिकमन्डेशन होगी वह चांसलर की होगी।

श्री मथुरादास माथुर : Recommendation or consultation ? There is difference between recommendation and consultation.

श्री सूर्यनारायण चौधरी : For practical purposes things are like this. जैसे कई चीजों के प्रपोजल जाते है, वैसे इसका भी प्रपोजल जाएगा। That is known as consultation.

श्री मथुरादास माथुर : यह इस कानून की मंशा नहीं है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अपाइंटिंग आथोरिटी की है।

श्री मथुरादास माथुर : ये डिपार्टमेन्ट के प्रपोजल्स नहीं है। They would have to advertise "in consultation with the Vice-Chancellor" means they will sit together and decide.

श्री सूर्यनारायण चौधरी : Is there any provision for advertisement ?

श्री मथुरादास माथुर : Otherwise it will not be a fair appointment.

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह इश्यू जो आप उठा रहे है यह दूसरा है। वाइस-चांसलर का अपाइन्टमेन्ट चांसलर करता है।

श्री मथुरादास माथुर : चांसलर नहीं करता है। इसके लिए एक कमेटी है वह पैनल बनाती है। एक प्रोसीजर ले डाउन कर रखा है। आप भी ऐसा कोई प्रोसीजर ले डाउन करिये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यही प्रोसीजर है।

श्री मथुरादास माथुर : ".. shall be appointed by the Chancellor in consultation with the Vice-Chancellor."

That means they will consult each other, scrutinise the applications and all that.

श्री सूर्यनारायण चौधरी : If there are applications.

श्री मथुरादास माथुर : Applications will be there.

इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इसके अन्दर यदि आप यह चाहते हैं....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : For such high posts applications are not invited. These are posts which are not advertised.

श्री मथुरादास माथुर : एडवर्टाइजमेन्ट कई तरह का होता हैं। अखबार में भी निकालते हैं। चार पांच आदमियों को चिट्ठी लिख देते हैं। वाइस चांसलर कोई कमेटी बना दे। वह कोई पैनल देगा...

श्री सूर्यनारायण चौधरी : हाई कोर्ट के जजेज का भी अपाइन्टमेन्ट होता है, उसके लिए कोई विज्ञापन नहीं निकाला जाता है।

श्री मथुरादास माथुर : वह डिफरेन्ट थिंग है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : These posts are not advertised. "The President shall appoint, in consultation with the Chief Justice of India... ..." These are the words.

श्री मथुरादास माथुर । आप-एडवर्टाइजमेन्ट राजस्थान पत्रिका में निकालें, यह नहीं है। एडवर्टाइजमेन्ट का मतलब यह है there must be some source to know. मुझे यह बताएंगे आप प्रो-वाइस चांसलर मुकर्रर कर रहे हैं। चांसलर के पास वाइस चांसलर तीन चार आदमियों के नाम लेकर जाएं। तो ये चार-पांच नाम कहां से आएंगे ? क्या उसको अलार्म होगा ऊपर से ?

श्री उपाध्यक्ष : आप स्वयं काम्पलीकेशन में जा रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : जैसे वाइस चांसलर को चांसलर नियुक्त करेगा। मेरा आब्जेक्शन केवल यह है कि पार्ट टाइम, होल टाइम तय करने का काम है, वह आपने इस बिल में नहीं रखा है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : It is implied.

श्री मथुरादास माथुर : मेरा काम तो मंत्री महोदय की जो कमी है वह पाइन्ट आउट करना है। फिर आपको जो कुछ करना है वह करें।

Nothing is implied in law.

(व्यवधान)

सुनिये आप। लेंग्वेज लिखी है वह यह लिखी है।

"The Pro-Vice-Chancellor may be a whole-time or part-time officer of the University and shall be appointed by the Chancellor in consultation with the Vice Chancellor"

(व्यवधान)

मेरी बात भी सुनिये।

(श्री मथुरादास माथुर)

मेरा कहना यह है कि इतनी इंपोर्टेन्स दी है इस चीज को, आर्डिनेन्स लाये हैं, दुनियां भर की बात कही हैं और अल्टीमेटली पार्ट टाइम कर दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि पार्ट टाइम से आप फुल टाइम कर दीजिये ताकि रीजनेबल चीज तो बने। फिर पार्ट टाइम का मतलब क्या है? एक घंटे काम करते हैं तो पार्ट-टाइम और तीन घण्टे काम करते हैं तो भी पार्ट टाइम।

तो मेरा कहने का मतलब यह है कि Appointment of individual you have left in the hands of the Chancellor and Vice Chancellor, but the character of the post, whether it would be part-time or full-time, you have not left in the hands of Chancellor & Vice-Chacellor. आपने जैसे अर्दली घर में मुकर्रर कर रखे है कि भाई सुबह को आयें, शाम को आयें।

श्री केदारनाथ : वाइस चांसलर को कौन असिस्ट कर सकता है इसलिये ....

श्री मथुरा दास माथुर : लेकिन लेजिस्लेशन की मंशा क्या है? If you bring a legislation, you should consider all aspects of it. Legislation cannot be vague. What is the intention of the legislation? यह नहीं कि मर्जी आये पार्ट टाइम ले लो, फुल टाइम ले लो।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : कुछ चीज मर्जी पर भी होती है।

श्री उपाध्यक्ष : You have told enough.

प्रश्न यह है कि क्या राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1978 पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान वक्फ (परिसीमा वृद्धि) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1978

श्री उपाध्यक्ष : श्री महबूब अली।

श्री महबूब अली (राज्य मंत्री वक्फ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा वृद्धि) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जो रीजन आपने दिये हैं उनमें लिखा है कि सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा वृद्धि) अधिनियम, 1959 (केन्द्रीय अधिनियम 29 सन् 1959) द्वारा वक्फ सम्पत्तियों की वसूली के लिये वाद दाखिल करने हेतु विहित परिसीमा की अवधि 31 दिसम्बर, 1970 को समाप्त हो गई है।

"The Central Ministry incharge of Wakfs informed the Chairman of State Wakfs Boards that as it is not possi-

(श्री मूलचन्द डागा)

ble for the Government of India to move for furthur extension of the limitation period under the said Act" यह ग्राप मुझे बता दें ग्रापको केन्द्रीय सरकार ने कब लिखा ? ग्रापको केन्द्रीय मंत्रालय ने लिखा उसके बाद ग्राप ग्रब लेजिस्लेशन लेकर आये हैं। ग्रापने रीजन्स लिखे हैं उसमें बताया है कि केन्द्रीय मंत्रालय को लिखा है। तो क्या केन्द्रीय ने 1970 मंत्रालय में ग्रापको लिखा था ? 1970 में लिखने के बाद ग्राप ग्रब यहां पर यह लेजिस्लेशन लेकर ग्राये हैं ? ग्रब आप यह चाहते हैं कि परिसीमा काल में 31 सितम्बर, 1978 तक की वृद्धि की जाय। मैं पूछना चाहता हूं कि 31 दिसम्बर, 1970 के बाद कितने केस फाइल कर दिये, कितने पेंडिंग हैं, जिनमें डिसीजन बाकी है ग्रौर कितनों में डिसीजन हो चुके हैं ग्रौर कितने केसेज फाईल करने हैं ?

(व्यवधान)

समय मांगता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, ग्राप कह दें तो I allow ग्राप हमें बताइये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : क्या ग्रापको घर पर काम नहीं है ? क्या नींद नहीं ग्राती ?

श्री मूलचन्द डागा : इतने दिनों तक तो मौन रहे। ग्रब ग्राप बिल्कुल टाईम पर ले ग्राये।

श्री महबूब ग्रली : उपाध्यक्ष महोदय, इस ग्रमेन्डमेन्ट को लाने की ग्रावश्यकता इसलिये पड़ी कि वक्फ प्रोपर्टी के ऊपर जो दूसरों के कब्जे हैं उनके खिलाफ मुकदमे करके वह वापस लेनी है। उन प्रापर्टीज को खाली करवाने के लिये ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री): यही डागा जी चाहते है।

श्री मूलचन्द डागा : कब ?

श्री महबूब ग्रली : वक्फ बोर्ड ग्रदालतों में उस परिसीमा में पेश नहीं कर सका। उनको ग्रदालतों में पेश करने के लिये परिसीमा में वृद्धि करना ग्रावश्यक है। यह सेंट्रल एक्ट है एक्टेंशन ग्राफ लिमिटेशन की उनको पावर है कि वह लेजिस्लेशन लेजिस्लेट करे। बोर्ड ने यह पास कर दिया था 78 में ग्रौर सेन्टर से सूचना मांगी थी। चूंकि समय कम रहा इसलिये इस सत्र के ग्रन्दर पेश किया है।

श्री मूलचन्द डागा : ग्रापको कब यह मालूम हुग्रा कि हमको एक्सटेंशन ग्राफ लिमिटेशन के लिये ग्रमेंडमेंट लाना है ? ग्रापको कब ....

श्री महबूब ग्रली : 1978 तक समय हो गया था।

श्री मूलचन्द डागा : आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इसको फोर्स में लाएंगे।

श्री महबूब ग्रली : हां।

श्री मूलचंद डागा : कितने केसेज पेंडिंग ग्रापको लेने हैं।

श्री गुल मोहम्मद : 71 से चुप बैठे हुए थे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप उलझ गये, डागा साहब

(व्यवधान)

श्री महबूब अली : अब तक 353 केसेज फाइल कर दिये गये हैं और 1000 नये केसेज फाइल करने हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वक्फ प्रापर्टी पर कितने लोगों ने कब्जा कर लिया कोई कानून ऐसा नहीं है वक्फ प्रापर्टी उनसे छुड़वाई जाय। आपको और आपकी पार्टी को सहयोग के लिए धन्यवाद।

श्री मथुरादास माथुर : आप टाईम एक्सटेन्ड करवाइये। मैं तो एक पाइन्ट सामने लाना चाहता हूं। क्या आपके लॉ डिपार्टमेंट ने इसको एग्जामिन कर लिया है? 3 वकील बैठे है यहां माननीय भैरोंसिंह जी को छोड़ कर ... ..

श्री भैरोंसिंह शेखावत: आपके जितना तो मैं भी समझता हूं।

श्री मथुरादास माथुर:मैं नहीं समझता You have said, 'It shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1971.

मगर इन 7 वर्षों में जितने लोगों का राइट हो गया है केवल उनके राइट को छीन सकते हैं क्या केबिनेट में आपके काफी वकील है। सुराणा जी और हमारे जोधपुर से आये माननीय सदस्य हैं, 4 मिनिस्टर हैं। 71 या 72 में कब्जा हो गया था अब आप क्या वापिस राइट छीन सकते हैं? Can you take my rights retrospectively which have accrued to me. गवर्नमेंट ले ले वह बात दूसरी है। इस पाइंट को क्या आपने एक्जामिन करा लिया है? If you are satisfied, then I have nothing to say. But if you want to examine it, please examine it.

श्री सूर्यनारायण चौधरी : लॉ आफ लिमिटेशन के सम्बन्ध में आपने कहा कि रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं हो सकता Law of limitation is a very vigorous law. इसमें जिस तरीके से इनेक्टमेंट करेंगे चाहे डेट मुकर्रर कर दें, it is not challengeable in any court of law

श्री मथुरादास माथुर : एडवर्स पजेशन में मुझे राइट हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : Even the rights got under adverse possession can be taken by legislation.

श्री मूलचन्द डागा: बिल्कुल एप्लीकेशन होगा। यह वक्फ का मामला है।

श्री महबूब अली : लॉ डिपार्टमेंट से पूछ लिया है और दूसरी स्टेट्स में भी इस तरह का है। हाई कोर्ट ने अभी तक इसको स्ट्रक डाउन नहीं किया हैं। लिमिटेशन प्रासीजरल लॉ है, उसमें रिट्रास्पेक्टिवली किया जा सकता हैं उसके अन्दर राइट्स किसी को एक्रू होंगे तो भी इन्डिविजुअल केसेज में दावे चलेंगे। इन्डिविजुअल केसेज में वह एक्जामिन होगा तो उसका डिसीजन

(श्री महबूब अली)

हो जायगा। लेकिन जिन केसेज के अन्दर डिस्प्यूट नहीं है उनके अन्दर तो चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मुख्य मन्त्री जी, एक बात मैं जरूर जानना चाहता हूं कि 1970 तो काफी समय से एक्सपयार हो गया। क्या आपके वक्फ डिपार्टमेंट ने इसको प्रेस नहीं किया है कि लिमिटेशन और एक्सटेण्ड की जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रेस किया गया या नहीं, मुकद्दमे किये गये या नही यह तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं यह जानता हूं कि वक्फ की प्रापर्टी पर लोगों ने काफी समय से नाजायज कब्जा कर रखा है। वक्फ बोर्ड इसके लिए कई दिनों से रिप्रेजेन्टेशन करता रहा है पिछली सरकार के समय से ही। भगवान जाने क्यों उन्होंने नहीं सुना ? लिमिटेशन बढाने की आवश्यकता उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं महसूस की ? हमने इस की आवश्यकता को महसूस किया। इसी लिए यह संशोधन विधेयक लाये हैं। आप किस की आड़ में बोल रहे है एडवर्स पजेशन की बात लेकर ...

श्री मूलचन्द डागा : यह कन्टीन्यू करेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: डागाजी, मुझे लगता है कि किसी के इशारे पर यह कानून पास नहीं किया।

श्री मथुरादास माथुर : न तो पहले इशारा था और न अब हैं। आपने कारनामे किये हुए होंगे इसलिए सर पर चढ़ कर बोल रहा है खून।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: पाप सर पर चढ़ कर बोल रहा है।

एक माननीय सदस्य: भूतपूर्व सरकार क्यों सोती रही ?

श्री मूलचन्द डागा: 15 महीने से आप क्यों सोते रहे ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा वृद्धि) राजस्थान संशोधन विधेयक 1978 को विचारार्थ लिया जाय।

स्वीकृत

विधेयक विचारार्थ लिया गया

श्री महबूब अली: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा वृद्धि) (राजस्थान संशोधन) वधेयक, 1978 को पारित किया जाय।

विधेयक पर खण्डशः विचार:

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, आपने अमेंडमेंट मूव किया है तो पहले अमेंटमेंट प्रस्तुत करें।

श्री महबूब अली: उपाध्यक्ष महोदय, इसको पारित करने से पहले मैं इसमें एक संशोधन पेश करता हूं—"खण्ड (2) में अंक "1978" की जगह अंक 1980 प्रस्थापित किया जाय।"

श्री मथुरादास माथुर : 1980 की जगह 1990 कर लें नहीं तो फिर लाना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह प्रस्तुत कर सकते हैं उसमें आपत्ति नहीं की जा सकती है। अब जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है उस पर सदन की सहमति प्राप्त करना होगी। यह संशोधन है और उसके पहले दूसरा संशोधन प्रस्तुत हुआ है।

Page No 200

(200)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री महोदय ने संशोधन रूप में जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया

माननीय मंत्री महोदय, पारित कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री महबूब अली: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा वृद्धि) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1978 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: पहले इस पर खण्डशः विचार किया जाना चाहिए, यह मैं अनुभव करता हूं कोई इसमें लीगल लेकूना न रहे इसलिए खण्डश विचार करने के लिए आप पहले सदन से निवेदन करें।

श्री मथुरादास माथुर: रिकार्ड में आना चाहिए। यह कोई बनिये की दुकान थोड़े ही है।

श्री उपाध्यक्ष: क्लाज 2 जो है उसको संशोधित रूप में पारित करने की सदन की सहमति चाहिए।

क्या सदन की सहमति है कि इस बिल के क्लाज 2 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लाज 2 संशोधित रूप में पारित किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लाज प्रिएम्बल, नेम शार्ट टाइटल, इनैक्टिंग फार्मूला को इस बिल का अंग रूप स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 1. अधिनियमन सूत्र. नाम, प्रस्तावना आदि पारित किये गये।

अब माननीय मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री महबूब अली: उपाध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं कि सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा वृद्धि) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1978 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: किसी भी माननीय सदस्य को आपत्ति नहीं है इस संबंध में मै सदन से पूछना चाहता हूं। क्या सदन की सहमति है कि इस विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 9 नवम्बर, 1978, के प्रातःकाल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 11.58 पर वृहस्पतिवार दिनांक 9 नवम्बर, 1978, के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या, 267 की प्रवेश प्रणाली)

(क)

Copy of letter No. F. 17 (27) Edu/C/60 dated 10-12-68:- From the Education Department (Cell VII), Government Secretariat, Jaipur to the Director of College Education, Rajasthan, Jaipur and copy to the Asstt Secretary to the Government, Social Welfare Department, Rajasthan, Jaipur.

Sub:- Reservation of seats for students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in General Hostels, run by the Education Deptt.

I am directed to say that the question of reservation of seats for students belonging to Scheduled Castes|Tribes has been examined by the State Government and after due consideration, it has been decided that seats for such students should be reserved in the General Hostels run by the Education department I am accordingly directed to convey sanction of the Government to the reservation of 5% of the total number of seats in the General Hostels for students belonging to Scheduled Castes|Tribes and other Backward classes. These reserved seats may be filled in by other candidates when students belonging to Scheduled Castes etc. do not come in for admission.

(ख)

RAJASTHAN UNIVERSITY

Hostel Admission Rules

1. Admission to Hostels will be on the basis of merit. Students not having special merit and coming from areas where facilities for education already exist will not ordinary be admitted in the Hostels.

(202)

2. Admission to Hostels will be made for one academic session every year and a hosteller will have to vacate the room within three days of his|her last examination in which he/she has appeared.

3. A reservation of 3% seats in the Hostels will be made for candidates belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribes.

4. Candidates who have represented the Nation in Games and Sports/Co-carricular activities at the International level or have represented State in the Inter-State Tournaments (Sr/Jr. School Nationals) at least once in the immediately preceding two years and are desirous of seeking admission to University Hostels may be admitted irrespective of their merit position

5. Re-admissions will be ordinarily made in the case of a hosteller who is yet to complete a course of study, has passed the examination and has not received any discredit in the hostel Institution. In the above rules discredit in respect of an old hosteller will mean the following.

(i) A hosteller whose stay has not been found congenial to the hostel atmosphere.

(ii) A hosteller against whom a disciplinary action has been taken for misbehaviour or any criminal charge is registered or pending during the previous year(s)

(iii) Those who have been habitual defaulters in making payments of Mess/Canteen/hostel dues.

(iv) Those who are irregular in attendance of their class lectures and/or those who fail to show good performance in studies or those who fail to appear at examinations/tests.

3 Failures will not be admitted even though with excellence in Games and Sports.

Note:— Non-appearance in examination for whatsoever reasons of supplementary or compartmental candidates (in optional or compulsory subjects) will be treated as failures. For the purpose of hostel admissions failures in semesters and any other class but who are permitted to go to a higher class can be admitted at the discretion of the Warden. Normally they will not be admitted.

4. For re-admission the applicant must submit the applications through the Dean/Principal/Head of the Department concerned who will forward the same after due scrutiny and verification of attendance, marks and result to the wardens of the respective hostels after these applicants have been granted admission to Studies/Department/College concerned. Applications submitted directly to the Wardens by the applicants will not be entertained.

5. Those applicants who desire to seek re-admission to the hostel after completing the Degree Examination can be considered provided that

(a) They have not resided in any University hostel for 5 years in case of M.A.|M. Sc. degree and 6 years in case of LL.B. degree.

(b) They compete with fresh applicants for admission.

6. (a) Research Scholar can stay in hostel for 3 years including his provisional stay.

(b) No Research Scholar will be allowed to stay in a University hostel beyond three years subject to the condition of 5 years maximum stay in a University hostel if he was in make earlier. If a candidate is not registered he will be allowed to stay provisionally for 3 months during which he would be expected to complete registration formalities,

7. The following categories of applicants will not ordinarily be considered for admission in the hostel.

(a) Those who are residents of Jaipur or possess a house (personal or rented) in Jaipur.

(b) 1. Those who have sought admission to a course running for one year alone. (M.Lib. & B.Lib. students are not covered by this)

2. Those who have obtained two degrees already and sought admission for third degree except for LL.M. Ph. D. etc. subject to rule 5 (a).

(c) Those who are in service.

(d) Those who are enrolled only for foreign languages or course (s) taught in evening classes.

(e) Those against whom either criminal charges are pending or they have been convicted for these charges or if their admission is likely to disturb peace and tranquility of the hostel or if the candidate is likely to indulge in unlawful activities after he is admitted to hostel.

(ग)

जोधपुर एवं उदयपुर विश्वविद्यालयों के छात्रावासों में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों के लिए प्रवेश सम्बन्धी कोई आरक्षण या अनुपात निर्धारित नहीं हैं । सभी छात्रों को छात्रावासों में जगह उपलब्ध होने तक प्रवेश दे दिया जाता है । ऐसे किसी भी छात्र को प्रवेश के लिए मना नहीं किया गया है ।

205

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 270 की सूची)

राजस्थान के जिन जिलों में सूचना केन्द्र हैं उनकी सूची

1 जयपुर

2 अजमेर

3 जोधपुर

4 बीकानेर

5 उदयपुर

6 कोटा

7 अलवर

8 श्री गंगानगर

Page No 206

(206)

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 271 को सूची)

तहसील दांता रामगढ़ जिला सीकर में अविद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्र. सं. 1	ग्राम का नाम 2	कोड नं. 3
1	गुमानपुरा	3
2	गयाना	4
3	मंगरासी	5
4	भीमा	6
5	चीरासरा	7
6	सांगलिया	8
7	राड़की ढाणी	9
8	भुनकावास	10
9	मगतपुरा	11
10	सीशाम	12
11	खानरी	13
12	राजपुरा	14
13	सामी	15
14	भानूरा	17
15	खातीवास	18
16	गोदियावास	19
17	जीलवास	24
18	मांडोली	25
19	पृथ्वीपुरा	45

1	2	3
20	भगतपुरा	47
21	नांगल	48
22	अभयपुरा	49
23	बुच्यासी	106
24	श्रीरामपुरा	107
25	चकगोगावास	110
26	गोगावास	111
27	मोठ्लावास	112
28	पुनयाना	114
29	काकरा	122
30	डासरोली	123
31	राजपुरा	124
32	गुवारड़ी	125
33	चक भारजा–2	126
34	चक भारजा–1	127
35	चक मिथाई	128
36	बरगांव (भुवाना)	129
37	भूरडो का बास	130
38	मेई	131
39	अगानीपुरा	132
40	विजयपुरा	135
41	हरीपुरा	136

(208)

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 15 की सूची)

बिलाड़ा एवं पीपाड़ नगरपालिका क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों की सूची

दिनांक 30-9-1978 की स्थिति

बिलाड़ा नगरपालिका क्षेत्र में राजकीय प्रा. वि. संख्या में चार हैं :-

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	छात्र संख्या	वर्ग	अध्यापक संख्या
1-	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, प्रेमनगरी	79	5	5
2-	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, नाथद्वारा	301	8	8
3-	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, वार्ड नं. 10, बिलाड़ा	62	3	3
4-	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, वार्ड नं. 2, बिलाड़ा	324	9	10

पीपाड़ नगरपालिका क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक विद्यालय संख्या में छः हैं :

क्र.सं	विद्यालय का नाम	छात्र संख्या	वर्ग	अध्यापक संख्या
1-	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जालू खां की ढाणी	94	5	5
2-	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भोमाजी का बेरा	32	5	4
3-	राजकीय प्राथमिक विद्यालय. वार्ड नं. 10, पीपाड़	103	5	5
4-	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, वार्ड नं. 8, पीपाड़	69	5	5
5-	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, वार्ड नं. 12, पीपाड़	95	5	5
6-	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, वार्ड नं. 14, पीपाड़	64	5	5

नोट :—बिलाड़ा नगरपालिका क्षेत्र के क्रम सं. 4 का विद्यालय दो पारी में चलता है। अतः 9 (नौ वर्ग) के आधार पर 9 अध्यापक तथा एक प्रधानाध्यापक दोनों पारियों को सम्हालने हेतु हैं। इस तरह 9 वर्ग के लिए 10 अध्यापक वर्तमान में कार्यरत हैं।

परिशिष्ट-5

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

मदनगंज किशनगढ़ में सार्वजनिक चिकित्सालय की व्यवस्था

272. श्री करतारसिंह (किशनगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में मदनगंज (किशनगढ़) में कोई सार्वजनिक चिकित्सालय नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि यज्ञनारायण अस्पताल मदनगंज से लगभग डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर है ?

(3) क्या यह सही है कि मदनगंज बहुत बड़ी व्यापारिक मण्डी है जिसमें समीपवर्ती ग्रामों के किसान आते रहते हैं तथा यही इस क्षेत्र का एक मात्र केन्द्रीय स्थान है जिसमें प्रति दिन हजारों ग्रामीण आते हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि यज्ञ नारायण अस्पताल के मदनगंज से काफी दूरी पर होने के फलस्वरूप मदनगंज में रहने वाले व बाहर से आने वाले ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा मिलने में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार मदनगंज के निवासियों तथा क्षेत्रीय ग्रामीणों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए शीघ्र मदनगंज में चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि, नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) मदनगंज (किशनगढ़) में कोई सार्वजनिक एलोपैथी चिकित्सालय नहीं है परन्तु वहां पर 'ए' श्रेणी का आयुर्वेदिक औषधालय है।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) यज्ञनारायण अस्पताल तथा आयुर्वेदिक चिकित्सालय होने के कारण चिकित्सा सुविधा मिलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिये।

राज्य में बढ़ते हुए अपराध

273. श्रीमती सुमित्रासिंह (झुन्झुनूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) जनता पार्टी सरकार के शासन संभालने के बाद अब तक सम्पूर्ण राज्य में कुल कितनी हत्यायें, डकैतियां तथा चोरियां हुई हैं ? इन हत्याओं में राजनैतिक हत्यायें कितनी हैं तथा इन हत्याओं में क्या अपराधियों का पता चल गया ? यदि हां, तो उन केसेस में क्या हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या बढ़ते हुए अपराधों की संख्या से राज्य सरकार चिंतित है ? यदि हां, तो रोकथाम की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या क्या प्रयत्न किये गये ?

उत्तर

(1) जनता पार्टी सरकार द्वारा राजस्थान राज्य का शासन सम्भालने के बाद राज्य में हुई हत्याओं, डकैतियों व चोरियों की सूची संलग्न है। ट्रेड यूनियनों के झगड़ों की वजह से दो हत्याएं हुई हैं जिनमें अपराधियों का पता लगा लिया गया है तथा दोनों ही मुकदमों का चालान न्यायालय में पेश कर दिया है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

(2) बढ़ती हुई आबादी, औद्योगीकरण एवं आम नागरिक द्वारा बिना भय पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के कारण अपराधों में वृद्धि होना स्वाभाविक है। यह वृद्धि चिन्ताजनक नहीं है। अपराधों की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी सम्भव प्रयत्न किए जाते रहे हैं।

Page No 210

तुलनात्मक आंकड़े जुलाई, 1976 से सितम्बर, 77 एवं जुलाई, 1977 से सितम्बर, 1978 तक

शीर्षक	अवधि	पंजीवद्ध अपराध	अदम वकुआ	157-बी	अदमपता	अदम सबूत	जेर तफतीश	299 सी आर. पी. में चालान	चालान	सजा	रिहाइवरी	राजीनामा	जेर तजवीज
डकैती	1-7-76 से 30-9-77 तक	140	23	—	22	—	32	1	62	—	—	—	62
	1-7-77 से 30-9-78 तक	168	39	—	32	1	42	2	72	—	—	—	72
हत्या	1-7-76 से 30-9-77 तक	837	81	—	61	11	92	7	585	57	34	2	492
	1-7-77 से 30-9-78 तक	912	83	—	71	11	140	6	601	54	27	—	520
चोरी	1-7-76 से 30-9-77 तक	16382	2875	108	6998	228	1142	67	4964	352	52	165	4395
	1-7-77 से 30-9-78 तक	19154	3402	114	९942	250	873	86	5437	321	41	161	4964

श्रीनगर तथा पीसांगन पंचायत समिति के गांवों में बिजली की व्यवस्था

274. श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या अजमेर जिले की श्रीनगर तथा पीसांगन पंचायत समिति के गांवों में बिजली राजस्थान इलेक्ट्रीफिकेशन योजना के अन्तर्गत दी जा रही है? यदि हां, तो इस क्षेत्र के कितने गांवों को इससे लाभ मिला है तथा इसकी क्या प्रगति है?

(2) क्या इसके अन्तर्गत सिर्फ कुओं पर ही बिजली सप्लाई की जाती है?

(3) क्या घरों व उद्योगों को बिजली प्रदाय नहीं की जायगी? यदि हां, तो कब तक दे दी जावेगी?

(4) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के अनेक गांव बिजली सप्लाई की मांग कर रहे हैं? यदि हां, तो उन्हें बिजली के कनेक्शन क्यों नहीं दिये जा रहे हैं?

(5) राज्य सरकार इस क्षेत्र के गांवों को कब तक बिजली निश्चित रूप से प्रदाय करेगी?

उत्तर

(1) अजमेर जिले की श्रीनगर तथा पीसांगन पंचायत समिति के कुछ गांवों को ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की "मिनी फार्म" श्रेणी की योजना के अन्तर्गत बिजली दी जा रही है। श्रीनगर पंचायत समिति के 14 ग्रामों तथा पीसांगन पंचायत समिति के 17 ग्रामों का इसके अन्तर्गत विद्युतीकरण हुआ है जिनमें क्रमश: 34 और 210 कृषि कुओं को माह अक्टूबर, 1978 के अन्त तक बिजली दी जा चुकी है।

(2) जी हां, यह "मिनी फार्म" श्रेणी योजनायें ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा केवल कुओं को बिजली सप्लाई करने के लिए ही स्वीकृत की जाती थीं।

(3) योजना में यद्यपि घरों व उद्योगों को बिजली देने का कोई प्रावधान नहीं है फिर भी मण्डल ने अभी दिनांक 16-10-78 का यह निर्णय लिया है कि इन आर.ई.सी. योजनाओं, जिनके लक्ष्य पूरे हो गये हैं, में विद्युत मंण्डल अब कनेक्शन देने की कार्यवाही कर सकेगा।

(4) इन क्षेत्रों के और ग्रामों के विद्युतीकरण की कोई योजना अभी स्वीकृत नहीं है यद्यपि कुछ गांवों के विद्युतीकरण की मांग अवश्य है।

(5) कोई योजना स्वीकृत नहीं होने के कारण निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं है।

चौमू क्षेत्र के विद्युत कनेक्शन के विचाराधीन प्रार्थना-पत्र

275. श्री आर.डी. यादव (चौमू): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत मंडल में अभियन्ताओं एवं वाहनों की कमी से इस वर्ष के टार्गेट पूरे होने सम्भव नहीं हैं? अगर हां, तो इस कमी को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(2) चौमू में इस वर्ष कुल कितने कृषि विद्युत् कनेक्शन हो चुके हैं तथा कहां-कहां? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(श्री आर. डी. यादव)

(3) चौमू अधिशासी अभियन्ता के अन्तर्गत अब तक कुल कितने विद्युत् कनेक्शन के प्रार्थना-पत्र (कृषि) विचाराधीन है तथा कितने कृषकों ने सिक्योरिटी जमा करवायी है? अब तक उन्हें कनेक्शन नहीं दिये जाने का क्या कारण है? क्या विद्युत मंडल इन्हें बुवाई के पूर्व कनेक्शन देने का इरादा रखता है? अगर हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) जी नहीं। टार्गेट पूरे होने की पूर्ण सम्भावना है।

(2) चौमू खण्ड में इस वर्ष माह सितम्बर के अन्त तक 88 कृषि विद्युत् कनेक्शन हो चुके हैं। ग्रामवार सूची सदन की पटल पर रख दी गई है। इसके अलावा माह अक्टूबर, 78 में इस क्षेत्र के 34 और कुओं को कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

(3) चौमू अधिशासी अभियन्ता के अन्तर्गत माह अक्टूबर के अन्त तक कृषि के विद्युत् कनेक्शन हेतु 2029 प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है जिनमें से केवल 613 कृषकों ने सिक्योरिटी की राशि जमा कराई है। इनमें से भी केवल 295 ने "टूल" फार्म प्रेषित किये हैं जिनकी फिटिंग की जांच करने तथा लाइन आदि खेंचने का कार्य चल रहा है। सामान की, विशेषत: कण्डक्टर की, कमी के कारण प्रगति धीमी है। सामान उपलब्ध करा कर शीघ्रातिशीघ्र कनेक्शन देने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

चौमू अधिशासी अभियन्ता के अन्तर्गत माह सितम्बर के अन्त तक
इस वर्ष (1978-79) कृषि हेतु दिये गये
विद्युत् कनेक्शनों की ग्रामवार सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कनेक्शनों की संख्या	क्र.सं.	ग्राम का नाम	कनेक्शनों की संख्या
1	लोहरवाड़ा	5	20	यनेखण	2
2	उदयपुरिया	2	21	किशनपुरा	1
3	हाड़ोत	1	22	चारणवास	4
4	कालाडेरा	2	23	अणतपुरा चिमनपुरा	2
5	टाकरड़ा	1	24	देव थली	1
6	भुतेड़ा	2	25	निवाणा	2
7	सोजरोली	1	26	किशनपुरा चारणवास	4
8	दाहर बावड़ी	1	27	सुलतानपुरा	1
9	दौलतपुरा	7	28	आंकड़ा चौड़	1
10	धोली	1	29	धाणोत	8
11	मेन्डोता	1	30	मामतोड़ी कला	6
12	मोरीजा	5	31	नायन	3
13	राधाकिशनपुरा	1	32	सिंगोदकलां	4
14	सिरसली	1	33	श्रीरामजी पुरा	1
15	विजयसिंह पुरा	1	34	सांदोसर	3
16	नारदपुरा	1	35	तिगरिया	1
17	बिचपाड़ी	1	36	सीताराम पुरा	2
18	अमरपुरा	3	37	धानाका वास	1
19	अस्थीकला	1			

बाड़मेर जिले की जल प्रदाय योजनाओं का सर्वे

276. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले की बाड़मेर तहसील के निम्नलिखित ग्रामों और बस्तियों (ढाणियों के समूह) में पानी खारा है और कम उपलब्ध है जिसके कारण जल कष्ट की समस्या ग्रामीण जनता के लिए एक भयंकर समस्या बनी हुई है:—

1. मेवाणियां की ढाणी (ग्राम माहवार)
2. मीठड़ा (,,)
3. उदाणियों का तला (ग्राम माहवार)
4. कालू का तला (,,)
5. ग्राम कुंजी
6. ग्राम ऊंडरवा (बाड़मेर-धोरीमना की तरफ का हिस्सा)
7. खेतसिंह की प्याऊ,
8. ग्राम हाथीतला
9. ग्राम सनावड़ा

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिला आयोजना समिति ने उपरोक्त ग्रामीण जल प्रदाय योजना के सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्णय लिया था ? यदि हां, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें ।

(3) जन स्वास्थ्य विभाग उपरोक्त ग्रामीण जल प्रदाय योजना को कब तक स्वीकृति देकर पर्याप्त मीठे जल की व्यवस्था कर ग्रामीण जनता के संकट का हल कर सकेगा ?

उत्तर

(1) उल्लेखित ग्रामों में से ग्राम कुका हाथीतला, ऊन्डरवा एवं सनावड़ा व मीठ का खुर्द में पीने के पानी की समस्या है । शेष उल्लेखित नाम अलग ग्राम से नहीं होने के कारण वहां की जानकारी विभाग में नहीं है ।

(2) जी हां, सर्वेक्षण कार्य शीघ्र हो करवा कर रिपोर्ट जिलाधीश कार्यालय को भिजवादी जावेगी ।

(3) राज्य सरकार समस्या ग्रामों में शीघ्र से शीघ्र पेय जल उपलब्ध करवाने के लिये प्रयत्नशील है । चूंकि प्रस्तावित ग्रामों में से कोई भी ग्राम जिला आयोजना समिति द्वारा प्रस्तावित नहीं है अतः फिलहाल अग्रिम कार्यवाही संभव नहीं है ।

मण्डावा डूंडलोद-मुकन्दगढ़ रेलवे स्टेशन मार्ग पर चलने वाली बस

277. श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि स्थानीय जनता की मांग पर मण्डावा से डूंडलोद मुकन्दगढ़ रेलवे स्टेशन, मार्ग पर रात्रि को 10.00 बजे डूंडलोद-मुकन्दगढ़ रेलवे स्टेशन से मण्डावा जाने व प्रातः 4 बजे मण्डावा से डूंडलोद-मुकन्दगढ़ रेलवे स्टेशन आने का परमिट उन्हीं बस मालिकों को दिया गया जो दिन में उस मार्ग पर बसें चलाते थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ माह रात्रि बस सेवा चलाने के बाद उक्त बस मालिकों ने मार्ग को अलाभकारी बताते

(श्री नवरंग सिंह)

हुए बस सेवा बन्द कर दी ? यदि हां, तो इस संबंध में कभी राज्य सरकार ने जांच की है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि मण्डावा (झुन्झुनूं) एवं उसके आसपास के गांवों के हजारों प्रवासी कलकत्ता एवं बम्बई आदि शहरों में रहते है जो प्रात: व रात्रि वाली जयपुर-सवाई माधोपुर गाड़ियों से आते और जाते हैं ? उक्त बस के बन्द रहने से उन्हें पूरी रात और दिन स्टेशन पर गुजारना पड़ता है। साथ ही स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण उनकी जान और माल का भी खतरा रहता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार जन हित में उक्त रात्रि बस सेवा को पुन: चालू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, इस मार्ग पर निजी वाहन धारियों को वर्तमान में 3 अनुज्ञापत्र 4 वापिसी सेवाओं के दिये हुए हैं।

(2) इस मार्ग के निजी वाहन चालकों द्वारा रात्रि बस सेवा बन्द करने की शिकायत प्राप्त होने पर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ने अपने निर्णय दिनांक 29-3-73 द्वारा प्रत्येक परमिट धारी पर 301/-रु. जुर्माना कर उन्हें रात्रि बस सेवा चलाने हेतु पाबन्द किया। पुन: इसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर आर. टी. ए. ने अपने प्रस्ताव दिनांक 23-4-74 द्वारा एक अनुज्ञापत्रधारी का परमिट निरस्त कर दिया।

(3) निगम की एक बस रात्रि के 9·30 बजे डून्डलोद रेलवे स्टेशन से मण्डावा के लिए चल रही हैं। इसके अतिरिक्त तीन निजी अनुज्ञापत्र धारी जो वर्तमान में इस मार्ग पर चल रहे हैं उन्हें रात्रि को 10-00 बजे डूंडलोद रेलवे स्टेशन से एक सेवा चलानी चाहिए। लेकिन न चलाने के कारण उन्हें मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा 60 के अधीन कारण बताओ नोटिस दिया है कि उनके परमिट क्यों नहीं कैंसिल कर दिये जावें। इस पर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24-11-78 की बैठक में विचार कर निर्णय लिया जावेगा।

नगरपालिका सोजत रोड

278. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सोजत रोड को राज्य सरकार ने नगरपालिका डिक्लेयर किया था ? यदि हां, तो किस तारीख को किस आदेश से तथा किन कारणों से ?

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ समय बाद सोजत रोड को फिर से ग्राम पंचायत बना दिया गया ? यदि हां, तो किस तारीख को तथा इसको नगरपालिका क्षेत्र से हटाने के क्या कारण थे ?

(3) क्या आज के हिसाब से मंडी तथा बाजार वगैरह को देखते हुए राज्य सरकार इसे नगरपालिका घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, स्वायत्त शासन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ 1(188) एल एस जी।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

68/62090-98 के द्वारा दिनांक 14·10·74 से। यातायात की वृद्धि के महत्वपूर्ण स्थान, मण्डी क्षेत्र, हायर सैकण्डरी स्कूल, मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसायटी व अन्य नागरिक सुविधा विद्यमान होने से।

(2) जी हां, दिनांक 27-11-76 से। स्थानीय जनता की मांग पर नगरपालिका घोषित की गई।

(3) मामला विचाराधीन है।

जयपुर शहर के पर्यटक केन्द्रों का विकास

279. श्रीमती उज्जला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) जयपुर शहर में देशी और विदेशी पर्यटकों को देखने हेतु किन-किन पर्यटन केन्द्रों का विकास अथवा नव निर्माण को कब तक पूरा करने की राज्य सरकार की योजना है ?

(2) क्या राज्य सरकार रामगढ़ बांध के स्थान का पर्यटन केन्द्र की दृष्टि से विकास करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या-क्या और कब तक ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में स्थित पर्यटन केन्द्रों के विकास एवं नव निर्माण तथा उन्हें पूरा करने की योजना निम्न प्रकार से है:—

(अ) जयपुर का विकास	82·83 तक
(ब) जयपुर की मुख्य इमारतों का विद्युतीकरण	80·81 तक
(स) जल मंडल का विकास	81-82 तक
(द) तीज पर्यटक आवास गृह का विस्तार	80-81 तक
(इ) जनता होटल का निर्माण	79·80 तक
(फ) रामगढ़ बांध पर केफेटेरिया एवं पर्यटक आवास गृह का निर्माण	82-83 तक
(ग) केम्पिंग साईट	80-81 तक
(घ) आमेर में मोटल निर्माण	82-83 तक

2. जी हां। रामगढ़ बांध पर एक केफेटेरिया बनाने का प्रस्ताव है। पर्यटकों के लिये फिशिंग व केन्टीन की योजना भी शीघ्र ही कार्यरूप में परिणित होने जा रही है। इसके अतिरिक्त आवासीय सुविधा के लिए कमरे एवं कोटेजेज बनाये जाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

सुनेल के पास हुई बस दुर्घटना में मारे एवं घायल हुए व्यक्तियों को अनुदान

280. श्री बालचन्द आर्य (डग) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि प्राइवेट बस वाले बसों में अधिक सवारी भरते हैं तो उनकी चैकिंग होती है ?

(2) क्या झालावाड़ जिले में सुनेल के पास बस दुर्घटना हुई ? यदि हां, तो उसमें कितने लोग मारे गये ?

(3) जो व्यक्ति मारे गये व बस काण्ड में घायल होकर अपंग हो गये उनको क्या राज्य सरकार की तरफ से अनुदान दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां निरीक्षण के समय जब भी कोई निजी वाहन क्षमता से अधिक सवारियां ले जाता हुआ पाया जाता है तो परमिट धारी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है ।

(2) जी हां दिनांक 12-6-78 को ग्राम खेताखेड़ी तहसील पिडावा के पास एक निजी वाहन संख्या आर. जे. आर. 5155 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था । इस दुर्घटना में 2 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी तथा 51 घायल हुए थे ।

(3) इस दुर्घटना में मृत 2 व्यक्तियों के आश्रितों को 1000-1000 रुपये तथा प्रत्येक घायल को 100 रुपये प्रति व्यक्ति मुख्य मंत्री एवं बाढ़ सहायता कोष से देने की स्वीकृति क्रमश: दिनांक 23-6-78 व 17-7-78 को दी जा चुकी है ।

पंचायत समिति गोगुंदा द्वारा चयनित अन्त्योदय परिवारों को ऋण

281. श्री भूरालाल (गोगुंदा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 3 मई, 1978 को पंचायत समिति गोगुन्दा द्वारा मुख्यालय पर चयनित 692 अन्त्योदय परिवारों को 6,60,020 रुपया स्वीकृत किया गया है ?

(2) स्वीकृत राशि में से 30-9-78 तक कितने व्यक्तियों को उस स्वीकृत राशि से ऋण उपलब्ध कराया गया ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है । सही परिस्थिति यह है कि दिनांक 3 मई 1978 को पंचायत समिति गोगुन्दा द्वारा मुख्यालय पर 278 अन्त्योदयी परिवार को रु. 6,01,500 का ऋण स्वीकृत किया था ।

(2) इस स्वीकृत राशि में से 30-9-78 तक निम्न रूप से ऋण उपलब्ध करवा दिया गया है।

1. 36 परिवारों को बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर एवं यूनियन बैंक आफ इण्डिया रु. 38,000.

2. 153 परिवारों को सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक उदयपुर द्वारा 2,01,000 बाकी के 89 परिवारों को ऋण वितरण नहीं हो सका क्योंकि उन पर पूर्व के ऋण की रकम बकाया थी, बैंक के नोर्म्स (Norms) में में नहीं आते थे या उन्होंने ऋण लेने से इन्कार कर दिया । इन परिवारों को अन्य सुविधाओं से लाभान्वित कर दिया है ।

भूमि का आवंटन और पत्रावलियों का पुनरावलोकन

282. श्री हरचन्दसिंह (पीलीबंगा): क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार 1955 के पूर्व के काश्तकारों को जो भूमि आवंटन हो चुका है की पत्रावलियों का पुनरावलोकन कर रही है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने 1955 के पूर्व के काश्तकारों के मामलों पर सामान्य स्थगन आदेश जारी कर

(श्री हरचन्द सिंह)

रखा है कि स्थिति यथावत रखते हुए उनकी पत्रावलियों पर कार्यवाही रोक दी जावे ? अगर हां, तो फिर विभाग इसकी पालना क्यों नहीं कर रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां, 1955 के पूर्व के काश्तकारों को भूमि आवंटन नियम, 1971 के तहत भू-आवंटन किया गया था। यह 1971 के नियम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिये जाने की वजह से इनके तहत की गई कार्यवाही भी अवैध हो गई है। अतः 1955 के पूर्व के काश्तकारों को जो भूमि आवंटन हो चुका है उन मामलों में भूमि आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के अन्तर्गत विचार किया जाकर आदेश जारी किये जा रहे हैं।

(2) जी हां, विभाग द्वारा कार्यवाही स्थगन के आदेशों का पालन किया जा रहा है।

धौलपुर क्षेत्र की आर. ई. सी. की योजना

283. श्री जगदीशसिंह (धौलपुर): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) धौलपुर में जो विद्युत की 132 के० वी० की लाइन लाई जा रही है उसकी धीमी रफ्तार क्यों है और यह योजना कितने वर्ष से विचाराधीन है और अब कब तक पूरी हो जायेगी ?

(2) धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी व सरमथुरा क्षेत्र में आर० ई० सी० की योजना कब तक विचाराधीन रहेगी अथवा इसके पूरी होने की भी सम्भावना है ? जब कि इस क्षेत्र में कुओं में पम्पिंग सैट अथवा ट्यूबवैल कई हजार की तादाद में हैं तब आर० ई० सी० की योजना को कार्यरूप में न लेने से क्या काश्तकारों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है।

उत्तर

(1) हिण्डौन और धौलपुर के मध्य 132 के० वी० ट्रांसमीशन लाइन डालने की योजना वर्ष 1973 से विचाराधीन थी, जिस पर योजना आयोग की स्वीकृति माह मई 1978 में ही प्राप्त हो पाई है। लाइन के निर्माण की दिशा में प्रारम्भिक कार्यवाही चालू कर दी गई है तथा लाइन के रूट के सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार इस लाइन के निर्माण कार्य के माह दिसम्बर, 79 के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है। इसके साथ साथ ही धौलपुर का ग्रिड सब स्टेशन भी बना कर चालू कर दिया जावेगा।

(2) चूंकि धौलपुर क्षेत्र में अभी तक 132 के० वी० की उच्च प्रसारण लाइन नहीं है तथा वर्तमान 33 के० वी० सिस्टम में अब और अधिक भार वहन करने की क्षमता नहीं है इसलिए कोई ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी व सरमथुरा क्षेत्र की अभी साध्य नहीं बन सकती।

जालौर जिले के जलाशय

284. श्री टीकमचन्द कांत (जालौर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले में कई ग्राम ऐसे हैं जहां जल प्रदाय के

(श्री टीकमचन्द कान्त)

जलाशय बने हुए वर्षों से पड़े हैं परन्तु उनके माध्यम से पानी दिया नहीं जाता ? कृपया ग्रामों एवं जलदाय योजनाओं की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत करें ।

(2) उस क्षेत्र में दोषी योजनाओं के कारण यदि पानी नहीं दिया जा सकता हो तो उसमें संशोधन क्यों नहीं किया जाता ?

उत्तर

(1) जी हां । सूची नीचे दी जा रही है ।

क्र. सं	योजना का नाम	ग्राम का नाम जहाँ पर जलदाय बना हुआ है ।
1.	पाइप जल योजना बालवाड़ा	बालवाड़ा
2.	वे.ज.प्र.दो.दी गांव पुवाला	पुवाला

(2) इन योजनाओं में पानी पम्प से सीधा दिया जाता है और सभी ग्रामों में पानी सुचारु रूप से चल रहा है । ग्राम पुलावा के जलाशय को पूरा करने की कार्यवाही की जा रही है । ग्राम बालवाड़ा का जलाशय काम में लेने योग्य है अथवा नहीं इसकी जांच की जा रही है ।

भीलवाड़ा शहर के थानों में धोखाधड़ी के दर्ज मामले

285. श्री लालूदास (फलासिया) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत एक वर्ष में भीलवाड़ा शहर में कितने धोखाधड़ी के केस थाने में दर्ज किए गए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या कोई गिरोह इस कार्य में सक्रिय है और पुलिस उनके खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही नहीं कर रही है ?

(3) क्या श्री रामराय तोषनीवाल के विरुद्ध झूठे दावे आदि का थाने में पुलिस केस दर्ज हुआ था ? यदि हां, तो कब और उसमें क्या निर्णय हुआ ?

(4) क्या श्री रामराय तोषनीवाल के साथ और भी कई लोग हैं जो साथ मिल कर धोखाधड़ी का कार्य करते हैं ? यदि हां, तो कौन कौन ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) गत एक वर्ष में भीलवाड़ा शहर में धोखाधड़ी के 14 केस दर्ज किये गये है । सूची संलग्न है ।

(2) जी नहीं ।

(3) श्री रामराय तोषनीवाल के विरुद्ध झूठे दावे आदि का पुलिस में कोई केस दर्ज नहीं हुआ है । रामराय काबरा के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस नं. 500 दफा 420/467 आई.पी.सी थाना कोतवाली भीलवाड़ा में दिनांक 5-10-77 को दर्ज किया गया था । मुकदमा अभी जेर तफतीश है ।

(4) जी नहीं ।

सूची मुकदमात धोखाधड़ी गत एक वर्ष अक्टूबर, 1977 से सितम्बर, 1978 तक

क्रमांक मुकदमा नं०	जुर्म धारा	नाम प्रार्थी	नाम मुल्जिम	नतीजा तफ०	विशेष
1 2	3	4	5	6	7
1-500/ 5-10-77	420/467 आईपीसी	अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई, भीलवाड़ा	रामराय काबरा	एफ०आर० 238 27-8-78 जेरे तफतीश	
2-502/ 7-10-77	420 आईपीसी	अखीबी बेवा जगन्नाथ दरोगा निवासी कोटड़ी	रामड़ी पत्नी रामा दरोगा	चार्जशीट नं. 78 30-4-78	
3-508/ 9-10-77	,,	भेरू पुत्र सोला कीर निवासी सांगानेर	गट्टू कीर	एफ०आर० 301 31-12-77 अदम वकुआ	
4-585/ 14-11-77	,,	शिव नारायण बी०डी०ओ० भीम	देवेन्द्रसिंह भूतपूर्व प्रधान कोटडी नारायणलाल पुत्र हरिकिशन शर्मा भीलवाड़ा	चार्जशीट नं. 1 7-1-78	
5-626/ 4-12-77	,,	छीतरमल जागोरिया भीलवाड़ा	हरिसिंह पुत्र मदन सिंह सोप स्टोन, फैक्ट्री, भीलवाड़ा	एफ०आर० 306 31-12-77 अदम वकुआ	
6-632/ 6-12-77	,,	मिरचूमल पुत्र वसरमल भीलवाड़ा	प्रेम किशन 2. प्रेम लता सा. भीलवाड़ा	एफ०आर० 376 27-12-77 अदम वकुआ	
7-69/ 4-2-78	420/ 406 आईपीसी	श्री तोताराम पुत्र दयालदास सिंधी सा० भीलवाड़ा	मैनेजर, युनाईटेड कामर्शियल बैंक भीलवाड़ा		

1	2	3	4	5	6	7
8–148/	17–3–78	420/ 406 आई.पी.सी.	श्री सवाईराम पुत्र मोती जी गुजर सा० ठोलियाबेड़ा	दयाराम धन्ना राम चन्द्र वगैरा 11 कस	एफ०आर० 30-5-78	134
9–213/	25–4–78	420/ 407	श्री पी. एम. बसवाल पुत्र गंगारामबसवाल निवासी जनरल मैनेजर सिल्क मिल्स	ग्लोब ट्रांसपोर्ट कम्पनी ग्वालियर	एफ०आर० 31–7–78	210
10–214/	26–4–78	420/ 406	श्री रामकरण पुत्र किशनलाल तेली नि० भीलवाड़ा	श्री रामचन सिंघी भीलवाड़ा हाल उदयपुर	चार्जशीट नं. 30–9–78	199
11–234/	8–5–78	,,	श्री नन्दलाल पुत्र छोटूलाल गुजर नि० टैक्सटाइल मिल्स, भीलवाड़ा	श्रीमती गीता देवी पत्नी परमानन्द गर्ग 2-परमानन्द मार्ग भीलवाड़ा	एफ०आर० 15–6–78	149
12–272/	1–6–78	420/ 406	श्रीमान् सी०एम० एच०ओ० साहब एम०जी०एच० भीलवाड़ा	मैसर्स वीर मैटल वर्क्स जयपुर मैसर्स गणेश रोडवेज जयपुर	एफ०आर० 20–6–78	156
13–244/	12–5–78	420/ 408 आईपीसी	श्री रंगलाल पुत्र किशनलाल अग्रवाल नि० भीलवाड़ा	1. रामेश्वर लाल 2. पृथ्वीसिंह गर्ग नि० भीलवाड़ा	चार्जशीट नं. 180 27-8–78	
14–333/	23-6-78	420/ 406	श्री रामचन्द्र पुत्र भुराजी लुहार सा० राजीला पी०एस० हमीरगढ़	उगमा, प्यारा, सरस्वती, कजोड़, पार्ला, नन्दा लुहारन सा० आटूण	चार्जशीट नं. 167 8–8–78	

जाखम प्रोजेक्ट से प्रभावित कृषकों को मुआवजा

286 श्री नारायण मीणा (लसाड़िया) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राज्य के जाखम प्रोजेक्ट से प्रभावित होने वाले कृषकों के पुनर्वास एवं भूमि आवण्टन के लिये राज्य सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ?

(2) डूब एरिया एवं नहरी क्षेत्र में क्षेत्र के लोगों को मुआवजा देने की राज्य सरकार ने क्या नीति निर्धारित की है ? अब तक ऐसे कितने लोगों को मुआवजे दिये गये हैं ? किस दर से दिये या तय किये गये एवं कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ ?

(3) क्या राज्य सरकार ने जाखम परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों के लिए विशेष अलाउन्स विभिन्न परियोजनाओं में दिये है ? अलाउन्स किन परिस्थितियों में बन्द किया गया एवं उन्हें अब ऐसा अलाउन्स दिये जाने बाबत सरकारी नीति में विलम्ब किन कारणों से हुआ ?

उत्तर

(1) प्राथमिक सर्वे के अनुसार जाखम -बांध के डूब में सिर्फ वन विभाग का क्षेत्र आता है। दाईं मुख्य नहर पर 102 कृषक प्रभावित हैं जिनको 339,55|-- रु० मुआवजे के दिये जा चुके हैं।

बाईं नहर के लिए जमीन अभी अधिग्रहण करनी है व उस पर कार्य करने के पूर्व नियमानुसार मुआवजा दिया जायेगा।

(2) मुआवजा देने की नीति भूमि के अवाप्ति के समय जो प्रचलित दर होती है उसके अनुसार राजस्व विभाग अवार्ड जारी करता है व मुआवजे का भुगतान किया जाता हैं। अब तक कुल 102 कृषकों को मुआवजा दिया जा चुका हैं।

मुआवजे की दर भूमि के किस्म के अनुसार 100/- रु. से 600/- रु. प्रति बीघे की दर से दिया व 158 बीघे 8 बिस्वा निजी भूमि प्रभावित हुई।

(3) इस योजना पर जनवरी, 1973 से दिसम्बर, 1975 तक वेतन का 20 प्रतिशत परियोजना भत्ता दिया गया। इसके उपरांत प्रसारित आदेश क्रमांक एफ-२|बी| एफ.डी./रूल्स/73 दिनांक 24-12-75 के अंतर्गत जाखम योजना का नाम परियोजना भत्ते के लिये सम्मिलित नहीं किया गया।

ई. एस. आई. पर होने वाला व्यय

287. श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) ई. एस. आई. पर होने वाले व्यय में व्यवस्था एवं बेनिफिशियरीज पर क्रमशः कितना तुलनात्मक खर्च होता है ?

(2) क्या उक्त व्यवस्था में सुधार करने की राज्य सरकार के पास कोई नई योजना है ?

उत्तर

(1) ई. एस. आई. योजना के कुल व्यय का 3% व्यवस्था (प्रशासन) तथा 97% चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बेनिफिशियरीज पर व्यय किया जाता है।

(श्रम मंत्री)

(2) ई. एस आई. योजना के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मापदंड (नार्म्स) के आधार पर राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

विधि संकाय में प्रवेश और शिक्षा शास्त्री की उपाधि

288. श्री अयूब खां (तिजारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि विधि संकाय में प्रवेश हेतु शिक्षा शास्त्री की उपाधि को सक्षम नहीं माना जाता ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां।

विधि संकाय में प्रवेश के लिये निर्धारित योग्यता शास्त्री परीक्षा में 40% अंक का होना आवश्यक है। शिक्षा शास्त्री एक भिन्न विषयक ट्रेनिंग है जिसका निर्धारित योग्यता में कोई योग नहीं है।

धौलपुर में लड़कियों के अपहरण से संबन्धित समाचार पर कार्यवाही

290. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या दिनांक 28-5-78 के राष्ट्रदूत में धौलपुर से लड़कियों के अपहरण की सनसनीखेज वारदातें होने का समाचार प्रकाशित हुआ ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या इसी दिन उपरोक्त राष्ट्रदूत में "औरत के बदले भैंस" शीर्षक का दूसरा सनसनीखेज समाचार भी प्रकाशित हुआ ? यदि हां, तो राज्य सरकार की तरफ से इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) जी हां, इस संबंध में दिनांक 18-5-78 को थाना बाड़ी में अपहरण संख्या 84 धारा 363, 366 आई. पी. सी. थाना बाड़ी में कायम किया जा कर अपराधियों के विरुद्ध दिनांक 21-9-78 को न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है।

(2) जी हां। इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, भरतपुर द्वारा जांच करवाये जाने पर समाचार असत्य पाया गया।

तालेड़ा पंचायत समिति के गांवों में बिजली

291. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा में मन्त्रिमण्डल की बैठक में रघुवीरपुरा, कांटी अस्तोली एवं खडोरा गांव में बिजली 2 माह में पहुंचाने के लिए मंत्रिमण्डल ने विश्वास दिलाया था ? यदि हां, तो अब तक क्या हुआ ?

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

(2) क्या तालेड़ा पंचायत के सभी गांवों में बिजली पहुँचाने की राज्य सरकार की योजना है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। कोटा में हुई मन्त्रि-मण्डल की बैठक में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया। अपितु कोटा रीजन की स्थानीय सलाहकार समिति की बैठक में इन गांवों के विद्युतीकरण का सुझाव दिया गया था। इन गांवों का सर्वे करा लिया गया है।

(2) जी नहीं। अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। अत: सभी गांवों में कब तक बिजली पहुंच जायेगी, कहना सम्भव नहीं है।

निदेशक की जन्म तिथि परिवर्तन

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन), श्री श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत), श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा), श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के वर्तमान निदेशक, संस्कृत शिक्षा ने अपने सेवा अभिलेखों में अपनी जन्म तिथि में परिवर्तन कराया है? यदि हां, तो राज्य सेवा में आने के समय उनकी जन्म तिथि क्या थी और परिवर्तन के बाद अब क्या है और परिवर्तन का क्या कारण था?

(2) क्या यह भी सही है कि इस जन्म तिथि में परिवर्तन के कारण संस्कृत निदेशक श्री चतुर्वेदी अपने सगे छोटे भाई श्री गंगा-नारायण से भी छोटे हो गये हैं? यदि हां, तो श्री चतुर्वेदी के खिलाफ इस फर्जी कार्यवाही के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है।

(3) क्या यह सही है कि श्री चतुर्वेदी पहले राजस्थान सेवा चयन आयोग से निदेशक पद के लिए अयोग्य घोषित हो चुके हैं और अब राजस्थान उच्च न्यायालय से निदेशक पद की रिट याचिका में हार चुके हैं फिर राजस्थान सरकार द्वारा इनको निदेशक पद पर पदस्थापित करने के क्या कारण रहे हैं?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। अत: कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(3) श्री चतुर्वेदी लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिये बुलाये गये थे परन्तु निदेशक के पद के लिये उपयुक्त नहीं पाये गये। वर्तमान में श्री चतुर्वेदी के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट याचिका विचाराधीन है। श्री चतुर्वेदी संस्कृत विभाग में आचार्य कालेज के वरिष्ठतम आचार्य होने के कारण निदेशक के पद पर तदर्थ रूप से पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये है।

खराब मशीनों की खरीद

295. श्री अमृत लाल परमार (डूंगरगढ़): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चिकित्सा विभाग में वर्ष 1974-75, 1975-76 व 1976-77 में अबोट एम.टी.पी. सैक्शन

(श्री अमृतलाल परमार)
एपरेट्स व 'बोरसक' वगैरह मै. इण्डस्ट्रियल मेडिकल इन्जीनियर, दिल्ली से खरीद किये हैं ? अगर हां, तो कब तक कितने कितने व कुल कितनी रकम के खरीदे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग (1) में वर्णित मशीनों में से एक दो को छोड़कर करीब करीब सब ही बेकार पड़ी हुई हैं क्योंकि यह मशीनें काम करती ही नहीं और इस तरह राज्य सरकार का लाखों रुपया इन मशीनों की खरीद कर बेकार का फंसा हुआ है ?

(3) क्या प्रश्न के भाग (2) में वर्णित खराब मशीनों इत्यादि को खरीदने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है, यदि नहीं तो क्यों? और क्या राज्य सरकार अब इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना उचित समझती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? और हां, तो तब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1974-75 में 85 व वर्ष 75-76 में 58 कुल 163 एम.टी.पी. सैक्शन एपरेट्स कुल कीमत 3,45,600) रु. के एप्रूव्ड रेट्स पर खरीदे गये है। सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं, केवल 11 मशीनें तकनीकी खराबी के कारण कार्य नहीं कर रही है।

(3) जी नहीं, मशीनों में तकनिकी खराबी के लिए किसी अधिकारी को दोषी नही ठहराया जा सकता है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज० जयपुर द्वारा खरीदे गये एम टी.पी. उपकरण की तालिका

क्र.सं.	जिले का नाम	बड़ी	छोटी
1	2	3	4
1.	अजमेर	4	3
2.	अलवर	3	2
3.	भरतपुर	2	3
	धौलपुर	2	2
4.	जयपुर।	6	9

Page No 225

225

1	2	3	4
5.	जयपुर II	4	2
	सीकर	3	8
6.	झुंझुनू	1	5
7.	टोंक	2	1
8.	सवाई माधोपुर	3	3
9.	बीकानेर	2	2
10.	गंगानगर	3	4
11.	चुरू	4	3
12.	नागौर	4	3
13.	जोधपुर	3	2
14.	जालोर	2	1
15.	बाड़मेर	1	2
16.	जैसलमेर	--	1
17.	पाली	4	3
18.	सिरोही	2	1
19.	कोटा	2	2
20.	बूंदी	2	1
21.	झालावाड़	2	2
22.	उदयपुर	4	3
23.	चित्तौड़गढ़	3	2
24.	भीलवाड़ा	1	1
25.	डुंगरपुर	2	2
26.	बांसवाड़ा	2	2
	राजस्थान	73	70—143(143)

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 220 की सूची)

परिशिष्ट "क"

अत्यावश्यक
विधान सभा प्रश्न

प्रश्न संख्या 68/शिक्षा मंत्री
आईटम सं० 3 का उत्तर

श्री मोतीलाल जोशी, प्राचार्य, राजकीय धूलेश्वर संस्कृत कालेज, मनोहरपुर गत छः माहों में (अप्रेल 1978 से सितम्बर 78 तक) निम्न निर्दिष्ट तिथियों में मनोहरपुर संस्कृत कालेज में उपस्थित रहे:— उनका विवरण

माह	उपस्थिति की तिथियां	राजपत्रित अवकाश की तिथियां
अप्रेल, 1978	3,10,11,12,13,14,18,19 व 20 (9 दिन)	2,9,16,17,21,23 व 30 (7 दिन)
मई, 1978	15,16	7,14,21 व 28
जून 1978	10,14	4,8 11 व 15 से 30 तक
जुलाई, 1978	10,14	दिनांक 15 जून, 1978 से 14 अगस्त, 78 तक महाविद्यालय में ग्रीष्मावकाश रहा।
अगस्त, 1978	15,16	1 से 14 तक ग्रीष्मावकाश था। 20,26,27 अन्य अवकाश।
सितम्बर, 1978	6 7,8 13,14,23,28 व 30 (25,26,27 व 29 का आक० अवकाश)	3,5 10,17,24

(227)

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 228 की शिकायतें)

INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT

1125 A. I, Behror 17 27

Chief Secre.

SDM Behror not Coming Upto 11/15 in Office Criminal Clerk not Going to SDM Residence for his Signatures Rohtashsingh Advocate........ ...... In 52 Al 11/15 Aseredr.

And Others Threating Me Direconsenconses
Indian Posts And Telegraphs Department

1130 1 Behror 21 DI 30 Chief Secretary

Rajasthan Jaipur

SDM Behror Getting Signatures of Advocates on Hazarnama + Through Circle Officer Police Behror and Others Threating me Direconseconses—

—Rohtashsingh Yadav Advocate

L N I S D M Yadav Advocate

Aserdrdirecon Senconses

Remi Wa Others... .. .. Others Threatning +

INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT

115543 Behror 17 23 Chief Secretary

Rajasthan Jaipur

SDM Behror not Coming Office Since 15th But Signing Files and Papers at Residence Robtashsing Advocate .... LN 54 . A. 3 Asere 15.

228

प्रधान मन्त्री,
भारत सरकार,

विषय :—श्री छोटेलाल भदोरिया उप जिलाधीश बहरोड़ (अलवर) के रिश्वत खोरी और लालफीताशाही तथा भ्रष्टाचार के क्रम में।

निवेदन है कि छोटेलाल भदोरिया अढाई वर्ष पूर्व से कार्य कर रहे हैं उनके सम्बन्ध में निम्नलिखित निवेदन है :—

1. श्री छोटेलाल भदोरिया उप जिलाधीश बहरोड़ का व्यवहार आम जनता से बड़ा खराब है गरीब और मेहनतकश जनता का चन्द चाटुकार बाबूओं और दलाल नेताओं से मिल कर शोषण कर रहा है जिससे गरीब जनता में बड़ा रोष है।

2. चन्द सीमेंट डीलरों और चीनी डीलरों से साठगांठ करके गरीब जनता का गला काट रहा है।

3. अपने दलाल वकील कप्तान रंगराव सिंह यादव से मिलकर सरकारी भूमि पर कब्जा कराकर रेगुलाइजेशन करके मोटी रकम प्राप्त करते हैं। गरीब हरिजनों से भी भूमि अलाटमेंट में अपने दलालों द्वारा हजारों रुपये के रूप में प्राप्त किये हैं।

4. डी. एल. वी. 6026 और डी. एल. डी. 3719 नम्बर को दो टैक्सी दिल्ली से मंगवाकर बहरोड़ में रखते हैं। टैक्सी ड्राईवर मोहरसिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्य कार्यकर्ता एवं गुण्डा भी है ! इन टैक्सियों से अफीम, गांजा, नाजायज शराब और तस्कर व्यापार हो रहा है। पूजाजीशाह (प्रसिद्ध तस्कर) का एक आदमी एस. डी. ओ. से एक महीने में भेंट करता रहता है।

5. भदोरिया साहब समय पर कभी भी आफिस में नहीं आते हैं और आने पर चैम्बर में बैठे रहते हैं। अढाई घन्टे के करीब लन्च टाईम करते हैं।

6. अपने दलाल वकील द्वारा या अपने गुन्डे ड्राईवर मोहरसिंह द्वारा रकम प्राप्त होने पर ही फैसला सुनाते हैं। रुपये प्राप्त न होने पर केस के फैसले की पेशी लगा देते हैं। इनके आफिस में पेंडिंग कागजों और फाइलों का ढेर लगा रहता है।

इस प्रकार अनेक कारण है जिनकी वजह से गरीब और मेहनतकाश लोगों का शोषण हो रहा है। ऐसे भ्रष्ट अफसर के शोषण से गरीब जनता को राहत दिलाने की कृपा करें।

ह./-
(प्रभातीलाल)
सदस्य ब्लाक कांग्रेस कमेटी बहरोड़
(अलवर) राजस्थान

सेवामें,

मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान

विषय :—श्री छोटू सिंह भदोरिया उप जिलाधीश बहरोड़ जिला अलवर को रिश्वत-खोरी लालफीताशाही और अन्य अनुशासनहीनता के क्रम में।

महोदय,

निवेदन है कि श्री छोटूसिंह भदोरिया समय पर कभी भी अदालत में उपस्थित नहीं होते हैं और न ही उनके क्लर्क समय पर आते हैं। क्लर्क पेशी लगाने की और नकल देने की भी रिश्वत लेते हैं।

दिनांक 15/7/75 व 16/7/75 को एस. डी. ओ. साहब अदालत में नहीं आये। घर पर मिसलों, फाइलों और कागजों पर हस्ताक्षर किये। 17/7/75 को पहले मिसलों में हस्ताक्षर किये। यह सारा नाटक भदोरिया साहब ने खेला। इस प्रकार के फर्जी कार्य को देखकर राष्ट्र हित की सोच कर श्री रोहताश्व सिंह यादव एडवोकेट आपको तार द्वारा सूचित किया। क्या आपने कोई कार्य-वाही की है। तार देने की बात जब एस. डी. ओ. साहब को मालूम हुई तो मिसलों में अवकाश पर है यह वाक्य जुड़वाया। इस प्रकार का नाटक भदोरिया साहब ने किया।

आमतौर पर वही फैसले करते हैं जिनमें अपना दलाल वकीलों द्वारा रिश्वत पहुंच जाती है।

सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा करवा करके और फिर उनको रेगुलाइजेशन करके मोटी रकम प्राप्त की है। बहरोड़ में सार्वजनिक निर्माण विभाग की जमीन पर लोगों ने दीवारें खींच रखी है और जमीन पर कब्जा कर रखा है उसको आज तक खाली नहीं करवाया है।

श्री रामावतार गुप्ता सरपंच बहरोड़ और भदोरिया साहब दोनों मिलकर सरकारी भूमि दबाने वालों से रिश्वत ले रखी है। इसलिये आज तक बहरोड़ में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई है।

आप को बार एशोसियेशन का अध्यक्ष और श्री रामावतार गुप्ता सरपंच बहरोड़ सचिवालय में मिले थे। बार का अध्यक्ष श्री देवकीनन्दन वकील और कैप्टिन रंगरावसिंह वकील दोनों एस. डी. ओ. के दलाल वकील है। सरपंच बहरोड़ ने मोटर स्टेन्ड के निर्माण में सरकारी भूमि को बेचकर लाखों रुपये डकार गया है। सरपंच नागरिकों से कहते फिर रहे है और प्रचार कर रहे हैं कि हमने एस० डी० ओ० बहरोड़ की इन्क्वायरी खत्म करदी और तबादला स्थगित कर दिया है। मुख्य सचिव से मिलकर।

हर रविवार को कैप्टिन रंगराव सिंह की कोठी पर रिश्वत खोर अफसर, तस्कर एवं चोरबाजारी करने वाले व्यापारी, सप्लाई बाबू रामजीलाल यादव एवं रजिस्ट्री बाबू पूर्णचन्द शर्मा सी. ओ. पुलिस एवं भ्रष्ट वकीलों एवं दलाल नेताओं की एक मिटिंग होती है जिसकी अध्यक्षता क्षेत्र के विधायक श्री घासीराम यादव करते हैं। इसमें मुख्य केस के फैसले साप्ताहित रिश्वत का हिसाब, बटवारा, चोरबाजारी एवं तस्कर व्यापार करने वालों का लेखा-जोखा किया जाता है। इस प्रकार अनेक कारण है जिनकी वजह से गरीब जनता में पिछड़ों और दलित वर्ग में तथा मेहनतकश लोगों में भारी असन्तोष है और परेशानी है आपातस्थिति का ये लोग दुरुपयोग करते है। आपातस्थिति में इन गुण्डों पर नियन्त्रण होने के बजाय ये गुण्डे, दलाल खुलकर गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं।

महा महिम प्रधानमन्त्री के 21 सूत्रीय कार्यक्रम की बहरोड में हत्या हो रही है। गरीब जनता को कुछ राहत दिलाने का कष्ट करने की कृपा करें।

भवन्निष्ठ

ह०/-

(घनश्यामसिंह यादव)

ब्लाक कांग्रेस कमेटी बहरोड़ अलवर

प्रतिलिपि:—

1 प्रधान मंत्री, भारत सरकार।

2. गृह मंत्री, भारत सरकार।

(230)

सेवामें,

श्रीमती, इन्दिरा गांधी,

प्रधान मंत्री भारत सरकार,

नई दिल्ली।

विषयः—तहसील बहरोड जिला अलवर में बीस सूत्रीय कार्यक्रम को असफल बनाने हेतु तथा रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार एवं गुण्डागर्दी के क्रम में।

1. निवेदन है कि श्री छोटूसिंह भदोरिया उप-जिलाधीश बहरोड एक भ्रष्ट एवं रिश्वतखोर अधिकारी है। दिनांक 27-7-74 को पार्टी नं. 1 कौशल्या देवी से 3000) प्राप्त करके पार्टी नं० 2 की 145 में भूमि कुड़क करदी। ग्राम महराजावास मोहम्मदपुरा कायसा के मुकदमों में रिश्वत प्राप्त करके फैसले किये। तसींग ग्राम की सिंगा पार्टी नं. 17 हजार रुपये प्राप्त करके दूसरी पार्टी को हरा दिया। ग्राम फतेहपुर में हरदयाल बावरिया (अनुसूचित जाति) की 10 बीघा पुश्तैनी भूमि 2-4-75 सांय सात बजे कुड़क करदी।

2. भूमि अलाटमेंट में गरीब लोगों एवं गरीब हरिजनों को भूमि आवंटित न करके बहुत बड़ा अन्याय किया है। अनुसूचित सुधार संघ बहरोड का 150 प्रतिनिधियों का शिष्ट मण्डल अपनी समस्याओं को लेकर आपसे भेंट भी कर चुका है। रिसर्च आफीसर अपनी जांच में भदोरिया एवं विधायक की रिश्वतखोरी का भण्डाफोड़ हो चुका है।

3. नालोता ग्राम में आवंटित भूमि पर हल चलाने के समय हरिजनों के हाथ पैर तोड़ दिये हैं तथा उनके घरों में आग लगादी। हरिजनों के घरों को जलाने एवं हाथ पैर तोड़ने के सम्बन्ध में पुलिस मदद लेने हेतु एक शिष्ट मण्डल मुख्य मंत्री एवं गृह राज्य-मंत्री से भेंट कर चुका है परन्तु मुख्यमंत्री ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

4. बहरोड़ में प्रमुख दलाल नेताओं ने एवं अधिकारियों ने मिलकर जनता को लूटने की एक एजेन्सी बना रखी है। यह रिश्वत प्राप्त करने का माध्यम है। पंचायत समिति बहरोड़ का प्रसिद्ध चना काण्ड ग्राम पंचायत हमीदपुर एवं ग्राम पंचायत गूंती एवं शेरपुर का चीनी काण्ड इन दलाल एजेन्सी के द्वारा हुआ है। इन काण्डों में अधिकारियों एवं नेताओं ने गरीब किसानों एवं गरीब लोगों का हक काट कर चने एवं चीनी का ब्लेक करके हजारों रुपये का काला धन प्राप्त किया है।

5. दिनांक 29-1-76 को रात के ग्यारह बजे पुलिस स्टेशन बहरोड़ में रिश्वत के बटवारे पर एक भयंकर काण्ड हुआ। इस काण्ड में कई सिपाही एवं थानेदार घायल हुये। घटना स्थल पर ए. डी. एम. अलवर के पहुंचने से एक भयंकर गोलीकाण्ड होने से बच गया। यह राजस्थान पुलिस के लिये कलंक की बात है।

उपर्युक्त तथ्यपूर्ण घटनाओं एवं गरीब लोगों को लूटने की जिम्मेदारी उप-जिलाधीश बहरोड़ एवं विधायक श्री घासीराम यादव की है। इन दोनों ने मिलकर चन्द स्वार्थी कुत्ते पाल रखे हैं। जिनके द्वारा रिश्वत के रुपयों का आदान प्रदान होता है।

उप जिलाधीश बहरोड़ के कार्यालय में श्री रमेशचन्द्र शर्मा ने भूमिहीनों से बीस हजार रुपने की रिश्वत तथा दो बीघा जमीन नारेडा में प्राप्त की है। रजिस्ट्री क्लर्क पूर्णचन्द शर्मा ने 15 हजार रुपये की रिश्वत प्राप्त की है। रसद क्लर्क ने भदोरिया साहब से मिलकर हजारों रुपयों की चीनी के परमीट काट कर काला धन प्राप्त किया है। डी. एल. वी. 6026 का ड्राईवर मोहरसिंह यादव पर एस. डी. ओ. बहरोड़ की विशेष कृपा है। उसके भाई को तथा स्वयं आठ बीघा भूमि आवंटित करदी है। कार में अधिकारियों के बीवी बच्चे सैर करते है तथा स्वयं घूमते फिरते हैं। जिलाधीश महोदय से शिकायत की गई उन्होंने अपने विभाग के कर्मचारियों का ही पक्ष लिया है।

हर रविवार को कैप्टिन रंगरावसिंह यादव एडवोकेट की कोठी पर भ्रष्ट एवं दलाल लोगों की बैठकें होती है। दलाल नेता हीरालाल शास्त्री, बहादुर गूजर, रामपत पटवारी प्रमुख है। कप्तान साहब ने अपने परिवार के लोगों के नाम 16 बीघा जमीन अलाट करवाई है। इन बैठकों की अध्यक्षता जो हर इतवार को होती है श्री घासीराम यादव विधायक करते हैं। इन बैठकों में कार्य कराने के ठेके रिश्वत का बटवारा होता है।

इस गरीब जनता के प्रार्थना पत्र को इन भ्रष्ट अधिकारियों के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाने से कोई लाभ नहीं है। क्योंकि इन भ्रष्ट अधिकारियों एवं दलालों का बड़ा भारी आतंक है। रिश्वतखोर राजस्व अधिकारियों की सिफारिश विधायक श्री घासीराम यादव एवं श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता मुख्यमंत्री महोदय तक करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने विधायक एवं उपजिलाधीश महोदय को आम जनता को लूटने की खुली छूट दे रखी है।

अतः गरीब अनपढ़ एवं शोषित जनता की ओर से प्रार्थना है कि आप सी. बी. आई. या केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा आम जनता के मनसुबे की जांच की जावे ताकि आपको पता लग सके कि बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम विधायक एवं अधिकारी किस प्रकार अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिये असफल करने में जुटे हुए हैं।

ह.- मनोहरलाल
अध्यक्ष,
कमजोर वर्ग समस्या निवारण संघ
तहसील बहरोड़ जिला अलवर

प्रतिलिपि:-

1. संजय गांधी, प्रधान मंत्री भवन
2. गृह मंत्री, भारत सरकार
3. गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार
4. अध्यक्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी
5. अध्यक्ष, राजस्थान कांग्रेस प्रदेश कमेटी, जयपुर

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 230 की सूची)

सूची क

सूची उन जिला मुख्यालयों कि जहां वरिष्ठ विशेषज्ञों के पद होने के कारण कनिष्ठ विशेषज्ञों (शल्य मैडीसिन, नेत्र, स्त्री रोग, हड्डी रोग, शिशु रोग) के पद नहीं है।

शल्य चिकित्सक	अलवर, भरतपुर, सीकर, पाली, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, गंगानगर
मैडिसिन	यथा
नेत्र रोग	अलवर, भरतपुर, सीकर, गंगानगर, कोटा।
शिशु	कोटा
हड्डी	अलवर, भरतपुर, कोटा
स्त्री रोग	अलवर, भरतपुर, कोटा, भीलवाड़ा

सूची ख

सूची उन जिला मुख्यालयों कि जहां कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य, मैडिसियन, नेत्र रोग, शिशु रोग, हड्डी रोग, स्त्री रोग) के पद होते हुए भी रिक्त है।

मैडीसिन	टोंक, सवाई माधोपुर, नागौर
स्त्री रोग	टोंक, रतनगढ़, बाड़मेर, बून्दी, डूंगरपुर
शिशु	गंगानगर
हड्डी	गंगानगर
नेत्र	ब्यावर

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 239 की सूची) सूची 'अ'

माह अगस्त 1978 से अक्टूबर 1978 तक अजमेर शहर में बिजली की सप्लाई में हुई ट्रिपिंग का विवरण

फीडर का नाम	अगस्त माह में कुल ट्रिपिंग की संख्या	कुल समय	सितम्बर माह में कुल ट्रिपिंग की संख्या	कुल समय	अक्टूबर माह में कुल ट्रिपिंग की संख्या	कुल समय	विवरण (औसत)
1. 11.0 के. वी. अजमेर नं. 1	41	3.40 घन्टे	28	2.31 घन्टे	37	3.51 घन्टे	6.5 मिनट प्रतिदिन
2. 11.0 के. वी. अजमेर नं. 2	18	2.24 घन्टे	9	0.57 घन्टे	40	4.26 घन्टे	5.1 ,, ,,
3. 11.0 के. वी. नसीराबाद	40	8.26 घन्टे	34	7.30 घन्टे	38	4.12 घन्टे	13.1 ,, ,,
4. 33.0 के. वी. ब्यावर नं. 1	8	1.43 घन्टे	8	1.12 घन्टे	11	3.37 घन्टे	4.2 ,, ,,
5. 33.0 के. वी. ब्यावर नं. 2	30	6.07 घन्टे	15	4.53 घन्टे	41	7.26 घन्टे	12 ,, ,,
6. 11 के. वी. मुख्य सब स्टेशन पावर हाउस अजमेर के फीडर नं. 1 से गनेड़ा वितरण	21	12.68 घन्टे	18	8.04 घन्टे	20	13.12 घन्टे	22.2 ,, ,,